राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 7

बुधवार

09 मार्च, 2016

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्न काल चालू करूं या आपको कुछ कहना है? आप इस तरह खड़े हो जैसे...। आज सुनेंगे आपको, जीरो आवर में जितना चाहो बोलो।

प्रश्नकाल। श्री धीरज गुर्जर।

प्रदेश में पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के स्थान पर बेरोजगारों को नियुक्ति देने की योजना

104. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.12 (6)एफडी (रुल्स) 2009 दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों को 65 वर्ष तक की आयु तक पुनर्नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वीकृत पदों के विपरीत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नई नौकरियां देने का विचार रखती है? यदि हां, तो दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 के उक्त आदेश जारी करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों पर सीसीए रूल्स लागू नहीं होते हैं? यदि हां, तो सेवानिवृत्त कार्मिकों को रिक्त पदों के विपरीत लगाने के क्या कारण हैं तथा उक्त कार्मिकों के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण कार्य करने पर किस प्रकार कार्यवाही की जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर)

(4) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उन्हें प्रदत्त पेंशन राशि की लगभग आधी से कम राशि पर सरकार द्वारा समेकित पारिश्रमिक पर पुन: लगाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): - (1) जी हां। वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 1.12.2015 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों को नियमित भर्ती से भरे जाने में समय लगने, जनहित की तात्कालिक आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है।

(3) जी हां। स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर जनहित की तात्कालिक आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की जाती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र संख्या प.17(10) कार्मिक/ग-11/94 दिनांक 26.05.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र 10.02.2016 जारी किये गये हैं (परिशिष्ट 'ब')। उक्त परिपत्रों द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये अथवा अन्य रीति से दंडित किये गये सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त नहीं किये जाने एवं संविदा नियुक्ति पर गोपनीय एवं संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी सम्भालने/रोकड़ बही को लिखने और रोकड़िये के रूप में कृत्य करने से सम्बन्धित कार्य नहीं दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की बदनीयती अथवा लापरवाही के कारण सरकार एवं आम जनता को कोई परेशानी होने पर ऐसे कर्मचारी को हटाया जा सकता है। पुनर्नियुक्त कर्मचारी की बदनीयती एवं लापरवाही से राज्य सरकार को होने वाली हानि के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 7 (परिशिष्ट 'स') के तहत पेंशन रोकने की कार्यवाही की जा सकती है।

(4) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति पर ग्रेड-पे वार निर्धारित वेतन के आधार पर समेकित पारिश्रमिक निर्धारित है। उक्त निर्धारित पारिश्रमिक राशि अंतिम मूल वेतन में से पेंशन राशि कम करते हुए देय राशि से अधिक नहीं होने का प्रावधान है। समेकित पारिश्रमिक राशि पर नियुक्त कर्मचारियों की पारिश्रमिक राशि उन्हें सेवा के दौरान प्राप्त वेतन एवं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्राप्त पेंशन राशि को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न संख्या 1.

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राज्य में कुल कितने पदों पर रिटायरमेंट के बाद में पुन: नियुक्ति देकर अधिकारी व कर्मचारी नियोजित कर रखे हैं एवं क्या नियम 7 में अनियमितता होने पर कार्यवाही करने का अधिकार राज्य सरकार अथवा राज्यपाल के पास में है? आपने कितनों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त कीं और कितनी शिकायतों पर आपने क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रिक्त पदों को संविदा से भरने की स्वीकृति के पश्चात् 2016 तक अभी ...।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): संविदा पर नहीं, पुनर्नियुक्ति का मामला है। संविदाकर्मी तो हड़ताल कर रहे हैं बाहर।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। जवाब दे रहे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुनर्नियुक्ति भी संविदा के आधार पर है। इसलिए यह जो संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्ति की गयीं जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं उसी संख्या की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस परिपत्र की चर्चा आपने की है, उसके बाद से लेकर के आज तक 8,993 लोगों को पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी है। मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुनर्नियुक्ति जितनी करने की मंशा सरकार की थी, उतनी संख्या में लोग ही नहीं आ रहे हैं। 10 हजार स्कूल के व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध जितनी पुनर्नियुक्ति सरकार की करने की मंशा थी, उतनी संख्या में लोग ही नहीं आ रहे हैं। हम 10 हजार स्कूल के व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पुनर्नियुक्ति देना चाहते थे, लेकिन उसमें से केवल 938 ही आये। 8,993 का फीगर जो पुनर्नियुक्ति का है, राजस्थान की सैंक्शंड स्ट्रेन्थ के प्रपोशन में नेगलीजेबल है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने इस बात को पूछा है कि पेंशन के नियम के तहत एक्शन क्या ले सकते हैं तो मैं सैक्शन 7 की तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं और री-प्रोड्यूस करना चाहता हूं "The Governor reserves to himself the right of withdrawing or withdrawing a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and of ordering recovery from a pension of a whole or of part of any peculiar loss caused to the Government, if in any Department or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service including the service rendered upon re-employment after retirement." प्रोविजन बड़ा स्पेसिफिक है। पहली चीज तो जो रीएम्प्लायमेंट है, वह सरटेन गाइडलाइन के तहत है। वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, कौनसा काम वह कर सकता है, कौनसा काम नहीं कर सकता है, यह स्पेसिफिक है।

जैसे मैंने कहा कि वह अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता है। ऐसी कोई रेस्पोंसिबल पोजिशन पर काम नहीं कर सकता जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां पर सरकार को किसी प्रकार के नुकसान की कोई गुंजाइश हो। इसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं री-अपाइंटमेंट की और उसके बाद में भी बड़ा स्पेसिफिक कानून है सैक्शन 7, बड़ा स्पेसिफिक है, जिसके आधार पर इस प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पुनर्नियुक्ति पर पेंशनधारी के काम करने पर सरकार को कोई नुकसान हो सकता है या जन हित के खिलाफ कोई काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हां, दूसरा पूछ रहा हूं। जब आपने खुद कहा कि जितने पद सरकार ने निकाले, उस पर उतने आदमी आये ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि मलाइदार पद पर ही आदमी काम करेगा, व्याख्याता बनने नहीं आयेगा। एक तरफ तो आप बिजली विभाग का रोना रो रहे हो कि बिजली विभाग के अन्दर घाटा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बिजली विभाग के अन्दर जो एम.डी. तक बैठाये थे, उनको रिटायरमेंट के बाद भी समय बढ़ा-बढ़ाकर आपने वापिस बैठाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस नियम की आड़ लेकर सरकार युवाओं के रोजगार के अधिकार का हनन कर रही है और जिन पदों पर नियुक्तियों के बाद में संविदाकर्मी विद्यार्थी मित्र एवं अन्य युवाओं को रोजगार मिल सकता था, उनका गला घोट रही है।

जो वेतन इनको मिलता है रिटायरमेंट के बाद में, उस वेतन पर भी

(श्री धीरज गुर्जर)

युवाओं को, संविदा कर्मियों को स्थाई करके सरकार इनको रोजगार देने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि पदों के भरने की प्रक्रिया क्या है। यह पद की रिक्तियों की प्रक्रिया इतनी कम्बरसम है, आरपीएससी को नोटिफाई करेंगे, विज्ञापन होगा, परीक्षा होगी उसके बाद जाकर के नियुक्तियां होंगी। आप सब तो जानते हैं कि आपकी सरकार के अन्दर भी और हमारी सरकार के अन्दर भी नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के बाद कितने ऐसे मामले रहे जिन मामलों के अन्दर नियुक्तियां सरकार नहीं दे पायी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अकेले न्यायिक प्रकरणों के माध्यम से अभी तक 1 लाख 10 हजार पदों की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बावजूद हम अभी तक नियुक्तियां नहीं दे पाये। आपके राज के अन्दर भी 45 हजार पद ऐसे थे जिनकी नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू आपने कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको नियुक्तियां इसलिए नहीं दे पाये कि मामला सबजुडिस हो गया। हमारी सरकार के आने के बाद में 66,166 पद ऐसे हैं जिनके ऊपर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गयी, लगभग पूरी हो गयी। लेकिन उसके बावजूद नियुक्ति केवल इसलिए नहीं दी जा सकी कि मामले सबजुडिस हो गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकारें जनहित के लिए हुआ करती हैं। जनहित के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनहित के काम को पूरा करने की क्षमता सरकार में हो पर्सनल पाइंट आफ व्यू से। मैं कहना चाहता हूं कि 1995 से पहले इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था। पुनर्नियुक्तियों का प्रोविजन हम लेकर के आये हैं, ऐसी बात नहीं है। 1995 से पहले केवल डीओपी के मेमोरेंडम के द्वारा पुनर्नियुक्तियां की जा सकती थीं। यह आपका राज था, यह कांग्रेस का राज था, जिस राज के अन्दर आपने पहली बार यह निर्णय लिया, न केवल निर्णय लिया बल्कि सर्विस रुल्स के सैक्शन 164 में 'ए' का इंसर्शन किया। सैक्शन 'ए' का इंसर्शन करने के बाद इन पुनर्नियुक्तियों को कानूनी जामा पहनाया।

हमने तो केवल यह किया है.... विराजो, मेरा जवाब तो आने दो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 1.12.2015 को आर्डर इन्होंने निकाला है। कांग्रेस का नाम लेने से क्या फायदा?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): दूसरा, आरएसईबी के अन्दर डी.बी.गुप्ता को बैठाया। उसने करोड़ों रुपयों का घोटाला कर दिया, क्या कार्यवाही कर ली इन्होंने?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। जवाब आने दीजिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जो आदमी रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद में नौकरी और युवाओं को आप नौकरी नहीं देना चाहते हो।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जवाब नहीं दे रहे हैं। घुमा-फिराकर दे रहे हैं। मैंने पूछा कितनी कार्यवाही की, इस बात को गोल कर गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, बैठो-बैठो। माननीय विधायक, बैठो, जवाब आ रहा है। पूरा सुन लो। बाकी रह जाए तो बोलना।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आरएसईबी में कितने ही आदमी बैठे हुए हैं ऐसे पदों पर जिनमें बिजली खरीदनी है, मीटर खरीदने हैं। आदमी मलाईदार पद पर ही काम कर रहा है। सेवा के पद पर काम नहीं कर रहा है। रिटायरमेंट हो गया, उसने पैसा कमा लिया, पेंशन मिल गयी, उसको घर भेजो और युवाओं को रोजगार दो। आज आपकी विधान सभा के बाहर में विद्यार्थी मित्र, होम गार्ड, पैरा टीचर्स, नर्सिंगकर्मी लाइन लगाकर पड़े हुए हैं। अपने घुटने रगड़ रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: एमएलए का पद भी मलाइदार है, जो हम सब यहां बैठे हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो वस्तु स्थिति बता रहा हूं। तथ्य यह है कि 1995 से इस प्रकार के री-अपाइंटमेंट होने लगे। हमारी सरकार थी, माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब की सरकार थी। डीओपी डिपार्टमेंट के केवल मेमोरेंडम के जरिये इस प्रकार की नियुक्तियां होती थीं। लेकिन सिविल सर्विसेज के रूल्स के अन्दर अमेंडमेंट जो हुआ था, सैक्शन 'ए' का इंसर्शन जो हुआ, वह इंसर्शन आपके राज में भी, मैं कोई पाप थोड़े ही बता रहा हूं उसको। मैं उसका कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई पाप नहीं बता रहा, मैं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तो केवल आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं कि सैक्शन 'ए' का इंसर्शन 164 के अन्दर आपके राज में हुआ। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन तथ्यों को मैं झुठला भी नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 27.2.2013 इसमें लिख रहे हैं, "In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services(Pension) Rules, 1996 namely:-

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2013.
2. These rules shall come into force with immediate effect.
3. In the aforesaid rules-

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): बी.काम. और एम.काम. किया हुआ बैठा हूं। (व्यवधान) वह राठौड़ साहब कह रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैंने बी.काम. पास की है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर गुर्जर, आप बैठो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): गुर्जर हूं इसका मतलब यह नहीं है, ज्ञान भी है हमारे अन्दर। (व्यवधान) खुद के जैसा सबको समझ लेते हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): "The existing words "Department of Personnel" appearing in Rules 151...." व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक मिनट, मैं स्पष्ट कर दूं, राठौड़जी से मेरा मतलब मदनजी राठौड़ है। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): "... shall be substituted..." मदनजी, विराजो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप जरा आगे वाली सीटों से पूछ लें कि मलाइदार पद क्या होता है, यह आगे वाले बता देंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मलाई तो आप खा रहे हैं आजकल। हमारे पास मलाई कहां, हमारे पास तो खुरचन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। नाम नहीं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): "(i) the existing words "Department of Personnel" appearing in Rules 151 shall be substituted by the words "Department of Personnel and Finance Department. (ii) after the existing Rules 164, the following new Rules 164 A shall be inserted, namely;-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

"Notwithstanding anything contained in Rule 149 to 164, in cases where the post is lying vacant in any service and regular recruitment to the post shall take time and the post can not be retained vacant in public interest, in such cases the retired Govt. servant who have not completed the age of 65 years can be re-employed with the prior concurrence of Department of personnel and Finance Department for one year at a time or the regularly selected persons are available for appointment whichever is earlier. Such retired re-employed employees shall be allowed consolidated remuneration as decided by Govt. in Department of Personnel from time to time. During the period of re-employment only casual leave shall be admissible and any other kind of leave with remuneration shall not be admissible." यह तय हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, 27.2.2013 को। लेकिन इसमें दिक्कत यह आ रही थी कि बार-बार जाओ, जन हित के काम रुके हुए हैं, बार-बार डीओपी में जाओ, बार-बार फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाओ। जब आपने सिद्धांततः यह तय कर लिया कि 65 साल की उम्र तक रिअपोइंटमेंट हो सकता है, जनहित के अन्दर जब तक कि रैगुलर अपोइंटमेंट न हो जाए तो फिर बार-बार डीओपी के पास जाने की जरूरत क्या है, बार-बार फाइनेंस के पास जाने की जरूरत क्या है, क्यों न इसको इस तरह से सिंक्रोनाइज किया जाए, सिस्टम को किस प्रकार से इफैक्टिव किया जाए, सिस्टम को किस प्रकार से प्रपेल किया जाए, इसके लिए हमने जो डिफैक्ट आपके इस डिसीजन में रह गये, जो कमियां आपके इस निर्णय में रह गयी थीं उन कमियों की पूर्ति करते हुए कहा कि प्रशासनिक विभाग में दो सालों के लिए बिना कंकरेंस के जाने की जरूरत नहीं है, डीओपी, फाइनेंस के पास जाने की जरूरत नहीं, उसके आधार पर आप अपोइंटमेंट दे दें और अपोइंटमेंट देने के बाद में अगर बीच में रिक्रूटमेंट हो जाए तो स्वतः ही रिअपोइंटमेंट खतम हो जाएगा, आपने चार्जेज यह लगाये कि हम रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं आपके राज के शुरू के दो सालों में आपने केवल 22 हजार लोगों को अपोइंटमेंट दिया और हम शुरू के दो सालों में 40 हजार के लगभग लोगों को अपोइंटमेंट दे चुके हैं, रैगुलर अपोइंटमेंट दे चुके हैं बल्कि हमने 78 हजार 373 से ज्यादा पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं किया...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं किया हमने, एम्प्लायमेंट...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 10 हजार तो आप खुद बोल रहे हैं बाद में 78 हजार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एम्प्लायमेंट की अपोर्च्युनिटी कैसे बढ़ेगी ...(व्यवधान) सुन लें। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, इधर देखें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं हम न केवल एम्प्लायमेंट जनरेट करना चाहते हैं प्राइवेट सैक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सैक्टर में भी एम्प्लायमेंट का जनरेशन कैसे हो, इसके लिए हमने न केवल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है बल्कि हमने सैंक्शंड स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब आपका राज गया था तो सैंक्शंड स्ट्रेंथ थी राजस्थान सरकार की 6.71 लाख, और हमारी सैंक्शंड स्ट्रेंथ है 8.10 लाख, इसका मतलब तकरीबन 1 लाख 40 हजार पदों का सृजन हमने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी गवर्नमेंट के इंटेंशन को साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट न केवल गवर्नमेंट सैक्टर के अन्दर एम्प्लायमेंट का जनरेशन करना चाहती है बल्कि जनरेशन करके उनका अपोइंटमेंट भी करना चाहती है और अपोइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी। 40 हजार लोगों को अपोइंटमेंट दे दिया, 80 हजार लोगों का अपोइंटमेंट प्रक्रिया में है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वादा हमने 15 लाख नौकरियों का किया है, प्राइवेट सैक्टर में और पब्लिक सैक्टर में, हमने पब्लिक सैक्टर में, गवर्नमेंट सैक्टर में डेढ़ लाख नियुक्तियां और बढ़ायी हैं, डेढ़ लाख पदों का और सृजन किया है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से राजस्थान के आम आदमी को हम एम्प्लायमेंट देंगे।

हम तो वह हैं जो रिटायर्ड आदमी को भी एम्पलायमेंट दे रहे हैं। हम 15 लाख रोजगार युवाओं के लिए तैयार करेंगे। राजस्थान में हमने डेढ़ लाख पदों का सृजन किया है, 40 हजार लोगों को अपोइंटमेंट दिया है, 80 हजार लोगों का अपोइंटमेंट प्रोसेस में है और 1 लाख 40 हजार नए पदों का सृजन किया है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं इतना कह सकता हूं आपको कि सरकार के अन्दर एम्प्लायमेंट हमारी पहली प्राथमिकता है, कल के बजट में भी आपने देखा होगा, ग्रोथ विद एम्प्लायमेंट किस प्रकार से राजस्थान में लाया जा सकता है इसकी अवधारणा पहली बार कहीं नजर आयी इस विधान सभा में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट में नजर आयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, माननीय सदस्य, डोटासरा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया है। जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। मैंने डोटासराजी को पुकारा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सरकार में राजस्व संग्रहित करने वाले ऐसे कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें इस नियम के तहत आपके पास में आवेदन आये और उनमें से कितने लोगों का किस आधार पर, किस मापदंड से चयन किया गया और कितने के रिजैक्ट किए गए। क्योंकि जो राजस्व जहां संग्रहित होता है उन डिपार्टमेंटों में पिक एंड चूज के आधार पर लिया गया है कि यह सरकार की मानसिकता का व्यक्ति है उसको राजनीतिक अप्रोच से लिया गया है बाकी जो लोग हैं उनके आवेदन पैंडिंग हैं उनको नहीं लिया गया है, एक प्रश्न और पूछूंगा मैं आपकी इजाजत से।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बस एक ही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरक प्रश्न एक ही।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर इसी में शामिल कर दूं।

श्री अध्यक्ष: हां। हां, कर लो शामिल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी में शामिल कर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। आपकी सरकार आने के बाद कितने डिपार्टमेंट में नियुक्तियों की विज्ञप्ति निकाली। ये जितने आप एक लाख समथिंग बता रहे हैं, हमारी सरकार की तो कितनी है, आपने दो साल में कितनी नियुक्ति के विज्ञापन निकाले और उनमें से कितनी नियुक्ति दी गयीं, डिपार्टमेंटवाइज बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: बहुत पूछ लिया, अब जवाब दें आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व प्राप्ति के पद कौन-कौन से हैं, कौन से विभाग हैं, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आरटीओ, डीटीओ, खनिज।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आप सुनें। आपकी मानसिकता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं कामर्स का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

विद्यार्थी रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके आधार पर कह सकता हूं, मानसिकता और अनुभव के आधार पर नहीं कह सकता। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं हैल्थ का डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से रेवेन्यू का डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन दो-चार पर्चियां तो वहां भी कटती हैं, क्या यह रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, ...(व्यवधान) यह क्या है? क्या यह रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है? (व्यवधान) सुन लें आप। डोटासराजी, मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन ज्ञान वृद्धि की जरूरत भी महसूस करता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नोन रेवेन्यू पोस्ट कौनसी है और रेवेन्यू पोस्ट कौनसी है, इसका बाइफर्केशन और कैटेगराइजेशन मुझे कहीं नहीं मिला। (व्यवधान) जिसके आधार पर मैं आपको निवेदन कर सकूं कि कौन से तो उनमें राजस्व के पद थे या कौन से मलाई के पद थे जैसा कि आपने बताया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने 'मलाई' नहीं बोला। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन मलाई के पदों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अनुभव होगा। (व्यवधान) मैं इतना निवेदन जरूर कर सकता हूं कि यह स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स हैं जो 1995 के बाद समय के अनुसार बदलती रही हैं, और भी स्ट्रिक्ट होती गयीं। आपके भी राज में हुई। उन गाइडलाइंस के आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि लोग आ नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चुन-चुनकर नियुक्तियां दीं, मैंने आपको निवेदन किया कि पूरे राजस्थान में जहां 8 लाख 10 हजार लोगों का कैडर है, वहां पर 8 हजार लोग नियुक्ति के लिए आये केवल इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो इंजीनियर्स हैं बड़े-बड़े उनको रिटायरमेंट के बाद कंसलटेंसी का काम मिल जाता है, अब कंसलटेंसी का काम बड़ा-बड़ा मिल जाता है तो वह यहां क्यों करने आएगा, डाक्टर्स के लिए हमने कल ही रिटायरमेंट की उम्र 62 साल की है, बड़े-बड़े प्रोफेसर्स जो एसएमएस से रिटायर होते हैं...।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने तो स्पेसिफिक बात पूछी है कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कितने आवेदन आये, कितने निरस्त किये, आपने कितनी विज्ञप्ति निकालीं और उसमें से कितनी नियुक्ति दीं। केवल स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 13.12.2013 से फरवरी, 2016 तक 8994 नियुक्तियां विभिन्न विभागों में हुई, सबसे ज्यादा नियुक्ति देने का कहीं अवसर है तो वह है शिक्षा विभाग, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया है और उसमें आये भी बहुत कम, यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान) वहीं नहीं, आपके मन की मलाईदार पोस्टों का, जैसा आप कह रहे थे, बड़े-बड़े इंजीनियर, कंसलटेंसी फर्म में चले जाते हैं पर आपके द्वारा फैलाई गयी मलाई को चाटने के लिए नहीं आ रहे। (व्यवधान) मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी में एक नहीं आया, राजेन्द्रजी राठौड़ रोज प्रोफेसरों को झाले दे-देकर बुलाते हैं, पर जिस प्रोफेसर को डेढ़ लाख रुपए, पौने दो लाख रुपए राजस्थान की सरकार देती है रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सैक्टर के अन्दर चार-चार, पांच-पांच लाख रुपए उनको मिल रहे हैं। वो लोग नहीं आना चाहते। टीचर नहीं आना चाहते। रिक्रूटमेंट के काम की जो मैं बात कर रहा हूं इसीलिए हमने रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में गति दी और गये दो साल में 40 हजार अपाइंटमेंट दिये जबकि आपने दो साल में केवल 25 हजार अपाइंटमेंट दिये थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके यहां से कितनी विज्ञप्तियां निकलीं, उसमें से कितनी नियुक्तियां दीं?

श्री अध्यक्ष: मिस्टर डोटासरा, सवाल पर सवाल नहीं। बैठिए आप। सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो आये।

श्री अध्यक्ष: देने की जरूरत नहीं आपको जवाब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: यह हुई है। बार-बार नहीं खड़े हो सकते। बैठ जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने पूछा है, उन दोनों क्वेशचंस के जवाब आ गये क्या?

श्री अध्यक्ष: आप उनके मुंह में सवाल नहीं रख सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा मत कीजिए, जवाब दिलाइये। विपक्ष का अधिकार है। हम भी चुनाव जीतकर आये हैं इस सदन में। आप जवाब तो दिलाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इतना व्यापक सवाल है आपका, अलग से सवाल होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह क्या है बार-बार?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बैठ जाओ आप।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह क्या बात हुई?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): खच, खच, खच, खच। (व्यवधान) आपको अधिकार मिला है क्या? आपको अलग से अधिकार है क्या? यह चेयर सबकी है। हमारा अधिकार है। हमारा क्वेश्चन है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह +++ की पराकाष्ठा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाओ। क्या खड़े हो जाते हो बार-बार? आपको कोई नहीं बनाएगा मुख्य सचेतक। मुख्य सचेतक कोई नहीं बनाएगा, मंत्री कोई नहीं बनाएगा। हम भी बनेंगे दो-तीन साल बाद में। हमारे में से ही बनेंगे। क्या बात करते हो?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह +++ ठीक नहीं है। आपको बोलने की मर्यादा नहीं है, मर्यादा सीखो थोड़ा। आपको मर्यादा नहीं है, थोड़ी मर्यादा सीखो, डोटासराजी। अमर्यादित हो आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मर्यादा आप सिखाओगे मेरे को? यह क्या बात हुई?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): +++ बोलते समय कैसे बोलते हैं, बैठ जाओ। आप कौन होते हैं बैठ जाओ कहने वाले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। मंत्रीजी देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है। मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि मेरे प्रश्न का जवाब आये।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): इतना व्यापक सवाल कर दिया। सवाल करने का भी तरीका आना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी सरकार ने कितनी विज्ञप्तियां निकालीं उसमें से कितनी... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ये कांग्रेस के सचेतक हैं, इनमें बोलने की मर्यादा नहीं है, +++ नहीं है। +++ की पराकाष्ठा कर दी है इन्होंने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसमें से कितनी नियुक्तियां दीं, इतना-सा पूछा है मैंने, इससे ज्यादा नहीं पूछा। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): चेयर का काम आप कर रहे हो, राठौड़ साहब। आसन काहे के लिए है?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आसन का काम तो ये +++ कर रहे हैं। डोटासराजी कह रहे हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपकी मेहरबानी से नहीं हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं भी आपकी मेहरबानी से नहीं हूं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): थोड़ा +++ सीखो, +++

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बीच में खड़े हो जाते हो। इनको क्यों न्यूट्रल कर रखा है? मुख्य सचेतक बैठा है, आप खड़े हो गये। आप एक एमएलए हो मुख्य सचेतक अन्दर रहता है तो। नियमों की बात कर रहे हो। नियमों में लिखा हुआ है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): कोई नियमों की बात नहीं है यहां, मैं सदस्य हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब मुख्य सचेतक बैठा है तो उप मुख्य सचेतक जीरो है, सामान्य विधायक है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप हीरो हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हीरो हूं ना।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): हो गया हीरो, बैठ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी मेहरबानी से थोड़े हूं, मेरे दम पर हूं, मेरी पार्टी के दम पर हूं।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): +++ नहीं चलेगी यहां पर, यह ध्यान रखो। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) बैठो, भाटी साहब, विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाषा, जो लैंग्वेज प्रयोग हुई है दोनों तरफ से, +++, यह नहीं चलेगी, सदन में इस प्रकार की भाषा चाहे किसी पक्ष की तरफ से हो, अलाउ नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: वे अपनी भाषा की विद्वता प्रकट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): यह +++ कोई असंसदीय नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर आप हो क्या वह +++?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप ही हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कह रहे हो ना, असंसदीय नहीं है तो फिर +++ बन जाओ। आप बन जाओ ना।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप हो। आपका परिचय दिया मैंने कि आपकी सरकार का जवाब क्या है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप +++ हो ना? आप तो हो ना?

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन । श्री निर्मल कुमावत। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने पर्टीकुलर क्वेश्चन पूछा है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्वेश्चन संख्या 105

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब तो दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: राजपालजी, विराजिए। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया। आप विराजो।

प्रदेश में भ्रूण, नवजात शिशु एवं लावारिस बच्चे मिलने के दर्ज प्रकरण

105. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक भ्रूण, नवजात शिशु एवं लावारिस बच्चे मिलने के कितने-कितने प्रकरण कहां-कहां पर कब-कब दर्ज हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): प्रदेश में जनवरी, 2013 से अब तक भ्रूण मिलने के कुल 264 प्रकरण, नवजात शिशु मिलने के कुल 575 प्रकरण एवं लावारिस बच्चों के मिलने के कुल 186 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका जिलेवार हैडवाइज विस्तृत विवरण क्रमश: परिशिष्ट ''अ'' ''ब'' एवं ''स'' पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न एक।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि चाहे भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, सभी लग रहे हैं कि किसी प्रकार से बेटी बचे, बेटी पढ़े और देश आगे बढ़े, परन्तु समय-समय पर विभिन्न सर्वे आये या सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अब तक की मुहिम में ज्यादा फायदा सरकार को या समाज को हुआ नहीं है। मैं मंत्री से एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या सही है कि बेटी पैदा करने वाले को सरकार के एक आदेश जो 1 जून, 2002 के बाद में दो से अधिक संतान वाले राज्य कर्मचारी, अधिकारियों की पदोन्नति, एसीपी रोकने एवं सरकारी सेवा में भर्ती पर रोक का प्रावधान है? क्या यह सही है कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का कोई प्रोविजन है? यदि है तो क्या सरकार इसमें शिथिलता देने का मानस रखती है या नहीं रखती है? इसका आप जवाब दे दें मैं दूसरा पूरक प्रश्न दुबारा पूछूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस कानून के तहत पदोन्नति में दो से अधिक बच्चे होने पर 5 साल के लिए उसको डिबार किया हुआ है, यह बात सच है। यह पिछली विधान सभा में भी विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विषय उठा है इसलिए सरकार ने एक अमैण्डमेंट तो कर दिया कि अगर दूसरी शादी के बाद उसका जो बच्चा होगा वह इसमें बाधा नहीं होगा, एक। इसके बाद भी जो विषय अभी विचाराधीन चल रहा है, निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर विचार जरूर चल रहा है कि तीसरा बच्चा होने पर पदोन्नति में जो रोक लगी हुई है उसको हटाया जा सकता है क्या? चर्चा होने के बाद और निर्णय होने के बाद ही इसको बताया जा सकेगा कि सरकार कब और क्या निर्णय कर रही है।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन की ओर से एक बात सरकार के सामने रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः आप अपनी तरफ से ही रखिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मेरी तरफ से भी रखना चाहूंगा। क्या राजस्थान सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेकर दो पुत्रियों तक उसको एक यूनिट मानते हुए कोई ऐतिहासिक कदम उठाने का विचार रखती है ताकि इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहन न मिले और दो बेटियां किसी के होती हैं तो तीसरे पुत्र की चाहत में उसको भ्रूण हत्या नहीं करनी पड़े, पूरे समाज के लिए

(श्री निर्मल कुमावत)

क्या अनूठी पहल नहीं होगी? क्या सरकार इसके लिए गम्भीर है? क्या विचार रखती है, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह विषय जो आपने उठाया, वो ही विचाराधीन है। जब तक उस पर निर्णय नहीं हो जाता है मैं आपको यहां बता नहीं सकता हूं कि एक यूनिट मानेंगे। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मंत्री महोदय, मेरा स्पेसिफिक है केवल दो पुत्रियों को एक यूनिट मानेंगे या नहीं मानेंगे?

श्री अध्यक्ष: बैठिए। जवाब सुन लीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि वास्तव में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहां लिंग अनुपात 888 था, देश की जनगणना में 919 थी 1000 के ऊपर, वह हमारे यहां कम थी। लेकिन सरकार के प्रयत्न के कारण से और गलत अबार्शन कराने पर रोक लगाने के कारण से, जो प्रेगनेंसी एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया, 1 जनवरी, 2014 से लेकर 31 दिसम्बर, 2015 के आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे यहां लिंग अनुपात 929 हो गया है। इसका मतलब हमने इसको निश्चित रूप से कानून के परव्यू में रहते हुए सारे के सारे प्राइवेट होस्पिटल या जहां-जहां पर भी सोनोग्राफी मशीन है उसको हमने सिस्टम पर डाला है ताकि रिकार्ड पर निश्चित रूप से आएगा और हमारे यहां हैड आफिस में उसकी एंट्री हो जाएगी कि आज किस आफिस में या किस हास्पिटल में इस प्रकार की जांच हुई है और उसके बाद भी जो कुछ इल्लीगल ट्रांसपोर्ट करके भी इधर से उधर ले जाते हैं, उनके खिलाफ भी केस बनाकर कुछ डाक्टरों को इस गलत काम के लिए गिरफ्तार भी किया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री सुखराम।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैं आपकी मार्फत जानना चाहूंगा कि ये ज्यादातर लड़कियां मिली हैं, बच्चियां मिली हैं। मिलीं उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, क्या बालिग मिलीं? बालिग मिलीं तो उसको मां-बाप को सुपुर्द किया गया तथा किनके खिलाफ चालान किया गया? (व्यवधान) बाकायदा कई लड़कियां मिली हैं।

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये, शांत रहिये, कृपया शांत रहिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): लड़कियां मिली हैं, कई रेलवे स्टेशन पर

(श्री सुखराम विश्नोई)

मिली हैं। लावारिस बच्चियां मिली हैं ज्यादा। उनकी उम्र उस वक्त क्या थी? बालिग थीं या किन्हीं के खिलाफ कोई चालान किया गया? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि विषय को आप ठीक प्रकार से या तो इसका विश्लेषण नहीं कर सके या जिस प्रश्न पर अपन चर्चा कर रहे हैं वह विषय स्पष्ट नहीं हुआ। तीन बातें हैं-एक है भ्रूण। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके पहले ही बाहर कर दिया। दूसरा वह है इल्लीगल बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन उसको फेंक दिया गया। तीसरा वे बच्चे हैं जो उम्र में छोटे हैं। सामान्यत: हम छह वर्ष तक के बच्चों को इस प्रकार के बच्चों में गिनते हैं जिनको परिवार वाले या तो मंद बुद्धि होने के कारण से छोड़ देते हैं या बच्चा किसी कारण से निकल जाता है और अपने पेरेंट्स के नाम नहीं बता नहीं पाता है, उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को यह जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है उसने इसकी व्यवस्था कर रखी है, उन बच्चों को वहां भेजते हैं और वहां वे रहते हैं। उसके बाद जिनको गोद दिया जा सकता है, उसके लिए भी बोर्ड बना हुआ है, वो निर्णय करता है और निर्णय के आधार पर अगर कोई गोद लेने वाला व्यक्ति मिलता है तो उसे देते हैं। जिन केसेज में चालान करना होता है तो चालान करते हैं और जिन केसेज में हमको लगता है, जिन-जिन जगह पर भी जिस प्रकार से निस्तारण हो सकता है, निस्तारण करते हैं। तीनों अलग-अलग हैं। भ्रूण के बारे में अलग, नवजात शिशु जो पैदा हुए जिनको डाल दिया वो पालना घर में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-3, 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र होने के बाद भी छोड़ दिये जाते हैं। लेकिन जो बालिग है वो तो इस परव्यू में आयेगा ही नहीं, वह तो इस सीमा से बाहर है।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर। पूरक प्रश्न।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि सरकार की मानीटरिंग के कारण बच्चियों की संख्या में इजाफा हुआ है। मैं बच्चियों की ही बोल रहा हूं। लेकिन हिमाचल सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार इस दो बच्चे की बाध्यता को हटा चुकी हैं। अपना जो पहला सत्र था, उसमें मैंने स्थगन के माध्यम से इस बात को उठाया था तो सरकार को दो साल तो इस पर विचार करते हो गया है। यह बहुत जरूरी और गम्भीर विषय है, सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर इस पर विचार

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

करके बताना चाहिए कि वो दो बच्चों वाला रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। क्योंकि उसी से यह पाया गया है, रिपोर्टस हैं और इसमें स्टेटिस्टिक्स हैं कि यह दो बच्चों की बाध्यता के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो या तो यह करें कि बच्चियों को काउंट ही नहीं करें तो ऐसा कुछ न कुछ निर्णय सरकार को लेना चाहिए यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह चर्चा उठी थी उसके बाद ही सरकार ने इस ओर बड़ी गम्भीरता से अपना चिंतन शुरू किया है और दोनों तरफ से हम देख रहे हैं। एक तो कानूनी कसाई के कारण से भी जो नेशनल एवरेज है उससे भी अब हमारी बच्चियों की संख्या 929 पर आयी है लेकिन फिर भी प्रमोशन में इस प्रकार की बाध्यता के कारण से कई बार हो सकता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और निर्णय होने के बाद ही सदन में इस बात को आश्वस्त कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी राठौड़ साहब ने जो कहा +++, तो +++ असंसदीय भाषा है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष: यह मैं देख लूंगा, असंसदीय होगा तो.....

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर नहीं है .... (व्यवधान) एक मिनट सुनो आप।

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाउ किया है। मैंने अलाउ किया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...तो आप लिखो, फिर एक-दूसरे को +++ कहेंगे। यह परम्परा क्यों चला रहे हैं, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: परम्परा नहीं चला रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यदि असंसदीय है तो इसको एक्सपंज किया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: असंसदीय शब्दों की डिक्शनरी बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): एक तो यह लग रहा है कि आप बेटी को लेकर कितने गम्भीर हैं, यह सदन में नजर आ रहा है। विषय

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

इतना गम्भीर चल रहा है, बेटी को लेकर आप सदन में कितने गम्भीर हैं वो नजर आ रहा है इससे। (व्यवधान) आप विषय को डायवर्ट कर रहे हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): असंसदीय है तो इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): इस विषय को आप डायवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो बच्ची को लेकर सदन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर तो यह सिलसिला शुरू हो जाए कि आप हमें +++ कहें। हम आपको +++ कहें। कर दो फिर सिलसिला शुरू। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल हुआ जो असंसदीय है तो एक्सपंज करने के निर्देश दे दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं असंसदीय शब्दों की परिभाषा देख लूंगा, उसका संकलन है और उसके बाद मैं इस पर निर्णय दूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप देखकर करवा दें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पर इसका मायना यह हुआ कि हम कह सकते हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गयी +++ कहने की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैंने कह दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, एक बात, इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि जब तक आप निर्णय देंगे तब तक तो खुली छूट रहेगी लोगों को। मेरे हिसाब से, मेरा आपसे अनुरोध है, आप असत्य कह सकते हैं, मिथ्या कह सकते हैं लेकिन +++ शब्द को तो कृपया एक्सपंज कर दें। नहीं तो जब तक आपका निर्णय आयेगा आसन का, तब तक जम कर एक-दूसरे के खिलाफ चलेगी यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कल्पना क्यों कर रहे हैं आप? ये सब विद्वान बैठे हैं, यहां सब हैं, ये सब अपने हिसाब से अपनी बात बोलेंगे। इस विषय पर... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में वैसे ही चुनकर आये हैं जैसे ये माननीय सदस्य आये हैं। (व्यवधान) इसलिए अगर हमें +++ कहेंगे तो हम इनको +++ कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर इसको आगे बढ़ाये जाओ चाहे। सब संयमित भाषा में बोलते हैं, मैं देख लूंगा इसको। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ किसने उप मुख्य सचेतक बना दिया? आप +++ कह रहे हो। (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, अब आप मेरी सुन लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों सुनूं आपकी बात? आप जैसे जीतकर आये हो वैसे ही मैं आया हूं। मैं यहां यह सुनने के लिए नहीं आया हूं। अगर आप +++ कहोगे तो प्रत्येक को +++ कहूंगा चाहे सदन से निकाल दें अध्यक्ष महोदय मुझे। सदन से जाने के लिए तैयार हूं, परमानेंट एमएलएशिप छोड़ने के लिए तैयार हूं। +++ आप जैसे लोगों से मुझे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): अब आप सुन तो लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ जो +++ बोल रहे हो। सचेतक के सामने उप मुख्य सचेतक कुछ नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे अधिकार की बात करूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठो। बैठो आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप निकाल दीजिये सदन से बाहर।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। इस विषय पर, आप बैठिये न। (व्यवधान) आप भी बैठिये। आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): .... जिन्दगी में, इस पांच साल में बोलने दूं तो मुझे कह देना। (व्यवधान) जब तक यह नहीं हटेगा, एक को नहीं बोलने दूंगा, परमानेंट जाने के लिए तैयार हूं मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं उस खानदान से आया हूं, मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, न मैं किसी की बेइज्जती करता हूं। (व्यवधान) +++ कहलवाने के लिए नहीं आया हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा ठीक है, बैठो आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप जैसे +++ बहुत घूमते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये +++ शब्द ड्राप किये जाएं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल, +++.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं, वो भी असंसदीय हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनको स्टाप कीजिये। (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शब्द इस्तेमाल किये हैं वो भी असंसदीय शब्द हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है वो संसदीय भाषा है क्या? यह सभ्य भाषा है क्या? फिर कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इस विषय में कोई मामला उठा रहा है लेकिन खुद ही ऐसी भाषा बोल रहे हैं यह अच्छा थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: असंसदीय शब्द पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं इसको असंसदीय शब्द घोषित करता हूं, इसको ड्राप किया जाय। चलो, आगे बढ़ो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, नहीं। नहीं सुनूंगा बिलकुल। (व्यवधान) बैठिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में कितने ऐसे मुकदमे दर्ज हुए जो भ्रूण हत्या से सम्बन्धित हैं और कितने मुकदमों में पुलिस ने कार्यवाही की और कितनों में एफ.आर. लगायी? इसी के साथ दूसरे कई हास्पिटल प्रदेश में ऐसे चिह्नित हैं जो इस तरह के कृत्य करने में सामने आये हैं। क्या ऐसे हास्पिटल और नर्सिंग होम में बार-बार, एक-दो बार कार्यवाही हो चुकी, उसके बावजूद भी ऐसे कृत्यों से वो बाज नहीं आ रहे, तो क्या ऐसी कोई स्पेशल टीम बनाकर ऐसे हास्पिटल के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रत्येक जिले का वर्ष 2013 में जितने नवजात शिशु के बारे में है, 2014, 2015 और 2016 तक के सारे आंकड़े हैं। वो चाहें तो मैं प्रत्येक जिले के आंकड़े इसमें पढ़ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप उनको दे देना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे पास सारे जिलों के इस प्रकार के आंकड़े हैं और वो चाहें तो मैं आपको व्यक्तिगत भी दे दूंगा कि उसमें चालान कितने हुए हैं, एफ.आर. कितनी लगी है उसकी जानकारी मेरे पास है। विषय जो घूम-घुमाकर एक बात पर ही केन्द्रित हो रहा है कि भ्रूण हत्या केवल राज्य कर्मचारी ही नहीं कर रहा है, सब प्रकार के लोगों से हो रही है पर फिर भी उनके ऊपर जो पाबंदी पांच साल की लगी हुई है उस पर सरकार विचार कर रही है और उचित समय पर इसके बारे में जो निर्णय होगा उससे सदन को अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री हीरालाल निवाई।

निवाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद

106. श्री हीरालाल (निवाई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के कौन-कौन से व कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में उक्त प्रकार के कितने पद कहां-कहां व कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई में महिला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ व शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ का पद कब से रिक्त है? रिक्त पदों को नहीं भरे जाने का क्या कारण है और अब कब तक उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संवर्ग के स्वीकृत पदों का चिकित्सा संस्थावार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों का रिक्ती दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के उपरांत भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु आर.यू.एच.एस. को 1 हजार चिकित्सकों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना भिजवा दी गयी है। चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर एवं स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद भर सकेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम और महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरांत एवं स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् भरने के प्रयास किये जायेंगे। नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु हाल ही में अभ्यर्थियों का चयन कर जिला आबंटित किया गया है। इन अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष कार्य ग्रहण किये जाने के उपरांत रिक्त पदों को प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री एवं नेत्र) के पदों के विरुद्ध वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित हैं तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पद दिनांक 18.11.2015 से रिक्त है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण इन पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं किया जा सका। उक्त कनिष्ठ विशेषज्ञ पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् भरने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में झिलाय ऐसी पीएचसी है जो 1961 से है और पिछले बजट सत्र में भी माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने सिद्धान्ततः यह कहा था कि वाकई में यह बहुत पुरानी है, 1961 की है और आज 55 वर्ष हो गये। इसके बाद कितनी पीएचसी हुई होंगी और कई सरकारें आई और कई गई, तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि झिलाय में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये, जो 1961 से है।

इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में रावली है, जो इन्टीरियर में है और मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: मैं भी वहां से रहा हुआ हूं एमएलए।

श्री हीरालाल (निवाई): मान्यवर, आनरेबल स्पीकर साहब, आप निवाई विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और दो बार टोंक जिले से एम.पी. रह चुके हैं। आपको सारी स्थिति का पता है। रावली कहां है? रावली निवाई से 30 किलोमीटर दूर है। वहां 10 पंचायतें हैं, 1990 की पीएचसी है। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को, मेरे झिलाय और रावली को...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, यह पूछिये। करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, यह पूछिये आप।

श्री हीरालाल (निवाई): ...यह बनाई जाये। हां, वही पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां दोनों पीएचसी को क्रमोन्नत करके सीएचसी बनाने का कब तक विचार रखते हैं? आपने अभी बताया। दूसरा मेरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: वह बाद में, बाद में। इसका जवाब आने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न इस बात का है कि इनके विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों के और पैरा-मेडिकल संवर्ग के पद रिक्त हैं। माननीय सदस्य ने उस मूल प्रश्न को छोड़कर यह कहा कि झिलाय और रावली दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं और एक को क्रमोन्नत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने, डब्ल्यूएचओ ने मापदण्ड बनाये थे, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया कि कितनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संख्या पर किस-किस प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र और रैफरल चिकित्सालय होने चाहिए। इसमें सामान्य क्षेत्र में 5,000 पर एक उप केन्द्र, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्र में 3,000 पर एक उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्र में 30,000 पर, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्र में 20,000 पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक लाख पर एक जो 30 शय्या युक्त है। इनके विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्दर इस समय एक सीएचसी, 10 पीएचसी, 53 सब-सेंटर स्वीकृत हैं। कुल 64 इस प्रकार की अलग-अलग संस्थाएं हैं जो पूरे इनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काम कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा, निर्धारित मापदण्डों में गुणावगुण के आधार पर, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, आवश्यक समय पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर-दो।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1961 की पीएचसी है। उसके बाद कितनी ही पीएचसी, सीएचसी में क्रमोन्नत हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है, कम से कम दो में से एक तो करिये। एक तो करिये, पिछली बार भी बजट सैशन में हमने मांगी थी। (व्यवधान)

दूसरा, मेरा प्रश्न है। मेरे उपखण्ड निवाई में 57 पद रिक्त हैं। नर्स, कम्पाउण्डर्स के और पीपलू उपखण्ड में 38 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से, ये पद कब तक भर देंगे? निवाई सीएचसी में दो पद रिक्त हैं। एक नेत्र चिकित्सक का और एक सर्जन का पद रिक्त है। ये पद शीघ्र भरें क्योंकि सर्जन नहीं होने से बड़ी असुविधाएं हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि ये पद भी शीघ्र भरें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान में चिकित्सकों की और पैरा-मेडिकल स्टाफ की रिक्तियां हैं। वर्ष 2013 में राजस्थान के अन्दर हमारे चिकित्साधिकारियों की 10,761 सैंक्शंड पोस्ट थीं, सिर्फ 6,702 कार्यरत थे और 4,059 खाली थीं। आज की तारीख में पोस्टें हैं 11,008 और कार्यरत हैं 9,224 और 1,784 खाली हैं। इनमें से 1,000 चिकित्साधिकारियों के लिए हमने अभ्यर्थना भेज रखी है। आरयूएचएस, जो हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वह इसी 4 अप्रैल को परीक्षा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आयोजित करवा रही है और इन चिकित्सकों के पद को भर देंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि इनके यहां जो पद रिक्त हैं, विशेष तौर पर कनिष्ठ विशेषज्ञ और सर्जन का, ये इसी 28.11.2015 को जो वहां चिकित्सक थे, उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त है और कनिष्ठ विशेषज्ञ नेत्र में आपके डाक्टर अनवर हुसैन, जो एमबीबीएस हैं, वे लगे हुए हैं, पद विरुद्ध हैं परन्तु इस काम को वे बखूबी से कर रहे हैं। अन्य जो रिक्त पद हैं, उनको समयानुसार, ज्योंही हमें योग्यताधारी चिकित्सक उपलब्ध होंगे, उनको करायेंगे।

हमने अभी डीएसीपी के माध्यम से पदोन्नतियां की हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। 2,017 चिकित्सकों को हमने डीएसीपी के माध्यम से पदोन्नति की हैं और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमने एक वन ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किया है। जिसके अन्तर्गत जो हमारे इन-सर्विस डाक्टर्स हैं, उनमें से 364 डाक्टर्स को हम अलग-अलग स्पेशलिटीज में 10 स्पेशलिटीज, जहां हमारे पास चिकित्सक कम हैं, उनमें वह प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका प्रशिक्षण अभी, चूंकि कुछ समय की अभिवृद्धि और हमने की है उनकी प्रार्थना पर, कि वह दक्षता के लिए पहले एक वर्ष का समय था, अब उसको बढ़ाकर हमने नौ महीने और किया है। ये चिकित्सक उपलब्ध होते ही हम इस काम को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर कनिष्ठ विशेषज्ञ और वरिष्ठ विशेषज्ञों की कमी है। इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा करके इन पदों को भरेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अब इस प्रश्न पर पूरा हो गया है। अब नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, झिलाय की आबादी 10,000 है। आप खुद स्वयं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया। विराजो, विराजो। आपका हो गया।

श्री हीरालाल (निवाई): वह तो नोर्म्स में आ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि ये घोषणा कर दें अब तो, पिछली बार भी आपने सिद्धान्ततः माना था। एक सीएचसी तो दें मुझे। मेरे क्षेत्र में बड़ी दिक्कत है। आपको मालूम है, सर। आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं झिलाय का और उसके बाद कितने क्षेत्र हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से कि इसको स्वीकृत करें।

श्री अध्यक्ष: वह नोर्म्स में आ रहा है। आप विचार करिये। आप विराजिये। इस प्रश्न के ऊपर मैं भी सिफारिश कर रहा हूं कि गम्भीरता से विचार कीजिए, गम्भीरता से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के बाद बचता ही क्या है।

श्री अध्यक्ष: गम्भीरता से विचार कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं अति गम्भीरता से अध्यक्ष महोदय, आश्वस्त कर रहा हूं। गम्भीरता ही नहीं, गम्भीरता से भी आगे जाकर अति गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): पिछली बार आपने सिद्धान्ततः माना था इसको। झिलाय की आबादी 10,000 है और वह सारे नोर्म्स पूरा करते हैं। सबसे बड़ी पंचायत है निवाई विधान सभा क्षेत्र की।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिये। कृपया बैठिये। इस प्रश्न के तीनों खण्ड निवाई से सम्बन्धित हैं। इसलिए पूरक प्रश्न सिर्फ निवाई से सम्बन्धित होना चाहिए। श्री संदीप शर्मा। (व्यवधान) यह निवाई से सम्बन्धित है, इसमें आप क्या करेंगे? नहीं, निवाई से बाहर इधर-उधर मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, 2001 की जनगणना के अनुसार तीन लाख पर विधान सभा क्षेत्र बना था निवाई। तीन लाख पर एक सीएचसी है, तीन सीएचसी का मापदण्ड पूरा करती है, इसलिए दो सीएचसी और खोली जायें निवाई में।

श्री अध्यक्ष: यह ठीक है। बोलिये, साहब, यह निवाई से सम्बन्धित है। आपने निवाई से सम्बन्धित कर दिया। हां, माननीय मंत्री महोदय। फूलचन्द जी भिण्डा का जवाब दो आप। नहीं है तो बाद में पहुंचा देना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निवाई विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समितियां दो लगती हैं। एक निवाई और निवाई का कुछ हिस्सा और कुछ टोंक का हिस्सा। इन दोनों में एक-एक सीएचसी, दो सीएचसी हैं, अध्यक्ष महोदय। इसलिए पहले मैंने मापदण्ड बताये हैं। मापदण्ड के अनुसार अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती कामिनी जिन्दल। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं। श्रीमती कामिनी जिन्दल। नहीं नहीं, अब बैठिये। अब बैठिये। आप बात कर लेना। श्रीमती कामिनी जिन्दल।

प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु युवाओं को बिना ब्याज ऋण देने की योजना

107. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिए युवाओं को बिना ब्याज के शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिए युवाओं को बिना ब्याज के शिक्षा ऋण कब से एवं किन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): जी हां। प्रदेश में उच्च/ तकनीकी शिक्षा के लिए युवाओं को बिना ब्याज के शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में नीति के प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, कामिनीजी।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि यह जो प्रश्न है, यह युवाओं से जुड़ा हुआ है। बहुत ही संवेदनशील है। मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसी कौनसी प्रक्रिया हम कर रहे हैं जो पिछले डेढ़-दो साल से पूरी नहीं हुई है और आगे कितना समय इसमें लगने वाला है? कृपया आप बतायें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह कोई बजट घोषणा नहीं है। यह सुराज संकल्प घोषणा-पत्र हमारा था, उसमें हमने यह आश्वासन दिया था कि हम इस प्रकार से ऋण की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए प्रस्ताव बना दिये गये हैं। वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगी?

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): नहीं, पर यह सुराज संकल्प का था तो उसे तो हमारी सरकार ने नीति-पत्र बनाकर घोषित किया था तो आगे हम यह मानें कि जितनी भी उसमें बातें कही गयी थीं, क्या वे होंगी, नहीं होंगी? इसका हमें सरकार बताए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): सुराज संकल्प घोषणा-पत्र पांच साल का नीति-पत्र है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पांच साल के अन्दर-अन्दर इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, सरकार विद्यार्थियों से जो कोलेटरल सिक्योरिटी ली जा रही है लोन की एवज में, जो गारंटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, पट्टे वगैरह रखवाये जा रहे हैं, वह काफी विद्यार्थियों के और उनके परिजनों के पास उपलब्ध नहीं होते हैं तो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन देने का विचार विद्यार्थियों को रखती है क्या?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): मैंने बताया ना कि इसके लिए प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिये गये हैं। वहां से आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए जो ऋण की व्यवस्था है इसमें आप योजना बना रहे हैं तो क्या इसको कैटेगराइज करेंगे। पूर्व में जो नियम था कि जहां ऋण लिया जाता है जैसे ही शिक्षा पूरी हो जाती है उसका तुरन्त, उसकी चाहे नौकरी लगे या नहीं लगे, एक साल बाद उसको उस ऋण को वापिस किश्त के रूप में देना पड़ता था। अगर कोई बेरोजगार पढ़ा लिखा है और आगे शिक्षा लेना चाह रहा है या काम्पीटिशन की तैयारी कर रहा है उसके कारण एक साल से अधिक उसको लग जाता था। उस परिस्थिति में उस पर दबाव रहता था उसके परिजन पर भी तो क्या आप उस नीति में नियम शिथिल करेंगे कि कम से कम शिक्षा ग्रहण करने के तीन साल बाद ऋण वापसी की योजना बनाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि इसको प्रिंसीपली वित्त विभाग को हमने भेजा है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद डिटेल में इसका प्रस्ताव बनाया जाएगा और उसकी बजट में घोषणा करवायी जाएगी। अभी मैं आपको कैसे बता दूं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने वित्त विभाग को कब प्रस्ताव भेजा है उसकी तारीख बता दीजिए? आपने वित्त विभाग को किस तारीख को, किस साल में प्रस्ताव भेजा है कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, नीति के प्रस्ताव तैयार करके वित्तीय प्रावधान किए जाने के लिए पत्रावली वित्त विभाग को भिजवा दी गयी है। अब कौनसी तारीख को भिजवायी गयी, यह अभी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री बनवारी लाल सिंघल।

अलवर के मास्टर प्लान 2031 में ग्रीन बैल्ट हेतु आरक्षित भूमि

108. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर के मास्टर प्लान 2011 में अवस्थित भू-उपयोग को मास्टर प्लान 2031 में परिवर्तित करने का कार्य किया गया है? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र का भू-उपयोग 2011 के मुकाबले 2031 के मास्टर प्लान में परिवर्तित किया गया? स्थानवार परिवर्तित भू-उपयोग परिवर्तन की तालिका सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त मास्टर प्लान 2011 में ग्रीन बैल्ट, डेयरी व लघु उद्योग आदि के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग भी मास्टर प्लान 2031 में किया गया है? यदि हां, तो किये गये परिवर्तन के कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मास्टर प्लान 2011 में भू-उपयोग परिवर्तन पश्चात् ग्रीन बैल्ट व अन्य इसी प्रकार के उपयोग हेतु मास्टर प्लान में समानान्तर भूमि आरक्षित नहीं की गयी है? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मास्टर प्लान 2031 में ग्रीन बैल्ट को लगभग समाप्त करने का कार्य किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, मैं बीच में

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

इन्टरप्शन कर रहा हूं यह मैंने उत्तर पढ़ लिया है। मैं एक दो पूरक प्रश्न कर लूं अगर आप निर्देश करें तो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रक्रिया का उल्लंघन होगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न में मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): समय समाप्त हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: समय बहुत है अभी, आठ मिनट हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इसमें गम्भीर विषय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसमें सरकार का वर्जन तो आये। आप तो बोलिए, रिकार्ड पर तो आये सारी बात।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, 3 मार्च, 2016 को भिजवा दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्रश्न लगने के बाद भिजवाया है आपने। 3 मार्च, 2016 कह रहे हैं इसका मतलब प्रश्न आने के उपरांत भेजा है इन्होंने।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, प्रश्न इसीलिए होते हैं कि उसमें कोई सुधार आये। प्रश्न इसीलिए होते हैं कि उसके बारे में एक्शन हो जाए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। अलवर मास्टर प्लान 2011 में अवस्थित कुछ भू-उपयोग को मास्टर प्लान 2031 में परिवर्तित किया गया है। 2011 के मुकाबले 2031 के मास्टर प्लान में परिवर्तित किये गये भू-उपयोग परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रश्न में उल्लेखित ग्रीन बैल्ट भू-उपयोग का उल्लेख मास्टर प्लान 2011 में नहीं किया गया है, अपितु परिधि नियंत्रण पट्टी का उल्लेख है। मास्टर प्लान 2011 में परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र, डेयरी व लघु उद्योग आदि के लिए आरक्षित भूमि के कुछ भाग का उपयोग भी मास्टर प्लान 2031 में किया गया है। पूर्व में अलवर मास्टर प्लान 2011 के नगरीय क्षेत्र में क्षितिज वर्ष की अनुमानित जनसंख्या हेतु आवश्यक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए शेष भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गयी थी। किसी भी शहर का विकास वर्तमान में विकसित क्षेत्र से लगते हुए चारों ओर होता है। अतः अलवर मास्टर प्लान 2031 के नगरीय क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु आवश्यक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का निर्धारित करते हुए शेष भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी गयीं है।

(3) जी नहीं। अलवर मास्टर प्लान 2011 के नगरीय क्षेत्र में क्षितिज वर्ष की अनुमानित जनसंख्या हेतु आवश्यक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए शहर के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र हेतु भूमि आरक्षित रखी गयी थी। अलवर मास्टर प्लान 2031 के नगरीय क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु आवश्यक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए शहर के चारों ओर लगभग 15489 हैक्टेयर भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी गयी है।

(4) जी नहीं। मास्टर प्लान 2031 में परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र को समाप्त नहीं किया गया है। अलवर मास्टर प्लान 2031 के नगरीय क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या हेतु आवश्यक नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए शहर के चारों ओर लगभग 15489 हैक्टेयर भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न संख्या-1

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि मास्टर प्लान 2011 के मुकाबले मास्टर प्लान 2031 में परिवर्तन करते समय हरित पट्टी, पैराफेरी बैल्ट, परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र, डेयरी और लघु उद्योग आदि के लिए जो आरक्षित भूमि थी, उसको अन्य उपयोग के लिए आरक्षित करते समय एनजीटी की, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और फोरेस्ट डिपार्टमेंट की इन चारों की अनुमति मास्टर प्लान बनाते समय सम्बन्धित विभाग द्वारा ली गयी है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मास्टर प्लान के ड्राफ़्ट को जनता के सामने नोटिफाई करने के बाद मास्टर प्लान के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

फाइनलाइजेशन की प्रक्रिया में विभिन्न स्टेजेज हैं। एक पब्लिक नोटिफिकेशन है अगर फोरेस्ट की जमीन वहां नहीं आती और जहां तक मास्टर प्लान अलवर का ताल्लुकात है, एनसीआर के रीजनल प्लान्स का यह पार्ट है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर जो प्लांटेशन कोरिडोर 60 मीटर की छोड़ी गयी थी, उसको इस बार 30 मीटर की गयी है। मेरा इतना ही निवेदन करना है कि मास्टर प्लान के...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, मैं स्पेसिफिक आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि वायलेशन आफ रूल हुआ है। पिछली सरकार के समय भ्रष्टाचारपूर्वक इस मास्टर प्लान को जो जैसा इसमें बदलाव चाहता था, वैसा किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह और ध्यान दिलाना चाहता हूं चूंकि समय कम है, क्या आप जांच कराना चाहते हैं विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनाकर, एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर कि बांधों को भी 2011 के मास्टर प्लान से समाप्त कर दिया गया और 2031 में, आपने जो मुझे उत्तर दिया है उसके परिशिष्ट-अ को देख लें आप। उसमें आठ नम्बर पर लिखा हुआ है जनोपयोगी सुविधाएं एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं इनको बांध भराव क्षेत्र के लिए 2031 में कर दिया है और परिधि नियंत्रण क्षेत्र को भी बांध भराव क्षेत्र में कर दिया। यानी 2011 में 2001 से 2011 के मास्टर प्लान से इस बांध को साफ कर दिया तत्कालीन अधिकारियों ने और तत्कालीन सरकार ने और उसके बाद 2011 से 2031 के प्लान में अब तो वर्तमान में किसी भी तरह का नया आरक्षण हो नहीं रहा है भूमि का, बांधों के लिए, कैचमेंट के लिए या दूसरी किसी चीज के लिए, उस बांध को फिर प्रकट कर दिया। इस दौरान जिन लोगों ने वहां अनजाने में मकान बना लिए उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई विधान सभा की उच्च स्तरीय समिति विधायकों की बनाकर आप इसकी जांच कराने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: बिराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने पूर्व में कहा कि मास्टर प्लान की ड्राफ्ट, मास्टर प्लान को नोटिफाई करने के बाद आम जनता से आब्जेक्शन मांगे जाते हैं। उन आब्जेक्शंस का रिड्रेसल किया जाता है और एक लम्बी प्रक्रिया के बाद में, साल या छह महीने, दो महीने में कोई

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मास्टर प्लान नहीं बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में कई बार तो साल-साल लग जाते हैं। इस मास्टर प्लान बनने की पूरी प्रक्रिया के दरमियान आब्जेक्शन आए होंगे और उन आब्जेक्शन का रिड्रेसल हुआ होगा। जहां तक आपने कहा कि कुछ इलाके को जो पैराफेरी बैल्ट में आया करते थे उनको बांध के भराव क्षेत्र में कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांध का भराव क्षेत्र कितना है, कहां है? इसके बारे में कोई आथेन्टिक डिपार्टमेंट है तो वह है इर्रिगेशन डिपार्टमेंट है। जब इर्रिगेशन डिपार्टमेंट हमको बताता है कि यह इलाका बांध के भराव के क्षेत्र में आता है, तो जब 2011 के मास्टर प्लान में जो इलाका किसी और लैंड यूज के लिए था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मास्टर प्लान 2031 में उस इलाके को बांध भराव क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग कैचमेंट एरिया के बारे में.....

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, 1990 से 2001 के मास्टर प्लान में भी बांध था, 2001 से 2011 के में गायब हो गया और 2011 से 2031 में फिर प्रकट हो गया। मैं आपसे निवेदन मात्र स्पेसिफाइड यह करना चाहता हूं कि आप विधान सभा के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर इसकी जांच करा लें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें भारी भ्रष्टाचार 2031 के मास्टर प्लान में हुआ है। मात्र इतनी-सी मेरी मांग है कि आप इस पर एक समिति का गठन कर दें, समिति अपनी रिपोर्ट आपके सामने करके पिछली सरकार के समय अधिकारी और तत्कालीन जिम्मेदार लोगों ने जो भी घोटाला किये हैं वो दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है दो ऐसी जगह हैं जिनको बांध भराव क्षेत्र 2031 के मास्टर प्लान में घोषित कर दिया गया और जिनका पहले का लैंड यूज जनोपयोगी सुविधाएं एवं अन्य सामुदायिक उपयोग का था और एक में परिधि नियंत्रण बैठ गया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, 1990 से 2001 तक भी बांध था।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुन लीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप पहले मेरी बात को सुन लो। इसके बावजूद इनका यह कहना है कि बांध भराव क्षेत्र था फिर बांध भराव क्षेत्र से हटा दिया गया और फिर उसको भराव क्षेत्र में ला दिया गया। इसके लिए तीन मास्टर प्लान चाहिए और मास्टर प्लान दो हैं 2011 के और 2031 के। फिर भी माननीय सदस्य का यह कहना है और स्पेसिफिक कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से उस शिकायत की हम जांच करा देंगे और जांच कराने के बाद जो कुछ भी उसका जांच का परिणाम आएगा, उस परिणाम के अनुसार बदलाव कर लेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक समिति बनाने की घोषणा कर दो ना, माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री धनसिंह रावत।

बांसवाड़ा जिले में रिक्त पदों को भरने की योजना

109. श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बांसवाड़ा जिले में स्थित विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) बांसवाड़ा जिले में स्थित जल संसाधन विभाग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(उत्तर का शेष भाग जो सदन पटल पर रखा गया)

[(2) जी हां। उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार रिक्त पद भरे जाना विचाराधीन है।}*

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। बाकी आप उनको लिखकर भेज देना।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): लिखकर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आज बहुत लम्बी लिस्ट है इसलिए मैं धीरे-धीरे बोलूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती कामिनी जिन्दल, सदस्य की ओर से राजफैड में चल रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सीएचसी व पीएचसी पर महिला चिकित्सक पदस्थापित करने एवं फोगिंग मशीन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री धीरज गुर्जर व अन्य पांच सदस्यों की ओर से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में की जा रही कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में शिवकर कुड़ला लिग्नाइट परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।
5. म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से मेवाड़ सम्भाग में अफीम की फसल को रोटावेटर पद्धति से नष्ट करने के आदेश से किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।
6. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश के हजारों विद्यार्थी मित्रों को शिक्षा सहायक भर्ती में शामिल कर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में वर्ष 2012 में नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नियमित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
8. श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

9. श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में दिनांक 7 मार्च, 2016 को हुई भयंकर ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

10. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की मुआवजा राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में किसानों की मांगों का समय पर निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से बीकानेर तहसील व लूणकरणसर तहसील में दिनांक 5.03.2016 को हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की मुआवजा राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री गिर्राज सिंह, श्री मनोज कुमार एवं श्री मानिक चन्द सुराना को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कल बजट का दिन था, उस समय विधायक रमेश जी ने भी एक सवाल उठाया था इसी तरह का और आपने भी उसका समर्थन किया था। तो मैंने उस आधार पर माननीय आपदा मंत्रीजी से निवेदन किया कि वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट ले आयें। तो ये आपदा मंत्रीजी स्टेटमेंट देंगें उसके बाद आप चारों को या और भी सदस्यों को उसके बारे में पूछने का अधिकार होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपदा मंत्री नहीं, आपदा राहत मंत्री हैं। आप बोल रहे हैं आपदा मंत्री। ये आपदा मंत्री नहीं, आपदा राहत मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी तरह आपदा नहीं है इनके ऊपर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये तो राहत हैं।

श्री अध्यक्ष: राहत है इनके पास। आपके ऊपर आपदा ही आपदा है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन को गलवा बांध से पानी सप्लाई करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री रामचन्द्र, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में धार्मिक एवं पुरामहत्व के विरासतकालीन स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के सम्बन्ध में।

3. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम एवं सामग्री मद का अनुपात 49:51 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में।

4. श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य की ओर से सीकर शहर में मेडिकल कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में।

6. श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में ग्राम नान्ता के पास बसी कालोनियों में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के सम्बन्ध में।

7. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पेयजल हेतु बीसलपुर परियोजना के कार्य को गति देने के सम्बन्ध में।

8. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ बास में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

9. श्री खेमाराम, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय बीदासर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

10. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पीएचसी क्रमोन्नत करने व नवीन सीएचसी प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

11. श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पी.जी. कालेज को मान्यता देने के सम्बन्ध में।

12. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में आवारा पशुओं व नीलगायों से फसलों को बचाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

मानतीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 9 मार्च, 2016 को शून्य काल में बोलने हेतु 45 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री भंवर सिंह, विधान सभा क्षेत्र कोलायत में नान पेचेबल सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करवाने के सम्बन्ध में।
2. डा. जसवन्त सिंह यादव, बहरोड़ में दिनदहाड़े एक व्यापारी को गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री गोरधन, विधान सभा क्षेत्र धोद में प्याज की बम्पर फसल की खरीद के सम्बन्ध में।
4. श्री अर्जुन लाल जीनगर, विधान सभा क्षेत्र कपासन में सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

माननीय श्री आपदा राहत मंत्रीजी, अपना स्टेटमेंट दीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा दो मिनट के टाइम का था। हमारे बहुत गम्भीर मामले थे। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी मित्रों का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में दस विद्यार्थी फांसी खा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: भगवान को देखने दो मुझे। आप बैठ जाओ। माननीय आपदा राहत मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप हमको दो-दो मिनट देंगे। पहले माननीय मंत्री महोदय का आप स्टेटमेंट करायेंगे या हम अपनी बात कह दें उसके उपरांत आप स्टेटमेंट करायेंगे?

श्री अध्यक्ष: स्टेटमेंट में जो कमी रह जाए, आप दो-दो मिनट नहीं, पांच-पांच मिनट बोल लेना। विषय पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

ओलावृष्टि से फसलों का खराबा

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सम्वत् 2072 मार्च के प्रथम सप्ताह में ओलावृष्टि में रबी में हुए खराबे के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण।

राज्य में अचानक मौसम में आये बदलाव के कारण 2 मार्च से 7 मार्च, 2016 के मध्य राज्य में ओलावृष्टि हुई है। प्रारम्भिक सूचना के अनुसार राज्य के बीस जिलों में, 54 तहसीलों में, 1007 गांवों में उक्त ओलावृष्टि से सम्वत् 2072, मतलब अभी का, फसलों में नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये प्रभावित जिले हैं अलवर, बारां, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर। इस प्रारम्भिक सूचना के अनुसार अभी कोई एकदम परफेक्ट सूचना नहीं है, जो भी कलक्टर से हमको तुरन्त मिली है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। व्यवस्थित गिरदावरी रिपोर्ट आने के बाद सही सूचना मिलेगी। इस प्रारम्भिक सूचना के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक खराबे में 8 जिलों की 9 तहसीलों में 68 गांव प्रभावित होने का अनुमान है।

अलवर जिले में किशनगढ़ बास तहसील के 7 गांव, चूरू जिले की बीदासर तहसील के 3 गांव, धौलपुर जिले की धौलपुर तहसील का एक गांव, जयपुर जिले की फागी तहसील के 6 गांव, जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील के 4 गांव, पोकरण तहसील के 14 गांव, जालौर जिले की जालौर तहसील के 7 गांव, झुंझुनूं जिले की मलसीसर तहसील के 2 गांव, जोधपुर जिले की बाप तहसील के 24 गांव की फसलों में 50 परसेंट से अधिक खराबे का अनुमान लगाया है। जिला धौलपुर की तहसील बाड़ी, राजाखेड़ा, धौलपुर और सैपऊ में कुल 298 राजस्व गांवों में ओलावृष्टि की प्रारम्भिक सूचना आयी है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिसमें एक गांव में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा, 50 गांव में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच खराबा और 247 गांवों में 33 प्रतिशत से कम खराबा बताया गया है। जिला बीकानेर की तहसील डूंगरगढ़, बीकानेर और लूणकरणसर में कुल 21 राजस्व गांवों में ओलावृष्टि की प्रारम्भिक सूचना आयी है। जिसमें 3 गांवों में 33 से 50 प्रतिशत के बीच खराबा आया एवं 18 गांवों में 33 प्रतिशत से कम खराबा बताया गया है। राजस्थान में रबी फसलों की नियमित गिरदावरी 1 फरवरी से 5 मार्च, 2016 तक निर्धारित थी जिसमें 5 मार्च तक के खराबे का आकलन नियमित गिरदावरी में हो जायेगा। इसके बाद हुई ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों की विशेष गिरदावरी करायी जायेगी।

उक्त अवधि में प्राकृतिक आपदा आकाशीय बिजली के कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 3 व्यक्ति घायल हुए हैं तथा 31 पशुओं को क्षति पहुंची है। मृत व्यक्तियों में 4 को 4 लाख रुपये की सहायता प्रत्येक परिवार को एसडीआरएफ में दी जा चुकी है। घायल व्यक्तियों में, उसमें एक व्यक्ति अभी बाकी है जिसको हमने वैरीफाई करके 4 लाख रुपये दे दिये। घायल व्यक्तियों में एक सप्ताह तक अस्पताल में रहने पर 4300 रुपये, एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में रहने पर 12700 रुपया प्रति व्यक्ति सहायता देय है।

पशुओं को क्षति के लिये देय सहायता। दुधारू पशु, मतलब बड़े पशु भैंस, गाय, ऊंट के लिये 30 हजार रुपये प्रति पशु। छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर के लिये 3000 रुपया प्रति पशु। अधिकतम 3 बड़े पशुओं और 30 छोटे पशुओं के लिये सहायता देय है। घोड़ा, बैल और ऊँट के लिये 25000 रुपया प्रति पशु। छोटे पशु में बछडा, गधा, टट्टू, खच्चर के लिये 16000 रुपया प्रति पशु, अधिकतम 3 पशु एवं छोटे पशुओं के लिये सहायता देय है।

यह जो कुछ भी एक प्रारम्भिक रिपोर्ट है जो हम तुरन्त कलेक्ट कर पाये, वह हमने आपके सामने रखी। 1 फरवरी से 5 मार्च तक गिरदावरी होती है उसकी डिटेल रिपोर्ट आ जायेगी। इसके बाद में जहां ओलावृष्टि हुई है उसके लिये हमने स्पेशल डाइरेक्शन कलक्टर को दिये हैं, वह अपनी डिटेल रिपोर्ट गांववाइज भेजे।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को धौलपुर जिले में विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में तेज बारिश संग

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भयंकर ओलावृष्टि हुई। सरसों की खड़ी फसल, सरसों की फसल जब पक जाती है तो शत प्रतिशत नुकसान होता है, यह एक कामन सेंस की बात है, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। गेहूं की फसल बिलकुल बर्बाद हो गयी, कहीं काट दी, इतना तेजी से ओला आया और आप ताज्जुब करेंगे कि कई गांवों में तो सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ ग्राम का ओला गिरा है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे पास वहां से पचासों टेलीफोन आये। किसान ने किस मुश्किल से, जहां बारिश कम हुई, परेवा करके, तेवन करके अपने खेतों को बोया और कड़कड़ाती सर्दी में जब रात की बारी आयी तब उन्होंने खेतों में पानी दिया। उसके उपरांत इतना भयंकर नुकसान हुआ है।

(12.15 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है क्योंकि आपकी पहली गिरदावरी तो 5 मार्च को समाप्त हो चुकी है, तो आप कृपया कलक्टर को या सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश देवें कि जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर और सही गिरदावरी हो जाये। कारण क्या है कि बहुत सी जगह पटवारी लापरवाही करते हैं, खेतों में देखने के लिये जाते नहीं, एक जगह बैठकर ही तखमीना बनाया और अपने कर्तव्य की पूर्ति करके भेज देते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लम्बे अनुभव के आधार पर, बहुत नुकसान हुआ है आप कल्पना नहीं कर सकते। पचासों टेलीफोन आये हैं, आज भी सुबह कितने ही टेलीफोन आये हैं कि हम तो बर्बाद हो गये। आलू की फसल में नुकसान हुआ है। आलू जो खुद के खेत में पड़ा हुआ था वह खतम हो गया। आम की फसल गयी, नींबू की फसल गयी, सब्जियां गयीं, इतने भयंकर नुकसान के बाद सरकार थोड़ा सा लिबरल होकर गिरदावरी करायेगी तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। राम तो रूठ गया राज्य के सहारे बैठे हुए हैं, आगे आपकी मर्जी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गिरदावरी की जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) नीचे पटवार के नाम यह लोग राजस्थान में गिरदावरी करते हैं उससे किसानों का हक मारने का काम करते हैं। पिछले दिनों जहाजपुर में 78 हजार काश्तकारों की गिरदावरी को आप लोगों ने शून्य दर्शा दी।

श्री उपाध्यक्ष: आपको किसने इजाजत दी?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। राजस्थान के किसान बहुत तकलीफ में हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इतने वरिष्ठ सदस्य ने अपने विचार से पूरे सदन को लाभ पहुंचाया, फिर शेष क्या रह गया?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उनके बैठने के बाद खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बड़ा सारगर्भित आपका विवेचन था। मैं समझता हूं कि इसका विश्लेषण सरकार भी उसी गम्भीरता से कर रही होगी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नहीं हो रहा है। गिरदावरी के कारण हमारे जहाजपुर कोटड़ी में 80 हजार किसानों का मुआवजा खा गयी सरकार।

श्री उपाध्यक्ष: तीन और सदस्यों को आसन की तरफ से इजाजत दी जायेगी। दुर्भाग्य से आप दोनों का ही नाम उनमें नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी बोलना चाहे, आप एक बार पूछ लें। उन्होंने यह कहा कि इन चारों के अलावा भी जो बोलना चाहें....

श्री उपाध्यक्ष: तो पहले आसन को अपना कार्य तो करने दीजिए फिर आसन पर निर्भर करता है। आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि आसन उदारतापूर्वक कोई रवैया इख्तियार करे या नहीं करे। गिर्राज सिंहजी (अनुपस्थित) मनोज कुमारजी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में किसान 7 मार्च से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर महापड़ाव पर बैठे हैं और 7 मार्च से 9 मार्च तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे वार्ता करने तक नहीं पहुंचा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं जिस तरीके से किसानों के गम्भीर हालात हैं और सरकार कल बजट लेकर आयी लेकिन बजट में भी किसानों के लिये कोई राहत की सरकार की मंशा नहीं दिखी। मैं कहना चाह रहा हूं कि 5, 6 और 7 मार्च को मेरे चूरू जिले में सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर ओलावृष्टि हुई और उस ओलावृष्टि में मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं जो मैं सरकार को बताना चाहता हूं जसवतपुरा, नीमा, बीरान, हमीरवास, बांगड़वा और साहदपुरा, इन गांवों में पटवारी से गिरदावरी कराने के साथ-साथ कृषि पर्यवेक्षक भी लगाये जायें क्योंकि पटवारी गांवों में बैठकर उसका निस्तारण करते हैं, वह मौके पर नहीं जाते इसलिए इनके साथ कृषि पर्यवेक्षक लगाये जायें जो कि फसल का सही आकलन कर सकें।

(श्री मनोज कुमार)

मेरी अन्य जो 11 मांगें हैं वह मैं सरकार के सामने रखना चाह रहा हूं हमारे किसान संयोजक संघर्ष समिति द्वारा राजगढ़, में 7 मार्च से महापड़ाव डाल रखा है, उनकी 11 मांगें मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

बीमित खरीफ सावनी फसल के बीमा कवर के समय वर्षा, तापमान, हवा तीनों बिन्दु 40 दिनों तक विरोध में रहे थे और हमारे किसानों की फसल नष्ट हो गयी लेकिन बीमा कम्पनी ने उन सभी को बीमा का भुगतान आज दिन तक नहीं कराया। सरकार उस पर गम्भीरता से विचार कर उनका बीमा क्लेम दिलाने का काम करे। फसल बीमा योजना में जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को लेकर हमारे किसान आंदोलनरत हैं। पारा जमाव बिन्दु आने पर फसल नष्ट हो जाती है फिर भी तापमान को माइनस 2 पाइंट 7 डिग्री की शर्त है, इसको हटाया जाये। वर्षा नहीं होने पर बारानी क्षेत्रों में खेती बोयी नहीं जाती और फसल बीमा का प्रीमियम जमा किया जाता है। इस प्रीमियम को बंद किया जाये, जब फसल ही नहीं होती तो प्रीमियम किस चीज का लिया जाता है?

तीसरा, हमारे सिद्धमुख नहर का अधूरा कार्य पूरा करवाकर सिंचाई हेतु व्यवस्था कराना।

चौथा, हमारा सभी पंचायतों के अटल सेवा केन्द्रों पर नैट की रेंज उपलब्ध करवाकर ई-मित्रों को सरकारी रेट पर सभी सेवा केंद्रों पर जनता के सभी कार्य करने के लिए पाबंद करने के लिए।

पांचवां, बेसहारा पशु, बछड़ा, गाय, रोजड़ा, हिरण किसानों की खेती उजाड़ रहे हैं। सरकार इनको रोकने की व्यवस्था करे और किसानों को इसके प्रति अनुदान देकर अपने खेत के बाहर तारबंदी करने के लिए कोई व्यवस्था करे।

राज्य पशु ऊंट-ऊंटनी के परशुए के लिए ऊंट पालकों को आर्थिक सहायता बीस हजार रुपये की छठी मांग है।

सातवीं, राज्य सरकार नियमन कानून, 2001 के तहत क्षेत्र की 60 प्रतिशत आबादी चार पीढ़ियों से असमंजस में सरकारी भूमि पर बसी है, उसे बसने व जीने का अधिकार सरकार दे।

आठवां है, मिनी सचिवालय, विद्युत निगम, बस स्टैण्ड के मुख्य द्वारों के सामने जमा होने वाला गंदे एवं बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाये गये नाले का अधूरा कार्य सरकार पूरा करे जिससे लोगों को व्यवस्था मिले।

नौवां हमारे बेरोजगार नौजवानों को नियुक्ति जो माननीय न्यायालयों में फंसी पड़ी है। सरकार द्वारा ठीक पैरवी से करवाकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए।

(श्री मनोज कुमार)

दसवां, सभी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर बढ़ते गम्भीर अपराधों पर लगाम लगाएं।

पुलिस थाना, राजगढ़ के सामने एक माह से धरने पर बैठे पीड़ित किसानों को न्याय दिलाया जाए।

इन सभी ग्यारह मांगों को लेकर हमारे राजगढ़ तहसील के किसान मिनी सचिवालय के सामने 7 मार्च से धरने पर बैठे हैं। सरकार उनसे वार्ता करे, सरकार उनके पास जाकर उनकी मांग पर विचार करे और मैं आश्वासन चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आप ही कलक्टर को पाबंद करे इन सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनसे वार्ता कर महा पड़ाव को समाप्त कराने का काम करें। मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इन पर गम्भीरता से विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं एक बार जो विचार व्यक्त करना चाहें जिनको आसन अनुमति दे उसके उपरांत ... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, 5 मार्च को मेरे क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुई, ग्राम पंचायत सेक्सर, ग्राम पंचायत कपूरीसर, ग्राम पंचायत नाथवाड़ा, ग्राम पंचायत सौनाड़ा और रोझा में, लूणकरणसर तहसील के ये गांव जो मैंने बोले हैं, इसमें भारी ओलावृष्टि हुई है। बीकानेर तहसील के मेरे क्षेत्र में सरेरा, हेमेरा, राजेरा और रूनिया बारावास गांव में भारी क्षति हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम 5 मार्च को गिरदावरी कराते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में 5 मार्च वाली गिरदावरी अभी तक हुई नहीं है ।

मेरा निवेदन यह है बजट में आपने जो मोटा आंकड़ा दिया है कि गत फरवरी-मार्च में जो ओलावृष्टि हुई, 29 लाख 46 हजार लोगों को 2146 करोड़ रुपये दिये गये। माननीय मंत्री महोदय, मैंने केलकूलेट किया तो वह एवरेज 8400-8500 रुपये प्रति व्यक्ति आता है। क्योंकि काश्तकारों की संख्या पिछली बार बहुत बड़ी थी 29, 26,000, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो मौसमी बीमाओं के बारे में अपने अभिभाषण में कहा है उसमें एक मौसम बीमा आधारित और एक संशोधित बीमा आधारित है। उनमें मात्र

(श्री मानिक चन्द सुराना)

2400 रुपये और मात्र 3500 रुपये प्रति व्यक्ति मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आप यह तो देखें उन्होंने कितनी राशि जमा कराई थी ? ये जो कुछ मिला है वो आपके डिजास्टर रिलीफ फंड से मिला है। बीमा कम्पनीज ने माननीय कृषि मंत्री महोदय, एक पैसा भी ना पिछली बार दिया, ना इस बार दिया है और अभी तक तो खैर सर्वे हो रहा है, गिरदावरी बनेगी।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे यहां थोड़े से गांव हैं जिनमें बारिश हुई है और थोड़े से गांव ही ट्यूबवैल से संधारित हैं। तो ये जो भी तेरह, चौदह, पंद्रह गांव, ग्राम पंचायतें हैं, इनमें आप कलक्टर महोदय को कहकर बिलकुल ईमानदारी से सर्वे करायें और उसके अनुसार जो भी पहले का आपका फार्मूला है 9-18 या दो हैक्टेयर तक देने का, मेरा निवेदन है कि डिजास्टर रिलीफ फंड से उनको प्रदान करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्षः श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में 5 मार्च को भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण श्यामाका, बसई कलां, माचा, बगथला, गोठड़ी, पाटन मेवान, बल्लभग्राम, सिवाना, नगला डूंगर, निभेड़ा, भगेरी कलां, राताखुर्द, बालन बसई, तहनोली, बागोर। इस तरह से लगभग तीन दर्जन गांव में पचास परसेंट से अधिक नुकसान है और यही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चूंकि कामर्शियल क्राप के रूप में प्याज का कण लगाया जाता है और प्याज के कण का एक बीघा में कम-से-कम 25 हजार रुपये का खर्चा आता है। तीसरी बार लगातार तीन साल से राम जी नाराज हैं और तीन साल से लगातार ओलावृष्टि या पाला पड़ने से फसल को नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण गांव का किशनगढ़ बास जो पंचायतस मिति है, उन सब गांवों का सर्वे करायें। सर्वे कराने के बाद चूंकि लगातार तीसरा वर्ष है और सामान्य रूप से गेहूं या सरसों में जितना नुकसान है वो तो है ही उसके अलावा जो प्याज की खेती करता है उसको भारी नुकसान है। किसानों को राहत प्रदान करें, ऐसा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्षः गोविंद सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से 5 तारीख को बहुत भारी ओलावृष्टि पूरे प्रदेश में हुई और उसके बाद में किसान की फसलें बर्बाद हो गयीं। सीकर जिले में भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पलसाना, गोरियां, जो दातारामगढ़ क्षेत्र आता है उसमें सैकड़ों गांवों में किसान की फसल बर्बाद हुई है। इसबगोल उसकी बची नहीं, प्याज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तो और, ये जो नुकसान है, उसके बारे में सरकार कतई चिंतित नहीं है। पटवारी इनके हैं ही नहीं, जब पटवारी नहीं तो गिरदावरी करेगा कौन इनकी? गिरदावर की पोस्ट खाली पड़ी हैं। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की आज की तारीख तक भी कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पिछली बार अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था, बड़ी वाहवाही यहां पर सरकार के मंत्रियों ने और सरकार ने लूटी थी कि हम इनको मुआवजा देंगे, केन्द्र से पैकेज दिलाएंगे। उस वक्त भी साठ-साठ सत्तर-सत्तर किसानों ने आत्महत्याएं की थीं। आज अगर किसान को नहीं सम्भाला गया उपाध्यक्ष महोदय, तो वो फिर आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। किसान के खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए छप्पर नहीं है, बार-बार नुकसान हो रहा है और ये सरकार कान में रूई डालकर के बैठी है। किसानों की कोई सुध लेने का काम नहीं कर रही है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को सोचना चाहिए जिस किसान के वोट से आप चुनाव जीतकर के आये हो, किसान की वाहवाही लूटना चाहते हो, किसान के मसीहा बनने की बात कर रहे हो, चाहे केन्द्र हो, चाहे राज्य हो यहां पर किसान की बातें करते हैं, लेकिन किसान आज बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। उसकी फसलें चौपट हो रही हैं। इसबगोल, प्याज, सरसों सारी फसलें खराब हो रही हैं और प्याज निकलने वाला है। प्याज को लेने के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। प्याज को औने पौने दामों में किसान को बेचना पड़ेगा। उसको उठाने की कोई व्यवस्था आज तक सरकार ने नहीं की है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओलावृष्टि के कारण से सीकर जिले में और प्रदेश में जहां-जहां भी अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है उससे जो किसान का नुकसान हुआ है उनको तुरन्त सरकार को राहत देनी चाहिए और आज इस सदन में घोषणा मंत्री महोदय को करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः अगर आप सबकी अनुमति हो तो इस विषय पर मंत्री महोदय का जवाब आप सुन लें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दे चुके हैं साहब।

श्री उपाध्यक्षः व्यक्तव्य तो वैसे आ चुका है। अगर कुछ बात रह गयी हो तो एक बार आप मंत्री महोदय का जवाब आ जाने दें। कुछ रह जाती हैं तो मैं आपको अलाउ करूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक मिनट।

श्री उपाध्यक्षः चलिए Then we will start from Dhiraj Gurjar. बट टाइम लिमिट है एंड वोकेबलरी पर भी, ग्रामर पर भी। Same is to you. I will give chance to two members from this side and this is the end of it. Then I will conclude it.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शरीर के हिसाब से दिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः आकार-प्रकार का थोड़े ही मामला।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं आसन का आभारी हूं। मुझे आपने बोलने का मौका दिया और सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं इन पटवारियों की मंशा के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि सरकार ने दो व्यवस्थाएं राजस्थान में कर रखी हैं। एक तो गिरदावरी के माध्यम से हम नुकसान का आकलन करते हैं। दूसरा आकलन हम करते हैं क्राप कटिंग के माध्यम से और पटवारियों ने अपने मन में यह धारणा बना ली कि ऊपर करतार नीचे पटवार। इनके मनमर्जी से ये पटवार गिरदावरी करते हैं। जिस आदमी को लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिलता है। ऐसा ही वाकया मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हुआ है कि जहां पर गिरदावरी के अन्दर तो शून्य प्रतिशत खराबा दिखाया गया। इसका मतलब कि अकाल के अन्दर वहां पर किसी के नुकसान नहीं हुआ और वहीं इसी विभाग के पांच अधिकारियों के द्वारा जो सामूहिक रूप से क्राप कटिंग की जाती है। उस क्राप कटिंग के अन्दर जो खराबा दिखाया गया वह 35 परसेंट से ज्यादा था। इसलिए मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि राजस्थान के अन्दर एकरूपता लाकर, गिरदावरी हो, चाहे क्राप कटिंग, दोनों को मिलाकर एक नया पैमाना, नई प्रक्रिया अपनाई जाए जिसके माध्यम से राजस्थान के किसान को फायदा मिले। जहाजपुर के 80 हजार किसान इन पटवारियों के कारण, इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण, इन तहसीलदारों के कारण, लगभग 10 करोड़ मुआवजा मिलना था वह उससे हाथ

(श्री धीरज गुर्जर)

धो बैठे हैं। हमने उसके लिए 40 हजार आदमियों के साथ मिलकर भीलवाड़ा के अन्दर आंदोलन किया। जिला कलक्टर का घेराव किया। जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण को स्टेट एम्पावर कमेटी के पास, आप लोगों के पास में भेज रखा है कि गिरदावरी के अन्दर तो खराबा नहीं आया लेकिन क्राप कटिंग भी सरकार के द्वारा करायी जाती है जिसके अन्दर राजस्व कर्मचारी भी शामिल रहते हैं, उसके अन्दर 35 परसेंट से ज्यादा खराबा आया।

इसलिए इस मामले को स्वीकार करते हुए जहाजपुर, कोटड़ी के किसानों को मुआवजा मिले। पूरे राजस्थान के अन्दर, मैं कहना चाहता हूं यह दोषपूर्ण गिरदावरी की जो प्रक्रिया है, इन पटवारियों के ऊपर, तहसीलदारों के ऊपर अंकुश लगाया जाए। क्राप कटिंग और गिरदावरी, पैमाने को मिक्स करके एक नया पैमाना राजस्थान के अन्दर विकसित किया जाए ताकि किसान को अपनी फसल के होने वाले नुकसान का सही आकलन करके फायदा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी सदन के अन्दर जवाब दे रहे थे। मेरे नागौर जिले के खींवसर पंचायत समिति, मेड़ता, नागौर और मूंडवा के अन्दर भी जीरा, इसबगोल, प्याज और गेहूं की फसलों का भारी नुकसान हुआ। ओलावृष्टि 5 मार्च को राजस्थान के अन्दर हुई थी। पिछली बार भी सरकार ने अतिवृष्टि ओलावृष्टि के टाइम पूरे राजस्थान के अन्दर, विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में भेजा था और मुआवजा भी दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुआवजे के नोर्म्स इस तरीके के हैं, अगर किसी के एक करोड़ का नुकसान है उसको 50 हजार का मुआवजा मिला। यहां तो हमारे साइड में बहुत बड़ी जीरे की, इसबगोल, पान और मेथी की पैदावार होती है। करोड़ों रुपये का नुकसान खींवसर, नागौर के किसानों को हुआ था। मुआवजे के रूप में उन्हें कहीं 30 हजार मिला, कहीं 40 हजार मिला, कहीं 50 हजार, कहीं 60 हजार रुपये मिला। उपाध्यक्ष महोदय, यह मुआवजा बहुत कम है।

अब दिल्ली के अन्दर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान के अन्दर भी आपकी सरकार है। आपने पिछली बार कहा था कि विशेष पैकेज हम दिल्ली सरकार से लेंगे और आपने दो दिन विधान सभा को स्थगित करके हम लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में भेजा। हम लोग इस उम्मीद से गये कि वापिस आते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, किसान मालामाल हो

(श्री हनुमान बेनीवाल)
जाएगा या उनकी जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका कम से कम 30-40 परसेंट मुआवजा तो आप उनको दोगे।

आपने बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की थी, 4 माह के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा करी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में किसानों के चार माह के बिजली के बिल माफ नहीं हुए। अभी भी सैकड़ों किसान ऐसे हैं जहां पटवारी और गिरदावर ने जानबूझकर उनके खेत के नुकसान का, खराबे का आकलन नहीं किया जिसकी वजह से अभी भी वह मुआवजे के लिए कलक्टर कार्यालय के अन्दर दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आपके पास अभी रिपोर्ट आयी होगी, हमारे खींवसर, नागौर, मेड़ता और मूंडवा पंचायत समिति और राजस्थान के अन्दर ऐसे इलाके जो बचे हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी मंगा लें और गिरदावरी कराकर, राजस्थान का किसान, आज सदन चल रहा है, सब इस उम्मीद के साथ हैं, हमें टेलीफोन कर रहे हैं कि साहब असेम्बली के अन्दर मामला उठाओ और आप सरकार का ध्यान आकर्षित करो।

तो मैं आपके माध्यम से आपदा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि किसान अगर मजबूत नहीं रहा, इस ढाई साल के अन्दर 42 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक किसान 'आप' पार्टी की रैली के अन्दर आत्महत्या करने गया, उसके घरवालों को पूछा कि वहां जाकर क्यों करी, तो बोले इसलिए करी कि राजस्थान में तो मरने वालों का नाम ही नहीं छपता। यह स्थिति राजस्थान के अन्दर है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें कि किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें, भेदभाव नहीं करें और जो इलाके बचे हुए हैं वहां तुरन्त तीन, चार, दस दिन के अन्दर गिरदावरी कराकर, जहां पटवारियों के पद खाली हैं उन पदों को भरने की भी आप व्यवस्था करें। ढाई साल हो गए, कब लगाओगे 15 लाख नौकरियां। 80 हजार लगा दी, 2 करोड़ लगा दी, नरेगा के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: यह इससे सम्बन्धित नहीं था ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि खराब फ़सलों के मुआवजे का ऐलान राजस्थान की सरकार विधान सभा के इस सदन के अन्दर इसी सत्र में करे।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्री महोदय, आप कुछ बात फर्माना चाह रहे थे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि किसान सभा संघर्ष समिति के 11 सूत्री मांग पत्र को माननीय विधायक द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इस संदर्भ में मेरा यह निवेदन है कि बिन्दु संख्या 1 और 2, दोनों फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। चूरू जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की हुई है। किसानों ने 7 मार्च को जो ज्ञापन दिया है उसमें कहा है कि मौसम की आर्द्रता, बेमौसम बारिश और अन्य प्रकार के सीड़ से काफी नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि रबी 2015-16, इसके मुआवजे के निर्धारण की अभी प्रक्रिया चल रही है। जहां तक ख़रीफ़ फसलों का सवाल है, खरीफ फसल का जिक्र इसमें आया है। इसमें किसानों के द्वारा 19.82 करोड़ रुपये प्रीमियम के जमा कराए गये थे, 3 लाख 91 हजार किसान जिन्होंने बीमा कराया, 53.22 करोड़ रुपये का मुआवजा चूरू जिले के किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उनके खातों में स्थानान्तरित कर दिया गया है। यह जानकारी मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): राजगढ़, सादुलपुर, चूरू का है पर्टिकूलर जो खरीफ फसल का बताया। राजगढ़ का बतायें आप, कितना जमा।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): चूरू जिले का एक भी तहसील का कोई भुगतान बाकी नहीं है। किसानों के खातों में आनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): राजगढ़ में आया है कि नहीं आया, शामिल किया कि नहीं किया यह बता दें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न ऊंट के बारे में आया, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में ऊंट वंश वध का प्रतिषेध एवं अस्थाई प्रत्यावर्जन का निर्यात, अधिनियम 2015 विधान सभा के द्वारा पारित भी किया गया है। मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुसार ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया है। उसी क्रम में अब ऊंट के लिए नि:शुल्क दवा की सारी व्यवस्थाएं, इसके अलावा ऊंट का बीमा करने की भी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है ताकि ऊंट पालकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, वही बीकानेर से जुड़ा हुआ विषय है। बीकानेर का

(श्री प्रभू लाल सैनी)

यदि हम देखें तो 48.72 करोड़ का 2 लाख किसानों को मुआवजा उनके खाते में ट्रान्सफर कर दिया गया है मौसम आधारित फसल बीमा योजना का।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मोडीफाइड क्राप इन्श्योरेन्स की बात कही है, फसल क्राप कटिंग की बात भी उन्होंने कही है। मैं आपके माध्मय से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि 2 लाख 8 हजार किसानों को 45.59 करोड़ रुपये का मुआवजा उनके खाते में ट्रान्सफर किया जा चुका है। चूंकि जहां तक क्राप कटिंग का उन्होंने प्रश्न किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा क्राप कटिंग राजस्व विभाग द्वारा, वहां से खसरा नम्बर निर्धारित करने के बाद पटवार सर्किल पर, चार स्थानों पर क्राप कटिंग करके उसका मूल्यांकन करके पांच वर्षों का औसतन जो उत्पादन होता है उसी को आधार मानते हुए किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा, पहले तो मैं सदन को कहना चाहता हूं कि 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि हुई। आज मैं 9 तारीख को खड़ा होकर आपको एक हजार सात गांवों की सूचना दे रहा हूं। इसका मतलब कुछ तो काम किया होगा, तभी सूचनाएं आयी होंगी। केवल कुछ भी प्रहार करना चाहिए आड़ा-टेढ़ा, मैं इससे बहुत आहत हूं। मैं इस बात की पूरी कोशिश करता हूं कि किसान का किसी भी दृष्टि से अहित नहीं हो। मेरी जिम्मेदारी है, जिस पद पर मैं हूं उस पद की गरिमा को निभाते हुए मैं पूरा प्रयत्न करता हूं। मैं अभिमान नहीं करता हूं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पिछली बार हमने 29 लाख किसानों को 24 हजार 47 करोड़ रुपया आनलाइन पेमेंट किया है, वह कांग्रेस के पिछले 50 साल को भी जोड़ लें तो भी इतना पेमेंट नहीं है। क्या बात करते हो आप। केवल हमला करने के लिए हमला करते हैं।

मैं स्वयं गया हूं, मुख्य मंत्रीजी के साथ गया हूं, गृह मंत्री से लेकर वित्त मंत्री से पर्सनली मिला हूं, मेरा स्टाफ गया हूं। पहली बार 1447 करोड़ रुपया केन्द्र ने हमको सहायता के रूप में दिया, बाकी हमारे पास बचा हुआ पैसा था वह मिलाते हुए हमने आनलाइन पेमेंट किया।

आज मैं आपको अभिमान के साथ कह रहा हूं। सिंगल शिकायत आन लाइन पेमेण्ट के बाद मेरे दफ्तर में और राजस्थान में कोई दर्ज नहीं हुई थी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और क्या चाहिये। केवल घुमा-फिरा करके कुछ पत्थर फेंकना है। मैं आज भी आपको कहता हूं, जितना दर्द आपको किसान के बारे में है, उससे, मैं किसान का बेटा तो नहीं हूं, पर जिस क्षेत्र में रहता हूं, मैं जानता हूं इस हिन्दुस्तान में सबसे बुरे दिन कोई बिता रहा है तो हिन्दुस्तान का किसान 70 साल के बाद बिता रहा है। उसको अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलता। फिर प्रकृति भी उसका साथ नहीं देती। उसकी समस्या को वो ही समझता है।

इसलिये, जैसे प्रद्युम्नसिंहजी ने कहा था, मैं सोचता हूं मैंने सभी आंकड़ें इकट्ठे कर रखे हैं, 298 गांव धौलपुर में, जहां नुकसान हुआ है, वह मैंने बताये हैं, सूचीबद्ध किये हैं। क्योंकि नुकसान 7 तारीख को हुआ है, अभी उसकी टोटल, ठीक ढंग से गिरदावरी होकर जब तक नहीं आये, इंडिविजुअल किसान को तो 33 प्रतिशत से अधिक खराबा हो जाने के बाद भी पिछली सरकार के समय आपने देखा होगा, आपने इतने साल तक राज किया, 50 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले किसान को ही नुकसान की भरपाई होती थी। हमने प्रयत्न करके, राजस्थान ने अगवाई ली और हिन्दुस्तान में सब किसानों को 33 प्रतिशत से अधिक खराबा होने पर भी अनुदान मिलने लगा है। हमने उनको पैसा दिया है। लेकिन अकाल राहत के काम, बिजली माफी के काम या बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं वह 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाला गांव आने के बाद, उस गांव के जितने भी लोग हैं उनको मिलती है। किसान को तो 33 प्रतिशत खराबे पर अपनी फसल का जो भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई 2 हैक्टेयर तक हो जाती है। लेकिन इंडिविजुअल, एक तरह से जिसको हम गांव घोषित करते हैं आपदा का, वह 50 प्रतिशत से अधिक खराबा का करते हैं।

यह गिरदावरी जिस दिन, मैं कोशिश कर रहा हूं कि गिरदावरी जल्दी, मैंने इसमें सबके आंकड़े निकाल रखे हैं। जैसे अभी हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हमने आपके 75 गांव इसमें आइडेंटीफाई किये हैं। रतनगढ़ के 3, सरदारशहर के 17, बिदासर के 10, चूरू के 6, सुजानगढ़ के 17, राजगढ़ के 20 और तारानगर के 2 हैं। जो भी हमारे गांव हमने आइडेंटीफाई किये, 75 गांव, चूरू में हमने आइडेंटीफाई किये लेकिन अभी खराबा प्रतिशत, जब तक सही गिरदावरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसके बारे में कुछ भी निर्णय लेना सम्भव नहीं है। हम ले रहे हैं।

इसी तरह से बीकानेर में जो आपने बताया था, बीकानेर में लूणकरणसर में 9 गांव हैं, बीकानेर में 9 हैं और डूंगरगढ़ में 3 हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जो हमने अभी तक इकट्ठा किया है और मैं आपको निश्चित रूप से, केवल मुझे इस बात का दु:ख होता है कि जैसे आप तो किसान के बहुत हमदर्द हैं, हम कोई उसके दुश्मन होंगे। 42 लोग मर गये। अब ये कहां मर गये। अगर 42 लोग मर गये, मैं सोचता हूं कि डेथ हुई 5 लोगों की अभी, बिजली से। हमने पांचों को पैसा भेज दिया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आदमी ने आर्थिक तंगी से आत्म हत्या कर ली।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे हाथ में यह नहीं है कि मैं चाहे जिसको अनुदान दे दूं। जब तक कलक्टर का या रिकार्ड के द्वारा मेरे कागज की पूर्ति नहीं होती, तब तक मैं उसे पैसे रिलीज नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी है। आंकड़े आने का काम और बाकी काम, नीचे कलक्टर और अन्य करते हैं, हम कोशिश करते हैं, जितना जल्दी से जल्दी मंगा सकें। अगर कहीं गलती रही है तो उसकी जांच हो सकती है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। लेकिन आपके भाषण देने से मैं पैसा रिलीज कर दूं। यह ताकत तो मेरी नहीं है। मैं सोचता हूं कि...।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या गिरदावरी में जीरो प्रतिशत खराबा...।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी का सम्पूर्ण वक्तव्य धीरज से सुनें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी किसान को, जो वास्तविक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई यह सरकार 100 प्रतिशत उसको करेगी। आनलाइन करेगी, उसके खाते में डालेगी। अगर पशुओं का नुकसान हुआ, घर का नुकसान हुआ तो भी उसका पेमेण्ट करेंगे। अभी केवल 30 पशुओं का नुकसान हुआ, जो हमारे पास आया है, उनका पैसा भी उनको हम भेज रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि थोड़ा तो धैर्य रखिये। मैं सोचता हूं 5 तारीख को, 7 तारीख को ओलावृष्टि हुई है, मैं यहां 9 तारीख को जवाब दे रहा हूं। मैं 1007 गांवों की लिस्ट लेकर के आपके सामने आया हूं। प्रत्येक जिले की लिस्ट लेकर के मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसका मतलब यह है कि मैंने कोई चिन्ता की होगी, तभी तो यह सारा आंकड़ा आया होगा। ऐसे ही तो आसमान से उड़कर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं आ गया होगा। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को जो भी इस ओलावृष्टि से या जो भी नुकसान हुआ है, उसकी निश्चित रूप से भरपाई करेंगे। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कांग्रेस सरकार ने एक रुपया नहीं दिया। (व्यवधान) आपने गरीब किसानों को एक रुपया भी नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष, एक बार विराज जाएं। कृषि मंत्रीजी भी कुछ कह रहे हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपदा राहत मंत्रीजी ने आपदा में 29 लाख किसानों को लाभ देने की बात कही है, इसी क्रम में मेरा भी आपके माध्यम से निवेदन है। खरीफ 2015-16, जिसमें अनावृष्टि हुई। अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में बारिश नहीं हुई। किसानों की फसलें, उत्पादन कम हुआ। इस बात पर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार ने गम्भीरता दिखाते हुए राजस्थान सरकार के इतिहास में पहली बार 1188 करोड़ रुपये का मुआवजा, मौसम आधारित फसल बीमा में 669 करोड़ रुपये और मोडिफाइड फसल बीमा योजना में 618 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 1188 करोड़ रुपये 49.50 लाख किसानों को उनके खाते में ट्रांसफर करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। इसलिये राजस्थान की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है।

जहां तक प्रतिपक्ष के लोग, 5 साल तक इनका कार्यकाल था, 2010 से लेकर 2013 तक के आंकड़े को मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहूंगा, 300 करोड़ से अधिक इन्होंने कम्पनियों को प्रीमियम के रूप में अधिक राशि दी, किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य। नेता, प्रतिपक्ष, आप कुछ फर्माना चाहेंगे? (व्यवधान) Just a minute, I will do it.

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया, आज राजस्थान के अन्दर किसान की हालत खराब है। पीछे भी हमने निवेदन किया था कि पूरे राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल और सूखे की स्थिति है। उसमें आपके पटवारी ने जो आकलन किया,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

पटवारी खेत में नहीं गया और उन्होंने गिरदावरी करके भेज दी। आपने उस गिरदावरी को मान लिया। आपने आंकड़े बता दिये। कोई पटवारी, पटवारियों की स्ट्राइक हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन पटवारियों ने जाने के लिये मना कर दिया। कलक्टर, उनको आपकी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि आप इस तरीके से गिरदावरी बनाकर लाओ और वही आपका आदेश मानकर उन पटवारियों ने, कलक्टर ने गिरदावरी भेजी।

यह आंकड़े जो माननीय मंत्रीजी, आपके पास हैं, यह बिलकुल आंकड़ों का मायाजाल है। हमने निवेदन किया पिछली बार, पूरे राजस्थान के अन्दर 8 जिलों को आपने सूखे में अकाल राहत में घोषित किया। पूरे राजस्थान का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उस किसान के खेत में जाकर देखो अभी जहाजपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं वहां मौके पर गया था। 40 हजार किसान रात को 2 बजे उस ठण्ड के अन्दर, हम भी थे और वे त्राहि-त्राहि कर रहे थे। माननीय कृषि मंत्रीजी बता रहे हैं कि हमने क्रोप कटिंग पर 2 लाख किसानों को मुआवजा दिया। पूरा जहाजपुर का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा था, 2 बजे हमने बैठकर कलक्टर और प्रशासन वालों से बात की, कोई जवाब नहीं। सरकार को हमने निवेदन किया, हमने बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की। उसका कहीं कोई जवाब नहीं।

किसान के मुआवजे की आप बात कर रहे हो, आपने कह दिया कि कांग्रेस ने कुछ मुआवजा नहीं दिया और 300 करोड़ रुपये इंश्योरेंस कम्पनी के ज्यादा ले लिये। मैं कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने 12 महीने तक अकाल राहत के काम चलाये हैं। यह प्राकृतिक आपदा मंत्रीजी बैठे हैं। 12 महीने, लगातार अकाल राहत के काम चलाये हैं। (व्यवधान) वर्ष 2000 में प्रदेश के अन्दर हमारा शासन था। उस टाइम में 11-12 महीने हमने कैटल कैम्प चलाये हैं। अकाल राहत के काम चलाये हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): डूडी साहब, कांग्रेस ने 50 साल में भी नहीं दिये हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बाड़मेर के माननीय सदस्य आ रहे हैं, उन्होंने पिछली बार भी निवेदन किया था। कैटल कैम्प ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): कांग्रेस ने किसान को मुआवजा नहीं दिया आज तक।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उन्होंने पिछली बार भी निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्षः सम्माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। (व्यवधान) सम्माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): वे सच नहीं बोल रहे हैं, साहब। सत्य नहीं बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः सम्माननीय सदस्य, यह बात आपके मंत्री महोदय पर निर्भर करती है कि वे कितने सत्य बोल रहे हैं और कितने असत्य बोल रहे हैं। वे इस बारे में पूरा प्रभावशाली वक्तव्य जरूर देंगे। विराज जाएं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि तीन महीने आपने कैटल कैम्प खोला बाड़मेर के अन्दर। वहां कम से कम 35 हजार गायें, उस कैटल कैम्प के अन्दर आयीं और चारा मिल रहा था। तीन महीने अच्छी तरह से आपने चलाया। इसलिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): कैटल कैम्प कहां से? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन, तीन महीने के बाद उस कैटल कैम्प को बंद कर दिया गया। आपका यह वक्तव्य है, आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को तीन महीने तक चलाने का पैसा मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 हजार गायें मारने का काम आप लोगों ने करा है। इसमें कहीं कोई शक-शगूफ़ा नहीं है। हमने यह उठाया, हमने यह फोटो दिये थे। मंत्री महोदय, उसके एक महीने बाद में फिर वापस उसको चालू किया। इसलिए हमने यह कहा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का तीन महीने का है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगाकर चलाओ। आप एक तरफ तो गायों की बातें करते हो और एक तरफ गायों को इकट्ठा करके मारने का काम भी आप लोग करते हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज राजस्थान में स्थिति किसान की यह है, आप बड़े-बड़े शब्दों में कह रहे हो कि हम किसान के हितैषी हैं। कल ही बजट पेश हुआ था, उसमें किसान की गर्दन और कमर तोड़ने का काम आपने किया है, इसमें कहीं कोई शक-शगूफ़ा नहीं।

हम निवेदन करना चाह रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप कुछ करना चाह रहे हो, 4 तारीख से लेकर जिस तरीके से प्रदेश के अन्दर ओलावृष्टि हो रही है, उस ओलावृष्टि के बारे में जिस तरीके से आंकड़े पेश

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

किये हैं, उसमें मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने विवेक से उसको फिर वापस दिखाओ और उस किसान को मुआवजा दो नहीं तो पिछली बार जो हालत हुई, राजस्थान की राजनीति में, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 60 किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुआवजा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपको अपने नेता से आशा नहीं है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरी आशा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 60 किसानों ने आत्महत्या की और प्राकृतिक आपदा मंत्रीजी का वक्तव्य है यह, उस प्रोसीडिंग के अन्दर लिखा हुआ है, आपने कहा कि कोई किसान पेड़ से लटक कर मर जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार का फर्ज और कर्तव्य नहीं बनता? आज किसान दुःखी है, किसान के दुःखों को निवारण करने के लिए जनता ने आपको चुना है, प्रचंड बहुमत देकर चुना है। आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है, उस किसान की बात को सुनकर मदद करने का।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने समर्थन मूल्य पर किसान की जिंस खरीदी कोई? बीकानेर के अन्दर सिर्फ मूंगफली खरीदी थी आपने। उस मूंगफली का पैसा भी आज किसान को मिला नहीं। क्या समर्थन मूल्य दिया? बड़े-बड़े शब्दों में किसानों की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, बाकी आपको बहुत अवसर मिलेंगे। जब आप बजट पर ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सहमत नहीं हैं। सरकार जिस तरीके से किसान पर कुठाराघात कर रही है, किसानों को जिस तरीके से, लटका कर रखा है, किसान को मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान को मुआवजा दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान बर्बाद हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हम व्यक्तिशः सहमत नहीं हैं। इस सरकार से सहमत नहीं हैं। हम किसानों की बात को लेकर मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष, मैं भी, आसन आपसे निवेदन कर रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आसन पांवों पर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों की सरकार सुन नहीं रही है। एकदम ऐसे लहजे में भाषण दे रहे हैं, कृषि मंत्रीजी असत्य आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी असत्य आंकड़े पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन पांवों पर है। नियम का, कुछ तो आप पालन करें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से किसानों को कोई आशा नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति के जो बोल रहा है, कुछ अंकित नहीं होगा। इस विषय पर चर्चा समाप्त।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय पर चर्चा समाप्त।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): खाली बाहर जाना हो तो वैसे ही चले जाओ न, इतना बढ़िया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय मंत्री महोदय कुछ फर्माना चाहते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि पटवारियों ने गलत रिपोर्ट दी। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बैठाया था कि विपक्ष के नेता बोल रहे हैं तो मुझे तो बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं, हुकूम, एक मिनट आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, मैं तो विराज जाऊंगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। वैसे तो I cannot allow the debate on this. मैंने फिर भी 45 मिनट और अलाउ कर दिया और इतने सारे माननीय सदस्यों को अलाउ कर दिया। आपके पास में बहुत सा समय मिलेगा। आप जब इस पर बहस करेंगे, जितने संवेदनशील आप हैं, उतनी ही संवेदनशील सरकार भी है और पूरा सदन भी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कहने का अधिकार तो है न, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जिन पटवारियों के माध्यम से आपने आकड़े इकट्ठे किये, अगर वह पर्टिकूलर किसी पटवारी, तहसील, कलक्टर से नाखुश है, अपनी तरफ से अगर पूरी जानकारी दें तो मैं उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करूं। लेकिन, पटवारी को गुलाबचन्द कटारिया ने तो नहीं लगाया। यह तो कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, जो आपके राज में की और हमारे राज में भी कर रहे हैं। पहले भी रिपोर्ट मंगाने का तरीका यही था और आज भी यही है। इसी रिपोर्ट से हम आगे बढ़कर उसके अनुसार जो मदद कर सकते हैं, वह करने का प्रयास करते हैं।

मैं उनको यह आश्वस्त कर रहा हूं, बार-बार कह रहा हूं कि यह प्रारम्भिक रिपोर्ट मेरे पास जो आयी, जो मैंने सदन में रखी है। केवल 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में हुई घटना और उसका 9 तारीख को मैं वक्तव्य दे रहा हूं। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि सेंट-परसेंट सही गिरदावरी और सही जो भी नुकसान हुआ है, वह आएगा, उसके अनुसार जो भी मदद की जा सकती है, पचास परसेंट से अधिक खराबा पिछली बार खरीफ में आया, हमने 14487 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करके वहां जो किसान को लाभ मिल सकता है, उनका बिजली बिल माफ करने का, आबियाना के बारे में, बाकी में, हम घोषणा कर चुके हैं। केन्द्र सरकार को हमने अपना मैमोरेंडम भेजकर उनकी स्वीकृति, उनकी हाई-पावर कमेटी की मीटिंग हो गयी, एक मीटिंग और बाकी है, होने के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बाद जो पैसा हमको मिलेगा, उसके अनुसार किसान को जितना लाभ दिया जा सकता है, वह देंगे।

मैं सोचता हूं कि किसी भी दृष्टि से विभाग ने कहीं भी अपने काम में ढिलाई नहीं की। मैं यह कह सकता हूं कि जितनी तुरन्त गति से हमने हर चीज का मैमोरेंडम बनाकर केन्द्र सरकार तक पहुंचाने का काम किया, पिछली सरकारों की अगर पूरी लिस्ट को सामने रखकर फिर कोई विश्लेषण करें तो यह समझ में आ सकता है कि हमने कम समय लिया या उनके समय में लापरवाही ज्यादा हुई?

मैं आज भी आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से कि राजस्थान के किसी भी किसान का, जिसका नुकसान हुआ है, जो नियमों में रहते हुए सरकार दे सकती है और दिल्ली से भी जाकर जो सहायता लानी होगी, हम निश्चित लाएंगे और उसको आनलाइन सारा पेमेंट करेंगे, जिसमें किसी प्रकार की बेईमानी नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ फर्माना चाहेंगे। वैसे इतनी विस्तृत चर्चा इस विषय पर हो गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इतना तो भेद करिए कि कौन विपक्ष में है और कौन पक्ष में है। जब हम आपके आंकड़ों को 100 परसेंट सही मान रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप इसको केलकूलेट तो करिए कि कितना मुआवजा प्रति व्यक्ति मिला तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो मुआवजा दिया 29 लाख आदमियों को, वह साढ़े आठ हजार से ऊपर नहीं है, प्रति व्यक्ति और जो मौसम आधारित मुआवजा दिया गया, जिसका जिक्र है राज्यपाल जी के अभिभाषण में, वह मुआवजा मौसम आधारित में 2400 रुपये और उसके बाद अमेंडेट में 3500 रुपये के करीब है।

मैं ध्यान इसी बात की ओर आकर्षित कर रहा हूं कि मुआवजा मिल रहा है वह काफी नहीं है। वह शायद जो प्रिमियम भरा गया, उसके बराबर भी नहीं है। आप इसका परीक्षण करें। यदि चाहें तो करें और न चाहें तो नहीं करें। हां, क्योंकि यह ऐसा सार्वजनिक मुद्दा है कि इसमें कोई जिद की बात नहीं है। आपने जो मुआवजा दिया, वह उसकी प्रिमियम से भी कम है, मेरा निवेदन यह है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी

(श्री नवीन पिलानिया)

ने कहा है, जो उदाहरण की बात कही है, बिलकुल उसी पर मैं बात करना चाहता हूं, मुझे एक मिनट दीजिएगा।

माननीय मंत्री महोदय जिस तरीके से किसानों के प्रति इतने संवेदनशील हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जिस खरीफ 2015 का जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया, मेरे आमेर तहसील में खरीफ 2015 में बाजरे की गिरदावरी के लिए मैंने सब जगह का, पटवारी हड़ताल पर थे, अखबारों में आया है, उसके बाद मैं पीछे पड़ा, 15.10.2015 को आदेश निकलता है कि सभी नायब तहसीलदार जाकर क्योंकि, पटवारियों ने गिरदावरी सही नहीं की और वह रिकार्ड जमा कर गये, वह सही गिरदावरी करें। 15.10.2015 का आदेश निकलता है और 17.10.2015 के दिन नायब तहसीलदारों की रिपोर्ट गिरदावरी की चली जाती है, दो दिन के अन्दर। इतना बड़ा-बड़ा अख़बार में आया। मेरा किसानों का प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला। मेरा किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य मंत्री निवास पर गया। सब जगह आया लेकिन क्योंकि, पटवारी हड़ताल पर थे और आप सोच लीजिएगा कि दो दिन में यह सम्भव है? 15.10.2015 को आदेश निकले कि नायब तहसीलदार जाकर स्वयं गिरदावरी करेंगे और 17.10.2015 को नायब तहसीलदार रिपोर्ट पेश कर देते हैं। हम चिल्लाते रहे, हमारे यहां रिकार्ड पर है कि 35 परसेंट से रेन-फाल कम हुई है जयपुर जिले के अन्दर। बाजरे में हमारे 33 परसेंट से ज्यादा खराबा था लेकिन अंकित नहीं किया गया, यह मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं। मेरे किसान आपसे मिले थे, यह भी आपको ध्यान होगा? मैं जहां-जहां पर गुहार लगा सकता था, वहां लगाई।

इसके लिए एक निवेदन है कि अगर कभी पटवारी गड़बड़ कर जाए तो माननीय मंत्री महोदय, यह अनिवार्य है कि क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट तहसील लेवल पर 15 होने चाहिए, गिरदावर लेवल पर कितने होने चाहिए, यह गुप-चुप क्यों होते हैं? किसी जन-प्रतिनिधि को नहीं पता लगता, इसका आंकड़ा क्यों नहीं रखा जाता है? क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट जरूरी है, माननीय मंत्री महोदय, वह सार्वजनिक होने चाहिए। मैंने अपने प्रश्न में भी पूछा है, अब उसका जवाब कब आएगा, मैं यह नहीं कह सकता। बाकी यह आंकड़े सामने आने चाहिए कि इस तहसील में इतने क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुए और ईल्ड पर हैक्टेयर यह आई इस जिंस की, इसको छुपाया क्यों जाता है?

बस यही आपसे निवेदन है और मैं चाहूंगा कि आप इस पर

(श्री नवीन पिलानिया)

पारदर्शिता से और ध्यान दें तो किसानों को फायदा मिलेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी। You wanted to speak?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर तो नहीं कह रहा था। मैं तो यह कह रहा था कि मंत्रीजी ने जब बोला तो उन्होंने गधे की और बछड़े की एक ही कीमत बताई थी, 16 हजार रुपये तो गधे की और 16 हजार ही बछड़े की। इस पर आप पुनर्विचार कर लें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से इतना-सा पूछना चाहूंगा कि सारी सहायता, ओलावृष्टि से जो नुकसान किसान का हुआ है, वह सी आर एफ के तहत दी जाएगी। जितनी सहायता सी आर एफ के तहत दी जाती है, उतनी सहायता राज्य सरकार स्टेट रिलीफ फण्ड से देने का प्रयास करेगी? मेरा इतना-सा सवाल है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसमें राज्य सरकार का भी अपना एक निश्चित हिस्सा है, उस हिस्से को मिलाकर। जैसे हमको वहां से मिला 1447 करोड़ रुपया पिछली बार, 1200 करोड़ रुपया हमने अपनी तरफ से मिलाया है और मिलाकर हमने किसान की पूर्ति करने का प्रयास किया है। बिना सरकार के मिलाये न तो कैटल कैम्प और न यह दोनों चलते हैं तो दोनों की सम्मिलित जो राशि आती है, उसके हिसाब से देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं समस्त सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर दो-दो मंत्रियों ने जवाब दिया। संवेदनशील सरकार का इससे ज्यादा प्रभावशाली कोई वक्तव्य हो नहीं सकता, न इतिहास में हुआ है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वक्तव्य को सहर्ष स्वीकार करें और अगर कोई फिर भी बात रह गयी हो तो मंत्री महोदय से आप सम्पर्क कर लें।

नियम 295 के तहत श्री राजेन्द्र गुर्जर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लि. को दिये जा रहे पानी की शुल्क गणना

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

देवली-उनियारा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उनियारा कस्बे के निकट क्षेत्र का मशहूर गलवा बांध बना हुआ है, जो मेजर बांध कैटेगरी में सम्मिलित है। उक्त बांध मुख्य रूप से सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए बनवाया गया था। उसके उपरान्त उससे उनियारा कस्बे को पेयजल आपूर्ति भी की जाने लगी। गलवा बांध से पानी की आपूर्ति हेतु कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन ने राजस्थान सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसके उपरान्त दिनांक 31.12.2002 को सचिव, सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.12(1) आई.आर.जी/95 दिनांक 31.12.2002 द्वारा कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को मांग के अनुसार गलवा बांध से प्रतिदिन 15 लाख लीटर पानी दिये जाने एवं पानी के शुल्क की गणना रुपये प्रति हजार क्यूबिक मीटर पानी यानी प्रतिदिन 15 लाख लीटर पानी के शुल्क की गणना 20/- रुपये प्रति हजार सी.एफ.टी. नियमानुसार निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये थे। एक सी.एफ.टी. का मतलब 28,320 लीटर होता है। इस प्रकार 28,320 लीटर पानी का शुल्क 20 रुपये निर्धारित है। इस तरह प्रतिदिन दिये जाने वाले 15 लाख लीटर पानी का शुल्क लगभग 1059 रुपये होता है। इस हिसाब से कम्पनी द्वारा एक महीने में 4.50 करोड़ लीटर पानी लिया जाता है जिसका शुल्क लगभग 31,779 होता है। जबकि इंडस्ट्रीज को जो पानी दिया जाता है उस दर से गणना करें तो 40 हजार लीटर पानी से अधिक होने पर वसूली दर 50 रुपये प्रति लीटर हजार की होती है व उस पर 35 प्रतिशत सरचार्ज करके कुल 67 रुपये प्रति हजार लीटर होता है। इस दर के अनुसार गलवा बांध से कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड खातोली को दिये जा रहे पानी की राशि की गणना करें तो एक महीने में 4.50 करोड़ लीटर पानी लेने का शुल्क 30 लाख 15 हजार रुपये होता है। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड खातोली द्वारा गलवा बांध से पानी लेते हुए 13 साल हो गये हैं, जिसका अब तक 4 लाख 13 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यदि इंडस्ट्रीज को पानी देने की दर से राजस्व वसूला जाता तो सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता। इस प्रकार सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व के रूप में अब तक नुकसान हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करता हूं कि गर्मी में पेयजल की होने वाली समस्या एवं क्षेत्र के लोगों में हो रहे असंतोष को मद्देनजर रखते हुए कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिये जा रहे पानी को कम करने के साथ ही दिये जा रहे पानी की दरें बढ़ाने

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

के सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपने जो आसन को भेजा है 295, उसके अलावा और कोई दूसरा पढ़ रहे हैं। यह 295 आसन के सामने नहीं है। इसमें और आपके पढ़े हुए वक्तव्य में फर्क है।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आपका जो 295 आसन को मिला है, वही रिकार्ड पर लाने के आदेश देता हूं। आपने जो पढ़ा, वह अपलिखित किया जाए। श्री रामचन्द्रजी।

डग में धार्मिक एवं पुरातत्व संरक्षण की विरासतकालीन स्मारकों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार

श्री रामचन्द्र (डग): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं झालावाड़ जिले की डग विधान सभा क्षेत्र में धार्मिक एवं पुरातत्व संरक्षण की विरासतकालीन स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरूद्धार के लिये ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा।

1. कायावर्णेश्वर महोदव क्यासरा अत्यन्त पौराणिक, जिसके पास गंगा दोजड़ी नामक सागर था। उसका अस्तित्व अभी भी है, परन्तु उसमें पानी रोकने की व्यवस्था नहीं है। किसी कालखण्ड में राजा जन्मजेय के कुष्ठ रोग का इस जलाशय में स्नान करने से कायाकल्प हुई। मेरा निवेदन है कि इस गंगा दोजड़ी सागर का पुनर्निर्माण धार्मिक स्थान के लिये किया जावे।
2. परापीपली मकोडिया के पास तीन नदियों का संगम है। जहां अथाह जल राशि एकत्रित है। मेरा मानना है कि उस स्थान को अर्द्ध कुम्भ के लिये विकसित किया जाए। जैसाकि प्रयागराज पर दो ही नदियां हैं, एक अदृश्य है। परन्तु यहां तो तीनों नदियों का विशाल संगम हैं। कहते हैं राजा चित्र एवं विचित्र को इसी जगह स्नान करने से मोक्ष प्राप्त हुआ था।
3. गंगधार शहर जहां ऋषि गार्गी की तपोस्थली है, जहां काली सिन्ध के किनारे असंख्यक घाट बने हुए हैं। राजघाट, गंगाघाट, रानीघाट, सहस्त्र घाट तथा असंख्य पौराणिक मंदिरों के साथ नदी के संगम पर विशाल शिवालय है। करीब 100 से 125 मंदिर हैं। साथ ही साथ पुराना

(श्री रामचन्द्र)

तहसील भवन, जो नदी के घाट पर स्थित है, उसके संरक्षण की आवश्यकता है। इस पर धूप से चलने वाली घड़ी आज भी मौजूद है। कहते हैं इसी स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, हवन सामग्री के अवशेष से ऐसा ज्ञात होता है। मेरा मानना है सरकार द्वारा संरक्षण तथा संवर्द्धन कर इन स्थानों को उपमा प्रदान करावें।

4. बौद्ध गुफाएं भी पुराने काल से हैं, पिछली सरकार ने संवर्द्धन के लिये कार्य किया था, लेकिन पर्यटन के मानचित्र पर इसको जो मिलना चाहिये, अभी कमजोर लग रहा है, निश्चित रूप से वहां पर सुन्दर स्थापत्य कला सहित रेस्ट हाउस बनाकर आगन्तुकों के ठहरने की माकूल व्यवस्था हो सके तो उसको बढ़ावा मिलेगा।

सरकार से मेरा निवेदन है कि इन सभी क्षेत्रों को विकसित कर परम्परागत पौराणिक अवशेषों को संरक्षण प्रदान कराने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालालजी।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम एवं सामग्री मद का अनुपात 49:51 प्रतिशत करना

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत इस उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सरकार की सबसे बड़ी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है जिसमें ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक व्यय हो रहा है। इस योजनान्तर्गत श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 निर्धारित किया हुआ है इस कारण से योजना में अन्य योजनाओं की अपेक्षा अधिक व्यय होने के बावजूद भी स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सामग्री मद पर अधिकतम व्यय 40 प्रतिशत की सीमा को देखते हुए पर्याप्त सामग्री प्रधान में पक्के कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसलिए महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम सामग्री अनुपात 49:51 तक अनुमत करवाने के सम्बन्ध में इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करवायी जाकर प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, यह आप कहां से पढ़ रहे हैं? एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराज जाएं।

(श्री उपाध्यक्ष)

उप सचेतक महोदय, आपको और मंत्रिमण्डल के सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदस्य जो 295 पढ़ते हैं, मानते हैं कि आसन को यह मालूम कि आप क्या पढ़ रहे हैं। यह दूसरे सदस्य ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी तरफ से कोई दूसरा वक्तव्य देना चालू कर दिया।

295 जो आपने प्रस्तुत किया है अक्षरशः आप वो ही पढ़ेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं वो? वो आपके पास में है?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): कहां है ...(व्यवधान) पेज कहां है? आपको पढ़ना ही नहीं आता। आप हमें बता रहे थे कि आप देखकर पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अब आपको आ रहा है क्या? कैसे लटक गये आप ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आसन को आसन का काम करने दीजिए।

अगर आपके पास में नहीं है तो आप कापी यहां से उपलब्ध करवा लें। विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां दो तो हीरे हैं, आप हीरों को ही ऐसा कहोगे तो हमारा क्या होगा जो जीरो हैं। हीरालालजी हैं उनका नाम। जब यह पढ़ें तो नियम यह है कि यहां से अपन उनको दिला दें तो ठीक हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो मैं सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां 200 हीरे हैं, अब कौन कितना है, वो तो पारखी ही जानता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो कड़कड़ाहट है न उससे भी हड़बड़ाहट हो जाती है। इसका भी कृपया ध्यान रखें।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो तीन ही हैं हीरालाल। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हीरे की पहचान तो जौहरी करता है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनकी कड़कड़ाहट से हड़बड़ाहट होती है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतनलाल जलधारी।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आपका पढ़ा हुआ मान लिया गया, आप विराज जाओ।

[माननीय सदस्य, श्री हीरालाल नागर का 295 का प्रस्ताव जो पढ़ा हुआ माना गया]**

[श्री हीरालाल नागर (सांगोद): महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अन्य विभागों द्वारा अधिक संख्या में पक्के कार्य कराने से अधिक गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादित होकर और अधिक स्थाई सम्पत्तियों का सृजन सम्भव होगा एवं साथ ही ग्राम पंचायतों का कार्यभार भी कम हो सकेगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना में लाइन विभाग के कार्यकारी संस्था होने की स्थिति में श्रम सामग्री के अनुपात का संधारण वर्तमान संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर किया जाना है। वर्तमान में अन्य विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन, सी.ए.डी. जैसे विभागों के पास निचले स्तर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त स्टाफ के अभाव में यह विभाग नरेगा योजना के अन्तर्गत श्रम प्रधान कार्य करवाने में रुचि नहीं लेते हैं।

योजनान्तर्गत श्रम मद में राशि व्यय नहीं कर पाने से सामग्री मद की राशि भी अन्य लाइन विभागों के माध्यम से व्यय नहीं की जा सकती क्योंकि योजना के दिशा-निर्देशानुसार सम्बन्धित लाइन विभाग द्वारा श्रम सामग्री व्यय राशि का निर्धारित अनुपात 60:40 जिला स्तर पर संधारण किये जाने की बाध्यता है जबकि ग्राम पंचायतें सामग्री मद की राशि पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है।

साथ ही नरेगा योजना में कोटा जिले में ग्रेवल कार्यों हेतु उपलब्ध लोकल ग्रेवल तकनीकी मापदण्ड अनुसार उचित नहीं है। तकनीकी दृष्टि से ग्रेवल की सीबीआर वैल्यू कम से कम 15 होनी चाहिए तथा पीआई वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होने से कुछ ही समय में किया गया ग्रेवल कार्य मिट्टी जैसा हो जाता है। अतः इसके विकल्प के रूप में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर काम में ली जा रही जीएसबी बेहद उपयुक्त सिद्ध हो सकती है तथा इस प्रकार से बनी जीएसबी सड़कों पर कालान्तर में डामर करने पर लागत राशि कम आने से नरेगा कार्य की उपयोगिता दृष्टिगत हो जायेगी।

निवेदन है कि यदि श्रम सामग्री राशि का अनुपात सभी कार्यकारी संस्थाओं के लिए समग्र गणना कर ब्लाक स्तर पर 49:51 कर दिया जावे एवं ग्रेवल सड़क में जीएसबी को शामिल कर लिया जाये तो ग्रामीण क्षेत्र में लाइन विभागों के माध्यम से सामग्री प्रधान गुणवत्तायुक्त अधिकाधिक कार्य करवाये जा सकेंगे और निर्धारित सीमा तक सामग्री मद की राशि का पूर्ण सदुपयोग कर गुणवत्ता पूर्ण कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सम्भव हो सकेगा।]

सीकर शहर में मेडिकल कालेज की स्थापना

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर शहर में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं शेखावाटी क्षेत्र की एक अत्यन्त ही महती समस्या की ओर राज्य सरकार एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि सीकर शहर शेखावाटी जनपद, जिसमें सीकर, झुन्झुनूं, चूरू जिले के साथ ही नागौर जिले का एक हिस्सा आता है, का एक प्रमुख शहर तथा जिला मुख्यालय है। सीकर शहर की जनसंख्या करीब तीन लाख है। पिछले दस वर्षों में सीकर एक एजुकेशन हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। यहां की कोचिंग संस्थाओं में विभिन्न प्रांतों के करीब एक लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सीकर जिले की आबादी करीब 27 लाख तथा पूरे शेखावाटी जनपद की आबादी करीब 78 लाख है। इस प्रकार मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की शेखावाटी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। अकेले सीकर जिले से प्रति वर्ष हजारों छात्रों का चयन विभिन्न मेडिकल कालेजों में होता है। सीकर शहर जयपुर से करीब 115 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 एवं 52 पर स्थित है तथा रेलवे लाइन द्वारा जयपुर, दिल्ली तथा बीकानेर से सीधा जुड़ा हुआ है, रेल मार्ग की पर्याप्त कनैक्टिविटी उपलब्ध है।

सीकर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु श्री कल्याण आरोग्य सदन, जो कि देश भर में एक प्रतिष्ठित टी.बी. सेनेटोरियम है तथा सरकारी संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत है, यह संस्थान 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही मेडिकल काउंसिल के मापदण्डों के अनुसार कालेज, होस्टल, प्रशासनिक भवन आदि के लिए भवन निर्मित करा कर देने के लिए भी तैयार है। सीकर शहर में 300 बैड का श्री कल्याण राजकीय अस्पताल स्थित है जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में आउटडोर पेशेंट आते हैं, इस अस्पताल की दूरी प्रस्तावित मेडिकल कालेज स्थल से मात्र चार किलोमीटर है। जब दानदाता संस्था द्वारा समस्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित है तो फिर सीकर में मेडिकल कालेज की स्थापना में राज्य सरकार को कतई विलम्ब नहीं करना चाहिए। सीकर में मेडिकल कालेज खोले जाने के लिए वर्षों से विभिन्न संस्थाएं तथा छात्र-छात्राएं आंदोलनरत हैं एवं इस लोक कल्याणकारी सरकार से क्षेत्र की

(श्री रतन लाल जलधारी)

जनता को बड़ी आशा है एवं पूरा विश्वास भी है कि सीकर की जनता के साथ यह सरकार न्याय करेगी।

अतएव प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये पुरजोर शब्दों में बड़ी ही विनम्रता के साथ राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सीकर शहर में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा इसी बजट सत्र में कर शेखावाटी क्षेत्र की 80 लाख जनता को तोहफा देने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर के खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव- विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के क्रम में।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खनिज मंत्रीजी का ध्यान जोधपुर के प्रसिद्ध सूरसागर पत्थर खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

जोधपुर के सूरसागर में विश्व प्रसिद्ध सैण्डस्टोन का खनन वर्षो से किया जा रहा है। इस पत्थर ने जोधपुर को अन्तरराष्ट्रीय पहचान भी दी है। इस पत्थर से बने उम्मेद पैलेस को हाल ही विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में चुना गया है। राज्य सरकार को भी इस उद्योग से रायल्टी व अन्य टैक्स के मद में प्रति वर्ष 70 करोड़ रुपये की आय हो रही है परन्तु खेद का विषय है कि इतनी कमाई देने वाले क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जैसे सड़क व पानी का भारी अभाव है। यदि इन सुविधाओं का विस्तार हो सके तो राज्य सरकार को होने वाली आय भी प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये हो सकती है।

राज्य सरकार ने यह नियम भी बना रखा है कि रायल्टी का तीन प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास हेतु खर्च किया जायेगा। प्रति वर्ष यह राशि दो करोड़ रुपये होती है। अगर इतनी राशि भी प्रति वर्ष इस क्षेत्र के विकास हेतु खर्च की जाए तो सड़क, पानी जैसी सुविधाओं का अभाव नहीं रहेगा।

खान सुरक्षा विभाग द्वारा बार-बार खान मालिकों को गीली ड्रिलिंग के लिए कहा जाता है परन्तु पानी के अभाव के कारण खान मालिक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिससे खान मजदूरों को भी सिलिकोसिस जैसे गम्भीर बीमारियां हो रही हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इसके साथ ही राज्य सरकार ने एनवायर्नमेंट फंड के रूप में भी खान मालिकों से काफी पैसा जमा करवाया है। मेरी जानकारी के अनुसार इस पैसे का उपयोग न के बराबर हुआ है।

मेरी माननीय खान मंत्रीजी से मांग है कि इस खनन क्षेत्र के विकास हेतु तुरन्त ही पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाये। साथ ही यहां स्थित फिटूसर डिस्पेन्सरी में खान श्रमिकों की पूरी जांच हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इसे सैटेलाइट अस्पताल का दर्जा दिया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री प्रहलाद गुंजल।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ तो कहें। इतनी गम्भीर हालत के अन्दर ...

श्री उपाध्यक्षः आप विराज जाओ। मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): हां, आप करो।

श्री उपाध्यक्षः 295 आपने लिखा हुआ पढ़ा है, 295 का जवाब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। श्री प्रहलादजी।

कोटा उत्तर में ग्राम नान्ता के पास बसी कालोनियों में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निम्न विषय की सूचना देता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में रियासत कालीन ग्राम नान्ता है जो कि कभी राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायत हुआ करती थी। यह ग्राम वर्तमान में कोटा नगर निगम की सीमा में आ गया है। समय के साथ इस ग्राम की आबादी का भी विस्तार होता गया है। आबादी एवं राजस्व भूमि की अनुपलब्धता के कारण गांव के पास ही वन भूमि पर आबादी का विस्तार होता गया।

वर्तमान में नान्ता ग्राम की स्थिति यह है कि हजारों की आबादी वन भूमि पर अपने आवास बनाकर रह रही है लेकिन वन विभाग के नियमों के चलते यहां के निवासी अपनी रोजमर्रा की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य आदि से वंचित है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जितनी बड़ी संख्या में लोग इस वन भूमि पर निवास कर रहे हैं इन्हें यहां से हटाया जाकर पुनर्वास किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को वन विभाग की आपत्तियों के चलते हुए पानी, बिजली, सड़क, नाली, पटान जैसे सुविधाएं मुहैया कराने में परेशानी आ रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्षों से बसी इन कालोनियों के बारे में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराकर पानी, बिजली, सड़क, नाली, पटान जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा में पेयजल हेतु बीसलपुर परियोजना के कार्य

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उल्लेख है कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे एवं 106 गावों को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जाना था और इसके लिए सांभर पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित करने हेतु जुलाई, 2013 में कार्य प्रारम्भ किया गया था। उक्त कार्यादेश के अनुसार कस्बा किशनगढ़-रेनवाल एवं उक्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से जनवरी, 2016 तक पेयजल से लाभान्वित करना निर्धारित किया गया था। लेकिन मेरा निवेदन है इस कार्य की गति इतनी धीमी है कि अभी भी बहुत सारा कार्य बाकी है और आगामी महीनों में भी पेयजल समस्या से ग्रस्त जनता को पेयजल की उम्मीद कम ही है। पूर्व में कार्य की गति धीमी होने के कारण कार्यकारी एजेंसी पर कुछ कार्यवाही भी की गयी थी लेकिन फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और जनता पेयजल से अभी भी त्रस्त है तो गर्मी में पूरे क्षेत्र की जनता का क्या हाल होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है।

अत: उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित कर मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल से सम्बन्धित उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में चल रही बीसलपुर परियोजना के कार्य में गति लाने हेतु सम्बन्धित एजेंसी को निर्देश देकर कड़ाई से पालना कराने की कृपा करें ताकि आगामी गर्मी के मौसम में जनता को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

किशनगढ़ बास उपखण्ड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उल्लेख है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ बास में राजकीय महाविद्यालय खोलना अति आवश्यक है। उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर खैरथल व किशनगढ़ बास दो बड़े कस्बे एवं लगभग 150 गांव हैं। जिनमें हजारों छात्र-छात्राएं कालेज स्तर के हैं। उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ़ बास में लगभग 3 लाख की जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ बास में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कालेज जाने से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं होने से उच्च शिक्षा की पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। उक्त क्षेत्र में बहुत बड़ा मेवात क्षेत्र भी निवास करता है।

उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ़ बास में 24 ग्राम पंचायतें व दो नगरपालिका हैं तथा 31 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 17 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें लगभग 6500 छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं। उक्त क्षेत्र से कोटकासिम, तिजारा, मुण्डावर, उमरैण एवं रामगढ़ आदि पंचायत समितियों की भी सीमा लगती हुई है। उक्त क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, वकीलों एवं आमजन द्वारा स्थानीय स्तर पर अनेकों बार राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग रखी जाती रही है।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ बास में अति शीघ्र राजकीय महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर मेवात के छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में आसानी हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खेमाराम।

बीदासर में महाविद्यालय की स्थापना

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उल्लेख है कि उपखण्ड मुख्यालय बीदासर, जिला चूरू में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के

(श्री खेमाराम)

कारण बीदासर एवं इसके आसपास के गांव, ढाणियों के छात्र, छात्राओं को स्नातक स्तर की शिक्षा लेने के लिए राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ जाना पड़ता है जो कि सुजानगढ़, जसवंतगढ़ एवं लाडनूं की सीमाओं के मध्य स्थित है एवं बीदासर से काफी दूर है।

बीदासर एवं इसके आसपास के छात्र, छात्राओं को राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ जाने के लिए सीधे एवं सुगम यातायात के साधन नहीं होने के कारण अत्यधिक समय, श्रम एवं धन खर्च करना पड़ता है।

अत: राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र के छात्र, छात्राओं के हित में बीदासर में एक नया महाविद्यालय खोला जावे ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े तथा क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन में असुविधा न हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा।

विराटनगर में पीएचसी की क्रमोन्नति व नवीन सीएचसी की स्थापना

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उल्लेख है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर अरावली की रेवाड़ी एवं खेतड़ी दोनों श्रृंखलाओं से घिरा हुआ पहाड़ी तथा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जिसमें 80 प्रतिशत जनसंख्या एसबीसी, ओबीसी, एससी व एसटी की है। वहां रोजमर्रा के साधन भी नहीं हैं।

49 ग्राम पंचायतें एवं एक नगरपालिका क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। तीन विकास खण्डों में विभक्त विधान सभा क्षेत्र में पावटा एवं विराटनगर दो ही सीएचसी हैं, जबकि आबादी के अनुरूप 4 सीएचसी होनी चाहिए। पावटा पंचायत समिति में 29 ग्राम पंचायतें हैं तथा आबादी 1.89 लाख है। जिसमें मापदंड के अनुसार 2 सीएचसी होनी चाहिए। जबकि वर्तमान में 30 बैड की एक ही सीएचसी पावटा में है। राजनौता सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जिसके चारों और केरोड़ी, करौली, मण्डा, प्रेमनगर, भाखरी, पाछूडाला, षड़नगर, तुलसीपुरा, वीर तेजाजी, भालोजी बसई, कराना आदि ग्राम पंचायतें आती

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हैं तथा क्षेत्र में लगभग 2 हजार सैनिक परिवार हैं, इसलिए राजनौता में सीएचसी खोली जावे।

दूसरी पंचायत समिति विराटनगर है जिसकी आबादी 1.67 लाख है तथा 29 ग्राम पंचायतें हैं। इन 29 ग्राम पंचायतों के मध्य में एक सीएचसी विराटनगर है। मापदंड के अनुसार 2 सीएचसी होनी चाहिए। कूडला क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा बाण गंगा का क्षेत्र हैं, जहां से विराटनगर 22 किलोमीटर है। मैड, जोधलो, पूरावाला, तालवा बिहाजर, पालड़ी, दूधी आमलोदा, बड़ौदिया, भामोद, नवरंगपुरा, तेवड़ी ग्राम पंचायतों के मध्य मैड 10 हजार की आबादी का कस्बा है। अतः मैड पीएचसी को क्रमोन्नत कर सीएचसी बनायी जावे। कई बार इस क्षेत्र में मौसमी बीमारियों से मौतें हुई हैं।

श्री उपाध्यक्षः श्री सुखाराम।

मेड़ता में पी.जी. कालेज को मान्यता

श्री सुखाराम (मेड़ता): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उल्लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राजकीय महाविद्यालय, यू.जी. कालेज बने हुए करीब 20 साल हो गये हैं। तब से लेकर आज तक क्षेत्र के करीब 200 गांवों के लगभग 5 हजार छात्र पढ़ने आते हैं। 12वीं कक्षा के बाद 3 साल तक पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद उनको पी.जी. करने के लिए 100 किलोमीटर दूर या तो अजमेर या फिर 130 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना पड़ता है। नागौर 80-85 किलोमीटर दूर है। इसके बीच में एक भी पी.जी. कालेज नहीं है इसलिए मेड़ता में पी.जी. कालेज की मान्यता देने का कष्ट करावें।

इस कालेज में पिछले 20 सालों से किसी प्रकार का मरम्मत कार्य भी नहीं हुआ है। हालात बड़े ही खराब हैं, इसलिए मरम्मत हेतु 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कराने का भी कष्ट करावें। इस कालेज में स्वीकृत पद 22 हैं। इसमें वर्तमान समय में 8 पद भरे हुए हैं तथा बाकी सारे पद रिक्त हैं। अतः उक्त रिक्त पद भी भरने का कष्ट करावें।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त विषय को अति गम्भीरता से लेकर आम जनता व छात्रों को राहत पहुंचावें।

श्री उपाध्यक्षः श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी में आवारा पशुओं व नील गायों से फसलों का बचाव

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उल्लेख है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के किसानों के सामने एक बड़ी समस्या वर्तमान में उभरकर सामने आ रही है। आवारा गौ वंश से किसान आज के समय में परेशान हैं, जिससे उसकी फसल को भारी नुकसान हो रहा है।

किसान व उसका सारा परिवार फसल की अच्छी पैदावार के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करता है और जब उनको पता चलता है कि 70-80 गायों के झुंड ने उसके खेत पर धावा बोल दिया है तो उसकी साल भर की मेहनत पल भर में नष्ट हो जाती है। गौ शालाओं में पर्याप्त बजट व चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण गौ वंश इधर-उधर भटकता रहता है तथा आवारा पशु व नील गाय भी इनके आगे-पीछे ही चलते रहते हैं। किसान खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है अर्थात किसान के जीवन यापन का एक मात्र साधन खेती है। एक गरीब किसान के लिए दो वक्त की रोटी ही मात्र खेती से आती है। यदि यह भी छिन जायेगी तो कई बार किसान इस हादसे को सहन न कर पाने की वजह से आत्महत्या जैसा अनुचित कदम भी उठाने को मजूबर हो जाता है।

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसान को उसके खेत के चारों ओर तारबंदी की मेड़ के लिए सब्सिडी प्रदान की जाये व इस कार्य को मनरेगा में शामिल किया जाये, जिससे आवारा गौ वंश व अन्य पशुओं से उसकी फसल को बचाया जा सके। गौ शाला हेतु भी बजट स्वीकृत किया जाये ताकि आवारा गौ वंश को गौ शाला के अन्दर ही चारा उपलब्ध करवाकर सुरक्षित रखा जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा किसान के खेत की सुरक्षा हेतु चारों और तारबंदी की मेड़ के लिए सब्सिडी प्रदान की जाये। किसानों की फसल के खराबे पर मुआवजा दिया जाये ताकि फसलों को बर्बाद होने से बचाकर राहत प्रदान की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री भंवर सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कोलायत की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से कोलायत विधान सभा क्षेत्र की जो खराब सड़कों की स्थिति है उसके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर समाधान करने का आश्वासन चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने की बात कही गयी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 हजार किलोमीटर सड़कें, हालांकि बजट घोषणा में है लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं मंत्री महोदय से सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो नोन पेचेबल सड़कें हैं जिनकी लम्बाई पूरे राजस्थान की मेरी जानकारी में 35 हजार किलोमीटर है। नोन पेचेबल सड़कों को ठीक करने के लिए पिछले दो सालों में जो बजट दिया गया और इस वर्ष 2016-17 में जो बजट प्रस्तावित किया गया, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल सड़कों की लम्बाई वह 2 हजार किलोमीटर है और उन 2 हजार किलोमीटर सड़कों में से नोन पेचेबल सड़कों की लम्बाई, माननीय मंत्रीजी, 440 किलोमीटर है। आपके द्वारा 2014-15 में नोन पेचेबल सड़कों का सिर्फ 17 किलोमीटर प्रति विधान सभा क्षेत्र बजट दिया गया। 2015-16 में नोन पेचेबल सड़कों को ठीक करने का जो बजट था वह उसका सीधा आधा कर दिया, बल्कि आधे से भी कम प्रति विधान सभा क्षेत्र 6 या 7 किलोमीटर कर दिया गया। वर्तमान जो बजट कल मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसमें भी 2016-17 के बजट में लगभग 13 किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत करने की, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण का प्रस्ताव आने वाले साल में किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सभी विधान सभा क्षेत्रों में बराबर नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत का प्रावधान किया गया है लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्रों की लम्बाई के अनुपात में यदि बजट का वितरण किया जाता है तो निश्चित रूप से उस विधान सभा क्षेत्र की सड़कें कुछ ठीक हो सकती हैं। मैं कहना चाहूंगा माननीय

(श्री भंवरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां नोन पेचेबल सड़कों की लम्बाई कुल 40-45 किलोमीटर है और कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 400-500 किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कें हैं। तो पूरे राजस्थान में आपके द्वारा जो 2016-17 में 25 सौ किलोमीटर का नोन पेचेबल सड़कों का जो बजट प्रस्तावित किया गया है उसमें मेरा निवेदन रहेगा कि जिन विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की नोन पेचेबल, टूटी हुई सड़कों की लम्बाई ज्यादा है, वहां उस अनुपात में ज्यादा बजट दिया जाये और जहां नोन पेचेबल सड़कों की लम्बाई कम है, उस अनुपात में दिया जाये तो यह राजस्थान के हर विधान सभा क्षेत्र की जनता के साथ न्याय होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश सड़कें चलने लायक नहीं रही है। जगह-जगह गहरे खड्डे पड़ गये हैं और हर जगह हर वर्ष नोन पेचेबल सड़कों की लम्बाई बढ़ती जा रही है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक दो मुख्य सड़कें हैं उनकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण हमारी सड़क है, एमडीआर 37, जिसे अब राज्य राजमार्ग, स्टेट हाइवे में परिवर्तित कर दिया गया है जिसका नम्बर 87-ए है। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह राज्य राजमार्ग संख्या 87-ए, इसकी कुल लम्बाई बीकानेर जिले में कुल 217 किलोमीटर है तथा विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इसकी लम्बाई 113 किलोमीटर है, यह सड़क 40 से 81 किलोमीटर तक, बज्जू से सांखला फाटक तक का जो क्षेत्र है, वह अति व्यस्त व महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह सड़क अन्तरराष्ट्रीय भारत पाक सीमा को जोड़ती है साथ ही जैसलमेर और जोधपुर जिले के गांवों को भी जोड़ती है। साथ ही 30 ग्राम पंचायतों व सैकड़ों गांवों के लोगों का जिला व उप खण्ड मुख्यालय तक आवागमन का यह मुख्य मार्ग है। बज्जू उप तहसील का पूरा क्षेत्र इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित भी है। भारी मात्रा में यहां खाद्यान का उत्पादन होता है। किसान फसल लेकर भी जिला मुख्यालय तक जाता है। इसके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत में खनिज का अथाह भण्डारण है। खनिज से भरे हजारों वाहन इस एमडीआर 37 से ऊपर से होकर निकलते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा और सदन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हर वर्ष अरबों रुपयों की रायल्टी और राजस्व खनिज विभाग के माध्यम से सरकार के पास जाते हैं और इन खनिज से भरे हुए ओवर लोड वाहनों की वजह से ही यह मुख्य सड़कें लगातार टूटती जा रही हैं लेकिन जहां

(श्री भंवरसिंह)

हम बार-बार सदन में यह सुन रहे हैं कि खनिज विभाग के द्वारा बजट देकर के, उनमें अंशदान देकर के उन सड़कों को दुबारा ठीक किया जाएगा, तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो खनिज विभाग को कोलायत से जो रॉयल्टी आती है, उसमें उसका कुछ हिस्सा कोलायत विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर लगाया जाए जिससे कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र की नोन पेचेबल सड़कों की कुछ लम्बाई कम हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बज्जू से सांखला फाटक तक की जो एमडीआर सड़क है, यह 40 से 81 किलोमीटर तक पूर्ण रूप से टूट चुकी है और नोन पेचेबल सड़क है। इस नोन पेचेबल सड़क को वर्ष 2016 में ही पुनर्निर्माण करवाये जाने की मैं मांग करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय और लूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने डीडवाना में, झालावाड़ में अतिरिक्त बजट देकर अपने विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को ठीक तो करवा लिया। मैं कहना चाहूंगा कि यह विधान सभा सदस्यों के साथ भेदभाव को दर्शाता है। एक तरफ डीडवाना में ज्यादा लम्बाई की सड़कें बनाई जा रही हैं, झालावाड़ में अतिरिक्त बजट दिया जा रहा है लेकिन इसी विधान सभा के अन्य सदस्यों को समान बजट देने की बात करने वाले मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सभी विधान सभा सदस्यों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र की जनता हमें एमडीआर 37 के बारे में कहती है, विधायकजी, आप इस सड़क को ठीक करवा दीजिये, मैं इस बात को मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि इस एमएडीआर जिसमें हजारों वाहन रोजाना चलते हैं और आपके द्वारा पीपीपी में यह प्रस्तावित भी की गयी थी लेकिन पश्चिमी राजस्थान में वायबिलिटी नहीं होने की वजह से पीपीपी में कोई पार्टी नहीं आने वाली है। अन्तरराष्ट्रीय सीमा की सड़क है और यदि आप इसको ठीक करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जनता ने कहा है कि इस सड़क को तोड़कर इससे ज्यादा अच्छा तो कच्चा रास्ता होता है, मंत्री महोदय, वह ज्यादा ठीक रहेगा। एमडीआर 37 को ठीक करवाने की मैं मांग करना चाहूंगा। एक और अंतिम पाइंट मैं कहना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की जो सड़कें हैं जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा वर्ष 2014 के बजट घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की 476

(श्री भंवरसिंह)

किलोमीटर लम्बी सड़कों को हम आईजीएनपी से पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर करते हैं और इन सड़कों का पुनर्निर्माण आने वाले एक साल में कर दिया जाएगा। दो साल का समय बीत गया और इस बजट में इन इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की सड़कों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी, इनके निर्माण के बारे में कोई बात नहीं की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की, आईजीएनपी की जो मुख्य सड़कें हैं, एक तो मुख्य नहर की आरडी 961 से चारणवाला ब्रांच की जीरो आरडी से 100 आरडी तक की सड़क और दूसरी जो मुख्य सड़क है वह आरडी 959 मुख्य नहर से जीरो किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक की कोलायत लिफ्ट के साथ चलने वाली सड़क है। इसके अलावा गजनेर लिफ्ट व समानान्तर सड़क जयमलसर से नोखा दहिया आदि आईजीएनपी की सड़कों का जो वादा माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा किया गया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में बजट घोषणा में मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की हैं, कम से कम उन घोषणाओं को तो लागू किया जाय और नहरी क्षेत्र की सड़कों का आने वाले वित्तीय वर्ष में समाधान किया जाय, इन टूटी हुई सड़कों को ठीक किया जाय। हमारे विधान सभा क्षेत्र की एमडीआर 37 जो अब स्टेट हाइवे बन चुकी है उस स्टेट हाइवे को भी इस वर्ष अतिरिक्त बजट देकर ठीक करवाया जाय, यह मांग मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से करना चाहूंगा। आपने समय दिया उसके लिए आपका हार्दिक आभार।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले सदस्य ने जिन नान पेचेबल सड़कों के बारे में चर्चा की है, यह बात सही है कि आपके विधान सभा क्षेत्र में 1758 किलोमीटर सड़कों में से लगभग 455 किलोमीटर सड़कें ऐसी थीं जो नान पेचेबल थीं। यह बात भी सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ये सब चीजें 2013 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ उस समय हमें विरासत में मिलीं। लेकिन उसके बाद में हमारे प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया कि इन नान पेचेबल सड़कों को हम ठीक करें। पहले चरण में उन्होंने लगभग 4254 किलोमीटर सड़कों के लिए 847 करोड़ रुपये दिये। उनमें से माननीय सदस्य के क्षेत्र में लगभग 24.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हमने नान पेचेबल रोड के रूप में कराया। दूसरे चरण में उन्होंने लगभग जो हमको आबंटन किया वह 400 करोड़ रुपये का किया, उसमें भी आपका हिस्सा है। उसके टेण्डर भी हमने कर

(श्री युनुस खान)

दिये। उसके पश्चात भी काफी सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई रहती हैं। आज की तारीख में, 1 जनवरी को जब हमने सारे राजस्थान का सर्वे कराया तो जो विरासत में मिली उसके बाद में भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका मेंटिनेंस पीरियड खतम हो गया, डीएलपी भी खतम हो गयी, उसके बाद में उनकी मेंटिनेंस नहीं हुई। कुल मिलाकर आज की तारीख में हमारे पास लगभग 19 हजार किलोमीटर के करीब, क्योंकि कुछ सड़कें हमने ठीक कर दीं, नान पेचेबल रोड्स हैं 19 हजार किलोमीटर के करीब। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इनके क्षेत्र में अबकी बार फिर हमें बजट आबंटन 600 करोड़ रुपये का हुआ है। जो टूटी हुई सड़कें हैं, आपसे चर्चा करके उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे।

बज्जू से जिस सड़क की आपने चर्चा की है, लगभग 40 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो वर्ल्ड बैंक से हमारी करीब-करीब फाइनल स्टेज पर है, एनओटी, पीपीपी में हम कर रहे हैं। यह बात सही है कि पीपीपी में कोई भी प्लेयर आ रहा नहीं है, इसलिए हमने उस रोड को एनओटी पीपीपी में लिया है और वर्ल्ड बैंक ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, उसकी हमने डीपीआर तैयार कर ली है, उस सड़क को भी हम शीघ्र ले लेंगे।

मैं एक बात से सहमत नहीं हूं, इन्होंने कहा कि इस तरीके की पार्शियलिटी करते हैं। मैं इनको अवगत कराना चाहूंगा, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या ना पक्ष के हों उन सबके लिए हमने कोशिश की है कि जो भी योजना हो उसमें बराबर आबंटन हो। आपके क्षेत्र में भी 2015-16 में हमने अभी जो आबंटन किया है उसमें 10 किलोमीटर की लगभग 7 सड़कें मिसिंग लिंक के रूप में दी हैं।

इसी तरह जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण गौरव पथ 13 दिये हैं, इनके क्षेत्र में 10 दिये हैं। मेरे यहां पर 57 ग्राम पंचायत हैं और इनके उससे कम है। इसलिए ऐसी पार्शियलिटी वाली बात नहीं हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं, खनन क्षेत्र है, यह बात सही है कि इनके क्षेत्र में चाइना क्ले निकलता है और वहां पर बहुत सारी सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें हैं ओवरलोड व्हीकल चलने से वे टूट जाती हैं तो उन सड़कों को भी हम 7 मीटर या 5.5 मीटर चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अबकी बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लगभग 150 करोड़ रुपया खनन क्षेत्र की सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए दिये हैं। आपके साथ चर्चा करके, आपने जो बात रखी है उसको बिलकुल सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जसवंत यादव।

बहरोड़ में दिनदहाड़े व्यापारी की हत्या

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़ी तकलीफ के साथ मुझे यह बात उठानी पड़ रही है, मन बड़ा पीड़ित है। मेरे यहां पर दिनदहाड़े एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इससे पहले भी हमारे एक पार्षद त्रिलोक यादव, उनको धमकियां मिलीं, डिप्टी साहब को मैंने खुद ने कहा, एसपी साहब को कहा, हमारे कहने से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हमारे सांसद महोदय चांदनाथजी ने डिप्टी साहब को बुलाकर कहा कि बहरोड़ में जिस तरह के हालात हो रहे हैं इसको तुरन्त प्रभाव से कंट्रोल करो। कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमारे शहर के विधायक बनवारी लालजी और सांसद महोदय उस पार्षद को लेकर एसपी साहब के पास गये और कहा कि इसकी हत्या हो जाएगी, इन बदमाशों को अरेस्ट कर लो। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई आखिर में उस पार्षद की हत्या हो गयी। इसी तरह दूसरा केस हुआ, एक पर्रा नाम का, जिसको प्रसन्नदीप भी कहते हैं वह चाहे जिस दुकान पर चला जाय, साल डेढ़ साल से हरकत कर रहा है, जाकर रिवाल्वर दिखाये और पैसा लेकर आ जाय। जो दुकानदार जरा सा भी मना करता है उसको मारने की धमकी देकर आ जाता है। यह जो हत्या हुई है, छह महीने से उससे पैसा लेने का सिलसिला चल रहा है। मैंने माननीय डिप्टी साहब, बहरोड़ के हैं, उनसे खुद से कही। माननीय गृह मंत्रीजी को अगर हम पर यकीन नहीं है तो हमारी काल डिटेल निकलवायें, उनकी जांच करवायें, क्योंकि हर पुलिस वाला यही कहेगा कि मेरी बात नहीं हुई। मैंने देखा कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो मैंने स्वयं ने एसपी साहब से बात की, एक बार नहीं कम से कम 10 बार बात की। जब वह मार दिया गया तब एसपी साहब को मैंने सुबह फोन किया कि अब तसल्ली हो गयीं, अगर आप उसको अरेस्ट करा देते तो एक नौजवान व्यापारी अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धो बैठता, उसके बच्चे यतीम नहीं होते। उस बात के लिए एसपी ने गलती भी मानी कि फलां स्ट्राइक पर बैठ गये थे, इस कारण से हम नहीं कर पाये। जिसके खिलाफ 8-10 मुकदमे चल रहे हों, दो केसों के अन्दर वांटेड हो, यह प्रसन्नदीप उर्फ पर्रा सरेआम दुकानदारों से जाकर, 2 हजार उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है, हर सप्ताह जाकर किसी न किसी दुकान पर रिवाल्वर की नोक पर दिन के अन्दर पैसा इकट्ठा कर ले। आज गृह मंत्रीजी अगर जांच कराएं, खाली उनकी बातों पर विश्वास करें तो हमारा कहना ही बेकार है। खुद किसी भी दुकानदार को बुलाकर बात कर सकते हैं। आज पूरे

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

व्यापारी मौन जुलूस अलवर के अन्दर निकाल रहे हैं। पूरा बहरोड़ बंद रहा। एक विधायक ने कहा, एसपी से कहा, डिप्टी से कहा, बार-बार कहा। हमारे प्रभारी मंत्री जो अलवर जिले के हैं माननीय हेमसिंह भड़ानाजी, वे भी गृह मंत्रीजी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले। इन्हीं डिप्टी के द्वारा जो लोग शिकायत करने गये उनको उठाकर बंद कर दिया जिससे कोई आये नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो पुलिस अधिकारी गुण्डे तत्वों को, बदमाशों को संरक्षण देता हो उसको वहां किस आधार पर क्यों स्थिर रखा जाता है, क्या ऐसी वजह है और फिर कहने के बाद, व्यापारी तो चला गया, लेकिन क्या वह पुलिसकर्मी दोषी नहीं है जिसको इत्तिला यह दे दी, 6 महीने से लगातार कहते आ रहे हैं, हर 7 दिन के अन्दर पैसे वसूल कर रहा है, जो दुकानदार पैसा नहीं देगा उसको मार दिया जाएगा। एक सुभाष नाम के व्यक्ति ने, डिप्टी साहब ने कहा कि आप किसी भी एक दुकानदार से लिखित में दिलवाओ। सुभाष अग्रवाल थाने में गया, थाने में एप्लीकेशन दी, उससे पहले तो उस बदमाश का फोन आ गया कि अब पैसे भेज देना, पैसे के लिए मैंने फोन किया था, यह एप्लीकेशन जो थाने में दी है इसका कुछ नहीं होगा। पता नहीं कि वो रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं हुई है। सुभाष अग्रवाल नाम के व्यक्ति को, फिर मैंने कहा कि एस.पी. साहब के यहां भी जाकर लगा आओ। वांटेड रोजाना पैसे ले जाए और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहता हूं कि हम पर विश्वास करो या न करो पर हकीकत पर विश्वास करो जिससे हमें लोगों के सामने जाने का एक साहस मिल सके। जिनकी मौत हो गयी उनके बच्चे तो यतीम हो गये, उनको लाकर दे देंगे क्या? अगर आज पुलिस वाले यह कह दें कि विधायक ने फोन नहीं किया तो क्या उसके खिलाफ केस नहीं थे? क्या वो वांटेड नहीं था? दिन के चार बजे हत्या कर जाता है, 5 मिनट की थाने की दूरी है, 5 मिनट की डिप्टी आफिस की दूरी है और वो अरैस्ट नहीं हो पाता है। तो मेरी बात को सीरियस लो और जिस तरह से उस बदमाश के खिलाफ कार्यवाही की जाए उसी तरह से उन पुलिस वालों को भी बिलकुल समान रूप से दोषी माना जाए जिससे आगे कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह की हरकत करने का दुस्साहस न करें, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट इसी सन्दर्भ में कोई बात कहना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों एक त्रिलोक नाम का पार्षद था, हमारे सांसद महोदय और मेरे स्वयं के साथ अलवर के तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक के निवास पर हम उसको लेकर गये थे, उसको पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलवाया था और उसने यह आशंका जाहिर की थी, नाम सहित बताया था कि फलां व्यक्ति मेरा मर्डर कर सकता है। बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि इसके पश्चात् भी उस व्यक्ति का दीपावली पूजन करते समय जिन लोगों का नाम बताया गया था उन्हीं के द्वारा मर्डर कर दिया गया। यह जो घनश्याम अग्रवाल है जिसका 4 मार्च को अभी मर्डर हुआ है, इसमें भी मैं परसों उनके परिवार में बहरोड़ होकर आया हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जबरदस्त दहशत का माहौल पूरे व्यापारिक समुदाय में है, दूसरे सभी समाजों में बहुत जबरदस्त दहशत का माहौल है कि इस व्यक्ति को अगर तुरन्त गिरफ्तार नहीं कराया गया तो यह आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जो इसके पक्ष में गवाह देगा या इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा होगा उन तक को या तो मार सकता है या मरवा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे दुर्दान्त किस्म का आतंक फैलाने वाले लोगों को तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार करवाकर जो भी कानून की धाराएं इस विषय में उपलब्ध हैं, उनके तहत इनको सज़ा दिलवाने की कार्यवाही की जाय।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय में एक मिनट बोलना चाहता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट सुन लो। एक मिनट में वो भी बात कह देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सीरियस मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष: रामहेत सिंहजी भी इस विषय में कोई बात बताना चाह रहे हैं यह मैंने रामहेत सिंहजी का नाम अंकित करा दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, घनश्याम व्यापारी की हत्या 4 मार्च के दिन हुई है, वास्तव में जिस अपराधी का इसमें नाम है, जो मोटर साइकिल लेकर तीन लोग गये उसमें यह प्रसन्नदीप भी था और उन्होंने सबसे पहले इसी को आइडेंटिफाई किया क्योंकि यह पुराना इनसे परिचित है और दो लोग कौन थे उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। यह जो प्रसन्नदीप है इस पर निश्चित रूप से 16-17 मुकदमे पहले से हैं। अक्टूबर की 17 तारीख को भी उसने किसी बीकानेर मिष्ठान पर फायर किया था और उस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फायर से कांच-वांच फूटा था। तब से लेकर पुलिस इसके पीछे लगी हुई है और 2 हजार रुपये की इस पर व्यक्तिगत इसको गिरफ्तार करने के लिए वहां के एस.पी. ने घोषणा भी कर रखी है। यह बात सही है कि यह वांटेड था, आदतन अपराधी है, गम्भीर किस्म का अपराधी है लेकिन यह बात सच है कि अभी तक पुलिस इसको पकड़ नहीं पायी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। मैं प्रयत्न करूंगा, आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी एक्स्ट्रा टीम को भी लगाकर इस आदतन अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रयत्न करूंगा। आप जिस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे किसी अधिकारी के लेवल पर किसी प्रकार की कोई कमी-खामी रही है तो मैं आपकी इस बात के आधार पर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को देकर उसकी सारी की सारी जांच करवाकर के अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार के कोई गम्भीर किस्म के विषय हों तो समय के पहले आप अगर मुझे भी जानकारी दें तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी मेरे से सम्भव हो सकता है, मैं आपके कहे अनुसार कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोरधन।

रसीदपुरा (धोद-सीकर) में प्याज मण्डी की स्थापना व सरकारी स्तर पर प्याज की खरीद

श्री गोरधन (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेखावाटी क्षेत्र में और विशेषकर सीकर जिले के विधान सभा क्षेत्र धोद में जिस प्रकार प्याज का उत्पादन होता है और प्याज का उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में किसानों के द्वारा किया जाता है कि वो प्याज पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में मीठे प्याज के रूप में जाना जाता है। आज जिस प्रकार से प्याज की बम्पर फसल होती है उसी प्रकार अभी इसी वर्ष में भी प्याज की काफी बुवाई की गयीं थी और वो प्याज तैयार होकर बाजार में आ गया। लेकिन आज वो प्याज व्यापारियों के द्वारा कम मूल्य पर खरीद लिया जाता है और अधिक मूल्य पर बेचा जाता है क्योंकि उस प्याज को रोक लिया जाता है। मेरा निवेदन है कि सरकार की ओर से किसानों के उस प्याज को खरीदा जाए जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके। साथ ही प्याज के भण्डारण के लिए, क्योंकि जो प्याज के भण्डार गृह बनाये जाते हैं उसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है तो उस प्रक्रिया का थोड़ा सरलीकरण किया जाए, प्याज के भण्डारण के लिए और अधिक थोड़ा

(श्री गोरधन)

अनुदान दिया जाए, उसके रख-रखाव के लिए अधिक अनुदान दिया जाए। मैं सोचता हूं कि विधान सभा क्षेत्र धोद में रसीदपुरा, सांवलोदा धायलान, पुरोहितान, बढाढर, मैलासी, ये हमारे 15-20 ऐसे गांव हैं जहां पर केवल और केवल प्याज बोया जाता है और उस प्याज से ही वो अपना काम चलाते हैं चाहे वो अपने बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं, चाहे अपने मकान बनाते हैं, चाहे शादी-ब्याह करते हैं। इसलिए इस प्याज के सीजन में जो कम मूल्य हो जाता है उसके लिए सरकारी की तरफ से उसकी खरीद करवाई जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्रीजी वसुन्धराजी के द्वारा सत्र 2008 में प्याज मण्डी की घोषणा की गयी थी। उसके बाद पिछले पांच सालों में कांग्रेस के शासन में उस प्याज मण्डी की कोई सुध नहीं ली गयी तो उस प्याज मण्डी को शुरू किया जाए और अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी है। यदि प्याज मण्डी की शुरूआत हो जाएगी तो मैं सोचता हूं कि किसानों को इसमें बहुत सारी राहत मिलेगी क्योंकि किसान को ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़ेगा और एक अच्छी जगह उसको मिल जाएगी जिससे उसको उसका उचित मूल्य भी मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस प्याज मण्डी को अतिशीघ्र चालू किया जाए। धन्यवाद।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से वहां पर प्याज का उत्पादन अधिक होता है और बाजार भाव दिनोंदिन गिरते हैं, यह बिल्कुल सही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में 14 हजार 600 से ज्यादा हैक्टेयर में इस वर्ष किसानों के द्वारा प्याज की फसल की बुवाई की गयी है और यह भी सही है कि अच्छी फसल के होते लगभग 4 लाख 40 हजार क्विंटल के लगभग अनुमानित प्याज का उत्पादन होने की सम्भावना भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014-15 की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से 8 लाख 37 हजार के लगभग प्याज का उत्पादन वहां हुआ और अभी बाजार भाव, जो पूरे राजस्थान की मण्डियों से सूचना प्राप्त की है तो लगभग 900 रुपये से 650 रुपये के लगभग अभी वर्तमान में प्याज बिक रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है और माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि 2008 में रसीदपुरा में प्याज की मण्डी बनाने की घोषणा की गयी थी। उसके बाद सरकार बदली, पांच साल तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि इसी वर्ष में रसीदपुरा में प्याज की विशेष मण्डी बनेगी, यह मैं घोषणा करता हूं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

(14.00 बजे)

साथ में यह भी निवेदन करता हूं कि विकसित हाइवे फेसेलिटी सेन्टर योजना रसीदपुरा सीकर में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मण्डी समिति को नि:शुल्क जमीन का आबंटन भी कर दिया गया है और मण्डी समिति के द्वारा 23.12.2015 को उस जमीन का कब्जा भी ले लिया गया है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रसीदपुरा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ मण्डी समिति के अन्तर्गत आता है और 'सी' श्रेणी की होने के नाते उसके पास अभी राशि की कमी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से परियोजना तैयार करके, मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से वित्तीय साधन उपलब्ध कराकर हम प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही मण्डी का निर्माण हो, मण्डी वहां चालू हो जाये।

दूसरी बात, उन्होंने कही है बाजार भाव के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार 2005-2006 में, जब राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी की सरकार थी, तब प्याज के भाव बिल्कुल गिरे थे, 2.80 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ था। पहली बार राजस्थान में इन्टरवेंशन आफ मार्केट का काम बाजार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति लेकर राजफैड के माध्यम से प्याज खरीद का काम सरकार द्वारा किया गया था। यदि इसी प्रकार बाजार भाव गिरते हैं, किसानों को बहुत कम राशि मिलने की सम्भावना बनती है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एमआईएस योजना के अन्तर्गत किसानों को राशि उपलब्ध करायें।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा, प्याज भण्डारण की बात भी जो आपने कही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत निश्चित रूप से 50 प्रतिशत अनुदान पर प्याज भण्डारण के लिए राशि उपलब्ध है। हम लोग उनको राशि उपलब्ध कराते हैं लेकिन माननीय सदस्य ने जो चाहा है। मैं आज सदन में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हम लोग और प्रयास करेंगे, उसके टार्गेट बढ़ायेंगे ताकि वहां के किसान, जब भाव गिरते हैं, तब भण्डारण करके प्याज को सुरक्षित रख सकें। यह मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश सड़कें नोन-पेचेबल, जिनको मरम्मत की दरकार है और मैं मंत्री महोदय से कई बार इस सम्बन्ध में मिल चुका हूं और निवेदन भी कर चुका हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजरी का खनन एरिया है। उस बजरी के खनन एरिया के अन्दर ओवरलोड ट्रक्स, वाहन चलते हैं। इस कारण से भी कई सड़कें टूट रही हैं। मंत्री महोदय ने समय-समय पर कुछ धनराशि भी मुझे सड़कों के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए उपलब्ध करवायी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 655 किलोमीटर डामर की सड़कें हैं। उनमें से 330 किलोमीटर सड़कें आज की तारीख में नोन-पेचेबल हो गयी हैं। यदि पिछली सरकार समय पर मरम्मत कराती, धनराशि उपलब्ध कराती तो ये सड़कें आज इस दशा में नहीं जातीं। आज हमारी सरकार है तो हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय ने पिछले कार्यकाल में और वर्तमान में अभी 40 किलोमीटर नोन-पेचेबल सड़कों को ठीक करने के लिए लगभग सात करोड़ रुपये दिये हैं लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। 330 किलोमीटर की सड़कें ठीक करानी हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदया को और मंत्री महोदय को कि आपने गत बजट में मुझे भूपालसागर से मातृकुण्डिया तक की 56 किलोमीटर की सड़क के लिए 77 करोड़ रुपये सेंक्शन किये हैं। उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। उसका काम भी प्रगति पर है।

लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक नई सड़कें बना रहे हो, पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराओगे तो और टूट जायेंगी। इसलिए मेरा यह निवेदन है, इन नोन-पेचेबल सड़कों में प्रमुख रूप से एक कारोई से भादसोड़ा, जो तीन-चार धार्मिक स्थलों को जोड़ती है, मातृकुण्डिया, मरमी माताजी, शनि महाराज, सांवरियाजी, कपासन दरगाह, इन धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली यह प्रमुख सड़क है, जो नोन-पेचेबल भी हो गयी है। इसको आप एक बार किसी भी मद के द्वारा इसको स्वीकृत करा दें तो दोनों काम इसमें हो जायेंगे।

एक प्रमुख रूप से सड़क जो आपने समय पर घोषणा भी की है, कीर की चौकी से फतहनगर वाया आकोला, यह भी नोन-पेचेबल हो गयी है और इस पर भी धनराशि की आवश्यकता है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

इसके अलावा कई सड़कें ऐसी हैं, जिनमें छोटी-छोटी सड़कें हैं, ये 18-20 सड़कें हैं, जिसके लिए मैंने समय-समय पर आपको लिखित में भी दिया है कि इन सड़कों को आप ठीक करायें। उनमें से मैं सिर्फ उनके नाम बता रहा हूं आपको। जो सड़कें बिल्कुल चलने लायक नहीं हैं, अब उन पर अगर आप कुछ भी धनराशि नहीं दो वह सड़क चाहे कच्ची ही बना दो तो ठीक है। यानी एक बार उन पर रोलर घुमाकर ऐसी कोई न कोई व्यवस्था कर दो, ताकि वहां लोगों को आवागमन के लिए सुविधा मिल सके। बजरी का ट्रक निकलता हैं और अन्य साधन भी निकलते हैं। उनमें से निम्न प्रकार हैं:- (1) चटावटी से लांगच सड़क (2) चटावटी से तुर्किया सड़क (3) मरमी से लसेड़िया खुर्द सड़क (4) मुरोली से नेवरिया सड़क (5) आरणी से सांखली सड़क (6) मातृकुण्डिया से गोपालपुरा सड़क (7) छापरी से जितीया सड़क (8) जितीया से पांडोली सड़क (9) आकोला से गुढ़ा सड़क (10) भादसोड़ा से आकोला सड़क (11) बालारड़ा से सुरपुर वाया लेसवा सड़क (12) बानसेन से सुरपुर सड़क (13) रेवलिया से मानपुरा घोसुण्डा सड़क (14) उसरोल से लुणेरा सड़क (15) लुणेरा से कांकरवा वाया खेड़ी सड़क (16) गुमानपुरा से आकोला वाया उमण्ड सड़क (17) डिण्डोली से बावरिया खेड़ा वाया चित्तौड़िया सड़क (18) लांगच से सिंहपुर सड़क। इन सड़कों की तो हालत इतनी दयनीय है वहां पर जाने से पहले सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। गांवों की स्थिति भी हमारी खराब थी लेकिन गौरव पथ आने के कारण गांवों के अन्दर तो हालात अच्छे हो गये हैं। गांवों से बाहर निकलते ही सड़क की हालत बड़ी खराब है। मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा विनम्र शब्दों में, आप हमारी सड़कों की रिपेयरिंग के लिए, मरम्मत के लिए, नोन-पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध करायें ताकि इन सड़कों का काम हो जाये।

और जो घोषणा कर रखी है, वैसे तो आपने चित्तौड़ जिले को खूब दिया, सीआरएफ में भी मिला, सबमें मिला, लेकिन आपने जो घोषणाएं कर रखी हैं चित्तौड़गढ़ जिले को सौगात देने की, उन सबके लिए आप बतायें ताकि सारा काम ठीक हो जाये। मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए हम सबको आश्वस्त करें। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्षः मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि रहने दो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई जरूरी भी नहीं है पर्ची का जवाब देना। कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान) शेखावतों से इतने डरने लग गये आप, यह पता नहीं था हमको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, डर नहीं, खौफ है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन इतना खौफनाक तो है नहीं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आतंकित कर रहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि आसन बिल्कुल दयालु है, कृपालु है। ऐसी कठोरता नहीं दिखाता है कभी भी। वह थोड़े उनके शब्दों में, जो आवाज में तेजी है उससे लगता है कि कठोर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सड़कों के बारे में जो नोन-पेचेबल सड़कें हैं क्योंकि इससे पहले भी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यही बात पर्ची के जरिये उठाई थी और उसमें मैंने करीब-करीब सारी बातें बता दीं कि राज्य सरकार इस ओर गम्भीरता से प्रयास कर रही है कि किस तरीके से नोन-पेचेबल रोड्स को हम रिपेयर करें और उसमें हमारे प्रयास जारी हैं।

यह बात भी सही है कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा की, उसमें इनके क्षेत्र में तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही दयापूर्वक और कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भी हो सकता है कि इन्होंने आग्रह किया हो इस वर्ष में 76.88 करोड़ लाख रुपये इनके यहां सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए एक ही विधान सभा में दिये हैं, जिसके टेण्डर भी हो गये और वर्क आर्डर भी हो गये और मैं सोचता हूं, वह काम भी जल्द ही शुरू हो जायेगा। उसका काम भी शुरू हो गया है जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं। उसके अलावा आरआईडीएफ-20 जो हमने पिछले वर्ष इस क्षेत्र में लगभग 25 किलोमीटर सड़कें ठीक करवाई थीं और अब की बार भी इनके क्षेत्र में लगभग दो करोड़ रुपये से और एक टेण्डर कर रखा है, वह भी होंगी।

आपने एक सड़क की बात कही है कारोही से भादसोड़ा वाया राशमी कपासन। यह बात सही है कि यह सड़क टूटी हुई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 60 किलोमीटर लम्बी है, इसके लिए इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसके अनुसार कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे और

(श्री युनुस खान)

एक सीआरएफ में भी भेज रखी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीआरएफ में 31 मार्च से पहले कुछ हमें सफलता मिल जाये तो उसमें हो जाएगी अन्यथा दूसरे हैड में लेकर इसका निर्माण हम करवायेंगे।

श्री उपाध्यक्षः अधिसूचना। श्री राजकुमार रिणवा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

पर्यावरण विभाग

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पर्यावरण विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ.12(1)पर्या/2015 दिनांक 27.8.2015 जिसके द्वारा खेतों में फसल कटाई के बाद शेष रहे भूसे को जलाये जाने से प्रतिबन्धित किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या : एफ.12(3)पर्या/2009/पार्ट-III दिनांक 29.10.2015 जिसके द्वारा माउंट आबू जोनल मास्टर प्लान, 2030 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या : एफ.3(342) आरपीसीबी/ऐस्टि. दिनांक 18.1.2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम, 1993 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्षः वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का तीसरा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा-25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 22)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2016 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई । समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 09 मार्च, 2016 से 01 अप्रैल, 2016 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2016	1-वर्ष 2015-2016 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन । 2-आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर सामान्य वाद-विवाद ।
गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2016 शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद ।
शनिवार, दिनांक 12 मार्च, 2016 रविवार, दिनांक 13 मार्च, 2016	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2016	आय - व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर ।
मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016 बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2016 रविवार, दिनांक 20 मार्च, 2016	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2016 बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2016 गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2016 शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 2016	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2016 रविवार, दिनांक 27 मार्च, 2016	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016 मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 29 मार्च, 2016 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी)

बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016	1- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016; एवं 2- राजस्थान वित्त विधेयक, 2016; - पर विचार एवं पारण ।
गुरुवार, दिनांक 31 मार्च, 2016	1-राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । 2-राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार ।
शुक्रवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2016	1- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 ; एवं 2- साईं तिरूपति विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2016; - पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयीं।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

याचिका

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

लूणी, जिला जोधपुर में ग्राम पदेन सचिवों की नियुक्ति

1- विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर में ग्राम पदेन सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने बाबत् एवं

(श्री जोगाराम पटेल)

लूणी तहसील कार्यालय एवं झंवर उप तहसील कार्यालय के भवनों का निर्माण

2- विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर के तहसील कार्यालय लूणी एवं उप तहसील कार्यालय झंवर के भवनों का निर्माण करवाये जाने बाबत्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिणधरी (बाड़मेर) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करना

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिणधरी (बाड़मेर) में गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पब्बाराम।

फलौदी नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालना

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र फलौदी में सीवरेज लाइन डाले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

सेमली में पीएचसी खोलना

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सेमली में पीएचसी खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2015-16 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

अनुपूरक अनुदान की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष (2015-16) द्वितीय संकलन का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान शासन के व्यय

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-2016 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्षः आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का आबंटन।

मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं, विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

क्र.सं.	पार्टी/दल का नाम	आबंटित समय
1.	भारतीय जनता पार्टी	12 घण्टे 45 मिनट
2.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	1 घण्टा 56 मिनट
3	नेशनल पीपुल्स पार्टी	20 मिनिट
4.	बहुजन समाज पार्टी	15 मिनिट
5.	नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनिट
6.	निर्दलीय	34 मिनिट
	कुल समय	**16 घण्टे**

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-2017 । सामान्य वाद विवाद।

श्री रमेश मीणा।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सदन की नेता ने सदन में जो बजट पेश किया उस बजट का काफी गहराई से मैंने अध्ययन किया। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि आम आदमी या गरीब के लिए, युवा के लिए या व्यापारी के लिए, किसान के लिए या महिलाओं के लिए लाभदायक साबित हो सके। बजट में भर्ती की बात होनी चाहिए थी। आज हमारे प्रदेश का युवा करीब चार करोड़ के आस पास है, इस बजट में कहीं

(श्री रमेश)

भर्ती की चर्चा नहीं हुई। विद्यार्थी मित्र, प्रबोधक, कम्प्यूटर शिक्षक सहायक और कितने ही युवा बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और उलटे उन्हें डंडे खाने के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। इसलिए मैं इस मौक़े पर सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, सरकार ने कहा खजाना खाली है, घाटा बढ़ रहा है और पूर्व में जो कांग्रेसी सरकार थी वह हमें यह तोहफा देकर गयी है, उसको हम झेल रहे हैं और घाटे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस संदर्भ में जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति है वह मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार को बताना चाहता हूं। राज्य सरकार की करों से आमदनी लगातार बढ़ रही है जो आय 2010-11 में 20758 करोड़ थी वह आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में 53300 करोड़ रुपये आंकी गयी है। मुख्य मंत्रीजी बार-बार कह रही हैं कि प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था कमजोर है और आमदनी घट रही है लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले ढाई साल में सरकार का राजस्व 33000 करोड़ रुपये से बढ़कर 53300 करोड़ रुपये हो गया है।

प्रदेश का उद्योग एवं व्यापार जगत आपको भरपूर टैक्स दे रहा है। वर्ष 2012-13 में जब अंतिम वित्त वर्ष था, हमारी उस समय 30,500 करोड़ की आमदनी थी। उसके अगले वित्त वर्ष में 33,477 करोड़ रुपये हो गयी। जिसमें आठ महीने हमारे थे, चार महीने आपके थे। इस प्रकार का वातावरण हमारी कांग्रेस की सरकार ने पैदा किया। व्यापारियों और उद्योगपतियों में विश्वास पैदा किया, उसी का नतीजा है आज आप बात कर रहे हैं कि 2014-15 में राज्य सरकार को कर से आमदनी है 38,673 करोड़ एवं 2015-16 में 45,670 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है तो अब यह बताइये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक स्थिति कहां कमजोर है? यह कौन सी सोच है या सरकार की मंशा क्या है? कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है सरकार की जैसी विजय माल्या ने घोषित कर दी? ऐसी स्थिति कहीं इस सरकार की नहीं हो जाए कि बिलकुल कर्ज में डुबो दें, कर्ज पर आश्रित हो जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति चारों तरफ से आपको भरपूर टैक्स दे रहा है और उसके बावजूद यह सरकार कह रही है कि खजाना खाली है, आय घट रही है। हमने जब राज छोड़ा था तब सरकार पर करीब 88 हजार करोड़ का कर्जा था और आपने जिस मुकाम पर इस कर्ज की राशि को पहुंचाया है वह आपके अकुशल वित्तीय प्रबंधन को

(श्री रमेश)

दर्शाता है। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए और इसके लिए आंकड़ा गवाह है आपकी मात्र 28 महीने की अवधि में 52 हजार करोड़ का कर्जा आपने लिया और वह भी उदय योजना रहित। जब आपको राजस्व भरपूर मिल रहा है, आपकी व्यावहारिक स्थिति, फिजूलखर्ची की आदत की वजह से यह अनावश्यक कर्ज क्यों लिया जा रहा है? जबकि आपका सिस्टम बता रहा है जो आपने आंकड़े दिये हैं, राजकोषीय घाटा 24,385 करोड़ जीएसडीपी का 3.62 परसेंट। उसके बाद में आपने उदय को सम्मिलित करते हुए 9.99 परसेंट जो आपकी फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी है वह 3 परसेंट होनी चाहिए। यह उससे अधिक है।

मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो महत्वपूर्ण संदर्भ हैं, तीन बात महत्वपूर्ण हैं। उद्योग, खनिज, पर्यटन इनमें विकास के लिए जो आपको बजट देना चाहिए था उसमें उलटा आपने कम किया है और आपने ग्रामीण विकास की जो बात कही है कि पंचायती राज को हम सशक्त बनायेंगें उसमें 2015-16 में 15.48 परसेंट था इसको आपने घटा कर 12.33 परसेंट कर दिया है। इसी तरह उद्योग और खनिज में पिछली बार भी आपने एक परसेंट भी पैसा बजट में नहीं दिया वह मात्र .65 परसेंट था अब उसको .53 परसेंट रख दिया है। इसी तरह वैज्ञानिक सेवा में पिछली बार .17 परसेंट था उसको घटा कर आपने .11 कर दिया है और दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो गाय की बात करती है गौमाता की बात करती है उसके बजट को भी आप देख लीजिये। गौपालन विभाग के लिए पिछली बार 21.94 करोड़ रुपये दिये थे, उसको घटा कर 17.99 करोड़ का प्रावधान किया है और गौवंश की सहायता के लिए पिछली बार 5.88 करोड़ रुपये दिये इस बार मात्र 2 करोड़ दिये तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह किस प्रकार का मिसमैनेजमेंट है, किस प्रकार की आपकी वितीय व्यवस्था है उससे सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार राजस्थान में नवम्बर, 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान का भव्य आयोजन किया और उसमें कहा गया कि हम 3 लाख 21 करोड़ 199 हजार का निवेश लायेंगें। 295 आपने एमओयू किये। उस समय बड़ी-बड़ी बातें कही गयीं कि निवेश आयेगा और उस पर सैकड़ों-करोड़ों रुपये खर्च कर दिये लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि यह पैसा कौन से हैड से खर्च किया गया, कितने पैसे खर्च

(श्री रमेश)

किये गये और उसमें जो एमओयू किये गये, जो समझौते दोनों तरफ से बैठकर किये गये उसमें जब देखा तो पता लगा हमें कि राज्य सरकार ने मार्च, 2015 के बजट से पहले भी अडानी से चालीस हजार करोड़ के, अम्बानी से पचास हजार करोड़ के सोलर पावर के एमओयू किये। राज्य सरकार ने उन्हीं एमओयू को रिसर्जेंट राजस्थान में जोड़ लिया। इसी तरह उसी समय अडानी ने जालौर जिले के भतपड़ा में सूखा बन्दरगाह का प्रस्ताव भी दिया था उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने फिर 29 जुलाई, 2015 को 6 कम्पनीज के साथ 1 लाख 56 हजार करोड़ के एमओयू किये। इनमें से चार कम्पनीज रिलायंस पावर, अडानी, एचसीएल इन्फ्रा, आईएल एंड एफएस एनर्जी लिमिटेड के साथ राज्य सरकार और कम्पनी की 50-50 परसेंट की हिस्सेदारी होगी, जबकि मैसर्स सन एडीसन सोलर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो तीस हजार करोड़ एवं मैसर्स एज्योर पावर इंडिया लिमिटेड 6 हजार करोड़ का निवेश करेगी। निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत भूमि दी जाएगी, डीएलसी के दस परसेंट रेट पर उसको भूमि दी जाएगी और यही जो रिसर्जेंट राजस्थान हुआ तो उसमें इन्हीं 6 कम्प्नीज से दुबारा वही एमओयू कर लिया। रिलायंस पावर से किया है 25 हजार करोड़ का, अडानी एंटरप्राइजेज से किया है 40 हजार करोड़ का, सन एडीसन सोलर पावर ने किया है 30 हजार करोड़ का, एचसीएल इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है 3500 करोड़ का, एज्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया 6 हजार करोड़ का, आईएल एंड एफएस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 35 हजार करोड़ का। इन्होंने किसी ने कहा कि हम सोलर पार्क बनायेंगे, किसी ने कुछ कहा है और एक उसमें केन्द्र सरकार के उपक्रम पावर ग्रिड कारपोरेशन के साथ भी एमओयू किया है। इसी तरह आपने पैट्रोलियम एंड माइन्स में आईओसी, गेल, ओएनजीसी, आयल इंडिया लिमिटेड, केन्द्र सरकार के उपक्रम जो राजस्थान में एक्सप्लोरेशन, खोज एवं प्रोडक्शन का काम करते हैं, राज्य सरकार ने इनको भी एमओयू में जोड़ दिया और इनका आंकड़ा 6,300 करोड़ रुपये बताया है। केयर्न इंडिया पहले से ही राज्य में ईएनडीपी का काम कर रही है। तेल उत्पादन कम होने के बाद अब नये ब्लाक में काम करने जा रहा है आपने उसे भी रिसर्जेंट राजस्थान के एमओयू में जोड़कर आंकड़ा 12,500 करोड़ तक का बढ़ा दिया है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पहले भी यह काम कर रही है इसका पिछले कुछ वर्षों में काफी विस्तार हुआ है। भीलवाड़ा में अपनी

(श्री रमेश)

माइनिंग जो पहले से ही कर रही थी उसका अब विस्तार कर रही है तो सरकार ने उसको भी एमओयू में जोड़ दिया और इसका आंकड़ा 8,357 करोड़ रुपये बढ़ गया है। सिद्धि विनायक प्राइवेट लिमिटेड अपने सीमेंट प्लांट का एक्सपांशन कर रहा है उसको भी इस रिसर्जेंट राजस्थान में जोड़ दिया 600 करोड़ का एमओयू। रोड एंड हाइवेज में रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो 25,446 करोड़ की राशि आपने जोड़ी है क्या अगर वह एमओयू नहीं करते तो भारत सरकार काम नहीं करती? मलेशिया की स्टेट हाइवे की जो कम्पनी है उसने भी दस हजार करोड़ का रोड्स में एमओयू किया है उसकी कोई गारंटी नहीं है, पहले भी बीस हजार करोड़ की सड़कों की बात सरकार ने कही फिर दुबारा एमओयू कर लिया दस हजार किलोमीटर का। यह आ पायेगी या नहीं इसमें भी संदेह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जो कम्पनीज बताईं उनमें अधिकांश कम्पनी न होकर केवल व्यक्तिगत नाम है जिनके एमओयू के द्वारा पहचाना तक नहीं जा सकता। दूसरा एमओयू की लिस्ट में कहीं उल्लेख नहीं है कि ये कब और कहां होटल, टूरिस्ट पार्क, रिसोर्ट या हैरिटेज होटल स्थापित करेंगे। केवल आम जन को बहलाने के लिए निवेश की राशि का बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। जिसमें राज्य सरकार ने 245 होटल, 122 रिसोर्ट एमओयू में बताये हैं। इसी तरह अरबन डवलपमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में राज्य सरकार में महिमा ग्रुप जो पहले से ही जयपुर में काम कर रहा है, उसका 1700 करोड़ का निवेश बताया। आशियाना ग्रुप में 1041 करोड़ का बताया है। एआरजी ग्रुप में 682 करोड़, सनसिटी प्रोजेक्ट 500 करोड़, यूनिक बिल्डर्स में 160 करोड़, गुमान ग्रुप 1200 करोड़, एएसएनजी रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़, यह कम्पनीज तो पहले से ही राजस्थान में, जयपुर में, अन्य शहरों में काम कर रही हैं और इनका जो नक्शा पास है ...(व्यवधान) आप बाद में बता देना, पहले मेरी सुन लें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो पहले से काम कर रही हैं उनको भगा दें, उनसे एमओयू नहीं करें?

श्री रमेश (सपोटरा): भगा नहीं दें, यह फर्जीवाडा क्यों बता रहे हो राजस्थान रिसर्जेंट में हमने इतने एमओयू किये, कौनसा निवेश आयेगा। यह निवेश तो पहले से ही काम कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय, यह कौनसा

(श्री रमेश)

नया निवेश है? आपने इतना भव्य आयोजन किया, 500 करोड़ रुपये खर्च कर दिये तो उसके लिये कौनसा निवेश लाये, हमें तो यह बतायें कि कौनसा निवेश लाये। यह लोग तो पहले से काम कर रहे हैं। आप कौनसा रोजगार दे रहे हो, नया कौनसा काम कर रहे हो। यह वह कम्पनीज हैं जो जयपुर में पहले से ग्रुप हाउसिंग टाउनशिप निर्माण में लगी हैं। पिछले सालों से कई प्रोजेक्ट लायी हैं। उनकी इसी क्षेत्र में राज्य में अलग से पहचान है। राज्य सरकार से प्रोजेक्ट जो पहले से निर्धारित थे और कई काम तो रिसर्जेंट राजस्थान से पहले ही प्रारम्भ हो चुके हैं उनको भी आपने रिसर्जेंट राजस्थान में जोड़ा है। जैसे कि आशियाना की वाटिका योजना, एआरजी ग्रुप की एआरजी वन जयपुर योजना और उसके साथ ही राजस्थान के कई छोटे बिल्डर्स हैं जिनको ज्यादा पहचान नहीं मिली, उनके प्रोजेक्ट भी आपने रिसर्जेंट राजस्थान में जोड़े हैं जिनको आम जन भी नहीं पहचान सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आपने जो एमओयू साइन किये हैं वह तो पहली ही नजर में असत्य का पुलिंदा दिखता है। क्योंकि जिन कम्पनीज के आपने एमओयू में दिये हैं वह पहले से काम कर रही हैं। आपने उन कम्पनीज की नई बनी हुई इकाइयों को जोड़कर मैन्युफैक्चरिंग के एमओयू की लिस्ट लम्बी की है, जबकि वास्तविकता में रिसर्जेंट राजस्थान में नाम मात्र का निवेश भी नहीं आया है। राज्य के बाहर से निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या देखें तो आपकी सूची पूरी तरह से फ्राड लगती है।

मेडिकल हैल्थ में आपने 4752 करोड़ के एमओयू साइन किये हैं। इसमें एक संस्था है चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फण्ड एण्ड फाउंडेशन। यह कोई व्यक्तिगत कम्पनी नहीं है बल्कि चैरिटी ग्रुप है। यह अलग देशों में बच्चों के विकास हेतु काम करती है लेकिन इसकी चैरिटी को भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट बता दिया है। आपने कहीं यह नहीं बताया कि कहां पर प्रोजेक्ट लगेंगे, कौन पैसा लगायेगा या कहां उनको भूमि अलाटमेंट कर दी गयी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात नजर आती है कि इनको बुलाकर आने वाले समय में आप भूमि का अलाटमेंट करेंगे और सस्ती दर पर उनको जमीन देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें पहले ही लग गया था जब रिसर्जेंट राजस्थान का एक साल तक आम लोगों के काम, जो जनहित के काम आपको करने चाहिये थे वह बिलकुल आपने बंद कर दिये। हाई कोर्ट तक को आपको मौखिक

(श्री रमेश)

रूप से कहना पड़ा कि राजस्थान सरकार के पास अब एक ही काम है रिसर्जेंट राजस्थान, उसके अलावा जनहित के मुद्दों से या जन समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी सरकार ने रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया। माननीय प्रधान मंत्रीजी नहीं पधारे तो निवेशकर्ता व उद्योगपतियों ने पहले ही मान लिया कि अब क्या निवेश आयेगा और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेष आग्रह पर बुलाया कि आप भव्य आयोजन में पधारिये, एमओयू होगा, नहीं होगा या एमओयू करने के बाद आपको लगाना है, नहीं लगाना है लेकिन आपको आना है। यहां पर लोगों ने आकर मंच पर भाषण दिये, बड़ाइयां हो गयीं, लोग वापस चले गये और रिसर्जेंट राजस्थान में जो पैसा खर्च किया गया, सडकें बनायी गयीं, गमले टांगे गये, पोल लगाये गये, इस जयपुर को सुन्दर बनाया गया लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जयपुर में विधान सभा के पास की बस्ती में चले जायें तो स्वच्छ भारत के सफल अभियान का आपको पता लग जायेगा। ऐसे निवेश नहीं आता, निवेश तो अभी उड़ीसा के मुख्य मंत्रीजी ने भी किया था, सिम्पल किया था, वहां का वातावरण निवेश के लिये माहौल, इन्फ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का हो कि लोग निवेश के लिये दौड़े चले आयें। जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया और पैसे का दुरुपयोग किया गया माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं पहले भी कह चुका हूं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारे उद्योग मंत्रीजी ने भी कह दिया कि अगर 50 परसेंट सफल हो जाये तो भी हम बहुत बड़ी सफलता मानेंगे क्योंकि उन्होंने कहा गुजरात में 40 परसेंट ही हुआ। गौर से अगर देखा जाये तो राज्य सरकार ने जो यह सारा सिस्टम रचा, एक फर्जीवाड़ा किया, भव्य आयोजन किया बाकी इसके अलावा कुछ भी सरकार ने नहीं किया।

दूसरा मेरा बिन्दु है, हमारे माननीय यूडीएच मिनिस्टर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं बड़ी-बड़ी व्यवस्थाओं की, नियम-कानूनों की और किसी परिभाषा की भी बात करते हैं कि एमओयू का क्या मतलब है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जेडीसी और डीसी की भी अभी तक परिभाषा नहीं जानते हैं कि जेडीसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, अभी तक पहचान नहीं कर पाये हैं या इनको ज्ञान है या नहीं है, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उसको भी डिफाइन नहीं कर पाये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण आदेश डी/210/31.3.2004 में एक पालिसी बनी थी उसमें सैक्टर

(श्री रमेश)

रोड नेटवर्क में निर्धारित 80 फीट और उससे अधिक चौडाई के सहारे, सड़क की चौड़ाई की आधी चौड़ाई के बराबर व्यावसायिक भू पट्टी रखी जायेगी। सड़क की पट्टी आने वाले खातेदार की कुल भूमि के 25 प्रतिशत व्यावसायिक और प्लस उसमें 5 परसेंट व्यावसायिक और 20 परसेंट रेजीडेंशियल होगी, यह नियम था। इसमें उस समय कोई इस प्रकार की बात नहीं थी लेकिन जहां सेक्टर रोड निकल रहे थे वहां पर उसी नेचर की भूमि नहीं है तो इस समय एक बात डाल दी गयी कि इसको अन्यत्र भी दे सकते हैं। इन लोगों ने, जेडीसी और डीसी ने मिलकर पूरे जयपुर को मान लिया और यहीं से इनके भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। जिस प्रकार जेडीसी और डीसी ने अन्यत्र को पूरे जेडीए में किसी जोन की किसी में भूमि दे दी और कहीं उसको रेजीडेंशियल मिलनी चाहिये उसकी जगह कामर्शियल दे दी, उसका अलाटमेंट कितने स्क्वायर मीटर था उससे ज्यादा दे दी, कहीं कम दे दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके उदाहरण मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि सांगानेर तहसील के गोपेन्द्रपुरा रोपाडा ग्राम की भूमि के बदले जो जोन 10 ए के क्षेत्राधिकार में है, जोन 8 की पत्रकार कालोनी में विकसित भूमि दे दी। गोपेन्द्रपुरा रोपाडा की विकसित भूमि की जो जेडीए नीलामी दर है वह करीब 11000 वर्ग मीटर है जबकि पत्रकार कालोनी की जेडीए की नीलामी दर है वह 60000 वर्ग मीटर है। एक ही दिन में जोन उपायुक्त 8 छुट्टी पर थीं उसकी जगह मधुसुदन पालीवाल, उपायुक्त को आनन-फानन में बिठाया गया और करोड़ों रुपये की भूमि अपने रसूखदार लोगों को आबंटित कर दी और उस आबंटन में भी, आबंटन से पहले नामांतरण खुलना था, नामांतरण बाद में खुला आबंटन पहले हो गया। इसके बाद में जेडीए में भ्रष्टाचार की जो हद बढ रही है गरीब किसानों की सैकडों बीघा जमीन अवाप्त कर निलय कुंज योजना जोन 9 में बनाई, सिर्फ गरीब किसानों की भूमि हडप ली, जेडीए की भूमि नहीं थी उसको अवाप्त कर ली, एक तरह से हडपना ही हो गया क्योंकि जब यह अपने लोगों को दे रहे हैं वहां पर 160 फीट चौड़ी सड़क पर बड़े-बड़े व्यावसायिक भू खण्ड का प्लान था। यू.डी.एच. मंत्रीजी, मेरे पास नक्शा भी है मैं आपको बता सकता हूं, आप चाहे तो टेबल भी कर सकता हूं, उसमें भ्रष्टाचार के कारण बड़े-बड़े प्लाटों के छोटे-छोटे टुकड़े कर सैक्टर रोड के मुआवजे में अपने निजी रसूखदार कहें या नेता या अधिकारियों से मिलीभगत करके इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ। इसी प्रकार मेन

(श्री रमेश)

रोड 200 फीट महल रोड पर स्थित सेंट्रल स्पाइन योजना जो गरीब किसानों से अवाप्त भूमि पर बनी है इसमें भी रोड के बड़े भूखंडों के टुकड़े-टुकड़े कर सैक्टर रोड मुआवजे के बदले बांट दिये, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण को कम-से-कम हजार करोड़ की हानि हुई है और इसी प्रकार पृथ्वीराज नगर का मामला तो सबकी जानकारी में है कि रसूखदारों को कैसे अलाइनमेंट, रोड्स चेंज कर दीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य, इन जमीनों में आपकी कोई हिस्सेदारी थोड़े ही है।

श्री रमेश (सपोटरा): वो तो आप जांच करा लेना। आप बोलना चाह रहे हो उसको भी कह दूंगा। चिंता नहीं करें आप। ठीक है। तो अलाइनमेंट चेंज कर दिये और पैसा वालों को खाली जो प्लाट पड़े थे वहां पर रोड्स बना दीं, उनको पट्टे दे दिये। तो यदि सरकार की मंशा साफ है, जैसे राम लालजी कह रहे हैं कि भई आपका भी कोई लेना-देना है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप बजट के ऊपर तो बोल नहीं रहे हो। बजट चल रहा है। बजट से बाहर की बातें बोल रहे हो, बाहर की बातें तो डिमांड में बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सुनो सुनो राम लालजी, आप सीनियर सदस्य हैं। ये भी एक बजट का अंग है। नान प्लान, प्लान सब सारी चीजें पढ़ लेना, देख लेना। आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे सीनियर सदस्य बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। राज्य सरकार को उपक्रम घाटा पहुंचा रहे हैं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे ? राज्य सरकार कैसे घाटे से उबरेगी ? इसके बारे में बता रहा हूं। सरकार को बताना चाहता हूं। सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको सरकार रोके। हजारों करोड़ रुपये के करप्शन हो रहे हैं, अनियमितताएं हो रही हैं तो उसको कैसे रोका जाए? सरकार की यदि मंशा साफ है तो यह जो प्रकरण मैंने बताये हैं उसकी थर्ड पार्टी से जांच कराएं और जो लोकल आडिट होती है उसको बंद करके सी.ए.जी. से इसकी आडिट कराई जाए। सरकार और हमारे मंत्री जो इन्होंने शपथ ली अपने कर्म के प्रति कि बिलकुल मैं सत्य और ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करूंगा, तो हमें भी लगेगा कि मंत्रीजी बिलकुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं नहीं तो लगेगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसी तरह रिंग रोड़ की जो जमीनें खाली कराई गयी।

(श्री रमेश)

तुरत-फुरत में लोगों को बेघर कर दिया गया और आज स्थिति यह है कि 47 किलोमीटर की रिंग रोड की जो योजना थी, वो मात्र 10 प्रतिशत काम हुआ है और अब वहीं की वहीं पड़ी है। अब क्या प्रोब्लम है? जे.डी.ए. जानें या मंत्री जी जानें। अब क्या हो गया? ठेकेदार काम क्यों नहीं कर रहा? तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को सांप सूंघ गया या मंत्री को कुछ हो गया या जे.डी.ए. काम कराना नहीं चाहता। प्राब्लम क्या है? हमारी तो मांग है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। तो इस काम को आगे बढ़ाएं क्योंकि सरकार ने .. (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): रमेशजी, मंत्रीजी से कोई पर्सनल खुन्नस तो नहीं है?

श्री रमेश (सपोटरा): वो तो जानते है। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे अच्छे आदर्श भी हैं। कुछ चीजों मैं मानता हूं पर उनकी चल नहीं रही है शायद कुछ। तो इनको मेरे हिसाब से तो।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपकी वाली स्कीम शायद अटकी रहेगी।

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं निभा पा रहे तो छोड़ देना चाहिए। मेरा तो सुझाव है बाकी उनकी मर्जी है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): आपकी स्कीम क्लीयर नहीं हो पाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट सदस्य, आप विराजें। मुख्य सचेतक महोदय, ये सदस्य कहां से बोल रहे हैं और कौनसी जगह बैठकर बोल रहे हैं? जितने सदस्य बोले हैं, अपनी सीट से बोलें। पहले तो बगैर आसन से अनुमति लिए बोले और जहां जो चाहे बैठकर जो चाहे वो बोल लेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सारी सर।

श्री उपाध्यक्ष: आप यह मानते हैं कि आसन मूकबधिर है। अगली बार अगर आसन की बगैर अनुमति से बोला और गलत जगह से बोला तो इस लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके उपरांत भी आसन आपको परमीशन नहीं देगा और कोई व्यवधान नहीं डालेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया लेकिन बाद में मुस्करा जाते हो आप। गड़बड़ हो जाती है सब। मुस्कराया मत करो आप।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरी चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में हो गयीं थी, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी जो

(श्री रमेश)

सदन की नेता हैं, उन्होंने बिजली पर ज्यादा फोकस किया था और उसमें 'उदय योजना' को जो जोड़ा है उसके संदर्भ में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूंगा कि बिजली कम्पनीज का जो घाटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 15643 करोड़ रुपये था, हमारी सरकार ने बढ़ाकर पांच वर्ष में 72238 करोड़ रुपये किया। उस समय हमने बिजली तंत्र को भी विकसित किया, नयी परियोजनाओं पर भी पैसा खर्च किया परन्तु नवम्बर, 2013 से 72238 करोड़ से बढ़कर इन सवा दो सालों में एक लाख करोड़ से ऊपर का घाटा बढ़ गया है, यानी सवा दो साल में 28 हजार करोड़ का घाटा बढ़ा है। यदि एवरेज हम निकालें पांच वर्ष का हमारा 11319 करोड़ रुपया आता है और इनका सवा दो साल का एवरेज 12444 करोड़ रुपये आता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि हमने घाटा कम किया तो कम कैसे किया?

अभी उदय योजना की बात की है उन्होंने तो उदय योजना में कुछ शर्तें भी हैं, कुछ नियम भी हैं कि टी एंड डी लासेज 15 पर्सेंट से ज्यादा नहीं होंगे। यह कम करके लाने होंगे। आज प्रदेश की स्थिति यह है कि लासेज 60 परसेंट के आस पास हैं, सरकार हमें बताए जब उत्तर दे, 15 पर्सेंट हम ऐसे लेकर आएंगे, 15 पर्सेंट पर आ गया। क्योंकि 2014-15 में छीजत प्रदेश के जो 8-10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बताना चाहता हूं कि धौलपुर में 58.73 पर्सेंट है 2014-15 में, करौली में 55.31 परसेंट, भरतपुर में 51.68 परसेंट, झालावाड़ में 50.78 परसेंट, बारां में 36.27 परसेंट, दौसा में 35 पर्सेंट, सवाई माधोपुर में 34.56 परसेंट और जोधपुर में 37.33 परसेंट तो छीजत तो वहीं की वहीं रखी है और ये कह रहे हैं कि हम इसको घटाएंगे। छीजत के कारण, ड्यू टू लास थैफ्ट के कारण जो हानि हुई है 2013-14 में बताना चाहूंगा 2315.13 करोड़ रुपये हमारे समय में हानि हुई। अब इन दो सालों में जो हानि हुई है, छीजत बढ़ी है, 5172 करोड़ रुपये बढ़ी है। तो यह मान लो कि सवा दो साल में सवा दोगुना हो गयी 2.23 परसेंट छीजत बढ़ी है और अब प्रश्न है कि इन्होंने जो लान लिया है 60 हजार करोड़ का उसमें चार हजार करोड़ सम्मिलित किया है अभी इस वर्ष में, तो इस लोन का जो ब्याज होगा वह सरकार चुकाएगी या कम्पनी चुकाएगी? ऐसे तो कम्पनी भी चुकाएगी तो ठीक है और सरकार चुकाएगी तो भी ठीक है, जनता पर ही भार आना है। इसका एवरेज ब्याज बैठेगा 32 सौ करोड़ पर ईयर से पांच हजार करोड़ पर ईयर यह ब्याज होगा।

(श्री रमेश)

दूसरी तरफ हमारा करीब 82 से 83 हजार शॉर्ट टर्म और लांग टर्म का लोन पहले से ही है। तो यह सरकार जिस प्रकार की बात कर रही है कि हमें भारत सरकार सब्सिडी दे देगी या हम इस छीजत को 15 परसेंट पर ले आएंगे, असम्भव है। यह कोई गेम लग रहा है, इस सरकार के द्वारा इस प्रदेश को गर्त में ले जाने का प्रयास है, कर्ज में डुबोने का प्रयास है। बिजली पूरी चाहे हमारी कम्पनीज से खरीदी, अदर स्टेट्स से खरीदी, अदर सेक्टर्स से खरीदी तो हमारे समय बिजली मात्र 21949 करोड़ की खरीदी गयी और इन दो सालों में इन्होंने बिजली खरीदी है 2014-15 की बात कर रहा हूं मैं। 29670 करोड़ की बिजली खरीद ली। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिजली कम्पनीज को घाटे में धकेलने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि रिफाइनरी नहीं लगाएंगे क्योंकि रिफाइनरी महंगी पड़ रही है हमें। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम प्राइवेट को कालीसिंध है प्लस छबड़ा की परियोजनाएं उनको देंगे। उसमें बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, कोयला भी देंगे, जमीन भी देंगे तो सरकार की मंशा क्या है। एक तरफ तो सरकार कहती है नहीं लगाने देंगे, राज्य हित में नहीं है। ये निजी हित में जो काम हो रहे हैं, सरकार प्रदेश को डुबोने का जो काम कर रही है। वो ठीक नहीं है अभी माननीय मंत्रीजी सदन में ने नहीं हैं, उनको भी बता देता कि अभी मैटेरियल के मिस मैनेजमेंट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रीपेड मीटर में करीब 12 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। अभी कंसलटेंसी, किसी भी बात को सरकार कोई भी मुद्दा हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी की भी। हमारे पास इतनी बड़ी फौज है अच्छे-अच्छे अधिकारियों की, सिर्फ कंसलटेंसी घोषित कर दो। चाहे सीमेंट फैक्ट्री को लगाने की बात हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट को लाने की बात हो कंसलटेंसी। कंसलटेंसी की कोई आडिट भी हो, कोई जांच हो, कितना पैसा खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा है, यह पैसा कहां जा रहा है, इसका हिसाब-किताब भी सरकार के पास होना चाहिए। इसका थर्ड पार्टी से इन्स्पेक्शन भी हो, जांच हो, यह सरकार पैसे का दुरुपयोग कर रही है तो इसको भी रोका जाए। इसके लिए मैं छोटा-सा, एक उदाहरण लेकर आया था, एक मिनट, वैसे ही बता देता हूं। एनर्जी में के.एल गुप्ता जो रिटायर्ड चीफ अकाउण्ट्स आफिसर था, उसको 45 हजार रुपये पर मंथ पर रख लिया है। टर्म्स एंड कंडीशन थी कि वह फाइनेंस पावर का यूज नहीं करेगा, वह रैगुलर काम कर रहा है, फाइनेंस पावर का यूज कर रहा है,

(श्री रमेश)

दलालों को लाकर, सरकार में वहां बैठे हुए लोग, जो सीमएड़ी लेवल के लोग हैं उनको, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है तो इस प्रकार के लोगों को रोका जाना चाहिए।

इसी तरह बिजली का दूसरा क्षेत्र है जिसकी जानकारी माननीय उपाध्यक्ष महोदय यहां और कुछ लोगों को भी है। सोलर एंड विंड एनर्जी में जिस प्रकार का खेल हमारे राज्य सरकार के अधिकारी, हमारे समय से, यह नहीं है कि सरकार कांग्रेस या बीजेपी की है, पहले भी अधिकारियों ने बड़ा खेल किया है और अभी भी अधिकारी बड़ा खेल कर रहे हैं, बड़े निवेशकर्ताओं को बुलाते हैं, उनसे सांठगांठ करते हैं और उनको जमीनें इन्होंने आबंटित करवा दीं। आप सुनोगे तो अचम्भा होगा जमीन की जो रेट है, डीएलसी की 10 परसेंट पर 306 रुपये बीघा में 2200 बीघा मैसर्स रिलायंस ग्रीन प्राइवेट लिमि., पोकरण घूढसर में यह जमीन दे दी। इसी तरह अडानी को 1538 बीघा जमीन 2500 रुपये प्रति बीघा में दे दी, तो मेरा यह कहना है कि 300-400 रुपये से लेकर 4 हजार व 5 हजार बीघा में हमारे प्रदेश की जमीन, किसानों की जमीन, सरकारी जमीन इन लोगों को दे देते हैं। यह प्रोजेक्ट लगाते नहीं हैं, पावर जनरेट करते नहीं हैं, जमीनें पड़ी रहती हैं। 2004 में आपकी ही सरकार ने एक पालिसी भी बनाई थी अक्षय ऊर्जा नीति, उसमें उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराओ और beyond the three months कभी भी आओ, प्रोजेक्ट लगाओ। जो निवेशकर्ता थे उन्होंने कमिशनिंग चालू कर दी तो उनको तो जो टैरिफ दी जा रही थी वह 20 साल की तय कर दी। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे आरआरईसी राजस्थान रिन्युअल एनर्जी जो एक नोडल एजेंसी है, वह कहती है कि हम निवेश लाएंगे, सोलर एनर्जी को प्रदेश में बढ़ावा देंगे और उन्होंने बढ़ाया भी है, 11 पुरस्कार दिलाए हैं। ऐसा बढ़ाया है कि एक्चुअल फीगर देखें, आज की स्थिति, 31 दिसम्बर, 2015 तक सोलर एनर्जी में मात्र 470 मेगावाट बिजली हमें मिल रही है। विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी हवा पर डिपेंड करती है, 3200 मेगावाट का हमारा जो सिस्टम है, कभी हमें 2300 लाख यूनिट मिल जाती है, कभी 5 हजार लाख यूनिट मिल जाती है, कभी 14 हजार यूनिट ही रह जाती है लेकिन जब इनसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं तो इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। जब कभी अनुमान लगा लेते हैं कि हमें बिजली मिलेगी लेकिन नहीं मिलती तो हमें एक दिन पहले विंड लगानी पड़ती है, बिजली महंगी दरों पर खरीदते हैं और इनसे भी खरीदते हैं। तो सरकार का घाटा यह कम्पनियां

(श्री रमेश)

बढ़ा रही हैं, इनका भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जांच हो क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी में जो लोग इन्वाल्व हैं, किसको उद्योग लगाना है, किसको पावर प्लांट लगाना है, किसको नहीं लगाना यह रिन्युअल आरआरईसी पर डिपेंड करता है। कोई भी काम हो वह गलत है, सही है, उसको डायरेक्ट बोर्ड आफ डायरेक्टर में ले जाते हैं वहां डायरेक्टर बैठे हैं, सरकार में बड़े अधिकारी, वह कहीं कुछ नहीं देखते, साइन करते हैं, साइन मशीन बने हुए हैं। यह साइन अभियान ऐसा चल रहा है जिसमें हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। सोलर एनर्जी में बात कर लें, विंड एनर्जी में हम बात कर लें, इन्होंने प्रोसेसिंग फीस होती है उसको वसूल नहीं किया है, विकास शुल्क लेना चाहिए था उसको भी वसूल नहीं किया है, सुरक्षा राशि को भी वसूल नहीं किया है। समायोजित इधर से उधर कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए बीओडी एक पावर ऐसी दी हुई है सरकार ने कि नियमों का खुला उल्लंघन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार जब नियम बनाती है तो नियमों का खुला उल्लंघन क्यों? इन अधिकारियों पर सरकार, सिस्टम में जो करप्शन हुआ है उसकी जांच करवाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन राजस्थान आवासन मण्डल के बारे में है। सरकार ने कह दिया कि हाउसिंग बोर्ड को बंद करेंगे, हाउसिंग बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो 1970 से चल रही है और इसको 46 वर्ष हो गए। इसने 2 लाख 62 हजार राजस्थान में मकान बनाये। मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कालोनी है। कोटा, जयपुर में है। बड़े-बड़े शहरों में हाउसिंग बोर्ड ने अच्छा काम किया। धीरे-धीरे इसमें कुछ राजनीति भी आई, कुछ अधिकारी भी आए, कुछ ठेकेदार भी आए, इन्होंने मिलकर इस विभाग को पंगु बना दिया और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया। माननीय मुख्यमंत्री जब नागौर पधारीं तो उन्हें पता लगा कि यहां तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मकानों की घटिया क्वालिटी है। हमने पिछले सत्र में भी, जब से इस विधान सभा में हम आए हैं, दो बार तो इन मुद्दों को हम उठा चुके हैं, चाहे द्वारकापुरी योजना का मामला हो, चाहे यहां के मानसरोवर का मामला हो, हमने सरकार को चेताया कि इस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे रोका जाए। जिस मकान की कीमत लाटरी के समय 5 लाख रुपये होती है, कब्जे का समय आता है तो उसकी कीमत 15 लाख रुपये हो जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चेतना हुई, या जागी जब पता

(श्री रमेश)

लगा, जब खुद ने देखा कि इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है तो इसको बंद कर दो। मेरा निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को रोकना है। आप कौन-कौन से डिपार्टमेंट बंद करेंगे, आप जेडीए बंद करेंगे, रीको बंद करेंगे या ऐसे मनमाने निगम हैं, यूआईटीज हैं, अन्य उपक्रम हैं, सभी में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, तो इस भ्रष्टाचार का रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा यह है। सरकार की इनके पास जो भूमि है उस पर नजर है, कि 31 हजार 421 बीघा कुल भूमि है, उसके बाद वाणिज्य संस्थान 460 बीघा है, करीब 594 करोड़ का इनके पास एफडीआर और यह पैसा है, तो सरकार का समय-समय पर यह हाउसिंग बोर्ड भी रिसर्जेंट राजस्थान हुआ। उसमें भी 154 करोड़ रुपये की सहायता की रोड्स में, और भी समय-समय पर निकायों को 15 परसेंट हाउसिंग बोर्ड कर भी देता है तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि यदि इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें राजनीति इन्वाल्व है तो इसकी जांच हो। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, चेयरमेन हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अभी थोड़े दिन पहले, हमारी सरकार जाने के बाद राज्य सरकार ने जांच करवाई छमाही की समीक्षा की जाए हाउसिंग बोर्ड में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। पता लगा जांच हुई, मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन हुआ। वह माननीय अध्यक्ष हैं नहीं जो समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने 431 मकानों को उसमें निरस्त माना, तो निरस्त में तो कोई बात नहीं, मकान मुझे आपने दिया, उसको या किसी और को दिया, पैसा दोनों से मिला लेकिन जो जांच होनी चाहिए थी वह जांच नहीं हो पाई। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे समय में जो काम किये गये वह बिलकुल सही थे, आपने हरी झण्डी दी तो फिर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगाये। यदि भ्रष्टाचार था तो जो छाती ठोककर कहते हैं मैं ईमानदार हूं, चरित्रवान हूं, चाल चलन का बहुत अच्छा हूं, तो फिर उस भ्रष्टाचार को कौन लील गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का भी सरकार जवाब दे।

हमारा लास्ट में निवेदन है कि इसमें जो गड़बड़ सिस्टम है, हाउसिंग बोर्ड की वीएसआर अलग से चल रही है, जब कि नोर्म्स के अनुसार पीडब्ल्यूडी की पी डब्ल्यू एफ एण्ड जी आर के हिसाब से होना चाहिए उसमें 28 परसेंट का अंतर है। जहां पर अच्छे कर्मचारी भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, तो सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले कि हाउसिंग बोर्ड को बंद कर दे। जो कर्मचारी हैं, पहले ही पर्यटन विभाग को बंद कर दिया। आज बिजली की स्थिति यही है, रोडवेज की

(श्री रमेश)

स्थिति भी यही है, सारे विभागों, सरकार क्या सभी को बंद कर देगी? मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हाउसिंग बोर्ड को बंद नहीं करके, उसकी लोकल आडिट फण्ड से आडिट होती है इसकी भी सीएजी से रिपोर्ट करायें और थर्ड पार्टी से इसका भी इन्सपेक्शन कराया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं इस बजट में सरकार ने जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं, तालियां भी पीटी गयीं, माननीय सदन की नेता ने तीन घण्टे भाषण भी दिया लेकिन किसान, जो इस प्रदेश के सभी व्यापारी, अधिकारी, नेता, सभी को अन्न प्रदान करता है, अन्नदाता है, उसके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कुछ शामिल नहीं किया।

(15.00 बजे)

ऐसा जो लगे किसान को कोई विशेष पैकेज मिला है या किसान को कोई अच्छा पैसा मिलेगा, किसान को सरकार ने इकोनोमिक स्तर पर उठाने की बात कही हो। सरकार ने बात की है तो सिर्फ एक की है कि किसान की जमीन को न्यूनतम रेट पर उद्योगपतियों को दिया जाएगा। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ प्रयास किया है तो उद्योगपतियों को बढ़ाने का, ठेकेदारों को बढ़ाने का। किसान को भी यदि सरकार, जिस प्रकार सब्सिडी या छूट देती है, उद्योगपति जो निवेश करने आता है, उससे कहती है कि आपको हम करों में छूट देंगे, बिजली में छूट देंगे, पानी में छूट देंगे और अन्य सुविधाएं होंगी, उसमें भी उनको बैंक से लोन भी दिलाएंगे। तो सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है, कुछ ऐसा किया नहीं कि किसानों को, जगह-जगह विधान सभा क्षेत्र, बड़े-बड़े कस्बों में सरकार मण्डी बनवा देती। उनकी फसल के मूल्य का पैसा उसको अधिक मिल जाता। उसमें कोई ऐसी चीज करती। सरकार करती है, जो उद्योगपति आयेगा, व्यापारी आयेगा, निवेश करने वाला आयेगा, किसान की जमीन को हड़प लो। सरकार ने एक काम जरूर किया है पूरे राजस्थान में कि रीको के माध्यम से सरकारी और प्राइवेट 35410 बीघा जमीन एक्वायर करवा ली। किसान का अहित करवाने वाली, किसान विरोधी सरकार है। तो मैं कहना चाहूंगा जब भी सदन की माननीय नेता दुबारा रिप्लाई दें तो किसानों के लिये कोई विशेष पैकेज, कोई सब्सिडी वाली बात करें। किसान का इकोनोमिक स्तर बढ़ाने की बात करें। उसकी पैदावार बढ़ाने की बात करें।

इसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भर्तियों की बात मैंने आपसे कर ली। थर्ड ग्रेड के टीचर्स की जो हमारे समय में

(श्री रमेश)

भर्ती हुई थी, उनको सरकार कुछ जान-बूझकर नियमित नहीं कर रही है। रिफाइनरी की बात हम सरकार से करें कि महंगा सौदा था तो कैसे महंगा सौदा था, सरकार बताये। उसके लिये चर्चा करें यहां पर। एक तरफ सरकार मैट्रो की बात करती है कि हमारा जयपुर स्मार्ट सिटीज में भारत में दूसरे नम्बर पर आया है तो जो पैरामीटर हैं स्मार्ट सिटी के, उसमें मैट्रो भी थी और अन्य सुविधाएं भी थीं। जयपुर शहर जब स्मार्ट सिटीज में सम्मिलित हुआ, लेकिन अब सरकार जो सैकिण्ड फेज है, उसका काम बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है। पी.पी.पी. माडल पर बात करें या कोई निवेश की बात करती है सरकार, उस निवेशकर्ता को लाये। उस सैकिण्ड फेज को बनवाये। उसकी प्रापर्टीज को डवलप करे। नहीं तो यह भी दिन-प्रतिदिन घाटे में जा रहा है। आज घाटे में जा रहा है, कल और ज्यादा इसका घाटा बढ़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से एक निवेदन करूंगा मैं, विभाग ने भी भिजवाया है कि चांदपोल से सूरजपोल तक और मैट्रो को बढ़ा दें, इसी फेज में, वन-बी में। उसके बाद सैकिण्ड फेज बनेगा, नहीं बनेगा, वह आगे की बात है। सरकार की मंशा नहीं है। क्योंकि अगर सरकार की मंशा होती तो आपका डूंगरपुर की रेलवे लाइन का काम हो जाता। वह भी अधूरा पड़ा है। उसको भी बंद कर दिया। एक तरफ सरकार मंदिरों के रिनोवेशन के लिये, मंदिरों के निर्माण के लिये पैसा दे रही है, दूसरी तरफ रोजगारेश्वर जैसा बड़ा मंदिर और सैकड़ों-सैकड़ों मंदिर तुड़वा दिये। जो रोजगारेश्वर मंदिर है, वह नियमों के खिलाफ तोड़ा गया।

पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने जो दाम बढ़ाये, कर बढ़ाया, उससे सरकार को 13007 करोड़ की आय हुई। इधर जब पेट्रोल-डीजल में कमी हो रही है तो यहां भी आम आदमी को उसकी रेट कम करते। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने पुराने वाहनों से भी वसूली की बात कही है। जल स्वावलम्बन अभियान के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा दिया है लेकिन यह अभियान सफल नहीं होगा। इसमें जिस प्रकार अधिकारियों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, 50 प्रतिशत सरकार के खाते में जमा कराओ, 50 प्रतिशत हमें दो। तो इस बात की भी जांच हो नीचे के लेवल पर अधिकारी इस अभियान को किस तरह फेल कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बिन्दु तो बहुत हैं। पर मेरा एक बिन्दु और है। बस मात्र दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी को पूरा एक घण्टे और 56 मिनट का समय है। आदरणीय, आप स्वयं ही एक घण्टा ले लेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर छोड़ देता हूं, रीको और दो-चार बिन्दु। कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप कन्क्लूड कर लें। अगर आप चाहें तो दो मिनट में कन्क्लूड कर लें। You can conclude this thing.

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा निवेदन था कि इसी प्रकार रीको जो नोडल एजेंसी है उद्योग विभाग की, उसमें भी इसी तरह का आई.डी.सी. के माध्यम से अधिकारियों से मिलकर बड़े-बड़े उद्योगपति बड़ा-बड़ा खेल करते हैं कि पहले प्लाट अलाटमेंट करा लेते हैं कोई 20 हजार वर्गमीटर का, 50 हजार वर्गमीटर का और उद्योग लगाने के लिये वह आता नहीं है। वर्षों उसकी भूमि पड़ी रहती है। उसके बाद में जब उसको लगता है कि अब यह कैंसिल होने वाला है तो अधिकारियों से मिलीभगत करके किसी अन्य पार्टी को बेच दिया जाता है। बड़ी कम्पनी कोई विदेश की आती है, इंडिया की भी बड़ी कम्पनी आती है, उस जमीन को ले लेती है और नियम विरुद्ध आई.डी.सी. में उसका फैसला कर दिया जाता है कि बड़ा निवेश राजस्थान में आ रहा है, तो 'बड़ा निवेश' आने की आड़ में इस तरह का जो सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, इसको किस प्रकार रोका जाए? साफ सिद्ध होता है कि यह सरकार का पिछला दरवाजा है, भ्रष्टाचार का। तो हम क्या कहेंगे कि आम आदमी को अभी पता नहीं है इन चीजों का। धीरे-धीरे जनता जान रही है। पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को पता लग गया कि इन सवा दो सालों में इस राज्य सरकार ने कौन से अच्छे काम किये हैं। पूरा पता लग गया। लोगों को मूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लोग त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बढ़ गया। कर्जा इस प्रदेश में बढ़ गया। सरकार की मंशा साफ होती तो कर्ज भी कम होता। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलतीं। योजनाएं एक से एक ऐसी ला रहे हैं, जिसमें आदमी उलझ रहा है। भामाशाह योजना है, अभी तक लोग उसके चक्कर ही काट रहे हैं। ई-मित्र कियोस्क के काट रहे हैं। कभी आधार कार्ड बनाने के लिये काट रहे हैं। चक्कर काटते-काटते लोग थक गये। एक-एक महीने तक उनके आधार कार्ड के माध्यम से जो भामाशाह कार्ड बनना है, वह बन नहीं पाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार का जो बजट है वह आम जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, व्यापारी विरोधी है। पूरी तरह से यह जो सरकार ने तीन घण्टे का भाषण दिया, बिलकुल निष्फल है और मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब रमेशजी ने जितनी आलोचना हो सकती है, उतनी कोशिश तो की थी, पर वे ज्यादा आयोचना नहीं कर पाये। बजट इतना संतुलित, सबके विकास के लिये था। शायद हमको वहम भी था कि प्रतिपक्ष के साथी कुछ आंकड़ों के साथ तथ्यात्मक बात लाएंगे। परन्तु उन्होंने विपक्षी सदस्य होने का धर्म मात्र निभाया, आलोचना का बेहद प्रयास किया, लेकिन प्रयास में वे सफल नहीं हो पाये। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक महोदय का भी कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर सर्वप्रथम अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया।

(15.07 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

इतिहास गवाह है और मैंने 30 माननीय सदस्यों के बजट, अभिभाषण गम्भीरता से पढ़े हैं उसमें विशेषकर गोविन्दजी के दो अभिभाषण जो इस सदन में हुए हैं, इस काल खण्ड में और पिछले काल खण्ड के पढ़े हैं वह लाया भी हूं। उसको पढ़ने से यह लगता है कि हम सदस्य लोग सिर्फ पक्ष और प्रतिपक्ष में बंट करके यह प्रयास करते हैं कि कितनी आलोचना की जाये। लेकिन समालोचना की तरफ हम नहीं जाते हैं।

हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, कितने तथ्य सही हैं, कितने तथ्य गलत हैं या इसकी मार्फत हम क्या संदेश हमारे प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं कि और तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। मैं निवेदन भी करना चाहता हूं अभी, प्रतिपक्ष के माननीय नेता से और विशेषकर इस सदन में ग्रामीण परिवेश से जो हमारे साथी आते हैं, किसान की बात आती है तो किसान को हम इतना लाचार, बेचारा, गरीब, क्या-क्या उपाधियां दे देते हैं। कई बार मन में होता है कि इतना बड़ा हमारा धरती-पुत्र इतना कमजोर तो नहीं है? इतिहास के अनुसार आप और हम सब गवाह हैं कि 7-7 अकाल पड़ते थे तो भी राजस्थान का हमारा किसान कभी इतना हतोत्साहित नहीं होता था, चाहे वह खेजड़ी की छाल खाकर भी आराम से अपनी शान से अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जीता था। आज भी मुझे अपने राजस्थान के किसान पर गर्व है, वह आत्मसम्मान से जीता है। वह धरती को फाड़ कर अनाज पैदा करता है। हमारे देश और प्रदेश की जनता के लिये चाहे फल हो, चाहे सब्जी

(श्री जोगाराम पटेल)

हो, चाहे अनाज हो, चाहे धान हो, वह पैदा करता है। मेरा कृपया आपसे इतना अनुरोध है किसान की सहायता के लिये बात अवश्य रखें। किसान को जब तकलीफ हो तो उसकी बात अवश्य रखें। जब राम रूठ जाता है तो राज नहीं रूठे। इस बात के लिये भी अवश्य कहें। लेकिन उसकी परिभाषा में इतना अधिक नहीं बह जाएं कि कई बार आपको और हमको सुनना भी अच्छा नहीं लगता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया है वित्तीय वर्ष 2016-17 का, इतिहास में ऐसा बजट आज दिन तक, समग्र विकास का, सभी तरह के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए और अपने विजन 20-20 को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है, ऐसा पूर्व में आज दिन तक कभी प्रस्तुत नहीं हुआ, उसके लिए मैं ही नहीं, आज के समाचार पत्र, अर्थशास्त्री, बजट के विश्लेषक उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं।

मैं इस अवसर पर मेरी ओर से, हमारे संसदीय दल की ओर से भी उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इतना जानदार, शानदार और आलीशान बजट पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट से यह परिलक्षित होता है कि हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया एक अर्थशास्त्री ही नहीं, एक आदर्श गृहिणी भी हैं और उन्होंने इसी रूप में अपने राजस्थान को न केवल देखा है बल्कि एक कुशल वित्तीय प्रबंधन का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया है, उनमें एक आदर्श व्यक्तित्व है। इस श्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन के आधार पर ही उन्होंने हर तरह से इस बजट को 'सर्वांगीण विकास', 'सबका साथ, सबका विकास' को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है। यह संयोग की बात है कि कल जिस दिन यह बजट पेश किया गया, वह फाल्गुन की चौदहवीं का दिन था, अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस था, उनका स्वयं का जन्म दिवस था और इस दिन जो बजट पेश किया गया है, वह राजस्थान के इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है-

'बिजली जब चमकती है, आकाश बदल देती है।' गोविन्दजी, 'बिजली जब चमकती है, आकाश बदल देती है। आंधियां जब चलती हैं, दिन-रात बदल देती हैं। धरती जब दरकती है, सीमाएं बदल देती हैं और वसुन्धरा रूपी नारी जब गरजती हैं तो इतिहास बदल देती हैं।' इसी रूप में उन्होंने अपना बजट पेश किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वाह-वाह। फिर भी लाल बत्ती नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके मुंह से यही सुनना है। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह लाल बत्ती नहीं तो और क्या है? यह जो बोल रहे हैं, यह जली हुई है तो लाल है कि हरी है? तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस बार यही आएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह लाल है, यह देखो मेरी भी लाल हो रही है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक चीज और हालांकि, बजट का भाग नहीं है, परन्तु जरूरी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं हम बहुत ज्यादा कहते हैं, वह राजस्थान के भले के लिए नहीं है।

हर चीज में जब कभी भी हमारे साथी, अभी सपोटरा से आने वाले साथी खड़े हुए थे, मेरे से वरिष्ठ हैं उम्र में और सब तरह से वरिष्ठ हैं लेकिन हर लाइन में भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं उनको भ्रष्टाचार करने में कोई महारत हासिल है, भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा जानकारियां हैं या कोई न कोई इसमें है जरूर उसके अन्दर। कोई भी एक लाइन बोली जाएगी, उसमें भ्रष्टाचार। फिर बोलते हैं इनके ऊपर तो आरोप था ...(व्यवधान) पीएच.डी. की हुई है। हां, दीदी बता रही हैं कि इन्होंने इसमें पीएच.डी. की हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पी.एच.ई.डी. में भ्रष्टाचार के लिए बता रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचार कहना, पता लगाना, वगैरह-वगैरह उसमें है। पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट में नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): डाक्टरेट की हुई है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): डाक्टरेट की हुई है। मैं तो निवेदन यह करूंगा कि हम इतनी बात भी नहीं बोलें जो हमारे देश और प्रदेश के हित में नहीं हो, जहां पर भ्रष्टाचार है, वहां पर कहना चाहिए, बाहर लाना भी चाहिए लेकिन कोई भी बात हो हर वक्त भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये अन्यथा कभी अपने परिवार, अपने खुद के संसदीय दल पर भी ऐसे ही आरोप नहीं लगा दें आप?

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान का अपना एक भौगोलिक परिक्षेत्र है। 32.87 लाख किलोमीटर के भारत के इस भौगोलिक परिक्षेत्र में 3.42 लाख किलोमीटर का हमारा परिक्षेत्र है। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तो आपको अलग मिलेंगी, आप पूर्वी राजस्थान में जाएंगे तो अलग मिलेंगी, आप दक्षिणी राजस्थान में जाएंगे तो अलग मिलेंगी और दूसरे अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो अलग मिलेंगी। एक तरफ आपको पाकिस्तान से लगता हुआ बहुत लम्बा बोर्डर मिलेगा तो दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और यू.पी. जैसे प्रदेश भी मिलेंगे और दक्षिणी-पूर्व में जाएंगे तो यू.पी. और एम.पी. जैसे और दक्षिणी-पश्चिम में जाएंगे तो गुजरात जैसे प्रदेश भी मिलेंगे। इस अनेक बोलियों वाले, अनेक भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश के लिए बजट बनाना कोई आसन नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बहुत मुश्किल है। घर का ही नहीं बनता तो प्रदेश का बनाना तो बहुत मुश्किल है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारी अपनी आधुनिक संस्कृति है, सभ्यता है। हम सब इस आधुनिक संस्कृति को बनाए रखें और 125 करोड़ के इस देश में 7 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा प्रदेश भी अपने आपमें एक अनूठा प्रदेश है।

7 सम्भागों में, 33 जिलों में बटा हुआ, हमारा यह प्रदेश हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक तरह की भौगोलिक परिस्थितियां, जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया, उसके अलावा भी जो पूर्व की परिस्थितियां आई हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने पैदा की है, उन सबको साथ रखते हुए हमें यह प्रयास करना है कि हमारा राजस्थान देश के अन्य राज्यों के समकक्ष और अग्रणी राज्यों में जाकर खड़ा हो।

मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि बजट कोई मात्र प्रोसीजर या प्रक्रिया का प्रावधान ही नहीं है। जब भी हमारे नियम बनाए गये तो नियम 138 में बजट को परिभाषित किया गया। नियम 142 में हम जनरल डिस्कसन कर सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 196, 198 में यह प्रोविजन है कि किस तरह से आप फाइनेंशियल बिल को पास कराओगे और आर्टिकल 208 और 209 में स्पेशल प्रोसीजर भी इस सम्बन्ध में दिया गया है। किसी भी प्रदेश का बजट उस प्रदेश के आर्थिक-सामाजिक विकास का एक जीता-जागता नमूना होता है, एक डाकुमेंट होता है। सरकार के कार्य करने की इच्छा-शक्ति, सकुशल वित्तीय प्रबंधन एवं सरकार के भविष्य का एक लेखा-जोखा होता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 20 दिसम्बर, 2013 को कार्य-करण करते ही अपने मंत्रीमंडल के सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श कर, अपने पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक विजन 20-20 प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, जो हमारे सबके लिए ग्रहण करने योग्य है। "A healthy, educated, gender sensitive, prosperous and smiling Rajasthan with a well developed economic infrastructure." यह हमारा विजन है और इस विजन के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पहला उदाहरण सुशासन का दिया। सुशासन के उदाहरण के आधार पर ही उन्होंने आधारभूत चेंज करने के प्रयास भी किये और उसी का असर है कि 1 जनवरी, 2014 से मुख्य मंत्रीजी ने सुरक्षा में लगे अपने अनावश्यक सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया, करीब उसकी संख्या आधी कर दी। मुख्य मंत्री शहरी यात्रा के दौरान ट्रैफिक सिग्नल पर आम आदमी की तरह रुकें, ऐसा उन्होंने आदेश पारित किया। ट्रैफिक को नहीं रोका जाए, ऐसा उन्होंने आदेश पारित किया पर आपको याद होगा कि अभी जब हमारे मंत्रीगण ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बंगले पर कितने रुपये खर्च किये, वह भी बता दो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, वह बता दो। पहले बता दो, क्या बात करते हो?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपका तो सुखरामजी, एक ही काम है, धरने पर बैठना, बोलना आपका काम नहीं है। वर्ल्ड में कभी गिनती होगी कि धरने पर सबसे अधिक कौन बैठा है? तो आपका नम्बर आएगा।

मंत्रीगण आज-कल जब दौरे पर जाते हैं तो ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह कोई जवाब हुआ?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तो कोई प्रोटोकाल में गाड़ियां नहीं लगतीं आगे, पुलिस की हो या विभाग की हो। यह भी एक सुशासन का ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह गरिमा गिरायी है। माननीय अध्यक्षजी की भी प्रोटोकाल छीन ली आपने, यह गरिमा गिरायी है, कोई ज्यादा, मंत्रियों को कोई पीट देगा तो कौन जाएगा छुड़ाने? प्रोटोकाल गिरा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह मंत्री अब मंत्री नहीं रहे, 21 की संख्या में उधर बैठ गये। अब वह नहीं रहे। अब जो मंत्री हैं, वह एक समाज के आदर्श हैं, सबके पास अपनी-अपनी गरिमा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): देखिए, आपके सात एम.एल.ए. पिट गये। भारतीय जनता पार्टी के सात एम.एल.ए. पिट गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गन-मैन देने पड़े। सबको गन-मैन देने पड़े।

श्री सभापति: थोड़ा सुनने का माद्दा रखो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): थोड़ा सा, मेरे अधिकारों की रक्षा करें, माननीय सभापति महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, रक्षा करिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रक्षा करिए, हमारी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जैसा यह अभी कह रहे थे सबसे छोटा मुख्य मंत्री आवास...(व्यवधान).

श्री सभापति: बीच में टोकने की अनुमति थोड़े ही दूंगा मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, आप नहीं करते, समझदार हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मुख्य मंत्रीजी ने ऐसे अनेक निर्णय लिये हैं जिनसे यह लगता है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री एक आदर्श सुशासन राजस्थान की जनता को देना चाहती हैं और आपकी पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जो अनावश्यक खर्चे हुए थे, उनमें कटौती करना चाहती हैं, निश्चित रूप से इसमें करके बताया है। अगला जैसा अभी सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, जो बजट का पार्ट भी होता है और सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान का विकास किस तरह और कैसा होगा, मैं निवेदन भी करना चाहता हूं मेरे प्रतिपक्ष के साथियों से कि इन आंकड़ों का अवश्य जब भी आप जवाब देवें, बतायें। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जा लिया जाता रहा है, और लिया जाता रहेगा, लेकिन कर्जे का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग कैसे होता है, यह विषय गम्भीर है।

मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि इन्होंने वर्ष 1999-2000 में कर्जा लिया 4,282 करोड़ का और परिसम्पत्तियां

(श्री जोगाराम पटेल)

बनाईं 1,517 करोड़ रुपये की। तात्पर्य यूं हुआ कि सिर्फ 35 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनाईं, बाकी सारा जो कर्जा लिया गया था, वह अन्य कार्यों में या, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, परिसम्पत्तियां बनाने के लिये उपयोग में नहीं लिया गया। 2000-2001 में 46 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनायी गयीं कुल कर्जा लेकर। 2001-2002 में मात्र 36 प्रतिशत जो टोटल कर्जा लिया गया, उसकी परिसम्पत्तियां बनायी गयीं, 2002-2003 में मात्र 43 प्रतिशत, जो टोटल लोन लिया, उसकी परिसम्पत्तियां बनायी गयीं और 2003-2004 में जब अन्तिम शासन काल आया कांग्रेस सरकार का, तो मात्र 42 प्रतिशत परिसम्पत्तियां ही टोटल लोन लेने की बनायी गयीं। कम से कम जो परिसम्पत्तियां बनायीं, वह 35 प्रतिशत और अधिक से अधिक जो परिसम्पत्तियां बनायीं, वह 42 प्रतिशत थीं। टोटल इनके उस प्रथम काल खण्ड के दौरान इन्होंने जितना भी ऋण लिया, उस ऋण की परिसम्पत्तियां बनायीं और ज्यों ही राजस्थान की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जोगारामजी, यह कांग्रेस का काल आया, अकाल आया, क्या आया अन्तिम?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): राजस्थान की जनता ने निर्णय लिया और राजस्थान की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि 2004-2005 में 6,774 करोड़ रुपये का जो लोन लिया गया, उसके अंगेस्ट में 3481 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां बनायी गयीं, यानि 51 प्रतिशत। मैं आगे आपसे निवेदन भी करूंगा, ज्यों ही एक साल बदला, उसके अन्दर 42 प्रतिशत से 51 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनायीं, टोटल जो लोन लिया उसकी। उसके बाद 2005-2006 में 68 प्रतिशत टोटल ऋण की परिसम्पत्तियां बनायी गयीं। 2006-2007 में 101 प्रतिशत, जो टोटल ऋण लिया था, उसके अलावा और अपनी तरफ से लगाकर 101 परिसम्पत्तियां बनायी गयीं। 2007-2008 में 109 प्रतिशत। उसमें जो ऋण लिया वह पूरा का पूरा परिसम्पत्तियों में लगाया, उसके अलावा और पैसा भी लगाया और 109 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनायीं, लेकिन उसके बाद राजस्थान की जनता से भूल हो गयी या कहीं बातों में आ गयी होंगी और ज्यों ही 2008-2009 में पूर्व का 109 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनाने की जो प्रक्रिया थी, या जो कार्यवाही थी या जो आधार था, उसको इन्होंने तुरन्त अपने थोड़े से कार्यकाल में ही घटा दिया और वह 82 प्रतिशत हो गयी। 2009-10 में तो सिर्फ 68

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रतिशत और फिर धीरे-धीरे घटती रही। यह एक उदाहरण मात्र है, जिस उदाहरण के आधार पर आप जज कर सकते हैं कि कौनसी सरकार किस तरह से जनता के हित में काम कर रही है और कौनसी सरकार किस तरह से जनता के हित में काम नहीं कर रही है। जो ऋण लिया जा रहा है, उसका उपयोग किस तरह और क्योंकर किया जा रहा है, यह पहला उदाहरण था।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा उदाहरण आपके सामने पेश करूं, जिसके आधार पर यह आकलन किया जा सकता है, राजस्थान की जनता भी करती है, इस सदन के सभी माननीय सदस्य भी करते हैं, अर्थशास्त्री भी करते हैं और जो चतुर्थ स्तम्भ है लोकतंत्र का, वह भी इसका आकलन करते हैं। वर्ष 2003-04 में जो राजस्व घाटा 3,424 करोड़ का था, वर्ष 2007-2008 तक बदलकर हमने 1,653 करोड़ रुपये का सरप्लस किया। मतलब कांग्रेस के शासन काल में 2003-2004 में जो राजस्व घाटा 3,424 करोड़ का था, इसको 2007-2008 में राजस्व घाटे को पूरा कम किया गया सरप्लस बजट लाकर, सरप्लस किया गया। 1,653 करोड़ का सरप्लस किया गया है। कितना अन्तर आया? राजस्व घाटा था, उस राजस्व घाटे की पूर्ति हुई, फिर राजस्व घाटे को उबारकर उसको सरप्लस में लाया गया और 1,653 करोड़ का हुआ।

इसी तरह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन से राजस्व घाटा बढ़ा था, भाजपा के कुशल वित्तीय प्रबन्ध के कारण राजस्व घाटा सरप्लस में हुआ, लेकिन वापस क्या हुआ? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन, अकुशल गवर्नेन्स के कारण वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटा 2500 करोड़ रुपये का हो गया। फिर इनका वापस शासन काल आया तो 2500 करोड़ का घाटा हो गया, यह तो हुई राजस्व घाटे की स्थिति। दूसरा फिस्कल डेफिसिट, वर्ष 2003 में फिस्कल डेफिसिट साढ़े 6 प्रतिशत से अधिक था, जो वर्ष 2007-08 तक 8.75 कर दिया गया। इतना वापस अन्तर भाजपा के शासन काल के दौरान किया गया। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने फिर इसे 3 प्रतिशत कर दिया, यह फिस्कल डेफिसिट की पोजीशन है।

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2008 तक कुल भार 77,138 करोड़ रुपये का था, जो मार्च, 2014 तक यह भार 33,502 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ रुपये तक का हो गया। यह वित्तीय कुशल प्रबन्धन का आधार है और यह वित्तीय अकुशल प्रबन्धन का आधार है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष

(श्री जोगाराम पटेल)

2003-04 में 42 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था, जो वर्ष 2007-08 में 109 प्रतिशत हो गया, जो कि जी एस डी पी का 2.9 प्रतिशत तक रह गया। वर्ष 2008-09 में बिजली कम्पनियों का जो मामला आएगा, अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कितना घाटा किस तरह से हुआ, यह तो एक आधार है, जिसके आधार पर आदरणीय वित्त मंत्रीजी का और अन्य जो शासन काल से लगे हुए लोग हैं, उनका किस तरह से कुशल वित्तीय प्रबन्धन या अकुशल वित्तीय प्रबन्धन का आकलन किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, कई बार बड़ी बहस होती है कि हमने प्लान की साइज को बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन प्लान की साइज बड़ा करना और एक्चुअल खर्च करने में फर्क है। मैं उदाहरण के तौर पर, सिर्फ नमूने के तौर पर आपसे निवेदन करूं, वर्ष 2009-10 में आपका जो प्लान साइज था, वह 18,645 करोड़ का था और खर्च आपने मात्र 18,022 करोड़ ही किया, 612 करोड़ रुपये आपसे खर्च ही नहीं हुए। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 23,562 करोड़ का आपका प्लान साइज था और खर्च 20,829 करोड़ ही कर पाये। 23,652 करोड़ के स्थान पर 20,829 करोड़ ही खर्च कर पाये, बाकी का पैसा आप खर्च ही नहीं कर पाये। वित्तीय वर्ष 2011-12 में 29,261 करोड़ का आपका प्लान साइज था, उसके स्थान पर आप मात्र 25,049 करोड़ ही खर्च कर पाये, करीब 4,222 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं कर पाये। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 36,365 का रिवाइज्ड प्लान साइज आपने बताया था और इस वर्ष के मार्च तक आप 19,920 करोड़ रुपये ही मात्र खर्च कर पाये थे, तो इनके आधार पर मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का जो वित्तीय प्रबन्धन था, वह पूर्ण रूप से अकुशल था। न तो प्लान साइज में पैसा खर्च कर सके, फिस्कल डेफिसिट में बढ़ोतरी करते रहे, लोन लेने के बावजूद भी लोन को परिसम्पत्तियां निर्माण में खर्च नहीं कर सके। अन्य और अनेक उदाहरण हैं जिन आंकड़ों में मैं अभी नहीं जाकर दूसरे मुद्दे पर बात रखूंगा।

पहले बजट के आधार पर आप जज कर सकते हैं, माननीय सभापति महोदय, कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल के दौरान बजट की राशि का जो उपयोग होना चाहिए था, पैसा जो सही स्थान पर खर्च होना चाहिए था वह नहीं होकर उसके अगेंस्ट में मौजूदा सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन और माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल वित्तीय प्रबन्धन से इन सबको खतम करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने योग्य शासन दिया।

(श्री जोगाराम पटेल)

दूसरे उदाहरण हैं, जिनके आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आया है और राजस्थान देश में प्रथम स्थान आने के साथ ही साथ कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वह अगर वित्तीय प्रबन्धन ठीक रहा तो दिनों दिन ठीक होती जायेगी।

वर्ष 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का अंशदान 23.64 प्रतिशत अनुमानित है जो अखिल भारतीय स्तर से 17 प्रतिशत से अधिक है। उद्योग में अगर आप लेंगे तो इस क्षेत्र का योगदान 28.68 प्रतिशत है जो देश के अंशदान 29.71 प्रतिशत से थोड़ा कम है, 28.68 राजस्थान प्रदेश का है और भारत का औसत 29.71 प्रतिशत है।

सेवा, तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर किसी भी प्रदेश और देश का होता है। सेवा में योगदान 47.68 प्रतिशत जो हमारा है और राष्ट्रीय स्तर का 53.29 प्रतिशत है। अपना 47 परसेंट और देश का 53 परसेंट।

आप इसको थोड़ा-सा अलग नजरिये से देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यदि ठीक मानसून है अथवा नहीं है तो इसका सकल घरेलू उत्पादन मूल्य पर 6 लाख 74 हजार 137 करोड़ रुपये के स्थिर मूल्य के स्थान पर 5 करोड़ 44 लाख 14 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने की है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014-15 की तुलना में क्रमश: 10.12 और 6.23 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र जिसके लिए ज्यादा आरोप लगाते हैं, आपने केन्द्र सरकार के बजट को भी देखा और परखा होगा, वर्ष 2015-16 में प्रचलित मूल्य कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन 1 करोड़ 51 लाख 127.37 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष 2014-15 के 1 करोड़ 50 लाख 444.94 करोड़ रुपये से 0.45 प्रतिशत अधिक है। कृषि क्षेत्र में भी हमारा प्रचलित मूल्य कृषि का सकल मूल्य संवर्धन अधिक है।

आप उद्योग के क्षेत्र को ले लें तो वर्ष 2015-16 में प्रचलित मूल्य का औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन 1 करोड़ 83 लाख 351.40 करोड़ रुपये अनुमानित थे जो कि वर्ष 2014-15 के सकल मूल्य संवर्धन 1 करोड़ 70 लाख 981.79 करोड़ रुपये से 7.23 प्रतिशत अधिक है, तो उद्योगों को भी बढ़ावा मिल

(श्री जोगाराम पटेल)

रहा है, कृषि को भी बढ़ावा मिल रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है।

सेवा का जो अंतिम है, वर्ष 2014-15 में प्रचलित मूल्य दर पर सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन 3 करोड़ 4 लाख 739.48 करोड़ रुपये अनुमानित थे, जो कि वर्ष 2014-15 के सकल मूल्य संवर्धन 2 करोड़ 60 लाख 158.12 करोड़ रुपये के 17. कुछ प्रतिशत अधिक है और यह हम सब के लिए विचारणीय विषय है कि हम सेवा क्षेत्र में किस तरह से इसकी कमी कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि हमारी असेसमेंट आफ सस्टेनेबैलिटी भी विचार करने योग्य है और जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, सही नतीजे पर नहीं पहुंच पायेंगे, मैं सारे आंकड़े आपके सामने नहीं रखकर के जो हमारा राजस्थान प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहला किसी भी देश और प्रदेश के विकास का आकलन करना है तो अनेक पैरामीटर हैं जिनमें से बजट से सम्बन्धित पैरामीटर का मैंने आपको निवेदन किया और दूसरा पैरामीटर है उसका सड़क तंत्र। सदन में अनेक बार इस सम्बन्ध में वक्तव्य भी हुए हैं। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जान कैनेडी का कथन भी इस सदन में रखा भी गया है और पूर्व के बजट में भी उसका उल्लेख है। उन्होंने कहा है कि हमारा अमेरिका एक विकसित देश क्यों है "America does not have great roads because it has great country. It is a great country because it has great roads." सड़क तंत्र भी अगर विकसित और सुदृढ़ होगा तो हमारे प्रदेश का विकास भी उसी अनुरूप होगा।

इस सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि हमें सिर्फ आलोचना करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर नहीं बताना चाहिए, उससे जनता में गलत संदेश जाता है। हमारा देश और हमारा प्रदेश सड़क नैटवर्क में कितना आगे है, इन सबको नजरअंदाज कर हम कोई मनगढ़ंत बात कह देवें, उसका बुरा असर पड़ता है।

मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नैटवर्क विकसित करने वाला देश है, 4.87 मिलियन किलोमीटर सड़क नैटवर्क वाला हमारा देश है। किसी भी देश के पास इतना सड़क नैटवर्क नहीं

(श्री जोगाराम पटेल)

है। विश्व का दूसरा बड़ा सड़क नैटवर्क वाला देश जिसमें 97.135 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग है, जिसे 1 लाख 50 हजार किलोमीटर करने का लक्ष्य है। सड़क बनाने की रफ्तार में तेजी आयी है। मैं निवेदन भी करना चाहूंगा जहां पहले आपके राज के दौरान तीन किलोमीटर प्रति दिन सड़क बनती थी, वहां आज 18 किलोमीटर प्रति दिन सड़क का निर्माण हो रहा है। जहां आपके राज में तीन किलोमीटर प्रति दिन सड़क बनती थी, वहां आज 18 किलोमीटर प्रति दिन सड़क का निर्माण हो रहा है और हमारा विजन है, चाहे प्रदेश में हमारी सरकार हो या देश में हमारी सरकार हो, हमारा 30 किलोमीटर प्रति दिन करने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को भगवान की कृपा से, जनता की कृपा से हम पूर्ण कर पायेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दो प्रतिशत है लेकिन 40 प्रतिशत यातायात इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलता है। सड़क मार्ग से 65 प्रतिशत माल का यातायात, ट्रांसपोर्टेशन होता है और 80 प्रतिशत यात्री इस सड़क मार्ग से गुजरते हैं इसीलिए सड़क तंत्र का इतना महत्व है। इस सड़क तंत्र के महत्व को प्रदेश के स्तर पर भी देखा जाए तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश सड़क नैटवर्क में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत आगे है, इसीलिए हमको इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की ओर से प्रोत्साहित भी किया गया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक किलोमीटर भी नहीं बनी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारी आदत भी पड़ गयी है, जैसा मैंने अभी पहले कहा, हम हमारे परिवार और पड़ौस में बैठे साथी को भी किसी इसी लफ्जों से पुकार सकते हैं क्योंकि हम वास्तविकता की अनदेखी कर देते हैं जो सहनीय नहीं है। आलोचना, समालोचना होनी चाहिए लेकिन एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी ऐसा असत्य कथन सदन में बोल दिया गया है और हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि गलत बोलने पर कार्यवाही होनी चाहिये। हमारे वकालात में तो ऐसा प्रोविजन है कि रोंग स्टेटमेंट पर कंडैम किया जाता है लेकिन विधान सभा की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। विधान सभा की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है तो भी गलत तथ्य नहीं आने चाहिए, इतना मेरा अवश्य निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) कि पीपीपी मोड पर एक किलोमीटर सड़क भी अभी तक दो साल में नहीं बनी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई जहां आप तीन किलोमीटर बनाते थे वहां हम 18 किलोमीटर बना रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पीपीपी मोड याद रहता है, आपको यह चीज याद नहीं रहती है क्योंकि आपकी निगाह में ही खोट है। 'जिसकी निगाह में जैसा है वो वैसा ही रहेगा हमेशा, जिनको जहन्नुम में झूठ बोलना है वो ऐसा ही रहेगा हमेशा।'

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई वर्ष 2013-14 में 7310 किलोमीटर थी वह वर्ष 2014-15 में 8022 किलोमीटर हो गयी, जो देश में सर्वाधिक है, फिर भी आप बोल गये। इस वर्ष 712 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हुई है जिसका माननीय गडकरी जी ने यहां शिलान्यास भी किया। वर्ष 2015-16 में 9400 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हो जायेंगे, इस वर्ष 1426 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं।

इन परियोजनाओं पर भारी खर्चा हो रहा है 3,893 करोड़ रुपये से भी बहुत अधिक खर्चा हो रहा है। राजस्थान में 886.88 करोड़ रुपये की लागत से 3618 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न चरणों में निर्माण कार्य चल रहे हैं। यू.पी. में हाइवे की लम्बाई 7863 किलोमीटर है जबकि हमारे प्रदेश में जो लम्बाई 8022 किलोमीटर है। 33 लाख किलोमीटर लम्बा रोड नैटवर्क हमारे देश में है। प्रदेश में एमडीआर, प्रधानमंत्री सड़क योजना, वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, पीपीपी मोड व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से 12,363 किलोमीटर सड़कों का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। इतना ही नहीं, प्रदेश में औसतन 16.93 किलोमीटर प्रति दिन अथवा 5 गांव रोजाना सड़क से जोड़ने की गति से निर्माण कार्य हो रहा है। जो कांग्रेस के शासन काल से ढाई गुणा अधिक है। फिर भी आप यह कहेंगे कि रोड नैटवर्क तो नहीं बन रहा है। आप कहेंगे क्योंकि आपको तो दूसरा कहना ही नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): लूणी की कोई 5 रोड बता दो जो 1 साल में मंजूर हुई हों, 5 रोड लूणी की।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): काहे की रोड?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): लूणी विधान सभा में पिछले 1 साल में 5 रोड कौनसी बनीं, बता दो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 40 किलोमीटर लूणी विधान सभा क्षेत्र में...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गांव बता दो जहां बनी हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 40 किलोमीटर लूणी विधान सभा क्षेत्र में रोड बनी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कहां बनी हैं, वह 5 रोड बता दो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके रिश्तेदार के गांव गुढा विश्नोइयां में 8 किलोमीटर रोड नई बनी है। आपके रिश्तेदार गुढा विश्नोइयां के गांव में जहां आप जाकर आये हैं, एक 6 करोड़ के पुल का निर्माण हो रहा है। आपके रिश्तेदार, जहां आपकी मौसी की बहन लगती है। उस गुढा विश्नोइयां गांव के दूसरी तरफ 3 किलोमीटर रोड बन रही है। कितनी गिनाऊं आपको? खारा बीरा पुरोहितान। जहां मेरे साथी के भी रिश्तेदार रहते हैं। कितनी गिनाऊं, सुखराम जी? सपना सिर्फ एक ही रखो कि धरने पर कैसे बैठूं।

राजस्थान में जो प्रस्तावित राजमार्ग हैं उसकी यह लिस्ट है, उसके बारे में मैं निवेदन नहीं करूंगा।

दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु आता है, इसी के सम्बन्ध में कई बातें कही जा सकती हैं। कई बातें कहनी भी चाहिए। मैंने कहा है कि जिसकी जैसी आदत, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। राजस्थान को सर्वप्रथम इंडिया रोड सेफ्टी मिशन में नेशनल अवार्ड मिला है। आपके लिहाज से कुछ भी नहीं है राजस्थान। आप राजस्थान को उसी दृष्टि से देखते हो कि गरीब रहना चाहिए। कोई कामकाज नहीं होना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, जलवा तो है आपका, देखो, मंत्रीजी आपको पूछकर जा रहे हैं। जलवा तो है अभी आपका।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारा सभी तरफ जलवा है और आपका सभी तरफ कलवा है। इंडिया रोड सेफ्टी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015 का विभिन्न 6 श्रेणियों का पब्लिक एवं प्राइवेट सैक्टर, एनजीओ, अकादमियों, संस्थाओं, व्यक्तिगत, हैप्पी रोड श्रेणी में वर्ष 2014-15 में की गई सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर आनलाइन आवेदन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के टाप 5 में चयन हमारे राजस्थान का किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, माननीय सचेतक जो विपक्ष के हैं, उन्होंने एक शब्द कहा राजेन्द्र जी के लिए, प्रयोग ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपका जलवा, जलवा महिलाओं के लिए होती है, पुरुषों के लिए नहीं होती है। यह जलवा कैसे पूजी आपने?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उसको मैंने कलवा कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने भी एक गलत शब्द का प्रयोग किया है कि जैसी करनी वैसी उसकी परणी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भरनी, भरनी। परणी नहीं भरनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): परणी नहीं होती है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी।

एक माननीय सदस्य: हमने तो परणी सुनी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): परणी सुना है तो गलत सुना है। वह भरनी शब्द है। इतिहास में कहा गया है कि जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नहीं, उनकी तरफ उंगली मत करो, यह तो महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती तीनों एक साथ विराजमान हैं यहां। देखो, देखो आप। शास्त्रोक्त बात है पूर्णतया, तीन देवियां होती हैं और तीनों ही महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती अपने स्वरूप के हिसाब से यहां विराजमान हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि चाहे महाभारत काल रहा हो, चाहे रामायण काल रहा हो, वह सारा का सारा इन देवियों के पास ही रहा है। चाहे वित्त मंत्रालय हो तो महालक्ष्मी के रूप में, चाहे शिक्षा विभाग रहा हो, जो आपके पास था किसी जमाने में, वह मां सरस्वती के रूप में, चाहे गृह विभाग रहा हो, वह तो अलग-अलग विषय इनके पास ही रहे हैं और रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देवनानीजी को अब आपने सरस्वतीजी का स्वरूप प्रदान कर दिया?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, मैंने आदिकाल का गिनाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आदिकाल का।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आदिकाल में रहा है।

दूसरा, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आया है स्वच्छ भारत मिशन में। देश में और विभिन्न प्रदेशों में इस सम्बन्ध में कार्य हो रहा है। लेकिन जो आदरणीय नरेन्द्र मोदीजी का सपना है और हमारे महात्मा गांधीजी का जो विशेष प्रयास रहा था, 14.15 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है और 60 लाख परिवारों को अभी भी जोड़ना बाकी है। वर्ष 2019 तक खुले शौच

(श्री जोगाराम पटेल)

से मुक्त हमारे प्रदेश को किया जाना है। प्रदेश में 'स्वच्छ भारत मिशन' के अभियान के तहत 2119 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। 'आओ साथ चलें,' 'सबका साथ, सबका विकास' यह कोई खाली सरकारी कार्यक्रम ही नहीं है, यह हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारी आन और शान के लिए हैं। हम सब मिलकर के करेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन में भी जो हमको पहला अवार्ड मिला है, वह लगातार जारी रहेगा।

अब आपके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि आप खुद निर्णय ले सकें। तिवाड़ी साहब को पूछना पड़ेगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो अभी शुरू हुआ है। प्रदेश का शहरी स्वास्थ्य मिशन एनयूएचएम अपनी स्थापना के पहले वर्ष में ही देश में अव्वल रहा है। इसके लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी का इसमें है। हमारे विभाग का भी है लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनका ही है। एनयूएचएम के क्रियान्वयन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग में केन्द्रीय संयुक्त शासन सचिव मनोज झालानी व संयुक्त शासन सचिव, शहरी स्वास्थ्य, वंदना गुरनानी ने जानकारी दी और उसके आधार पर हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं, सरकारी घोषणा के अनुसार कि हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। आदरणीय राठौड़ साहब ने जैसा बताया 13 दिसम्बर, 2014 को ही यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया और 1 वर्ष के अन्दर-अन्दर ही हम देश में प्रथम स्थान पर आये हैं।

हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने देश, अपने प्रदेश, हमारे प्रदेश वासियों पर भी गर्व होना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों पर भी हमें गर्व होना चाहिए। यह वह प्रदेश है जिसने आईआईटी एडमिशन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमें अपने विद्यार्थियों पर भी गर्व है। आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट का भरोसा राजस्थान पर कायम है। अब कोटा के साथ-साथ अन्य शहरों में भी एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। कोटा अभी भी पढ़ाई के फील्ड में राजस्थान में लीड कर रहा है। आईआईटी में प्रोविजनल एडमिशन लेने के लिए लिस्ट में सबसे अधिक संख्या हमारे विद्यार्थियों की रही है। जो टाप राज्य रहे हैं उसमें राजस्थान का नाम है। 1965 हमारे और बाकी दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश में 1259 है और फिर बाद में रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हमारे विद्यार्थियों की संख्या में भी टाप पर हैं।

मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से भी इस मौके पर निवेदन अवश्य करना

(श्री जोगाराम पटेल)

चाहूंगा कि जो हमारा सीबीएसईसी कोर्स है, उनके जो विद्यार्थी हैं, इसमें अधिक संख्या में आते हैं। हमारे बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के सैटअप के अन्तर्गत जो विद्यार्थी आते हैं, उनको भी इस श्रेणी में हम अधिक संख्या में लावें। इसी के आधार पर सैल्फ स्टडी के विद्यार्थी भी आ रहे हैं, कोचिंग के भी आ रहे हैं, अन्य के भी आ रहे हैं। अत्यन्त ही गर्व के साथ कहना है कि हमारे विद्यार्थियों ने पूरे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान कायम किया है।

'वाटर कंसेप्ट प्रोग्राम' में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। 'फोर वाटर कंसेप्ट' प्रोग्राम चला, उसमें भी हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सेन्ट्रल इर्रिगेशन पावर बोर्ड ने नदियों से नदियों को जोड़ने के विषय को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा चलाये जा रहे 'फोर वाटर कंसेप्ट प्रोग्राम' के लिए जनवरी, 2016 में राजस्थान प्रदेश के जल संसाधन विभाग की भूरि-भूरि प्रशंसा ही नहीं की है, बल्कि अवार्ड भी दिया है। जल संसाधन केन्द्रीय मंत्री आदरणीय उमाजी भारती ने राजस्थान प्रदेश के लिए गर्व से कहा है कि राजस्थान प्रदेश भले ही भौगोलिक परिस्थितियों से विपरीत प्रदेश रहा हो, मरु स्थलीय रहा हो, लेकिन फिर भी 'फोर वाटर कंसेप्ट प्रोग्राम' में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं आपको यह भी गर्व के साथ कह सकता हूं कि फोर वाटर कंसेप्ट प्रोग्राम ही नहीं, दूध उत्पादन में भी प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आप 2007-08 से लगाकर 2014-15 के कुल उत्पादन का अगर आकलन करें ...(व्यवधान) तो भी यह राजस्थान प्रदेश की जनता की देन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भी आपकी ही उपलब्धि है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह आपकी और मेरी अकेले की बपौती भी नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है अगर कोई माननीय सदस्य बिना किसी कारण के बैठे-बैठे बोले तो आप उस सम्बन्ध में भी ध्यान आकर्षित करें उनका।

वर्ष 2007-08 में जहां 11377 दूध का उत्पादन था वहां वर्ष 2014-16 में 16300 हो गया। गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊंटनी का, यह सब दूध उत्पादन में, और सबसे अधिक सहयोग है भैंस का। प्रदेश में 6.8 प्रतिशत गौ वंश है, उसका भी इसमें योग है। सबसे अधिक बकरियां हमारे राजस्थान में हैं

(श्री जोगाराम पटेल)

और इसी के आधार पर निवेदन है कि हम राजस्थान में यह अवार्ड प्राप्त करने में सफल रहे।

दो महत्वपूर्ण विषय, जिनकी ओर आप जान-बूझकर आंख मूंदते रहे। हमारा देश और अनेक प्रदेशों सौर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, चाहे वह कर्नाटका हो, या और कोई हो लेकिन सौर ऊर्जा पैदा करने में और इसकी वैल्यू कम से कम लाने में राजस्थान प्रदेश देश में अव्वल रहा है। सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले पायदान पर आ चुका है और राजस्थान प्रदेश में 1259 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। जनवरी, 2015 तक प्रदेश में 915 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो गया है और 16 मेगावाट के प्लांट अभी स्थापित होने वाले हैं। सबसे सस्ती दर, सौर उत्पादन को लेकर विदेश में पहचान कर चुकी मरुधरा की यह धरती जिस पर हमें गर्व है आपको है या नहीं आप जानें। सोलर बिजली उत्पादन में पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत 420 मेगावाट के प्लांट के लिए एनटीपीसी संविदा प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही फाइनल होने वाली है। हमारी जो दर है वह 4.34 रुपये प्रति यूनिट है जो देश में सबसे कम है। अन्य प्रदेशों में इससे अधिक है, जैसे कि 4.34, 4.63, 5.00, 6.00, 7.00 और 8.00 तक भी है, यूपी में 8 रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में हम सबसे अधिक उत्पादन करते हैं, कम से कम लागत में उत्पादन करते हैं, उत्पादन भी अधिक और लागत भी हमारी सबसे कम। अनेक प्रोजेक्ट अभी अंतिम स्तर पर, लगने के स्तर पर हैं और सौर ऊर्जा के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम राजस्थान में पहले स्थान पर हैं, पर अब थोड़ा सा नमूना पूर्ववर्ती सरकार का भी आपके सामने रखना चाहूंगा।

वित्तीय वर्ष 2014 जैसा कि मैंने निवेदन किया मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा कि इतना घाटा हुआ, इतना घाटा नहीं हुआ, सब आंकड़े आपके सामने बार-बार आ चुके हैं, और हर व्यक्ति को इसकी जानकारी है, नहीं है तो नैट पर कोई भी निकाल सकता है। पर जैसा अभी मेरे वरिष्ठ सपोटरा से पधारने वाले आदरणीय साथी ने कहा, 72722 करोड़ रुपये का वार्षिक घाटा हमारे कार्यकाल तक था उसके बाद 1 करोड़ हो गया और उसका आकलन अगर हम करें तो 15645 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, एक वर्ष का। इसमें जो विशेष बात है उन्होंने इस बात को नहीं कहा या जिसे दूसरे शब्दों में कहूं कि छिपाया तो वह यह था कि सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप 2014-15

(श्री जोगाराम पटेल)

में इन कम्पनियों का घाटा 3172 करोड़ रुपये कम हुआ और इस वर्ष में यह घाटा 3500 करोड़ रुपये कम होने का लक्ष्य रखा गया है, यह एक्चुअल फीगर तो 3172 कम हो गया, यह सरकारी आंकड़े नैट पर उपलब्ध हैं, यह मेरे कहने से, आपके कहने से या और किसी के कहने से बदलते नहीं हैं लेकिन आप इस तथ्य को छिपाकर दूसरी ओर निकल गये। इस वित्तीय वर्ष 3500 करोड़ रुपये कम करने का लक्ष्य रखा गया है और हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं इन बिजली कम्पनियों का जो टोटल घाटा है, उस ऋण को चुकाने में प्रति वर्ष 8 हजार करोड़ रुपये लग रहे हैं और यह 8 हजार करोड़ की लागत की वजह से घाटा दिनोंदिन बढ़ रहा है इसी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गत सरकार ने आधारभूत संरचना की उपेक्षा की। आपकी सरकार इस आधारभूत वित्तीय पुनर्गठन योजना, 2012 को ईमानदारी से लागू नहीं करने और कम्पनियों को घाटे से उबारने के कोई सार्थक प्रयास नहीं करने की वजह से यह इतना अधिक घाटा हुआ।

अनेक बार माननीय सदस्यों ने व कल राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी द्वारा बजट भाषण के दौरान 'उदय' योजना बारे में जानकारी दी गयी। हिन्दुस्तान की सरकार यह चाहती है कि सभी प्रदेशों में जो बिजली के घाटे हैं वह कम हों। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां घाटा बिलकुल ही नहीं होगा, मेरी जानकारी में नहीं है फिर भी सब्जेक्ट टू करेक्शन। लेकिन किसका कितना घाटा है, किस कारण से है यह विचारणीय विषय है और उज्जवल डिस्काम एश्यूरेंस योजना जिसको 'उदय' नाम दिया गया है, सरकार ने पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऐसा ऐतिहासिक निर्णय वही व्यक्ति या वही व्यक्तित्व ले सकता है जिसमें वित्तीय कुशल प्रबन्धन की क्षमता है और जो विजन 2020 रखता है, अन्य किसी की क्षमता के बाहर का विषय है, आप लोगों की क्षमता का नहीं है। इसी के आधार पर सरकार ने डिस्काम के रिवाइवल के लिए कि हमारा डिस्काम रहेगा तो हमारी यह लाइटें लगती रहेंगी, माइक भी चलता रहेगा, हम बोलते भी रहेंगे और अगर रिवाइवल नहीं किया गया तो यह डिस्काम बंद होने के कगार पर पहुंच गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस उदय योजना को जो केन्द्र सरकार की योजना है, इसको अपने यहां एडाप्ट किया और रिवाइवल के लिए इनका कर्ज भार अपने ऊपर लेते हुए (सरकार के ऊपर लेते हुए) 30.9.2015 को अवशेष ऋण रहा था, जो टोटल, ग्रोस ऋण 80530

(श्री जोगाराम पटेल)

करोड़ रुपये है, आपने उसको 1 करोड़ और कुछ समथिंग बोल दिया, जबकि है वास्तव में 80530 करोड़ का, इसका 75 प्रतिशत टेक ओवर करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 40 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय वर्ष 2015-16 में और 20 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय वर्ष 2016-17 में टेक ओवर किया जाएगा। यह टेक ओवर करने के बाद चालीस और बीस, 60 हजार करोड़ रुपये का जो कर्जा है वह सरकार टेक ओवर करेगी ताकि ये कम्पनियां रिवाइवल हो सकें और दिनोंदिन छीजत है जिसके लिए आपने कहा या अन्य कारण हैं जिनके कारण से यह घाटा बढ़ रहा है और लोन लेना पड़ रहा है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा।

दूसरा सार्थक परिणाम, दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि मौजूदा सरकार के प्रथम दो वर्ष में उत्पादन क्षमता 4383 मेगावाट की वृद्धि जबकि पूर्ववर्ती सरकार के प्रथम दो वर्ष के कार्यकाल में 2293 मेगावाट की वृद्धि हुई थी यह आपके आकलन करने के लिए पर्याप्त है। आपके इधर-उधर झांकने से ही फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनेक ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना, जिसकी मैं लिस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि लम्बा हो जायेगा, 400 केवी के कितने हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में? 400 केवी के जी एस एस को आपके पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लटकाये रखा। काकानी का 400 केवी का ऐसे ही पड़ा रहा। जोधपुर के पूर्व के सदन के नेता आने के बावजूद भी 5 साल तक उस 400 केवी के ग्रिड सब स्टेशन को लटकाये रखा और मौजूदा सरकार आते ही सबसे पहले एक साल पूर्व उसका शिलान्यास किया गया और उसका कार्य करीब-करीब पूर्ण होने को है। वर्ष 2014-15 व 2015-16 में 40-40 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये। अभी घोषणा की है कि 40 हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन और जारी करेंगे इससे स्पष्ट लगता है कि सरकार गांवों का ढांचागत सुधार करना चाहती है, काश्तकारों की हितैषी सरकार है और सरकार यह चाहती है कि हमारे किसान का विकास हो, हमारे प्रदेश की जनता का विकास हो। चाहे वह सौर ऊर्जा का विषय हो, अन्य बिजली उत्पादन कम्पनियों के घाटे का विषय हो, उन सबको निराकरण कर सरकार ने बनाकर यह साबित किया है कि सरकार की मंशा ठीक है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में इस ओर कार्य कर रही है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय और आता है कि हमारी जो समस्याएं हैं उन पर आकलन करने से पहले दिनांक 23.2.2011 को तत्कालीन सदन के नेता आदरणीय अशोकजी गहलोत ने इस सदन में जो

(श्री जोगाराम पटेल)

वक्तव्य दिया, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के जवाब में वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। 'मेरी दृष्टि के अन्दर वास्तव में मैं कहूं तो ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर गरीब आदमी जाता है उसका पूरा इलाज होता नहीं है और होता है तो बिल इतना ज्यादा बनता है कि वह दे ही नहीं सकता। कई बार उनकी शिकायतें रहती हैं, ऐसे किस्से भी आए हैं जहां परिजनों ने आरोप लगाया है और 32-32 लाख रुपये का पेमेंट हुआ है। यह भी वक्तव्य दिया कि बाद में दो दिन पहले डेथ हो

(16.00 बजे)

गयी थी उसके बावजूद भी भर्ती क्यों रखा गया, हमें बताया क्यों नहीं गया, ऐसे -ऐसे, वगैरह-वगैरह। उन्होंने यह भी कहा, आई कोट, "अपनी जो भावना थी वह प्रदेशवासियों के सामने रखी है, उनको मैं कहना चाहता हूं आपकी पार्टी के लोगों ने आकर कहा कि हमने तो प्रदर्शन भी किया है सड़कों पर, सब कुछ किया है, पर हमारी घर वाली और घर वाले खुश हो रहे हैं कि यह जो मुख्य मंत्री का कमेंट है वास्तव में स्थिति है, इसको ठीक करना चाहिए।" आपके सदन के नेता का जो वक्तव्य है उसको अक्षरश: राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने लिया और पहली बार इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया।

दो तरह की योजनाएं होती हैं। एक वोट ओरिएंटेड योजना व दूसरी डवलपमेंट ओरिएंटेड योजना पहली में एक आदमी को राज़ी करो, अपने को वोट मिल गये और काम हो गया। दूसरी डवलपमेंट ओरिएंटेड योजना, जिसमें राजस्थान का विकास होता है और राजस्थान का विकास होता है तो उस व्यक्ति का विकास भी उसमें सम्मिलित है।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया उस ऐतिहासिक निर्णय का परिणाम यह है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13.12.2015 को प्रारम्भ की गयी। न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी से अनुबंध किया गया दिनांक 3.9.2015 को। कई लोगों ने इसकी मजाक उड़ायी और कई लोग अभी भी इसमें मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो तथ्य हैं वे साबित करते हैं कि इस योजना का आम जनता ने, गरीब लोगों ने अनूठा फायदा उठाया है। यह सदन के पूर्व नेता का वक्तव्य दिनांक 23.02.2011 का इसका स्पष्ट जवाब है। उनके पास इसका जवाब नहीं था। इलाज का बिल इतना ज्यादा आता था कि वह गरीब दे ही नहीं सकता। कई बार उनकी शिकायतें रहती थीं।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसका जवाब दिया कि 30 हजार से लगाकर 3 लाख तक का जितना भी खर्चा इलाज में आएगा चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सरकार वहन करेगी। कैशलेस इलाज की व्यवस्था की गयी है। मरीज है या जिसके शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हुई है या जो उसके साथ जाते हैं उनको इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे, कितना खर्चा आएगा? कैशलेस व्यवस्था की गयी है। दिनांक 15.2.2016 तक 367 गवर्नमेंट हास्पिटल और 320 प्राइवेट हास्पिटल इसके अन्दर इंक्लूड किये जा चुके हैं जिनके अन्दर इलाज प्रारम्भ हो चुका है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टोटल आबादी का 67 परसेंट इससे जुड़ेगा।

आप अनुमान लगाएं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आप नहीं कर पाये। आपका शासन 2011 में रहा, 2012, 2013 में भी रहा, आपकी पीड़ा थी। आपने भी दिनांक 10.03.2011 को इस सदन में बोला, वह भी साथ लेकर आया हूं। जैसा हमारे आदरणीय गृह मंत्रीजी कहते हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करता, लेकिन सबकी जन्मपत्रियां मेरे पास हैं। मेरी भी है, आपकी है, सबकी जन्मपत्रियां हैं, सबका जवाब है।

इतना ही नहीं, 40 हजार परिवारों को सुविधा फरवरी, 2016 तक इस इलाज के तहत मिल चुकी है। हमारा प्रदेश बड़ा प्रदेश है। एक करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने का हमारा लक्ष्य है।

इतना ही नहीं इसके अलावा इसका व्यापक असर इतना है जो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक वृद्ध महिला थी, करीब 75 वर्ष की उम्र है, उसके करीब 3-4 सालों से हार्ट की बीमारी थी। हमने कहा इलाज करा लो, जयपुर चलो। उसने कहा इतना खर्चा वहन करने की स्थिति में नहीं हूं, भगवान जब तक चलाता है चलता रहे। अभी इस योजना के बाद उसका इलाज हुआ, फ्री में इलाज हुआ। बाहर आने के बाद उसके पुत्र ने फोन करके मुझे बुलाया कि मां आपको बुला रही है। मैंने कहा कि क्या काम है। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं कोट करना चाहता हूं "भाया एक बार वसुन्धराजी सू मिला दे, उनको धन्यवाद देणो है, बाकी म्हारी कोई इच्छा बाकी नहीं रही"। यह शब्द हैं उस 75 वर्ष की वृद्धा के हैं कि मैं एक बार धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसी योजना राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी आपसे ही मिलने को तैयार नहीं हैं तो फिर आप क्या मिलाओगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप ऐसा नहीं कर सके। आप ऐसा कर नहीं पाओगे, आपकी इच्छाशक्ति नहीं है। आपका मात्र एक ध्येय है कि वह गरीब गरीब रहे, उसके पढ़ने की, समझने की क्षमता नहीं बढ़े और वह हमको सिर्फ वोट देता रहे यह आपकी इच्छाशक्ति रहती है। हमारी इच्छाशक्ति यह है कि वह पढ़े, समझे और अपने अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग करे, यह हमारी मंशा रहती है। मंशा का फर्क है।

इतना ही नहीं, जैसा मैंने अभी कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भी परिवारों को इसका लाभ दिया। इसके अन्तर्गत एक करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। जननी सुरक्षा योजना, दूर-दराज के गांवों में गरीब परिवारों को, विशेषकर महिला एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 52 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 150 मोबाइल मेडिकल वाहनों की भी व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं 2013-14 में देश के 12 राज्यों में जो वेक्सीन का टीकाकरण हुआ उसमें राजस्थान भी शामिल है और राजस्थान ने इसके अलावा भी टीकाकरण किया है।

पुत्री के जन्म दिन पर, कभी बधाई दी थी? अपनी पोती को भी नहीं दी होगी आपने तो। पुत्री के जन्मदिन पर...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पुत्र की शादी ही नहीं हुई तो पोता कहां से होता, कैसे देता?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पोता तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। भगवान की कृपा है वह तो। परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी पर है।

राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में बेटी के जन्मदिन पर माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से हस्ताक्षरित बधाई संदेश प्रत्येक परिवार को दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम 11 अक्टूबर, 2014 से प्रारम्भ किया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको ध्यान दिलाते हुए निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश में आपकी योजना के बाद जितनी भी बच्चियां पैदा हुई हैं वे सब आपको बराबर अंतरात्मा से याद कर रही हैं और आपके प्रदेश, आपकी सरकार की वाहवाही कर रही हैं।

मैं इतना निवेदन भी अवश्य करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश के 1 करोड़ 9 लाख परिवारों में से 3 करोड़ 78 लाख व्यक्तियों का नामांकन अभी तक हो चुका है, 60 लाख व्यक्तियों को कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। इसी

(श्री जोगाराम पटेल)

तरह आयुर्वेद में भी अनेक कार्य हुए हैं। 17 हजार से अधिक हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में 8772 करोड़ का बजट है जो सर्वाधिक बजट है।

जैसा कि मैंने पहले आपको निवेदन किया, अन्य आंकड़ों की ओर ध्यान न दिलाकर दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह विषय है पेयजल। पेयजल में भी माननीय तत्कालीन सदन के नेता ने जो वक्तव्य दिया उसको मैं कोट करना चाहूंगा। 23 फरवरी, 2011 को दिया गया है। ''जो बातें मैंने अभी आपके सामने राजस्थान के विकास की कितनी बातें कहने के बाद हम लोग पीछे हैं।'' यह आपकी स्वीकारोक्ति है। ''उस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें सभी पक्षों का सहयोग मिले। शिशु मृत्यु दर में किस प्रकार आज राजस्थान पूरी तरह से बदनाम है। हालांकि 63 से 59 हुआ है, उसके आंकड़े भी आपके सामने देना चाहूंगा। पानी को लेकर बहुत चिन्ता का विषय बना हुआ है। पानी अपने आपमें एक चुनौती है। हमारे लिए भी...", मैं कोट कर रहा हूं। ''पानी को लेकर बहुत चिन्ता का विषय बना हुआ है।'' यह उनका वक्तव्य है, जिसको मैं कोट कर रहा हूं। "पानी अपने आपमें एक चुनौती है हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मैंने कल प्लानिंग कमीशन से यह भी बात कही कि इसके लिए राजस्थान को एक अलग तरह की तवज्हो मिले क्योंकि आज 249 ब्लाकों में से करीब 200 ब्लाक डार्क जोन बन गये हैं। जलस्तर बहुत नीचे जा रहा है और पूरे 36 हजार गांव ढाणियां पीने के पानी के लायक नहीं रही हैं। मैं समझता हूं यह बहुत चिन्ता का विषय है इसको कैसे हम लोग नियंत्रित करें यह आपके और हमारे लिए सोचने की बात है क्योंकि जब तक हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक यह सम्भव नहीं है। रोक लगाने के लिए जब तक हम अवेयरनेस नहीं करेंगे पब्लिक के अन्दर तब तक रोक लगती ही नहीं है, पार्टी बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, परन्तु रोक लगती नहीं है। आज 11 राज्यों में भूजल नियंत्रण कानून बना हुआ है।" यह वक्तव्य था।

एक वक्तव्य राजस्थान में तत्कालीन सत्ता पक्ष के सदस्य ने दिनांक 10.3.2011 को श्री गोविन्दजी डोटासरा ने दिया, वह भी आपके सामने कोट करना चाहता हूं। आई कोट, 'माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की सरकार ने अपने बजट में इन लोगों को, गरीब लोगों को दूर-दूर ढाणी और कस्बों में बैठे लोगों को पानी पिलाने के लिए 142 करोड़ रुपये राज्य मद से और 1200 करोड़

(श्री जोगाराम पटेल)

रुपये केन्द्र मद से और 3623 एससी की बस्तियों, 112 एसटी की बस्तियों और 795 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की है।' आप अपने वक्तव्य में बता दें कि इनमें से कितनी पूर्ति की है और यह मैं आपके लिए खुला छोड़ता हूं।

अब जो मैन इम्फेसाइज था वो यह था कि हम इस पर अवेयरनैस कैसे लायें....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका काम मैं क्यों करूं। आप बताओ न कि कितनी नहीं की। मैं क्यों करूं आपका काम।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हम इस पर कैसे जाएं और 200 ब्लाक जो डार्कजोन हो गये उनको कैसे करें। इसका इलाज राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। उनके पास विजन है। आपके पास पीड़ा जाहिर करने का अवसर था बस लेकिन 3 साल का शासनकाल रहने के उपरांत भी इस ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया, इस ओर एक पैसा खर्च नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने आते ही सबसे पहले जो कहा और वो सत्य है। जल है तो कल है और जल नहीं है तो कल भी नहीं है। आदरणीय रहीमजी ने भी कहा – रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न उबरे मोती, मानस, चून' इस विजन को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री यह जानती थीं कि हमारे लिए राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है। अगर जल नहीं रहेगा तो कल नहीं रहेगा और कल नहीं रहेगा तो आगे चल भी नहीं पायेंगे। हमने यह कोशिश की है और हम आपसे प्रार्थना भी करते हैं... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस 5-7 मिनट। सारा जहां भी साथ दे तो क्या बात है....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने यशस्वी शब्द 38 बार बोला है 2 बार और बोल दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने काफी देर तक आपको सहन कर लिया है। आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है तत्कालीन, एक मात्र अशोकजी गहलोत अगर वो सुनाऊं तो आपको स्वयं को शर्म महसूस होगी। यह आपका वक्तव्य सदन में है। कृपया शांति रखें। मैं कभी इंटरफेयर करता नहीं और इंटरफेयर सुनता भी नहीं हूं।

(श्री जोगाराम पटेल)

सारा जहां भी साथ दे तो क्या बात है, तू जरा साथ दे भी तो क्या बात है, आपके लिए, कांग्रेस के लिए, तू जरा भी साथ दे तो क्या बात है, चलने को तो कोई एक पांव से भी चल सकता है पर दूसरा, कांग्रेस या विपक्ष यह चाहती, दूसरा साथ दे तो क्या बात है। यह भावना जल स्वावलम्बन के लिए जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि राजस्थान के इस भौगोलिक परिक्षेत्र, जिसका वर्णन मैंने प्रारम्भ में किया, इसमें से 168 लाख हैक्टर भूमि कृषि योग्य है और राज्य की 101 लाख हैक्टर भूमि बंजर भूमि है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत होने के बावजूद भी जल जो हमारे पास है, जल की जो उपलब्धता हमारे पास है वो भाग 1.16 प्रतिशत है। राजस्थान प्रदेश से अन्तरराष्ट्रीय सीमा लगती है, विशाल भूभाग है, इन सब बातों के आधार पर राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान शुरू किया है और अभियान का उद्देश्य यही है कि आम जनता में यह अवेयरनैस पैदा की जाए। कोई राजनीतिक दल हो चाहे, कोई आम जनता हो, चाहे कोई स्वावलम्बी संस्था है, एनजीओ हो, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, सब आकर इस विषय पर कोशिश करें कि हमारे पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। जब पानी की अधिक से अधिक बचत होगी तो हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा और अगर हमारा भविष्य उज्जवल करना है तो हमें यह देखना पड़ेगा – 'दौड़ते पानी को चलना सिखायें, चलते पानी को रेंगना सिखायें, रेंगते पानी को रुकना सिखायें और रुके हुए पानी को भूमि में समाहित होना सिखायें', 'जन-जन का एक ही है धर्म, जल बचाने का है कर्म', 'प्यासी धरती करे पुकार, वर्षा जल नहीं जाये बेकार।' इस आधार को लगाकर यह योजना प्रारम्भ की गयी है और अभियान का रूप दिया गया है। अभियान का रूप इसीलिए दिया गया है कि जन भागीदारी इसमें जरूरी है।

आरोप लग गये, भीख मांगते हो, जनता से मांगते हो। मैं जोधपुर जिले का प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। इसमें कई और माननीय सदस्य भी प्रत्यक्ष उदाहरण होंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सर गांव में जोधपुर जिले का कार्यक्रम रखा गया है। अनेक साधु-संत थे, मिलिट्री के ब्रिगेडियर कर्नल से लगाकर अनेक व्यक्तित्व के लोग भी थे, अनेक धार्मिक संस्थाओं के लोग भी थे, एनजीओ के लोग भी थे और उस आम सभा में जो गांव के ग्रामीण लोग थे

(श्री जोगाराम पटेल)

उन्होंने यह बताया हमारी संस्कृति रही है कि हमारे गांव के जो परम्परागत जलस्रोत हैं उनको हम संरक्षित करते थे। चाहे सावन का महीना हो, चाहे चैत्र का महीना हो, चाहे और कोई महीना हो, आने वाली हर अमावस और पूनम को हम गांव के तालाब की सफाई करते थे, कुएं-बावड़ी की सफाई करते थे और उसको संरक्षित रखते थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अमावस को नहीं होती थी अंधेरे में। अमावस को होती ही नहीं है सफाई अंधेरे में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बीच में टोकें नहीं। आप बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी अमावस हमेशा कायम रहेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूनम को होती है।

श्री सभापति: आप बैठें। कोई जरूरी थोड़े ही है आपका बार-बार बीच में बोलना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अमावस के अंधेरे में रोशनी होती ही नहीं है और कोई काम होता ही नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अब मैं यह निर्णय करूं, आपकी 24 की जो अमावस है वो कम ही होनी है ज्यादा नहीं होने वाली।

उसी को आधार बनाकर हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे राजस्थान की संस्कृति है कि हमारे जो परम्परागत जल स्रोत हैं उनको हम संरक्षित करें। उस सभा में उसी स्थान पर बैठे-बैठे अनेक व्यक्तियों ने 100 रुपये से लगाकर सवा करोड़ तक की राशि दी, एक घंटे में 36 लाख रुपये पेयजल की व्यवस्था के लिए, हमारे जो परम्परागत जल स्रोत हैं उनके संरक्षण के लिए वहीं जमा कराये। एक व्यक्ति ने घोषणा की कि मेरे पास जेसीबी है, 365 दिन मेरी जेसीबी मेरे आदमियों के साथ काम करेगी उसका मैं पैसा नहीं लूंगा। एक आदमी ने घोषणा की कि मेरे पास साधन तो नहीं है लेकिन मेरे परिवार के लोग महीने में 30 दिन इस जल स्रोत में सफाई करेंगे, या जो भी कार्य करना है वो करेंगे। ऐसी अनेक घोषणाएं हुईं और राजस्थान के अनेक व्यक्ति इसमें लगे। चाहे वो मिलिट्री के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे और कोई लोग हों, सभी ने, चाहे वो पंचायती राज से सम्बन्धित हों, चाहे शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हों, चाहे और किसी से सम्बन्धित हों, सब ने अपना योगदान देने की घोषणा की। यह इतना सफल अभियान चलेगा, पहले

(श्री जोगाराम पटेल)

पार्ट में तीन हजार गांव जुड़ेंगे, फिर 6 हजार जुड़ेंगे, टोटल 21 हजार गांव जुड़ेंगे। इन सब के पीछे मन्शा यह है कि हमारे राजस्थान की भूमि का जल स्तर जो नीचा है वह है दिनों-दिन ऊपर आये। इससे आम जनता का भला होने वाला है। इसलिए कोई नुक्ताचीनी करने या आलोचना करने का विषय नहीं है, जन जागृति का विषय है, जल संरक्षण का विषय है, जल संरक्षण के अभियान का विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गये, जनता में अवेयरनैस लाने के कार्यक्रम रखे गये और जनता के बीच में विषय रखा गया कि आपका काम है, आपको करना है और सरकार सहयोगी है, एक तरह से सहयोगी है।

माननीय सभापति महोदय, तीन आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्व में पिछले 50 वर्षों में पानी की तीन गुणा निकासी बढ़ गयी है। भारत में 56 प्रतिशत कुओं का जल स्तर गिरता जा रहा है, भारत में 11.70 मिली लीटर सालाना बरसात हो रही है। विश्व में एक वर्ष में 21.30 लाख अरब लीटर पानी का उपयोग हो चुका है जबकि भारत में 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी का उपयोग हो रहा है। कितना फर्क है हमारे और उनमें? भारत विश्व में 180 देशों में पानी की उपलब्धता के मामले में 132वें पायदान पर है और पानी की गुणवत्ता के मामले में 122वें पायदान में है। अंत में दो आंकड़े निवेदन करने हैं, भारत में वर्तमान में 1545 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति की सालाना उपलब्धता है जबकि 2001 में यह उपलब्धता 1816 क्यूबिक मीटर थी। 3055 मिलीमीटर वर्षा केरल में होती है जो सबसे ज्यादा है। दिल्ली, हरियाणा में 617 मिलीमीटर है जबकि 1380 मिलीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश में, 1325 मिलीमीटर वर्षा हनुमानगढ़ में और 988 मिलीमीटर वर्षा राजस्थान में है। अगर यदि हम इस पानी का संरक्षण कर दें, सदुपयोग कर दें तो हम भी देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में आगे बढ़ सकते हैं।

भूजल दोहन के मामले में विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे पायदान पर है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सबसे अधिक प्राथमिकता होनी चाहिए जल। अगर जल की हमारी प्राथमिकता होगी, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन का हम सिस्टम एडाप्ट करेंगे, वर्षा का जल संवर्द्धन और इसमें काम करेंगे तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी।

अंत में माननीय सभापति महोदय, अनेक विषय हैं, उन विषयों में से

(श्री जोगाराम पटेल)

जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसमें मेरा एक सुझाव भी रहेगा कि यह जो अभियान है, इस अभियान की गति और तेज की जाये, अवेयरनैस के कैम्प चलाये जायें। जिस तरह से हम एक जमाने में कहते थे कि हमारी यह टीकाकरण के मामले वगैरह में जितनी अवेयरनैस या जनसंख्या वृद्धि रोकने में हमारी अवेयरनैस की तरफ जो कार्यक्रम किये, वैसे ही इस अवेयरनैस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाये चाहे वह टीवी के माध्यम से हो, चाहे वह अखबारों के माध्यम से हो, चाहे नाटक, नुक्कड़ नाटक या सभा के माध्यम से हो या और किसी माध्यम से हो, उसको बढ़ाया जाये और प्रतियोगी... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस दो मिनट में बात खतम कर रहा हूं। प्रतियोगी कार्यक्रम के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाये।

आपदा राहत के मामले में आज वक्तव्य आ चुका है इसीलिए मैं इसमें आपसे ज्यादा निवेदन भी नहीं करूंगा। स्वच्छ भारत मिशन में हम देश में प्रथम हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान प्रदेश, राजस्थान प्रदेश में विधान सभा क्षेत्र लूणी और लूणी विधान सभा क्षेत्र में विजय लक्ष्मीजी जो इस मिशन को पूरा देखती हैं, स्वच्छ भारत अभियान की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वह खुद पर्सनली यहां आईं और वह प्रभावित हुईं इस काम को देखकर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार की विजय लक्ष्मीजी, वह स्वयं आई थीं और उन्होंने देखा। उस दिन के सारे अखबारों में उसकी कटिंग हैं कि ऐसा अभियान जो राजस्थान सरकार ने अपनाया है, सभी प्रदेश अगर अपना लें तो लक्ष्य समय से पहले से प्राप्त कर लिया जाता है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी बहुत ही जोरों से चल रहा है। यह चलना भी चाहिए।

लास्ट में माननीय सभापति महोदय, किसानों के बारे में आपने बहुत कुछ कहा है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज के वक्तव्य के आधार पर और...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक घंटा 16 मिनट बोल गये हैं। एक घंटा 16 मिनट आप लगातार बोल रहे हैं। आप अपना वक्तव्य खतम करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट। ओनली वन मिनट। एक निवेदन जो करना चाहूंगा, यह जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य और राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्रीजी, मौजूदा बजट और इस सारे के आधार पर मैं कह सकता हूं

(श्री जोगाराम पटेल)

कि राजस्थान की आम अवाम यह समझ चुकी है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। एक समय था, जब हमारे विपक्ष के साथी अल्पसंख्यकों पर बहुत गर्व करते थे। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर बहुत भरोसा करते थे। उनके साथ जितना आपने धोखा किया, छलावा किया। उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की और वही कारण है कि आज आपके साथ अल्पसंख्यक कोई भी साथी नहीं है, हमारे साथ तो उधर बैठते हैं। कोई कारण नहीं है कि आज आपके साथ हमारे इस वर्ग के आने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप जितने भी आंकड़े उठा लें। वर्ष 2000 से लगाकर चाहे पंचायती राज का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव हों, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव हों, नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव हों, चाहे मेयर के चुनाव हो, सारे के सारे आपके विरुद्ध जा रहे हैं। अंतिम जो चुनाव हुआ है राजसमन्द का, उससे आप परिचित हैं और आज के समाचार-पत्रों में जिस तरह की खींचतान कि ''मैं आपको हाजमोला लाकर दूं क्या'' ऐसे समाचार जो प्रकाशित हुए हैं, इससे आप अपने आपको समझ सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है।

मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को अंत में कि उन्होंने इतना जोरदार, शानदार, वजनदार बजट रखा है और केन्द्र सरकार ने भी गांवों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए चाहे एग्रीकल्चर हो, रूरल डवलपमेंट हो, उसमें जो बजट रखा है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हुए एक बार पुन: इतना जानदार, शानदार बजट रखने के लिए उनका बहुत-बहुत आभार और मैं निवेदन यह भी करना चाहूंगा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय घनश्यामजी राज्यपाल महोदय से किस लिए मिले थे, वह भी बता दो लास्ट में।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो बजट रखा है, वह एक विजन 2020 को ध्यान में रखते हुए इस जनता के सर्वांगीण विकास के लिए रखा है, उनको उसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के राज्य बजट पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

(श्री केसाराम चौधरी)

महोदय, अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण पेश किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। यह बजट राज्य के सभी बजटों से न केवल पन्नों एवं शब्दों में बड़ा है, बल्कि राज्य में एक नई दिशा देने वाला बजट है। प्रदेश को अग्रणी राज्यों में शुमार करवाने वाला है। इससे प्रदेश की खुशहाली तो बढ़ेगी ही, जीवन स्तर और सुधार भी होगा। बजट राज्य के प्रत्येक वर्ग एवं क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास का द्योतक है। इस बजट में गरीब, गांव, किसान, महिला, उद्योग धंधे एवं तकनीकी क्षेत्र का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही सड़क, चिकित्सा, बिजली एवं पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का जो प्रयास किया गया है, यह अपने आपमें अनुकरणीय एवं अतुलनीय है। जिसकी जितनी प्रशंसा की जाये, उतनी कम है।

माननीय सभापति महोदय, नवम्बर, 2015 में रिसर्जेन्ट राजस्थान में स्वदेशी ही नहीं, बल्कि विदेशी कम्पनियों ने प्रदेश में कुल 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपयों के निवेश करने के 295 एमओयू हुए हैं। उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयास किये, उसी का परिणाम है कि एमओयू होने के तीन महीने बाद ही करीबन 531 करोड़ रुपये के 51 एमओयू और किये गये। इससे यह लोगों में विश्वास जागृत हुआ है। मेरे विरोधी भाई यह कहते हैं कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब किसी काम के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया जायेगा तो कभी कुछ होने वाला ही नहीं है मगर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास करके रिसर्जेन्ट राजस्थान का जो आयोजन किया और उसकी वजह से जो एमओयू हुए हैं, निश्चित रूप से इनसे इस प्रदेश की खुशहाली तो बढ़ेगी ही, उसके साथ-साथ ही इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर प्रदेश के फ्री ट्रेड जोन बनाया जाये, जहां पर उद्योग लगाने पर टैक्स में रिबेट मिले और उस जोन में जो भी उद्योग लगता है, उसके लिए सरकार रियायती दरों पर व्यवस्था करे। उद्यमी जब तक हमारे प्रदेश में नहीं आएंगे, हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इन सभी प्रोजेक्ट्स को शीघ्र ही धरातल पर लाने के लिए मोनेटरिंग सिस्टम भी सरकार ने बनाया है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि एवं युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलने के अवसर प्रदान होंगे। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने रिसर्जेन्ट राजस्थान का अपने विजन में प्रयास किया है, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

(श्री केसाराम चौधरी)

सामाजिक न्याय, सुशासन, जोब क्रिएशन, हमारी सरकार के मजबूत स्तम्भ हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, मुख्य मंत्री जन आवास, अन्नपूर्णा भण्डार जैसी अनूठी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है जिससे हमारे गांवों में लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ है। आरोग्य राजस्थान के तहत राजस्थान में जिस तरह से प्रत्येक पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर, रोगियों का चयन करके, उनके किस तरह की बीमारी है, उस बीमारी का इलाज किस तरह से किया जा सकता है, बीमारी को जानकर जिस स्तर पर उनका इलाज हो सकता है, उनको वहां भेजकर इलाज करवाया जा रहा है। इससे ग्रामीण जन में यह विश्वास पैदा हुआ है कि हमारी जो सरकार है वह हमारी चिंता कर रही है। इस तरह से जो रोगियों का चयन हुआ और जो लोग पीछे रह गये, उनके मन में यह भाव है कि हम भी इस कैम्प में गये होते।

अभी मैं दो दिन पहले रविवार को क्षेत्र में था। लोगों ने पूछा, वापस ये कैम्प कब लगेंगे केसारामजी? मैंने कहा, भाई लोगों, ये कैम्प वापस सरकार लगायेगी और फिर चयन किया जायेगा ताकि जो बीमार लोग पीछे रहे हैं, उनका चयन होने के बाद में वह अपनी बीमारी का इलाज करा सकेंगे। इसके तहत 21 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण, प्रदेश में 248 ऐसे कानून जिनका कोई महत्व नहीं रह गया था, उन्हें हटाकर यह सरकार ने मंशा जाहिर की है कि जिन कानूनों का कोई भी महत्व नहीं है उन क़ानूनों को क्यों न खतम कर दिया जाए और सरकार ने किया है। यह हमारी सरकार की इच्छा-शक्ति की बात ही कही जा सकती है।

हमारी सरकार द्वारा बनाए गए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से हर व्यक्ति की समस्या का समयबद्ध नियमानुसार उचित समाधान हो सके उसके लिए यह जो व्यवस्था राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की चलाई गयीं है उस पर कई शिकायतें दर्ज हुई हैं और उनमें 7 लाख में से 87 परसेंट शिकायतों का निस्तारण हुआ है और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी तक निस्तारित नहीं हैं। उसके लिए वे व्यक्ति वापस उन शिकायतों को सुनने के लिए दुबारा उसकी जांच करवा सकते हैं और वे जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक वह उसकी पुनः जांच करवा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

(श्री केसाराम चौधरी)

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्ती आवश्यकता है। मेरे पांच पंचायतों में 13 गांवों में यह योजना चालू की गयीं है और 165 कार्य स्वीकृत कार्य किए गए उसमें से करीबन 45 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जब यह योजना पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आएगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में पानी की कमी में सुधार आएगा। आज पानी के बचाव करने का, पानी को किस तरीके से रोका जाए और पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, यह समस्या है। आने वाले समय में निश्चित रूप से पानी की समस्या और बढ़ेगी, ऐसा प्रतीत होता है। उस विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो योजना चलाई है इससे क्षेत्र के जिन कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है, वह जल स्तर बढ़ेगा। जल के स्तर बढ़ने से किसानों में खुशहाली आएगी, किसानों के खेत में, कुओं में पानी बढ़ेगा जिससे किसान अपनी खेती को और बढ़ा सकेगा। इस योजना में सभी लोग एकजुट हो गए हैं। गांवों के धनाढ्य लोग भी और एमएलए, एमपी, पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधि, अधिकारियों, मीडिया, आमजन, सिविल सोसाइटी सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। यह एक आंदोलन नहीं, अभियान नहीं, जन आंदोलन के रूप में उभरकर हमारे प्रदेश में साबित हुआ है। पांच ग्राम पंचायतों में जो 13 गांव हैं उनके विकास कार्य बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे ऐसा मेरा मानना है।

ग्रामीण सड़क तंत्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से गत वर्ष ग्रामीण गौरव पथ योजना प्रारम्भ की गयीं थी। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के 16 गौरव पथ बने हैं वे देखने योग्य हैं और अभी मंत्रीजी ने और गौरव पथ देने की घोषणा की है। वह चरणबद्ध तरीके से हर पंचायत हैड क्वार्टर जो सड़कें कीचड़ और पानी से भरी रहती थीं, उनको सुदृढ़ करने के लिए माननीय मंत्रीजी ने यह अभिनव योजना लाकर के अच्छा काम किया है। गांवों में लोगों को यह महसूस हुआ कि जो पंचायतें सड़क बनाती हैं उससे यह किस तरह से बढ़िया है। इसके साथ ही नालियों का भी निर्माण किया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि आगामी जो ग्रामीण गौरव पथ दिए जाएं उसमें मेरे क्षेत्र में 75 पंचायतें हैं उसके हिसाब से 25 सड़कें मुझे मिलनी चाहिए। इन 25 गौरव पथ सड़कों के लिए मैंने लिखकर भी दिया है।

मिसिंग लिंक सड़कों में मेरे यहां पर चार सड़कें स्वीकृत हुई हैं और वह मार्च के अंत तक डामर की होकर के तैयार हो जाएंगी। उसके लिए भी मैं

(श्री केसाराम चौधरी)

माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। दूदोड से मारवाड़ जंक्शन तक सड़क सुदृढ़ीकरण किया है इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं तथा मारवाड़ से बिठोड़ाखुर्द और बिठोड़ाकल्ला से भगवानपुरा तक जो सड़कें दी हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से 350 तक की आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाएगा। इसमें मेरे क्षेत्र के गुढागांगान, डेलडी, नीमड़ी और एक और है, ये चार सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आती हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनकी भी स्वीकृति जारी करवाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही वर्ष 2016-17 में 2 हजार 500 किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों का नवीनीकरण का कार्य 600 करोड़ की लागत से करवाया जाएगा। जिसमें मेरे क्षेत्र में 1996, 1998, 2000 और 2005 के पहले बनी हुई 35 सड़कें जिन पर चलना बिलकुल मुश्किल हो गया है। ऐसी सड़कों को इस योजना में डाला जाए और 1996 में सड़क बनी है वहां पर सड़क के नामो-निशान तक खतम हो गए हैं। इस प्रकार की सड़कों को प्राथमिकता से लेकर इनका सुदृढ़ीकरण किया जाए।

पेयजल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 में वृहत परियोजनाओं के लिए 2 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें जवाई-पाली योजना द्वितीय चरण की परियोजना को शामिल किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मारवाड़ जंक्शन के 113 गांवों को बहुत ही जल्दी इससे पानी मिलेगा और इस साल में करीब 80 गांव मेरे जवाई बांध के मार्च तक चालू होने की पूर्ण रूप से सम्भावना है। इसके अलावा शेष रहे गांव 2017 में पूर्ण हो जाएंगे। इस योजना का सैकिण्ड फेज आपने इस बजट में शामिल किया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बाली, रानी एवं देसूरी के कुछ गांव जो जवाई बांध के बिलकुल नजदीक हैं उनकी डीपीआर बनाने की आपसे निवेदन करता हूं ताकि इन फ्लोराइडयुक्त गांवों को अच्छा पानी मिल सके।

कृषि कनेक्शन दिए जाने की निर्धारित सीमा के अधीन बूंद-बूंद, फव्वारा एवं डिग्गी सिंचाई पद्धति आधारित कृषि कनेक्शनों को अधिकतम पांच वर्ष पश्चात सामान्य योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं बिजली मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे स्पेशल श्रेणी में लिए हुए कनेक्शन वापस सामान्य श्रेणी में आ जाएंगे और किसानों को इससे फायदा होगा।

(श्री केसाराम चौधरी)

राज्य के अविद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए वर्ष 2016-17 में 24 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो सौर ऊर्जा की लाइटें हैं जिस गांवों में जो वन विभाग के क्षेत्र में आते हैं, उन गांवों में बिजली जा नहीं पाती और उन गांवों के लिए सौर ऊर्जा से लाइट पैदा होगी यह भी एक सराहनीय कार्य है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में 8 लाख ग्रामीण आवासों को विद्युतीकृत किए जाने की जो घोषणा की है मैं उसकी सराहना करता हूं। जिन ग़रीबों के घरों में कनेक्शन नहीं हैं उन ग़रीबों के घर में आप यह कनेक्शन देंगे इससे हर वर्ग के गरीब को इससे बिजली प्राप्त होगी। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कालोनी प्राइवेट व्यक्ति काटते हैं और 50 परसेंट अगर उस कालोनी को बिजली नहीं मिलती है, उनके कनेक्शन नहीं होते हैं तो आप उसमें 200 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से डिमाण्ड जारी करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो इन व्यक्तियों को बहुत भारी पड़ता है और जो कालोनी बसाने वाला है वह विद्युतीकरण में सहायता नहीं करता है इसलिए इसको वापस देखने की जरूरत है।

राज्य में चालीस प्रतिशत से अधिक खपत कृषि क्षेत्र में होती है। बिजली बचत के लिए वर्ष 2016-17 में आपने पुराने पंपसैट को बदलकर नया पंपसैट देने की जो किसानों के लिए घोषणा की है, एनर्जी एफीशियेंट पंपसैट योजनाबद्ध चरणबद्ध दिये जाएंगे। यह भी किसानों के लिए फायदे की योजना होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक धारिया बांध है उसके लिए सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह धारिया बांध अपने राज में ही बना था, बनने के बाद में 2007-08 में अत्यधिक वर्षा के कारण से टूट गया था, उस समय मंत्री महोदय ने सात करोड़ की घोषणा की और उसके बाद कांग्रेस राज आ गया। पांच साल तक केवल घोषणा करते रहे। 21 करोड़ की घोषणा किन्तु एक फूटा धेला भी नहीं लगाया। मेरे क्षेत्र का धारिया बांध किसानों के लिए वरदान साबित होगा, उसकी नहरें भी पक्की बन गयी हैं, उसमें अभी जो फूटा हुआ है उसको रोकने के लिए इस बजट में धारिया बांध को बजट दिलायें, ताकि यह बांध बन करके किसानों के लिए वरदान साबित

(श्री केसाराम चौधरी)

हो। किसानों की काफी जमीन लम्बे समय से खराब हुई है उसका भी उनको लाभ मिल सके ऐसी मैं आपसे मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो सरकारी महाविद्यालय है रानी में, न ही वहां पर प्राइवेट महाविद्यालय है और आपने प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है तो रानी और मारवाड़ जंक्शन उपखण्ड पर महिला महाविद्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं। मेरा निवेदन है कि इसमें से एक न एक महाविद्यालय तो मेरे क्षेत्र को दिया जाए। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है ऐसी सूरत में आप निश्चित रूप से एक महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन के लिए स्वीकृत करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ जंक्शन के पास एक ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं। दिल्ली-मुंबई रेलवे फ्लेट कारीडोर जो मारवाड़ जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन बनने वाला है वहां पर कारीडोर की आठ लाइनें बिछ चुकी हैं और उन आठ लाइनों को क्रोस करने के लिए अण्डरब्रिज देंगे। छोटे-छोटे स्टेशनों पर आपने ओवरब्रिज दे दिये, मगर मारवाड़ जंक्शन जैसे स्टेशन पर जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जंक्शन है उस पर सीधा जोधपुर और इस पश्चिमी राजस्थान का पूरा लोड बढ़ेगा। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर भी इसी स्थान पर आने वाला है। ऐसी सूरत में जब यह क्षेत्र पूरा किसानों के लिए है, किसान अपने भूसे और अन्य सामान ट्रेक्टर-ट्रालियों में भर कर लाते हैं उनको इधर से उधर क्रोस करना पड़ेगा तो चालीस किलोमीटर के बीच में एक भी ओवरब्रिज नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि 58सी, 57सी के बीच में एक कोई न कोई ऐसा ओवरब्रिज दिया जाए, ताकि मारवाड़ जंक्शन को इस समस्या से निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक क्षेत्र है वह दोनों तरफ से रेलवे लाइनों से घिरा हुआ है। उस क्षेत्र में 132 का कोई जीएसएस नहीं है, जो सोजत और उन दोनों को सम्मिलित करता है। मैं मांग करता हूं कि 132 का जीएसएस भी आप स्वीकृत करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में विगत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मार्फत वर्ष 2013-14 की घोषणा संख्या-79 के तहत बीपीएल एवं समकक्ष परिवारों को दो साड़ी एवं एक कम्बल देने हेतु

(श्री केसाराम चौधरी)

पन्द्रह सौ रुपये प्रति परिवार एकमुश्त नकद सहायता उपलब्ध करायी गयी। जिसके लिए प्रदेश के 33 जिलों को 7 अरब 34 करोड़ 56 लाख 93 हजार 500 रुपये उपलब्ध कराये गये। यह राशि प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर भेजी गयी मगर उसमें से उसका खर्च हुआ, 3 करोड़ 54 लाख 5 हजार 706 लोगों को लाभान्वित किया गया और इसको पन्द्रह सौ से गुणा करते हैं तो यह रकम हो जाती है 5 अरब 31 करोड़ 85 लाख 59 हजार का भुगतान कुल हुआ है। 2 अरब 2 करोड़ 71 लाख 34 हजार 500 रुपये का हिसाब कहां गया? यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पैसा था। इस पैसे को कांग्रेस सरकार ने न मालूम किस जगह पर लगाया है पीडी खाते में डाल करके इतिश्री कर दी और वो पैसे पड़े हुए हैं। उसका गरीब जन के लिए उपयोग नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूं कि ये जो 2 अरब 2 करोड़ 71 लाख 34 हजार 500 रुपये पीडी खाते में पूरे प्रदेश में पड़े हैं उनको वापस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिया जाए, ताकि गरीबों को इस सहायता का उपयोग हो सके।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए होता है और उस बजट का अगर किसी तरह से दुरुपयोग किया जाता है तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मार्च, 2012 से सितम्बर, 2013 तक एपीएल परिवार को 1,34,052 को 116.39 क्विंटल फोर्टीफाइड आटा उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करना बताया गया है। इस आटे की मैंने कई बार बात भी उठाई मगर इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया गया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह आटा गरीबों में बंटा ही नहीं। जिस आटे को गरीब व्यक्ति को देने के लिए यह योजना बनाई गयी थी कांग्रेस ने जाते-जाते न मालूम कहां लगाया और आटा मिलों द्वारा डीलर तक आटा पहुंचाया ही नहीं गया केवल बिलों पर भरपाई की गई और भरपाई करके पांच रुपये किलो डीलर को दिया और पूरे विधान सभा क्षेत्रों में है मेरे एक क्षेत्र में ही नहीं, इसको केवल जोधपुर डिवीजन में डालकर जांच की इतिश्री करते हैं। प्रमुख शासन सचिव ने लिखा है, विभाग द्वारा जोधपुर सम्भाग में आटा वितरण की विस्तृत जांच अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर से करायी जाकर जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर जो आटा मिलर्स, सप्लायर्स इस घोटाले में शामिल थे, के विरुद्ध एफआईआर तथा खुर्द-बुर्द किये गये माल की रिकवरी की नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 14.7.15 को राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति निगम

(श्री केसाराम चौधरी)

लिमिटेड को लिखा जा चुका है तथा समस्त दोषी उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही एवं गबन हेतु एफआईआर दर्ज करने तथा दोषी विभागीय अधिकारी जिनकी भूमिका इस समस्त प्रकरण में संदेहास्पद रही है उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, पाली को पत्र दिनांक 14.7.2015 को लिखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह का आटे का पूरे राजस्थान में घोटाला हुआ है। यह कोई एक जोधपुर डिवीजन का मामला नहीं है। किसी भी ग्राम सभा में जाकर के जांच करते हैं डीलर के रजिस्टर की तो रजिस्टर में तो फर्जी इंद्राज है कि पांच रुपये किलो दिया गया है मगर वास्तव में अगर इसकी जांच की जाए तो करीबन 21 अरब 99 करोड़ 42 लाख 10 हजार 166 की कीमत का आटा पूरे प्रदेश में कहीं पर नहीं बांटा गया है। केवल रजिस्टर संधारण करने हेतु पांच रुपये किलो के हिसाब से डीलरों को दिया गया। डीलर की क्या औकात होती है कि वह रसद अधिकारी के खिलाफ या कलक्टर के खिलाफ या इस तरह से किसी के खिलाफ अपनी व्यथा को कह सके। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यह घोटाला फर्जी निकल जाए तो मेरा इस्तीफा ले लेना, वापस विधान सभा के लिए कभी खड़ा भी नहीं होऊंगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह का घोटाला किया है, जिसकी जांच चाहता हूं और पूरे प्रदेश में किये गये घोटाले की विस्तृत जांच करके, डीलर के रजिस्टर्स से नहीं, आपको जांच करनी है तो ग्राम सभाओं के मार्फत कीजिए कि किसी को आटा मिला क्या। मैं रविवार को कंठालिया में था वहां एक जनसभा हो रही थी, उस जनसभा में पूछा कि यह आटा किसी को वितरण हुआ क्या, हमने तो कभी आटा देखा ही नहीं। बहुत सनसनीखेज है, अरबों रुपयों का घोटाला है और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी जांच करनी चाहिये और मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे राज को खोलकर गरीबों को जो आटा मिलना था, एपीएल परिवारों को आटा मिलना था, वह नहीं मिला है, मैं दावा करता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं कि मंत्री महोदय पूरे राजस्थान में इसकी जांच होनी चाहिये और एसीबी से इसकी जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) कौनसी सरकार ने घोटाला किया, आटा कौन खा गया, बताओ आप। इन्होंने या आपने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो फिर आप जांच क्यों नहीं करा रहे हो, आपकी ढाई साल की सरकार पड़ी है, करा लो, करो आप जांच।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) यह पड़ा मेरे पास, आप जांच करा लो मैं अगर इस्तीफा नहीं दे दूं तो नाम बदल देना, क्या बात करते हो आप। (व्यवधान) ऐसे भ्रष्टाचार को दबाने की चेष्टा करते हो। यह बजट इसीलिए होता है कि बजट में जो गरीब जनता के लिये पैसा रखा रहता है उस पैसे का सदुपयोग हो। (व्यवधान) ऐसा भ्रष्टाचार मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। आटा खा जाये, पुराने जमाने में आटा कौन खाते थे उस तरह की यह सरकार है। मेरा पूरा आरोप है इसकी जांच होनी चाहिये और आपने जाते जाते जो कारनामे किये उसकी जांच करनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा इसकी पूर्ण रूप से जांच हो और गरीबों को न्याय दिलायें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने तो गेहूं बांटे थे, पूर्ववर्ती सरकार ने आटा बांटा था। उसकी जांच जोधपुर सम्भागीय आयुक्त के चल रही है और फिर भी अगर इससे आगे और कोई जांच कराना चाहें तो दूसरी एजेंसी से करा देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जांच की कब तक रिपोर्ट आ जायेगी, मंत्री महोदय यह तो बताओ। कितने दिन में आयेगी ...(व्यवधान) उस आटे की रोटी हमारी तो गाय भी नहीं खाती है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जोधपुर का नहीं, यह पूरे राजस्थान का मामला है, माननीय मंत्री महोदय पूरे राजस्थान में आप किसी भी एमएलए से पूछ लो, उसके क्षेत्र में जाकर सरेआम मीटिंग में पूछना कि कहीं आटा बंटा है क्या। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्य, बैठो आप।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 23)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2016 को मध्यान्ह पश्चात 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने 22वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि दिनांक 18 मार्च, 2016 व 28 मार्च, 2016 को सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये, शेष कार्य कार्य सलाहकार समिति के 22वें प्रतिवेदन के अनुसार सदन में यथावत विचारार्थ लिया जायेगा:-

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016	1. अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-16 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण। 3. अनुपूरक अनुदान की मांगों सम्बन्धी राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016	37 कृषि 38 पशुपालन 39 सहकारिता

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री केसाराम जी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आटा निकलेगा जब पता लगेगा, आप भी अपने क्षेत्र में जाकर राम धर्म से पूछना कि एपीएल परिवारों को आटा मिला या नहीं मिला।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप जो कुछ कहें आसन की तरफ कहें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसलिए मैं पुन: मंत्रीजी से निवेदन करता हूं माननीय मंत्री महोदय, कि यह आटा कोई डीलरों ने नहीं खाया। डीलर को पांच रुपये किलो के हिसाब से मिले हैं। मिल मालिकों ने सीधा डीलर को आटा पहुंचाना था, डीलर और उन्होंने केवल भरपाई दी, उन्होंने न तो आटा पहुंचाया और न कहीं बंटा है। पूरे प्रदेश में, केवल जोधपुर पर डालते हैं फिर जाकर डीलर की जांच करते हैं। डीलर तो असत्य भरे हुए हैं, मेरे पास आंकडे पड़े हुए हैं। आप कहें तो मैं डीलर से एफीडेविट दिला दूं। इस तरह से घोटाला हुआ है इसकी जांच चाहता हूं। पूरे प्रदेश में हर एमएलए अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस बात को पूछे कि आपके क्षेत्र में कितना-कितना आटा आया है, आपको मालूम हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लोग आप पर हंस रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरे पर हंस रहे हैं तो अच्छी बात है क्योंकि आपकी पोल खुल रही है इसलिए आप तो यही कहेंगे कि हंस रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी कोई पोल नहीं है, आप

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में दम हैं तो जांच कराओ और जो दोषी हों उनको जेल में डालो। दो साल से रट लगा रखी है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह प्रमुख शासन सचिव ने कहा है कि पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ है, फिर इसको गलत क्यों मान रहे हो? इसलिए बिलकुल जांच होगी दूध का दूध और पानी-पानी होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां तालियां बटोरने की जरूरत नहीं है, जांच कराओ आपकी सरकार में दम है तो ...(व्यवधान) इस तरह के असत्य वचन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...(व्यवधान) कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 21 अरब 99 करोड, 22 अरब का घोटाला है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) घोषणा की थी ना यहां, 700 करोड का ...(व्यवधान) कहां गया?

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) इनके सारे काले कारनामे खोल देंगे, कराओ जांच।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई मांग कर रहा है तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? बैठो आप, आपके ऊपर तो आरोप नहीं लगा रहे। बैठो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): असत्य बयान क्यों? हम पर नहीं, हमारी सरकार पर लगाया है, हमारे कार्यकाल पर लगाया है। सभापति महोदय, या तो शब्द वापस लें वर्ना इनमें दम है तो जांच करायें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह आपके कार्यकाल का है, पूरी जांच होनी चाहिये और सज़ा मिलेगी। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात जल्दी खतम कर दें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, शारदा छात्रावास का निर्माण हो चुका है। 1 करोड 37 लाख की लागत से मारवाड़ जंक्शन पर यह बनकर तैयार हो गया है। अगले बजट सत्र में यह भी चालू हो जायेगा। उप तहसील खिवाड़ा का कार्य चालू हो गया है। तहसील भवन रानी का निर्माण पूरा हो चुका है। उप खण्ड कार्यालय रानीखुर्द के भवन का निर्माण भी चालू है।

ऐसी सूरत में सब जन विकास, सबका साथ लेते हुए माननीय मुख्य

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मंत्री वसुंधरा राजेजी ने जो कल बजट रखा है मैं उसकी प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि सबके विकास में अग्रणी यह बजट रहेगा।

ऐसी अपेक्षा करते हुए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपका आभार।

श्री सभापतिः श्री बनवारीलाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का बजट 2016-17 दिनांक 8 मार्च को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा राजेजी के द्वारा पढा गया, वित्त मंत्री की हैसियत से प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए विकासशील बजट प्रस्तुत किया है, मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं कहना चाहता हूं यह निश्चित रूप से वाद-विवाद है लेकिन इस वाद-विवाद में हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य

(17.00 बजे)

जो केवल इस फ्रस्ट्रेशन के साथ कि संख्या में बहुत कम रह गये हैं और इनकी आवाज अब कारखाने में तूती जैसी साबित हो रही है, बीच-बीच में टोका -टोकी कर रहे हैं, मैं समझता हूं वास्तव में स्वस्थ लोकतंत्र की परम्परा के खिलाफ कार्यवाही पर उतरे हुए हैं। आपको अवसर मिलता है, आप अपनी बात को कहें। आपको स्वयं को अवसर नहीं मिल रहा है अपने सदस्य के मुख से कहलवाएं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सदस्य को उसके अधिकार से वंचित करना, बीच-बीच में टोकना, बोलना ये मैं समझता हूं लोकतंत्र की मान-मर्यादा के खिलाफ है और जिसमें स्वयं प्रतिपक्ष के सचेतकजी भी अगर बीच-बीच में बोलें तो आप तो और पूरे प्रतिपक्ष के जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आपसे तो अपने लिए निवेदन करता हूं कि कम से कम मुझ पर तो कृपा रखना आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपनी तो सैटिंग है आपके प्रति।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हां सैटिंग ही रखना। मैं कहता हूं आपकी मेरी सैटिंग है। बनाकर रखना भाई साहब। अभी हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन यहां बोल रहे थे जोगारामजी पटेल तो सामने से आवाज आ रही थी पांच सड़क बता दो। पांच क्या पचास बता देंगे हम तो लेकिन सुनो तो सही।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

बीच-बीच में मत टोको। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2500 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की नोन पैचेबल सड़कों के नवीनीकरण के लिए 600 करोड़ से अधिक की लागत की घोषणा की है। हमने, आपने, सबने, अब आपकी तो आदत हो गई। आप टेबल बजाना भूल गए। पिछली बार खूब बजाई है आपने। आपके साथ हमारे माननीय जनजातीय विकास मंत्रीजी और टैक्निकल मिनिस्टर साहब पिछली सरकार के बैठे हैं, सज्जन आदमी हैं। पिछली बार तो आप खूब टेबल बजवाते थे, पर अब की बार अच्छे कामों में भी नहीं बजाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री धार्मिक हैं, इस बात को तो आप भी जानते हैं और बल्कि मानते भी हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को राजस्थान की हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी करती हैं। चाहे वो खोले के हनुमानजी का मंदिर हो और वर्तमान में अभी कल बजट में जिस तरह से व्रज चौरासी कौस, केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी परिक्रमा से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा-असुविधा का ध्यान रखते हुए भरतपुर से होकर जाने वाले मार्ग को ठीक करने के लिए 104 करोड़ रुपये इकट्ठा देने का काम किया है। कोई केवल अलवर का भरतपुर का व्यक्ति ही उनसे गुजरेगा? पूरे राजस्थान के, पूरे देश के और मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लोग जो उस गोवर्धनजी, गिराजजी और वहां पड़ने वाले सभी तीर्थों में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग वहां आएंगे और निश्चित तौर पर राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी का यशगान भी करेंगे कि राजस्थान में वास्तव में कोई संवेदनशील सरकार है जो राजस्थान के तीर्थ स्थलों का भी ध्यान रखती है। आप लोग तो बस बात, आजकल लगातार हम सुन रहे हैं। हमारी तो आदत टोका-टोकी बीच में बोलने की नहीं है और प्रमाण आप स्वयं देख सकते हैं। कोई गाय की बात करेगा। ये भाजपा वाले गाय के नाम पर आते हैं। कोई मंदिर की बात करेगा, तो भैया अगर इस देश में भी गाय और मंदिर की बात नहीं करोगे तो फिर कौनसे बांग्लादेश में जाकर हम गाय और मंदिर की बात करेंगे। बहुत दिन से चर्चा हो रही है जिस पर लम्बी बहस भी चलती है। आप बोलते हैं तो आलोचना करते हैं। अपने आपको बचाने का काम करते हैं, हमारी तरफ से बात होती है।

हम अपने पक्ष को रखने की बात करते हैं और यह एक प्रमाण है विद्युत वितरण कम्पनियों का घाटा जिस तरह से बढ़ा, कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, किस हालत में आप छोड़कर गए? प्रगतिशील राजस्थान। ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ, रोज एक विज्ञापन आता था। सब कुछ

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

पहली बार था और ऐसा पहली बार हुआ कि एक मिनी बस से भी छोटे दो सूमों में भरकर आने लायक आप लोग रह गए। पहली बार, पहली बार, पहली बार, तो पहली बार ऐसा हुआ। मुझको लगता है, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो। लेकिन इतना छोटा विपक्ष, आपको पहली बार अवसर मिला होगा इतना छोटा विपक्ष आने का। पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली वितरण कम्पनियों को घाटे से उबारने का कोई काम नहीं किया और आज विपक्ष कहता है, आप कहते थे 24 घंटे, 22 घंटे सिंगल फेस लाइट देंगे। नहीं मिल रही है। किसान को 8 घंटे बिजली देंगे, थ्री फेस नहीं मिल रही है मिलती कैसे? आपका राज होता तो 10 घंटे बिजली नहीं मिलती डोमेस्टिक, 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थ्री फेस। आज राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का यशगान आपको भी करना चाहिए। कल जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया। उसके बाद आप लोग मीडिया के सामने कह रहे थे किसान का, गांव का, मजदूर का बजट नहीं है तो किसका बजट है? बिजली किसको चाहिए सबसे ज्यादा ? गांव को नहीं चाहिए, ग्रामीण को नहीं चाहिए, किसान को नहीं चाहिए, मजदूर को नहीं चाहिए, खेत को नहीं चाहिए? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐतिहासिक काम करके दिया है। 75 प्रतिशत ऋण को, उस घाटे को टेकआवर करने का काम अगर राजस्थान के 1952 से अब तक के इतिहास में हुआ है तो पहली बार राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने एक लार्ज विजन के साथ किया है। 40 हजार करोड़ रुपए दे दिए और 20 हजार करोड़ रुपए का अब टेकआवर करते टाइम और दे दिया जाएगा। 60 हजार करोड़ रुपए का भार बिजली वितरण कम्पनियों के ऊपर से कम करने का काम राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, इससे एक तनाव कम हुआ है। हमारे बिजली मंत्रीजी का तनाव कम हुआ है। लगातार लगता था कि कैसे बिजली देंगे? महंगी खरीदेंगे सस्ती कैसे देंगे? अभी कुछ दिन पहले पिछले बजट तक ही तो हम रोजाना पढ़ते थे 3 रुपया 42 पैसा प्रति यूनिट। ये तो राजस्थान में प्रति यूनिट घाटा और ब्याज हम भुगतान कर रहे हैं। बिजली की कीमत की बात अलग करें। प्रति यूनिट घाटा और ब्याज 3 रुपया 42 पैसा प्रति यूनिट हम लोग इसका भुगतान कर रहे हैं।

मैं यह बात कहना चाहता हूं हम सब लोग यहां दो सौ विधायक चुनकर आते हैं, सात-साढ़े सात-आठ करोड़ जनता हमको चुनकर भेजती है। हम लोग जनता की बात करते हैं, हम यह जिम्मेदारी भी तो लें राजस्थान में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

बिजली की चोरी शत-प्रतिशत समाप्त हो। क्योंकि किसी भी राज्य का विकास तभी होगा जब उस राज्य से छीजत खतम होगी। आज छीजत और ब्याज के रूप में 3 रुपया 42 पैसा प्रति यूनिट। अभी हमारे प्रभारी मंत्रीजी ने जब अलवर में जिला अधिकारियों की मीटिंग ली थी तो माननीय बिजली मंत्रीजी, आपको कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से, मैंने उस भरी मीटिंग में एक बात कही थी कि सभी विधायक अगर इस जिम्मेदारी को लें कि अपने विधान सभा क्षेत्र में बिजली की चोरी को जीरो करेंगे तो मैं यह दावे से कह सकता हूं राजस्थान बिजली के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी होगा। अपनी ओर से माननीय बिजली मंत्रीजी यह मैं घोषणा करना चाहता हूं कि आप राजस्थान को बिजली की चोरी से मुक्त करने का आह्वान छेड़िए और इसके लिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने का आपका आह्वान करता हूं। आप करिए जीरो थैफ्ट करने का राजस्थान में अभियान। आज बिजली चोरी कितनी बड़ी मात्रा में है।

पिछले दिनों मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों को एक सूचना दी इन-इन क्षेत्रों में बिजली की चोरी बहुत होती है। अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इंसूलेटेड वायर जो मोटी आपकी प्लास्टिक वाली केबल आती है उसको डाला। लेकिन चोरी करने वालों का भी साहस-दुस्साहस देखिए। जैसे ही पीठ मोड़ी अधिकारियों ने, उस केबल को डाल के बिजली चालू की । खटाखट हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्र में डंगी बोलते हैं पेड़ काटने वाले बांस में लगे हुए हथियार को। उस डंगी से कट लगाए और तुरन्त, अधिकारी तो अपने दफ्तर तक नहीं पहुंचे तब तक 50 डम्पर डाल कर बिजली वापिस शुरू कर दी। जिस प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं हों, उसमें क्या हमारे मुख्य मंत्री महोदय की इन प्रयासों को आप सराहना नहीं चाहेंगे । विपक्ष, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जिस तरह से एक बड़ा निर्णय लिया है, मैं समझता हूं आप लोगों को भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए। बिजली बचत के लिए जिस प्रकार से घर-घर एल.ई.डी. वितरण हो रहा है। आपने भी किया था। लेकिन आपने कब किया था? जब आपको लगा सरकार गयीं। अब देओ सी.एफ.एल., देओ कंबल, देओ साइकिल, देओ नकद रुपया। बांटो जितना हो। खजाना अपने घर का है। बांटने वाले अपन खुद हैं। जनता वोट दे दे पैसे के बदले में। साड़ी, कंबल और अब तो एक काम करो साड़ी, कंबल वालों के पास सप्लाई देने लायक माल नहीं है

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अब नकद दे दो फटाफट। कांग्रेस की सरकार पैसे दे रही है, वोट दे देना। लेकिन राजस्थान की जनता समझदार निकली। राजस्थान की जनता ने अपने वोट को आपको बेचा नहीं और आगे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी भी गलत इरादों से वापिस आने की स्थिति नहीं हो सकती।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया के द्वारा बिजली बचत के लिए कृषि क्षेत्रों में, कह रहे थे ना किसान के लिए कुछ नहीं हुआ। पायलेट बेसिस पर चिन्हित करके किसानों के पुराने पंपसैट के बदले एनर्जी एफिसिएंट पंप सैट देने की घोषणा की है, जो योजनाबद्ध रूप से दिए जाएंगे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा नए औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए। क्योंकि उद्योग अगर नहीं होगा तो राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे नहीं चरमराएगी ? कैसे औद्योगिक विकास होगा? नये औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के लिए पर्यावरण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र करने की बाध्यता। हम हर क्षेत्र में कहते हैं सिंगल विंडो होना चाहिए। कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यापारी, किसी भी प्रकार से कोई किसान, कोई भी व्यक्ति चाहे कोई डौमेस्टिक कनेक्शन लेने वाला जाए, सिंगल विंडो कनेक्शन के माध्यम से एकल खिड़की पर जाए, अपना आवेदन दे और उसका कनेक्शन हो तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पर्यावरण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया है। इसमें 33 के.वी. तक के विद्युत कनेक्शन के लिए जो इंस्पैक्टर है इलैक्ट्रीसिटी डिपार्टमेंट का, उसके सर्टीफिकेशन को समाप्त करते हुए सैल्फ सर्टीफिकेशन जिस तरह से मोदीजी ने किया है, एफिडेविट की बाध्यता समाप्त युवाओं और छात्रों को, स्वयं प्रमाणित करिए। बहुत सारे दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करिए, कोई एफिडेविट नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, वो सब सराहनीय कदम है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, पिछले दिनों हम सुन रहे थे, आज भी बात हो रही है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात कहते हैं ऐसा अनूठा अभियान है, इस राजस्थान में जिस तरह से सतही जल समाप्त हो रहा है, जिस तरह से वर्षा की कमी आ रही है अगर हमने दूसरे रिसोर्सेज को डवलप नहीं किया तो राजस्थान उस गम्भीर संकट की स्थिति में आने वाला है कि यहां पानी के लिए युद्ध होंगे। लूटमार, चेन स्नेचिंग तो बंद हो गई और हो जाएगी क्योंकि जब से आपका राज गया जो लूटमार, चेन स्नेचिंग थी वह बंद हुई। लेकिन निश्चित तौर पर समझिए कोई आदमी पानी की बोटल भी लेकर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

जा रहा होगा तो उससे जरूर लूटमार होने की स्थिति आ जाती, अगर यह जल स्वावलम्बन अभियान राजस्थान में राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसको प्रारम्भ करने का काम नहीं किया होता। इसके लिए भी उधर के पक्ष के कुछ लोग बोल रहे थे कि राजस्थान की मुख्य मंत्री भीख मांग रही हैं, सरकारी पैसे की कोई व्यवस्था नहीं की, भीख मांग रही है, भले आदमियों, भले मानसों यह सोचो जिस राजस्थान की मुख्य मंत्री अपनी जनता की खुशी के लिए भीख तक मांगने को तैयार हो उससे बड़ा कोई काम कर सकता है, मुख्य मंत्री राजस्थान का या दूसरे प्रदेश का। अगर जनता की खुशी के लिए जल स्वावलम्बन अभियान को सफल बनाने के लिए झोली फैलाकर भी लोगों को यह कह दिया कि राजस्थान की जनता खुद अपनी व्यवस्था करे पैसे की और जल स्वावलम्बन अभियान के माध्यम से अपने क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था को ठीक करने का काम करें, मैं समझता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जो काम किया है इससे बड़ा कोई काम इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जिस तरह से स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और उसी कड़ी में राजस्थान में स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान जो नीति चल रही है, यह कार्यक्रम जो हमारे यहां चल रहे हैं इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने स्टार्टअप नीति 2015 के तहत जो इण्डस्ट्रीयल वेस्ट हमारा निकलता है, बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों के लोग इस बात को लगातार कहते रहते हैं, जो इण्डस्ट्रीयल वेस्ट निकलता है उससे किसी की फसल खराब होती है, तो किसी का पेयजल खराब होता है। इण्डस्ट्रीयल वेस्ट से उत्पादों का निर्माण करने के लिए पर्यावरण हितैषी, ईको फ्रैण्डली उद्योगों की स्थापना के लिए महिला और युवा उद्यमी को, इसमें भी स्पेसिफिकेशन रखा है। आज का युवा क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी युवा शक्ति है। सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं देखे, छोटी-मोटी नौकरी की तरफ, वह नियुक्ति पाने वाला नहीं बने, वह नियुक्ति देने वाला यानी नियोक्ता बने, इस प्रकार की व्यवस्था के तहत महिला और युवा उद्यमियों को इण्डस्ट्रीयल वेस्ट से निकलने वाले जो मैटेरियल है उनसे अगला कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के माध्यम से करवाने का जो काम किया है वह सराहनीय काम है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सूक्ष्म और लघु उद्योगों, अभी एमएसएमई सेंटर का उद्‌घाटन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पथरेड़ी भिवाड़ी में किया। माइक्रो स्माल मीडियम एन्टरप्रिन्योर, सूक्ष्म, मध्यम, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम इस तरह के उद्योग लगे राजस्थान में, क्योंकि बड़ा उद्योग जब लगेगा तो उसके आसपास छोटे उद्योग निश्चित रूप से पनपेंगे, आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह का वेंचर अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से जल प्रदूषण नगण्य होने की दशा में अगर उनका कोई ऐसा वेस्ट नहीं निकलता है, उनका कोई प्रदूषण नहीं होता है तो कंसेन्ट वायु अधिनियम जल और वायु, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत कन्सेन्ट लेने की अनिवार्यता थी उसको भी समाप्त करने का काम राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने किया है। यानी छोटे-छोटे उद्योग अगर युवा और महिला लगाते हैं तो पोल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुक्ति मिलेगी और सीधे-सीधे किसी भी प्रकार की उनको वहां जाकर कोई बाध्यता नहीं है। अपना उद्योग स्टार्ट करें और राजस्थान में विकास को पंख लगाने का काम करें।

स्टार्टअप पालिसी ही नहीं, युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विजन अभी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, 2016-17 का बजट कल प्रस्तुत किया है 10 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान प्रथम दृष्टया उसमें किया है। जहां तक मैं समझता हूं यह प्राथमिक राशि हो सकती है। इससे ज्यादा अगर उद्यमी राजस्थान में आते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान की मुख्य मंत्री किसी भी फाइनेंशियल क्राइसेस के कारण से राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी युवा उद्यमी राजस्थान में इस तरह के काम में आगे बढ़ना चाहेंगे उन सबको राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगी।

इलैक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रीको के माध्यम से कारोली, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 122 एकड़ भूमि में ग्रीन फील्ड इलैक्ट्रोनिक मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर, अब तक लोग भागते हैं बैंगलोर, गुडगांव, नोएडा। जब से रिसर्जेंट राजस्थान हुआ है तब से तो खासतौर से पूरे देश का उद्योगपति राजस्थान की तरफ देखता है। अभी पिछले दिनों आप सब इस बात के गवाह हैं। अलवर जिले के विधायक, मैं राजस्थान के सभी सदस्यों से यह बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

औद्योगिक वातावरण को बिगाड़ने का भी दो बार काम किया गया । उसमें किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी का हो सकता है कोई हाथ नहीं था लेकिन दो बार ऐसे अवसर आए। एक होंडा फैक्ट्री बहुत बड़ी कार फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में आग लगाने का प्रयास कुछ दूसरे प्रदेश से आए हुए कुछ उपद्रवियों ने किया।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वह तो सारे कांग्रेसी थे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कांग्रेसी थे क्या भाई साहब, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं जानता नहीं ना कांग्रेसियों को ज्यादा। फैक्ट्री को आग लगाने का काम किया, प्रयास किया। मैं समझता हूं अगर कुछ देर हो जाती, माननीय मुख्य मंत्रीजी सीधे उसमें दखल नहीं करें और उस उद्योग को नहीं बचाए तो अखबारों की सुर्खी होती, चैनलों की सुर्खी होती कि राजस्थान के इतने बड़े उद्योग को उपद्रवियों ने आग लगाकर धूं-धूं करके जलने पर मजबूर कर दिया।

इसके अतिरिक्त इससे कुछ दिन पहले श्रीराम पिस्टन देश का एक बहुत बड़ा उद्योग घराना, उसमें भी ऐसी स्थिति हुई, फैक्ट्री को चारों तरफ से बंधक बनाया, फैक्ट्री को आग लगाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान की बहुत बड़े विजन की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी का, आपने तुरन्त प्रभाव से उस श्रीराम पिस्टन को भी आग के हवाले होने से रोका। हालांकि गोलीबारी भी हुई, मजदूर भी मरे, फैक्ट्री के लोग भी मरे लेकिन राजस्थान के औद्योगिक वातावरण को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में आते हुए निवेश को रोकने का किसी भी कुत्सित मंशा से अगर कोई भी प्रयास करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। राजस्थान आगे बढ़ेगा, सबके साथ सबका विकास करेगा, इस विजन के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो साहस दिखाया है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

सिंगल विंडो, राजस्थान में उद्योग की स्थापना और उसके संचालन को आसान बनाने के लिए वर्तमान में संचालित सिंगल विंडो एक्ट के तहत सम्बन्धित विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण के एक-एक अधिकारी को सशक्त करते हुए सबको मजबूती प्रदान की है। आप अपने स्तर पर निर्णय लीजिए, फाइलों को इधर से उधर मत भटकाइये। हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे भोलाराम का जीव फाइलों में दबकर रह गया। भोलाराम के जीव को निकालने का काम राजस्थान

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। एक-एक अधिकारी को, जो उस सीट पर बैठा है उसको सशक्त करने का काम किया है और जो व्यक्ति जिस काम के लिए जिम्मेदार होगा उसको जिम्मेदार बनाते हुए प्राप्त आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण करवाने हेतु जिम्मेदार बनाने का प्रस्ताव किया है, जो राजस्थान में उद्योगों की स्थापना और संचालन में निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली सिद्ध होगा।

अभी विगत बजट भाषण में, पिछले साल वाले में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रगतिशील किसान का तकनीकी ज्ञान और अनुभव, बहुत बात कर रहे थे कि किसान की बात नहीं, किसान की बात नहीं, मुझे तो लगा किसान को ही समर्पित किया है। महिलाओं को समर्पित किया है राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने बजट, क्योंकि कल महिला दिवस और स्वयं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का जन्मदिन था। तो इन सब खुशियों को पूरे राजस्थान के एक-एक व्यक्ति के साथ बांटते हुए, सबके साथ शेयर करते हुए उन्होंने किस प्रकार का प्रगतिशील बजट दिया है।

विगत बजट भाषण में प्रगतिशील किसान, तकनीकी ज्ञान व अनुभव अन्य किसान व काश्तकारों तक पहुंचे इसके लिए ओनरेरी एक्सटेंशन वर्कर के रूप में मान्यता दी गयीं थी। पिछले बजट में घोषणा की गई थी और उसकी सफलता को देखते हुए कि किस तरह से हमारा प्रगतिशील किसान, एक समझदार किसान किस तरह से काम करके समाज को फायदा पहुंचा सकता है उसकी सफलता को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम 10 प्रगतिशील किसानों को जोड़ते हुए इन्हें व्याख्यान मानदेय, स्पीच देंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को समझाएंगे उनको प्रतिदिन एक हजार रुपये का मानदेय देय होगा। ऐसा भी मुझे लगता है इस तरह से किसानों को किस तरह की फसल कब उगानी है, किस तरह से उनको खाद देना है, किस तरह से पानी देना है, कब देना है, कब बीज लगाना है, कौन से स्तर का लगाना है इस तरह की प्रगतिशील सोच के साथ राजस्थान के एक-एक किसान को आगे बढ़ाने की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री ने की है। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की मुख्य मंत्री के विजन का ही परिणाम है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा एक बहुत बड़ा काम राजस्थान में किया गया है। मात्र तीन दिन पूर्व अलवर की कुछ आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी मेरे साथ राजस्थान की मंत्रीजी श्रीमती अनिताजी भदेल से मिली

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

थीं और उन्होंने बड़े विनम्र शब्दों में कहा साहब कुछ तो मानदेय हमारा बढ़वाइये।

उनकी सच्ची आत्मा की आवाज थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी से नहीं मिलीं, विभाग की मंत्रीजी से मिलीं, मंत्रीजी ने बड़े प्रेमपूर्वक उनको सुना। मैं समझता हूं मंत्रीजी ने निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी तक उस आवाज को पहुंचाया होगा। परिणाम आये और प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 400 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का तीन सौ रुपये प्रतिमाह बढ़ाया। आंगनबाड़ी सहायिका, साथिन और आशा सहयोगिनी का मानदेय 250 रुपये प्रतिमाह बढ़ाये जाने की घोषणा की। जिसके तहत लगभग एक लाख पचास हजार मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगे। बहुत बड़ी संख्या है। राजस्थान में डेढ़ लाख महिलाओं को एक साथ लाभान्वित करने का काम, यह भी कल राजस्थान में महिला दिवस के दिन राजस्थान की महिला मुख्य मंत्रीजी ने किया। इतना ही नहीं, वर्क परफार्मेंस के आधार पर प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना भी बनाये जाने का निर्णय लिया है। जो अच्छा काम करेगी, उसको और अलग से इनाम पारितोषिक के रूप में राशि भी दी जाएगी, मोमेण्टोज भी दिये जाएंगे।

आज सुबह हमारे एक साथी सदस्य, फुलेरा से आने वाले, उनका एक प्रश्न था, जिसमें पूरा सदन बड़ा चिन्तित था। राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने जवाब देते समय बताया, पिछले दिनों 867 के स्थान पर वर्तमान में जो रेशो है वह 932 हो गया है, यह हमारे लिये खुशी की बात है। राजस्थान को पूरे देश, दुनिया में नीचा देखना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अब बेटी को, किसी के घर में बेटी पैदा हो गई तो कोई भी व्यक्ति खुशी मनाये, अभिशाप नहीं समझे। इसके लिये कितनी बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। बेटी के पैदा होते ही धन की वर्षा, बेटी के पैदा होते ही लक्ष्मी की वर्षा, बेटी के पैदा होते ही घर में खुशी मनाने का काम होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रदेश में बालिका जन्म दर बढ़ाने, बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिये पूर्व में संचालित जो शुभलक्ष्मी योजना अभी तक चला रखी थी, उसके स्थान पर मुख्य मंत्री राजश्री योजना लागू किये जाने का काम किया है। जिसके तहत 1 जून, 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के जन्म की प्रथम वर्षगांठ पर 2500 रुपये, राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश पर 4 हजार रुपये और योजनानुसार बालिकाओं के निरन्तर पठन के लिये, यानी लगातार पढ़ती रहे तो

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कक्षा 6 और 10 में प्रवेश करने पर 5 हजार रुपये और 11 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान किया है। अब राजस्थान में कोई बेटी का पैदा होना बुरा नहीं मानेगा। इसके बाद जब हमारी बेटी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करेगी तो उसको 25 हजार रुपये, सीधे एकमुश्त देने का राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिया है। था क्या ऐसा विजन? जरा बताओ तो। एक बजट में बीस बार पानी पीते थे, राजस्थान की हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने एक बार भी पानी नहीं पिया, केवल पानी पिलाने का काम किया।

राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की बात भी ध्यान में रखी है। जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कर लाएंगे उन खिलाड़ियों को चयनित विभागों में, यानी आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, रीको, और भी विभाग अभी ढूंढ कर निकाल लेंगे, इन विभागों में आउट आफ टर्न प्रतिभा के स्तर पर प्रोत्साहन दिये जाने के लिये इनको नौकरी देने का काम अभी तक केन्द्र के स्तर पर यह व्यवस्थाएं होती थीं, अब राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी राजस्थान की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये, आगे बढ़ाने के लिये, जिस तरह की योजना की घोषणा की है, यह राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी की बड़ी सोच का परिणाम है। सोच बड़ी रखो, यह इसका परिणाम है। अभी तक राजस्थान प्रदेश में यह बात उठती थी, लोग कहते थे कि अगर गरीब बीमार हो जाए तो एस.एम.एस. में, सामान्य चिकित्सालय में या छोटे-मोटे अस्पताल, डिस्पेंसरी में इलाज कराता है। पैसे वाला बड़े अस्पताल में इलाज कराता है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी बड़े अस्पताल में इलाज कराता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को सुना। सुनकर प्रदेश के गरीब परिवार के बीमार व्यक्तियों के इलाज में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में भामाशाह स्वास्थ्य योजना, 2015 शुरू की गयी थी, उसके तहत 432 राजकीय चिकित्सालय तथा 423 निजी चिकित्सालयों को जोड़ दिया। बस अंतर इतना ही है, 4-3-2 और 4-2-3, 423 निजी चिकित्सालयों को जोड़ दिया। गरीब आदमी भी जाये, राजस्थान के बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज कराये, भामाशाह कार्ड दिखाये और ठीक होकर अपने घर को आये। यह राजस्थान की मुख्य मंत्री का, मैं समझता हूं, राजस्थान के आम गरीब के लिये एक प्रसाद है। 43 हजार से अधिक परिवारों द्वारा इसका लाभ प्राप्त भी कर लिया गया है। यह राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने किया है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

दन्त रोग से पीड़ित, आजकल चूंकि पानी की समस्या आती है, हम लोग मांग कर रहे हैं, फ्लोराइड युक्त पानी है, हमारे क्षेत्र में भी आर.ओ. लगे। हर विधायक यह मांग करता है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते। दांतों की बीमारी बढ़ रही है, घुटनों की बीमारी बढ़ रही है, आंतों की बीमारी बढ़ रही है। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दांतों की बीमारी को देखते हुए प्रदेश में दंत रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिये सौ नयी डेंटल चेयर, क्योंकि अस्पतालों में अब तक यह प्राब्लम आती थी, साधारण सी चेयर पर बैठाकर जब डेंटल डाक्टर, बी.डी.एस. डाक्टर, एम.डी.एस. डाक्टर इलाज करते हैं तो प्रोपर तरीके से नहीं होता था। एक ही चेयर की कीमत 4-5-6-10 लाख रुपये तक भी है, आधुनिकतम की। ऐसी सौ डेंटल चेयर, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें राशि नहीं बोली है और सामने का पक्ष सोच रहा होगा कि हो सकता है लाख, पचास हजार का सामान होगा, यह करोड़ों का बजट है। करोड़ों का काम है। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को अब सरकारी अस्पताल में भी अच्छी से अच्छी प्राइवेट निजी नर्सिंग होम जैसी चेयर पर बैठकर अपने दांतों का इलाज कराने का अवसर प्राप्त होगा।

चिकित्सकों की कमी को देखते हुए सबसे बड़ा काम तो किया है रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 की है। ताकि जो राजस्थान में हम देखते हैं, डाक्टर रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती कम है, जैसे कल सदन में बातचीत चल रही थी, आज सुबह भी चल रही थी। एक डाक्टर जो सरकार की नौकरी से रिटायर होता है 60 साल के बाद, कोई भी निजी नर्सिंग होम दो गुनी, तीन गुनी कीमत पर ले जाकर अपने नर्सिंग होम में उनको अच्छी सेवा प्रदान करने का अवसर देते हैं। हमारे पास श्रेष्ठ डाक्टर राजस्थान में हैं। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था, ना केवल राजस्थान में, बल्कि हरियाणा और आस-पास के प्रदेशों में भी इतनी लोकप्रिय है कि राजस्थान के अस्पतालों के आउटडोर्स को उठाकर देखें तो हरियाणा और पंजाब तक के मरीज इलाज कराने के लिये आते हैं। उसका कारण है हमारे चिकित्सक श्रेष्ठ हैं, हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हमारे अस्पतालों की अभी स्थिति बहुत अच्छी है। अस्पतालों में हमारी दूसरी सेवाएं, पैरामेडिकल स्टाफ या दूसरे स्टाफ की हैं, वे सब अच्छी हैं। इसके लिये, प्रदेश में वर्तमान में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. की 1400 सीटों में वृद्धि करते हुए, चिकित्सा महाविद्यालय,

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अजमेर, उदयपुर, कोटा में 100-100, झालावाड़ में 50, यानी साढ़े तीन सौ सीट पर-यीअर और सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 10 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक कैथलेब का निर्माण, बीएस. लेब-3 का निर्माण और स्वाइन फ्लू, हमारे कई विधायकों को भी हो गया था, धर्मपालजी को हो गया था, भवानीसिंहजी को हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा रही कि राजस्थान की श्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्था के चलते आप सब लोग उसको बुखार की तरह छोड़कर वापस इस सदन में मौजूद हैं। स्वाइन फ्लू लैब का अपग्रेडेशन करने का काम भी राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार किया है।

आज राजस्थान में युवाओं के लिये, अभी उच्च शिक्षा मंत्री और तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी शायद कहीं आसपास हैं, मैं कहना चाहता हूं कम परसेंटेज के युवाओं की इन निजी टैक्निकल कालेजेज में, इंजीनियरिंग कालेजेज में प्रवेश लेकर, जिस तरह से बेरोजगारों की फौज बढ़ी है, राजस्थान में वर्तमान में अगर हम देखें तो आज आई.टी.आई. किये हुए स्टूडेंट को, किसी भी युवा को, पोलिटेक्निक किये हुए युवा को कोई भी उद्योग तुरन्त प्रभाव से नौकरी देता है, जबकि बी.टेक. को लेने में बहुत हिचकिचाते हैं। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य में आई.टी.आई. के अपग्रेडेशन हेतु पूर्व में 105 आई.टी.आई. को ब्याजमुक्त ऋण दिया था। जिसके तहत शेष जो 29 रह गई थीं, उनको भी 58 करोड़ रुपये का ऋण यानी एक आई.टी.आई. को 2 करोड़ रुपये का ऋण आगामी तीन वर्षों में देने की घोषणा की है। मैं समझता हूं राजस्थान का युवा निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का यशगान कर रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देश की आजादी को 2022 में 75 वर्ष हो जाएंगे। देश के प्रधान मंत्री, जिनको अभी हमारे बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब ऐसा अवतार धरती पर जन्म लेता है। यही बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे नगरीय विकास मंत्रीजी बैठे हैं, आपने भी माननीय प्रधान मंत्रीजी की योजनानुसार इस राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी के साथ कंधे से कंधा लगाते हुए राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को 2022 तक हर घरविहीन व्यक्ति को घर दिया जाएगा। माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी, राजस्थान के भी हर व्यक्ति को मुख्य मंत्री जन आवास योजना में घर मिले, ऐसी योजना

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

राजस्थान की हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को, क्योंकि पिछली सरकार के डूबने में इस योजना ने बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने घोषणाएं बहुत बड़ी की थीं, बहुत, 5 लाख घर बनाएंगे। बनाये कितने, 50 हजार भी नहीं, 40-45 हजार पर अटक गये। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी बहुत समय है हमारे पास, अभी सवा दो वर्ष का समय हुआ है, इस पौने तीन वर्ष के समय में हम इस आंकड़े को अचीव करने की कोशिश करें कि हम राजस्थान के एक-एक व्यक्ति तक पहुंचें। आपने इसके लिये सर्वेक्षण करवाया है, मेरे शहर में भी सर्वेक्षण हुआ है एक-एक घरविहीन व्यक्ति का। सूचीबद्ध तरीके से सबको, मैं समझता हूं टर्न-बाई-टर्न, एक-एक व्यक्ति को घर देने की 2022 तक जो मोदीजी ने घोषणा की है, राजस्थान भी उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के विजन का और हमारे नगरीय विकास मंत्रीजी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने यह भी चिंता की है कि हम मकान दे देंगे और उसके पास रजिस्ट्री कराने को पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? कर्ज लाएगा, फिर कर्ज में डूबेगा और फिर उसके ऊपर भार बढ़ेगा तो क्या करें? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि मुख्य मंत्री जन आवास योजना, 2015 का जो शुभारम्भ किया गया है, इसके तहत आवासीय आबंटित जो यूनिट है, उसको उसके मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए पचास और सौ रुपये मात्र खर्च करने पड़ेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से जो उसको मकान मिल रहा है, उसकी रजिस्ट्री भी मात्र पचास से सौ रुपये में हो जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, अगर आपका आदेश हो जाए तो तीन-चार मिनट और ले लूं।

श्री सभापति: आप अपनी बात समाप्त करें अब।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बात ही कर रहा हूं। मैं तो इधर-उधर की बात ही नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): काल क्यों कर लें? काल थ्हे कर लीजिए न भाई। पर सबके ही पेट में दर्द चाल गयो, भाई। (व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रदेश में ऐसे उद्योग जिनमें पांच करोड़ से

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अधिक और पच्चीस करोड़ तक के निवेश हों, इनमें 60 परसेंट इंवेस्टमेंट सब्सिडी और 10 प्रतिशत एम्प्लायमेंट जनरेशन सब्सिडी प्रस्तावित की है। कितनी बड़ी बात है? मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के दो, चार लोगों को अगर छोड़ दें तो समझ में ही नहीं आई वर्ना कोई न कोई इसको जरूर टच करने का काम करता। इसके साथ ही 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर इंवेस्टमेंट सब्सिडी 70 परसेंट, एम्प्लायमेंट जनरेशन सब्सिडी 10 परसेंट किया जाना प्रस्तावित किया है। ऐसे उद्योगों में प्रवेश कर में भी कैपिटल गुड्स के आयात पर हंड्रेड परसेंट की छूट दी है, सेंट-परसेंट की। ऐसे उद्योगों में 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर तथा 200 से अधिक रोजगार सृजन करने पर कस्टूमाइज पैकेज का लाभ भी दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने प्रदेश में चूंकि, पूरे देश में रियल-एस्टेट का जो व्यवसाय है, देश की, प्रदेश की प्रगति का यह सूचक है। आज जब रियल-एस्टेट का व्यवसाय राजस्थान और देश में समाप्त हुआ है तो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। आर्थिक मंदी से उबारने के लिए राजस्थान को रियल-एस्टेट के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। डी.एल.सी. नहीं बढ़ाएंगे, मकानों की। कल हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि कृषि की बढ़नी चाहिए। खेतों की बढ़वाओ गांवों में अगर आपको लगता है तो लेकिन मंदी का दौर है, खरीदने वाला मरता है। आपने आनुपातिक भूमि के मूल्यांकन, जो ऊपरी मंजिल है, जो बहुमंजिलें आवासीय परिसर बन रहे हैं, उनमें तीन मंजिल और उससे अधिक की ऊपर की मंजिलों के बेचान पर आनुपातिक भूमि के मूल्यांकन की दर से 50 से घटाकर 40 करने का काम भी किया है।

माननीय सभापति महोदय, बस एक दो बिन्दु है मेरे, ज्यादा नहीं है। एक बात माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं कहना चाहता हूं, यह शायद आपसे पूर्व में भी मैं कह चुका हूं लेकिन इस बजट बहस के दौरान कहना चाह रहा हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, जिस तरह से राजस्थान में क्राइम हाई-टेक होता जा रहा रहा है। मोबाइल, जितनी आज देश की जनसंख्या है, उससे थोड़ा-बहुत, एक, दो, पांच परसेंट ही होगा, अन्यथा, जनसंख्या के मुताबिक मोबाइल देश में और प्रदेश में हो गया और बढ़ती आज यह हालत हो रही है, कोई फर्जी सिम से मोबाइल ले रहा है तो कोई किसी दूसरे के नाम से ले रहा है तो कोई चोरे हुए कागज से सिम ले रहा है, ऐसे में साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ रहा है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

लोग साइबर क्राइम के माध्यम से कोई भी क्राइम किया और निकल गये। इसके लिए साइबर क्राइम को पकड़ने की सैल का गठन किया जाना बहुत अत्यधिक आवश्यक है।

एक अंतिम कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कर्मचारी कल्याण की। राज्य के कर्मचारी जो भर्ती होते हैं उनको भर्ती होते समय जो दो वर्ष तक फिक्स मानदेय दिया जाता है, वह इतना कम है कि किसी भी स्थिति में कर्मचारी अपने और अपने परिवार का पेट पालन करने की स्थिति में नहीं होता। हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुखिया, सरकार से विनम्र अनुरोध है मेरा कि कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में देय मासिक वेतन में तर्कसंगत बढ़ोतरी करें या फिर पूर्ण वेतन-भत्ते दिये जाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में सरकार को पूर्व में निर्देशित किया हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, फूड पार्क में भी फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए बहुत सारी रियायतें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। यह आम जन का बजट है। अलवर का जरूर थोड़ा सा ध्यान कम रखा गया है। मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी के माध्यम से राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले दिनों 175 करोड़ रुपया हमको अलवर शहर में पानी की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए एन.सी.आर. से मिला है। 165 करोड़ रुपया मिशन अमृत से मिला है। पिछले बजट में 33 करोड़ 10 लाख रुपये की एक सड़क हमको दी है और भी एल.ई.डी. लाइट्स हमको अलवर शहर में मिली हैं। इन सबके लिए राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में थोड़ा सा, अलवर को कम मिला है, उसका भी ध्यान रखा जाए।

पूर्ण विकासोन्मुखी बजट है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भजनलाल।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): माननीय सभापति महोदय, आज बजट भाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर बिजली, पेयजल, कृषि, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार परन्तु, समझ में नहीं आता कि इस नाकाम सरकार का कैसे धन्यवाद दूं?

(श्री भजन लाल जाटव)

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बजट, अभिभाषण को गहराई से पढ़ा। सामने आया कि कोई राज्य का बजट नहीं बल्कि खोखली घोषणाओं के पुलिंदे, राज्य की आम जनता को गुमराह करने वाला बजट है। माननीय सभापति महोदय, आज तक ऐसा खोखला बजट प्रदेश के किसी सत्र में नहीं देखा गया।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपका इस बजट में की गयी खोखली घोषणाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में ला एंड आर्डर भी कोई है? आज प्रदेश में आए दिन चोरी, डकैती, बलात्कार, चेन स्नेचिंग जैसे अपराध दिन-दहाड़े हो रहे हैं और इस बजट में इनकी रोकथाम हेतु कोई भी कारगर उपाय करने की योजना सरकार द्वारा अंकित नहीं की गयी है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, आज महिलाओं के साथ दिन-दहाड़े चेन-स्नेचिंग हो रही है। यह सरकार आंख मूंद कर चुपचाप उनको देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सरकार द्वारा पुलिस विभाग में नफरी बढ़ाने, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने और थानों में पर्याप्त स्टाफ लगाने का नाम तक नहीं लिया गया जिससे लगता है कि राज्य सरकार ला एंड आर्डर की स्थिति से पूर्ण तरह संतुष्ट है। अगर कोई इस बजट में कहीं इशारा भी किया गया है तो राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए मात्र 34 करोड़ रुपये की लागत से उपकरणों की व्यवस्था की गयी है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के थानों की स्थिति हम जाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि थानों में अपराधियों की धर-पकड़ करने के लिए पर्याप्त वाहन तक उपलब्ध नहीं है। पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बेबस होकर अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आम जन को न्यायालयों के अभाव में समय पर न्याय नहीं मिल रहा है और न्यायालयों में प्रकरण हजारों की तादाद में लम्बित पड़े हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर की स्थिति का आप आकलन करवाकर देखिए कि आज हजारों मुकदमे, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार मुकदमे वर्षों से लम्बित चल रहे हैं परन्तु सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कारगर उपाय नहीं किये गये। मेरे

(श्री भजन लाल जाटव)

विधान सभा क्षेत्र में काफी दिनों से एक जन-आन्दोलन चल रहा है कि किसी तरह से यहां पर इन मुकदमों के प्रकरणों को सुलझाने के लिये वहां पर एक ए.डी.जे. कोर्ट की घोषणा हो, जिससे इन लम्बित पड़े मुकदमों से आमजन को राहत मिले।

सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जो वादे सरकार ने किये थे, वह भी खोखले वादे किये हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा गांव में, ढाणी में जो स्कूल खोले गये थे, उनमें से 17 हजार स्कूलों को बंद कर दिया गया है जिससे ढाणियों में रहने वाले दलितों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यदि स्कूल हैं तो उनमें अध्यापक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय मंत्रीजी ने सदन के अन्दर कहा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर सीनियर सैकण्डरी स्कूल होगा। परन्तु मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक ग्राम पंचायत है चकदरसोडी, उसके अदंर 60 से 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। क्या यह सही है कि उस ग्राम पंचायत के अन्दर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया? क्या यह अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव तो नहीं? एक तरफ सरकार बात करती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और एक तरफ सरकार स्कूलों को बंद कर देती है। सभापति महोदय, यह कैसा अन्याय है?

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एकीकरण के अन्दर जहां चार से पांच हजार आबादी वाला गांव हो और उसके अन्दर सीनियर सैकण्डरी या सैकण्डरी स्कूल हो, तो आप समझते हैं कि आबादी बढ़ने के साथ ही उस गांव का विस्तार होता है और लोग अपनी ढाणियों में, अपने खेतों में चले जाते हैं। अब एकीकरण के हो जाने के कारण वहां के बच्चे और बच्चियां, जिनकी उम्र 6 साल हो, जिनकी उम्र 7 साल हो, वह ढाई या तीन किलोमीटर कैसे स्कूल के अन्दर जाएंगे।

सभापति महोदय, आपसे मेरा यह भी निवेदन है जो वहां पर प्राइवेट स्कूल और निजी संस्थान हैं, उनमें वह गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि निजी संस्थान, चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वह अस्पताल हो, सरकार द्वारा रियायती दर पर उनको जमीन दी जाती है। कांग्रेस सरकार द्वारा 93वां संशोधन कर एस.सी., एस.टी.

(श्री भजन लाल जाटव)

एक्ट के शिक्षा सम्बन्धी शैक्षणिक विकास अनुच्छेद 15(5) को संशोधित कर जोड़ा, राज्य पर दलित दायित्व डाला गया कि देश के अन्दर निजी संस्था, चाहे राज्य सरकार से अनुदानित हो या नहीं, लेकिन निजी संस्था उन्हें 25 प्रतिशत के अधिकार के तहत प्रवेश प्रदान करेगी। सभापति महोदय, यह संशोधन किसी कारण से न्यायालय में चला गया। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। उसमें पांच सदस्यीय जजों की कमेटी बैठी और उस कमेटी ने फैसला सुनाया कि शिक्षण संस्थाएं चाहे अनुदानित हों, या गैर-अनुदानित, एस.सी., एस.टी. के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता देंगी। इस बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 6.5.2014 को प्रेमवती एजुकेशन एण्ड कल्चर ट्रस्ट बनाम भारत संघ में भी बाध्यकारी दायित्व राज्य सरकार पर डाला, परन्तु राज्य सरकार ने यह दायित्व नहीं निभाया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा पुन: निवेदन है कि ऐसे बच्चे गरीब, दलित, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, जो निजी संस्थानों में अपना दाखिला नहीं ले सकते, परन्तु फिर भारत सरकार ने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद आर्डर आया भारत सरकार ने 4 मार्च, 2014 को निजी शिक्षण संस्थानों में किसी तरह से प्रवेश में बाधा न पहुंचाने हेतु अध्यादेश जारी किया और यह अध्यादेश क्या था? उक्त अध्यादेश को ज्यों का त्यों ही 26 जनवरी, 2016 को लागू कर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने पर बाधा पहुंचाये जाने के नियमों को नजरअंदाज कर एस.सी., एस.टी. एक्ट संशोधित अधिनियम में जारी किये गये, किन्तु कुछ वजह से एस.सी., एस.टी. के लोगों के प्रवेश को निजी संस्थानों में मजबूती से लागू नहीं किया। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे संस्थानों को चाहे शिक्षण संस्थान हों, चाहे तकनीकी शिक्षा संस्थान हों, चाहे वह अस्पताल हों, चाहे वो मेडिकल कालेज हों, बाध्यकारी एवं प्रवेश देने से रोकने के लिये दण्डात्मक शास्तियुक्त नियम निजी स्कूलों को फीस निर्धारण बाबत अधिनियम में जोड़ा जाए, ताकि उन गरीब बच्चों को पढ़ाई-लिखाई का लाभ मिले।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, इन शिक्षण संस्थानों को, तकनीकी शिक्षा संस्थानों को, प्राइवेट स्कूलों को अनुदान के तौर पर करोड़ों रुपये का बजट देती है। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि बजट कहां चला जाता है और वह छात्र-छात्राएं पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

(श्री भजन लाल जाटव)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करता हूं कि जो निजी संस्थान हैं और इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं चाहे प्राइवेट स्कूल हों, चाहे कोई भी संस्थान हों, उनमें कड़े नियम लागू करके उन गरीब छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलाने हेतु बाध्य करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने कई बार निवेदन किया माननीय मंत्री महोदय से और कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जिला भरतपुर के अन्दर महाविद्यालय है और उप खण्ड दो हैं- वैर और भुसावर। वहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिये जिससे 45 किलोमीटर उन बच्चों को जाना न पड़े। परन्तु जवाब एक ही आता है चाहे स्कूल की बात करें, चाहे अस्पताल की बात करें, चाहे जलाशय की टंकी की बात करें, वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो करा देंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के पैराग्राफ नम्बर 160 में 'मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना', यह जो सन् 2016-17 का बजट है इसके अन्दर एक योजना है 'मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना', यह योजना माध्यमिक शिक्षा में लागू करने हेतु प्रस्तावित है परन्तु इसमें यह अवगत नहीं कराया गया कि यह योजना नये स्कूलों पर लागू होगी अथवा पूर्व में संचालित स्कूलों पर लागू होगी। इसमें आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को भी अंकित नहीं किया गया है चाहे वह बच्चे एस.सी. के हों, चाहे एस.टी. के हों, चाहे ओ.बी.सी. के हों।

दूसरा पैराग्राफ है 148- स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों का निर्माण ब्लाक में करने हेतु प्रस्तावित किन्तु माडल का स्वरूप क्या होगा, यह नहीं बताया गया है, ना ही आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था का उल्लेख किया गया। (व्यवधान)

साहब, मिल तो हम सबसे लेंगे परन्तु दर्शाना तो चाहिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): फिर आप सदन में कह दोगे कि मेरे से बाहर मिले थे वो।

श्री भजन लाल जाटव (वैर): इसी तरह पैराग्राफ 140 है इसमें 'खेल प्रतिभा खोज योजना' के अन्तर्गत आरक्षित समुदाय के बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें आरक्षित वर्ग का ध्यान रखने हेतु नीति निर्धारण मण्डल में आरक्षित एस.सी., एस.टी. का एक सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।

(श्री भजन लाल जाटव)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं पानी की बात करूं। जो पानी के वायदे किये गये थे वो वायदे वादे ही रह गये। एक तरफ जहां पानी की बात करते हैं, पानी के बगैर आम जन का बुरा हाल है। जो हमारी सरकार द्वारा सिंगल फेस की योजना थी वो बंद कर दी गयी, उस योजना से आम जन की काफी हद तक समस्या दूर हुई थी क्योंकि मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जल स्तर नीचे है, जल स्तर नीचे होने के कारण वहां ट्यूबवैल के द्वारा पानी की समस्या दूर हो जाती है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यहां पर उच्च जलाशय की टंकी बनवाकर इस बजट में प्रावधान रखें।

माननीय सभापति महोदय, पिछले साल के बजट में सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प सैट स्थापित करने हेतु 132 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कहां है?

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं आज मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में सिंचाई के पानी की व्यवस्था तो दूर की बात है, पीने के पानी तक की उचित व्यवस्था नहीं है और मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर को अछूता छोड़ दिया गया है। आज क्षेत्र की जनता बजट में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु सरकार से अपेक्षा कर रही थी परन्तु माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई राहत नहीं दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर को चम्बल से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री महोदय ने नदी से नदी जोड़ने का वादा किया था इसलिए प्रदेश की मुख्य मंत्री जो शायद प्रधान मंत्री के वादे को वो भूल गयीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में बाणगंगा नदी को चम्बल से जोड़ा जाए तो शायद क्षेत्र का ही नहीं अनेकों जिलों का चहुंमुखी विकास होगा।

रही किसानों की बात, किसानों की पिछले सत्र के अन्दर ओलावृष्टि के द्वारा फसल बर्बाद हुई परन्तु सरकार ने एस.डी.एम. को निर्देश दिये कि इनको ज्यादा अनुपात में नुकसान नहीं दिखाना जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुआवजे के नाम पर एक रुपया भी नहीं मिला। यह किसान के साथ बड़ा धोखा है। किसान को फसल के उचित मूल्य के लिए दर-दर भटकना पड़ता है।

एक तरफ जहां सरकार वियुत उत्पादन में दो वर्षों का आंकड़ा राज्य में 1750 मेगावाट, निजी क्षेत्र में 1014 मेगावाट, गैर परम्परागत स्रोतों से 1403

(श्री भजन लाल जाटव)

मेगावाट सहित चार हजार मेगावाट के उत्पादन की वृद्धि की गयी है। यह तथ्य बिलकुल गलत हैं। किसान के आज कृषि क्षेत्र में बिजली का बुरा हाल है। समय पर बिजली भी नहीं मिल रही है। हम लोग यदि कर्मचारियों को और अधिकारियों को फोन करते हैं तो वो कहते हैं, साहब, लोड शेडिंग है। हमने पूछा कि, साहब, लोड शेडिंग क्या होता है, कि बिजली की उपज कम है खपत ज्यादा है। यह लोड शेडिंग है। यही आंकड़े घरेलू क्षेत्र के हैं। पता नहीं यह आंकड़े कहां से जुटाये गये हैं।

चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात हो, डाक्टर नहीं, नि:शुल्क दवाई नहीं। अभी-अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 28.02.2016 को एक किसान की इलाज ना मिलने के कारण मौत हो गयी क्योंकि सी.एच.सी. भुसावर में है जहां पदों की संख्या सात है परन्तु वहां डाक्टर एक ही है। यही हाल वैर की सी.एच.सी. का है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर डाक्टरों के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं वो तुरन्त प्रभाव से भरे जाएं जिससे आम जनता को राहत मिले।

यही हाल सड़कों का है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 दिया था उसके अन्दर एक सड़क निर्माण दिखाया गया भरतपुर-डीग-अलवर, बाड़ी-बसैड़ी-वैर, अलवर-भुसावर और पुल निर्माण दिखाये गये भरतपुर-मथुरा और भरतपुर-डीग, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो

(17.58 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रतिवेदन 2015-16 दर्शाया गया है यह कार्य तो सन् 2013 में ही पूर्ण कर लिये गये थे तो यह 2015-16 में क्यों बताये गये? इनका उद्‌घाटन भी 2013 के अन्दर हो गया।

इस बजट में पूरी तरह से आम जनता के हित का ध्यान नहीं रखा गया, ना किसान का ध्यान रखा गया। जहां 15 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, वो सरकार पूरी तरह भूल गयी और जहां पर ...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कन्क्लूड करें। कन्क्लूड करें नहीं तो मेरे को स्थगित करना पड़ेगा। छह बजे तक का टाइम है, मुझे फिर इसको एक मिनट पहले ...

श्री भजन लाल जाटव (वैर): चलो, साहब, मैं खतम कर देता हूं।

मैं पूरी तरह इस बजट का विरोध करता हूं। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे कुछ भी हो।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2016 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.59 बजे गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा सम्भाग के पुरामहत्व स्थानों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना

110. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बिखरी कला-पुरा सम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहर की खोज, संग्रहित स्मारकों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार पुराशेषों के संरक्षण के अन्तर्गत कार्य सम्पादित किया जाता है? यदि हां, तो कोटा जिले में किन-किन पुरातत्व महत्व के स्थानों को चयनित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्राधिकरण का गठन किया गया है? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत धरोहर संरक्षण के लिये बून्दी जिले के भगवान केशोवराय मन्दिर एवं कोटा जिले के चौमेश्वर महादेव चारचौमा एवं सुखराय मन्दिर थूनपूर के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले में राज्य सरकार के कुल 13 स्मारक एवं 7 पुरास्थल एवं केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के 3 स्मारक संरक्षित घोषित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2014 में दिनांक 03.03.2014 से प्राधिकरण को पुन: क्रियाशील किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बून्दी जिले के भगवान केशवराय मन्दिर एवं कोटा के चौमेश्वर महादेव चारचौमा एवं सुखराय मन्दिर थूनपूर के जीर्णोद्धार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

मन्दिर श्री केशवरायजी, जिला-बून्दी में देवस्थान विभाग, कोटा द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

111. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षकों के तबादले की कोई नीति

(डा. राजकुमार शर्मा)

बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार नई तबादला नीति बनाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के अनेक जिले ऐसे हैं, जहां से शिक्षकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत शिक्षकों का उनकी स्वेच्छा से गृह जिले में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। प्रदेश में शिक्षको के स्थानान्तरण हेतु निम्नांकित 10 जिलों को प्रतिबन्धित किया हुआ है:-

1. जैसलमेर 2. बाड़मेर 3. डूंगरपुर 4. बांसवाड़ा 5. जालौर 6. झालावाड़ 7. सिरोही 8. बीकानेर 9. बारां 10. प्रतापगढ।

(3) प्रश्नोत्तर के भाग-1 के अनुसार।

बारां-अटरू क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

112. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित केन्द्रों में से कितने भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में 370 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(2) उक्त संचालित केन्द्रों में से 134 भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-113

(स्थगित)

नगर के शहीदन मोड़ पर पुलिस चौकी की स्थापना

114. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में शहीदन मोड़ से गौ-तस्करी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार गौ-तस्करी की रोकथाम के लिए शहीदन मोड़ पर पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नगर में शहीदन मोड़ पुलिस थाना सीकरी के क्षेत्राधिकार में आता है। पुलिस थाना सीकरी में गौ तस्करी के वर्ष 2013 से फरवरी 2016 तक कुल 14 प्रकरण दर्ज हुए हैं। शहीदन मोड़ पर पुलिस चौकी स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर वितीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये प्रस्ता व पर विचार किया जा सकेगा।

प्रदेश में भामाशाह योजना के अन्तर्गत चयनित चिकित्सालय

115. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य योजना कब से लागू की गई तथा इसमें कितने सरकारी/निजी अस्पताल सम्मिलित किये जाकर किन-किन बीमारियों को सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) उक्त योजना प्रारम्भ होने से अब तक सरकार द्वारा चिन्हित किये गये कितने सरकारी/निजी अस्तपतालों द्वारा उपचार हेतु असमर्थता जाहिर की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत इलाज हेतु क्या पैकेज निर्धारित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक 13.12.2015 से राज्य में लागू की गई है।

उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 29.02.2016 तक 432 सरकारी तथा 388 निजी चिकित्सालय सम्बद्ध हो गये हैं, जिनकी सूची क्रमश: परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के कुल 1715 पैकेज सम्मिलित किये गये हैं जिनमें 67 पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों के लिये एवं 1148 सैकंड्री पैकेज चिह्नित सामान्य बीमारियों के लिये तथा 500 टर्शरी पैकेज चिह्नित गम्भीर बीमारियों के लिये रखे गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना प्रारम्भ होने से दिनांक 29.02.2016 तक चिह्नित किसी भी सरकारी अस्पताल ने उपचार करने से मना नहीं किया है। योजना के अन्तर्गत निम्न वर्णित अस्पतालों ने सम्बद्ध होने के बाद उपचार हेतु असमर्थता जाहिर की है:-

1. साकेत मेडिकेज रिसर्च सेन्टर सेक्टर 10 मीरा मार्ग मानसरोवर जयपुर।

2. तिलक हास्पिटल, चाण्क्यपुरी, पालडी मीणा, आगरा रोड जयपुर।

(3) राज्य सरकार द्वारा चिह्नित सामान्य बीमारियों के लिये प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 की बीमा राशि तथा चिह्नित गम्भीर बीमारियों हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का बीमा कवर का प्रावधान रखा गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ क्षेत्र में सरकारी कालेज की स्थापना हेतु जमीन का सर्वे

116. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीश नारायण)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकारी कालेज खोलने हेतु सरकार द्वारा जमीन चिह्नित करने के लिए सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कब? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र सरकारी कालेज की स्थापना हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने के उपरान्त भी उक्त क्षेत्र में एक भी सरकारी कालेज नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक सरकारी कालेज की स्थापना के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में जमवारामगढ़ में निजी क्षेत्र में 15 महाविद्यालय संचालित होने के कारण यहां सरकारी महाविद्यालय खोला जाना निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं है।

(3) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धंता के आधार पर वर्तमान में जमवारामगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

कोटा नगर विकास न्यास द्वारा सृजित आवासीय योजनाएं

117. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2009 से जनवरी 2015 तक कोटा नगर विकास न्यास द्वारा कितनी आवासीय योजनाएं आरम्भ की गईं? आवासीय योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में कितने भूखण्ड किस-किस को कब-कब आबंटित किये गये? इनमें से कितने आबंटियों को भूखण्ड का कब्जा सौंपा जा चुका है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या लम्बी अवधि तक आबंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं करवाने पर न्यास द्वारा आबंटियों से कोई जुर्माना वसूला जाता है? यदि हां, तो किस दर से व कितना?

उत्तर

(1) वर्ष 2009 से वर्ष जनवरी, 2015 तक नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कुल 18 योजनाएं आरम्भ की गईं, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा आरम्भ की गई 18 योजनाओं में आबंटित भूखण्डों के आबंटियों एवं दिनांक का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। उक्त योजना में कुल 6264 आबंटियों को कब्जा सौंपा जा चुका है।

(3) जी हां। नियमानुसार निर्धारित अवधि तक भूखण्ड पर निर्माण नहीं कराने पर आबंटियों से आबंटन की दर की कीमत का 5% प्रतिवर्ष तथा नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर वर्तमान आरक्षित दर पर निर्धारित कीमत का 1% प्रतिवर्ष का जुर्माना वसूल कर नियमन की कार्यवाही की जाती है। नियमों की प्रति (निर्धारित समय व दर) परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के हेमावास बांध की ऊंचाई व क्षमता बढ़ाने की योजना

118. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के हेमावास बांध का निर्माण कब हुआ एवं निर्माण के समय इसकी ऊंचाई एवं पानी की क्षमता कितनी थी?

(2) वर्तमान में उक्त बांध में कितने फीट तक मिट्टी जमा है एवं इस मिट्टी से पानी की क्षमता में कितनी कमी आई?

(3) उक्त बांध अपने निर्माण के बाद कब-कब ओवरफ्लो हुआ एवं ओवर फ्लो में कितना-कितना पानी बह गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त बांध की ऊंचाई एवं क्षमता बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो कितनी क्षमता बढ़ाने की एवं उक्त योजना की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) हेमावास बांध का निर्माण सन् 1912 में हुआ था। निर्माण के समय बांध की ऊंचाई (गेज) 28 फीट एवं पानी भराव क्षमता 2209 एम.सी.एफ.टी. थी।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) वर्तमान में उक्त बांध में लगभग 12 फीट तक मिट्टी जमा है, जिससे भराव क्षमता में 24.84 एम.सी.एफ.टी. की कमी हुई।

(3) उक्त बांध विगत 36 वर्षों में 11 बार ओवर फ्लो हुआ, विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी हां। बांध की ऊंचाई 1 फीट से बढ़ाकर भराव क्षमता 350 एम.सी.एफ.टी. बढ़ाये जाने एवं बांध व नहरों के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी. (RWSLIP) अन्तर्गत तैयार किये गये हैं। संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य स्वीकृत किया जाना विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक की सुनहरी कोठी की मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि

119. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा टोंक में स्थित सुनहरी कोठी के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सुनहरी कोठी टोंक में स्वीकृत कार्य को कौनसी एजेन्सी द्वारा करवाया गया तथा कार्य कब पूर्ण हुआ? कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक में स्थित सुनहरी कोठी के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के लिए बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में प्रदेश स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के लिए राशि रुपये 220.00 लाख स्वीकृत किये गये थे (परिशिष्ट 'अ') जिसमें से रुपये 58.68 लाख स्वीकृत किये गये। तथा रुपये 44.89 लाख व्यय हुये हैं।

(2) सुनहरी कोठी टोंक में स्वीकृत कार्य को राज्य सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग (कार्यकारी एजेन्सी) द्वारा करवाया गया। उक्त कार्य सितम्बर, 2009 में पूर्ण हुआ। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अन्तिम बिल पर अंकित है जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र के टी.एस.पी. क्षेत्र में चयनित द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को नियुक्ति

120. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र को टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र मानकर पूर्व में सभी विभागों में एवं द्वितीय श्रेणी आरपीएससी परीक्षा भर्ती, 2012 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो द्वितीय श्रेणी आरपीएससी भर्ती परीक्षा 2013 में किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र को टी.एस.पी./सहरिया क्षेत्र मानकर 42 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दस्तावेज सत्यापन कराने के बाद भी इन्हें नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद टी.एस.पी. क्षेत्र नहीं होकर सहरिया क्षेत्र हैं। राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाने का प्रावधान होने के फलस्वरूप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती वर्ष 2012 में सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया।

द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती वर्ष 2013 के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन उपरान्त माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 4 (2 हिन्दी एवं 2 सामाजिक विज्ञान) आवेदन पत्र किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र की सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों की अभिस्तावना किये जाने पर पात्र सभी चारों अभ्यर्थियों का मण्डल आबंटन कर नियुक्ति प्रदान की गई।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.2.1981 The Schedule Areas (State of Rajasthan) Order, 1981 के अनुसार तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान, उदयपुर के पत्र दिनांक 4.3.2015 के अनुसार नवगठित तहसीलों में भी बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद तहसील को टी.एस.पी. क्षेत्र में नहीं माना है। टी.एस.पी. हेतु आरक्षित क्षेत्र में बारां जिला शामिल नहीं है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 12.1.2015 को प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें उल्लेखित था कि अध्यापक ग्रेड-II प्रतियोगी परीक्षा 2013 के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों के दिनांक 9.1.2015, 10.1.2015

(शिक्षा राज्य मंत्री)

एवं 12.1.2015 को जारी संशोधित परिणामों में टी.एस.पी. अभ्यर्थियों का जो परिणाम जारी किया गया है, उनमें बारां जिले के अभ्यर्थियों को टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु मान्य नहीं किया जाकर संशोधित परिणाम में टी.एस.पी. के विज्ञापित पदों के लिए सम्मिलित नहीं किया है।

आयोग द्वारा विभिन्न 7 विषयों के टी.एस.पी अभ्यर्थियों के रीशफल परिणाम दिनांक 9.1.2015 से 12.1.2015 को जारी किया गया, उसमें 42 अभ्यर्थी अपने मूल वर्ग के कट आफ मार्क्स में नहीं आने के कारण तथा टी.एस.पी. नहीं होने के कारण रीशफल परिणाम में बाहर हुए हैं, आर.पी.एस.सी. द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित नहीं किये जाने के कारण नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त 42 अभ्यर्थी अपने मूल वर्ग के कट आफ मार्क्स. में नहीं आने के कारण तथा टी.एस.पी नहीं होने के कारण रीशफल परिणाम में बाहर होने के फलस्वरूप आर.पी.एस.सी. द्वारा नियुक्ति हेतु अभिस्तावित नहीं किये जाने के कारण नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

सिवाना (बाड़मेर) को दो खण्डों में विभाजित करने की योजना

121. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सिणधरी खण्ड को दो खण्डों में तथा सिवाना को मात्र एक ही खण्ड में विभाजित करने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिवाना खण्ड को विभाजित कर सिवाना एवं समदड़ी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले में इस विभाग में कितने पद रिक्त हैं तथा सरकार कब तक उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? खण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बाड़मेर जिले के सिणधरी खण्ड को दो खण्डों में विभाजित किया हुआ है तथा सिवाना में एक ही परियोजना संचालित है। इस परियोजना में वर्तमान में खण्ड विभाजित नहीं है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(2) वर्तमान में सिवाना बाल विकास परियोजना खण्ड में पंचायत समिति सिवाना और पंचायत समिति समदड़ी का क्षेत्र आता है। पंचायत समिति सिवाना में 29 ग्राम पंचायत हैं एवं पंचायत समिति समदड़ी में 21 ग्राम पंचायत हैं। सिवाना बाल विकास परियोजना में वर्तमान में 273 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। परियोजना के अधीन कुल 273 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से पंचायत समिति सिवाना परिक्षेत्र में 151 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पंचायत समिति समदड़ी में 122 आंगनबाड़ी केन्द्र आते हैं। पंचायतों के पुनर्गठन होने के फलस्वृरूप समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं का पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव निदेशालय को प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) बाड़मेर जिले में इस विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों की (अर्थना कार्मिक विभाग को प्रेषित की हुई है) एवं महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पैतृक विभाग निदेशक कोष एवं लेखा विभाग को लिखा गया है। कार्मिक उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। सहायक कार्यालय अधीक्षक, लिपिक ग्रेड प्रथम, लिपिक ग्रेड-।। के रिक्त पदों को पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के उपरान्त भरा जा सकेगा। वरिष्ठी पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को मा. न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त मानदेय सेवा के रिक्त पदों को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में गठित चयन समिति द्वारा की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

बाड़मेर जिले में निदेशालय महिला अधिकारिता के अन्तर्गत 1 पद संरक्षण अधिकारी, 5 पद प्रचेताओं के तथा 1 पद लिपिक ग्रेड-1 का रिक्त है। विभागीय राजस्थान महिला सशक्तिकरण (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तदुपरान्त संरक्षण अधिकारी एवं प्रचेताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में विद्युत छीजत रोकने में विफल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

122. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में बिजली की छीजत एवं चोरी रोकने हेतु जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में क्या-क्या उपाय किये गये एवं किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के उपायों से जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में छीजत में कितनी कमी आयी एवं नहीं, तो क्यों?

(3) जनवरी, 2015 से जनवरी, 2016 की अवधि में सर्वाधिक छीजत एवं चोरी किन-किन जिलों में एवं कितनी-कितनी रही? प्रथम दस जिलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा छीजत एवं बिजली चोरी रोकने में विफल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(5) छीजत एवं चोरी के कारण बिजली कम्पनियों का घाटा जनवरी, 2016 तक कितना हो गया है?

उत्तर

(1) प्रदेश में बिजली की छीजत एवं चोरी रोकने हेतु माह जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में किये गये उपायों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। किये गये कार्यों पर निगमवार/जिलेवार व्यय का विवरण प्रपत्र 'ब-1' से 'ब-3' पर उपलब्ध है।

(2) माह जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 की अवधि में तीनों वितरण कम्पनियों की छीजत निम्नानुसार रही है:-

डिस्काम	छीजत जनवरी, 14 तक	छीजत जनवरी, 16 तक	अन्तर
जयपुर	26.04%	29.69%	3.65%
अजमेर	21.43%	24.52%	3.09%
जोधपुर	19.98%	20.12%	0.14
कुल	22.77%	25.15%	2.38%

छीजत बढ़ने के मुख्य कारण यह रहे हैं:-

(ऊर्जा मंत्री)

(i) मीटर युक्त कृषि उपभोक्ताओं के मीटर खराब/बंद होने की स्थिति में माह जनवरी, 2014 से पूर्व 2525 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति वर्ष के हिसाब से विद्युत उपभोग की गणना की जाती थी। लेकिन माह जनवरी, 2014 से फ्लेट रेट एवं बंद/खराब मीटर उपभोक्ताओं की ऊर्जा गणना में एकरूपता लाने के निर्देशानुसार 1945 यूनिट्स प्रति किलोवॉट प्रतिवर्ष के आधार पर गणना की जा रही है, जिसके कारण छीजत बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है।

(ii) कृषि की खपत मानसून की स्थिति पर भी निर्भर करती है। इस वर्ष इसका भी प्रतिकूल प्रभाव आ रहा है।

जनवरी माह तक की छीजत के आकलन की अपेक्षा वित्तीय वर्ष पूरा होने पर छीजत का तुलनात्मक आंकलन समाचीन रहेगा।

(3) माह जनवरी, 2015 से जनवरी, 2016 की अवधि में छीजत एवं चोरी का जिलेवार/वृत्तवार विवरण प्रपत्र 'स-1' से 'स-4' पर उपलब्ध है।

छीजत एवं चोरी में प्रथम दस जिलों/वृत्तों का विवरण प्रपत्र 'द' व 'य' पर उपलब्ध है।

(4) सरकार द्वारा छीजत एवं बिजली चोरी रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उनको स्पष्टीकरण, कारण बताओ नोटिस जारी कर विनियम संख्या 6 व 7 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये हैं। माह जनवरी-14 से माह जनवरी-16 के मध्यम जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 165, जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 97 एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा 516 अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये हैं।

(5) अपर्याप्त विद्युत तंत्र की वजह से हो रही छीजत एवं चोरी के कारण हो रहे अनुमानित घाटे का निगमवार वर्षवार विवरण प्रपत्र 'र-1' से 'र-3' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मृतकों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों का वारिसों के नाम हस्तान्तरण

123. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में जिलेवार मृतक एवं वृद्ध लोगों के वारिसों के नाम शस्त्र

(श्री गिर्राज सिंह)

अनुज्ञा पत्र स्थानान्तरित कराये जाने हेतु वर्तमान में कितनी-कितनी पत्रावलियां विचाराधीन हैं?

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण कर वारिसों के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मृतक एवं वृद्ध लोगों के वारिसों के द्वारा आवेदित शस्त्र अनुज्ञापत्रों के लम्बित प्रकरणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मृतक एवं वृद्ध लोगों के वारिसों के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों का आयुध अधिनियम 1959, आयुध नियम 1962 एवं विभागीय दिशा-निर्देशानुसार परीक्षण पश्चाकत प्रत्येक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के भवन रहित चिकित्सा केन्द्र

124. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बिना राजकीय भवन के चलने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए राजकीय भवन निर्माण की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मापदण्ड के अनुसार जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (ग्रामीण) के भवन उपलब्ध नहीं हैं उनके तथा भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी) एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति नाबार्ड से ऋण लेकर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

एनआरएचएम अन्य योजनाओं के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से जारी करवाने के प्रयास किये जा रहे है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में स्व वित्तपोषित बालिका महाविद्यालय का सरकारीकरण

125. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बालिका शिक्षा हेतु उपखण्ड स्तर पर बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बांदीकुई में संचालित स्ववित्तपोषित बालिका महाविद्यालय का सरकारीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सुराज संकल्प, जो कि राज्य सरकार का नीति पत्र है, के बिन्दु संख्या 5.03 में प्रत्येक एस.डी.ओ. मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का संकल्प है। अतएव निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों के आधार पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जावेगा।

(2) जी नहीं। बांदीकुई में संचालित स्ववित्तपोषित बालिका महाविद्यालय का सरकारीकरण करना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

जोधपुर शहर में ट्रीटमेन्ट प्लान्टों से उपचारित पानी का ठेका

126. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की सीवरेज लाइनों से निकलने वाले गन्दे पानी को उपचारित करने हेतु सरकार ने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाए हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितनी-कितनी क्षमता के कितने ट्रीटमेन्ट प्लान्ट कार्यरत हैं या निर्माणधीन हैं तथा उनमें कुल कितना पानी वास्तव में उपचारित हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपचारित पानी को खेती के उपयोग

(श्री जोगाराम पटेल)

हेतु ठेके पर दिया जा रहा है? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में किन-किन ठेकेदारों/व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि में यह ठेके दिए गए व वर्तमान में यह ठेका/ठेके किसके पास कितनी अवधि के लिए, कितनी राशि पर हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में जोधपुर में 50 एम.एल.डी. क्षमता का एक प्लान्ट सालावास में एवं 20 एम.एल.डी. क्षमता का एक प्लान्ट नान्दडी में कार्यरत है। सालावास में 50 एम.एल.डी. क्षमता का एक अन्य प्लान्ट निर्माणाधीन है। वर्तमान में सालावास में 30 एम.एल.डी. एवं नान्दडी में 20 एम.एल.डी. सीवरेज का पानी उपचारित हो रहा है।

(2) जी हां। वर्तमान में नान्दडी व सालावास ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का उपचारित पानी खेती के उपयोग हेतु ठेके पर दिया हुआ है। गत पांच वर्षों में दिये गये ठेकों का ठेकेदारवार, अवधिवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ बांध में मेज नदी से पानी लाने की योजना

127. डा किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चम्बल नदी की सहायक मेज नदी से जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब? प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के टेण्डर जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? टेण्डर की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल नदी की सहायक मेज नदी से वर्षा ऋतु में उपलब्ध अधिशेष जल को लिफ्ट कर जयपुर जिले के जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने के सम्बन्ध में एक योजना परिकल्पित की गई है, जिस पर अध्ययन उपरान्त निर्णय कर अग्रिम कारवाई किया जाना प्रस्तावित है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त योजना की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु वर्ष 2013-14 के दौरान निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु इस परिकल्पित योजना एवं अन्य प्रस्तावों के सापेक्ष अध्ययन करने हेतु निविदा निरस्त कर दी गई।

(3) उक्त परियोजना वर्तमान में परिकल्पित स्तर पर ही है। अध्ययन उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना प्रस्तावित है।

राजसमन्द के होटल देवीगढ़ पैलेस के बेचान में अनियमितता की जांच

128. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजसमंद जिले के देलवाड़ा स्थित पांच सितारा होटल देवीगढ़ पैलेस के बेचान में कम मूल्यांकन कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है? यदि हां, तो कितना? आई.जी. पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर की अब तक की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त 300 करोड़ रुपये के बाजार मूल्यांकन के होटल को अव्यवहारिक रूप से महज 15 करोड़ रुपये में बेचान कर स्टाम्प ड्यूटी में चोरी तथा होटल द्वारा वर्ष 2013 में लोन के 87 करोड़ रुपये की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विरोधाभास की स्थिति में किस प्रकार सरकार द्वारा मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की स्टाम्प ड्यूटी किस प्रकार वसूली की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) होटल देवीगढ़ पैलेस तथा उसके समीपवर्ती भूमि से सम्बन्धित 10 विक्रय दस्तावेजों का पंजीयन दिनांक 19.11.2015 को उप पंजीयक देलवाड़ा, जिला राजसमंद के कार्यालय में स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क की कुल राशि रुपये 97,37,000 वसूल कर दस्तावेजों का पंजीयन किया गया।

उक्त 10 दस्तावेजों के कम राशि पर पंजीकृत किया जाना परिलक्षित होने पर कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर द्वारा कमी मालियत सम्बन्धी 10 प्रकरण अपने न्यायालय में दर्ज किये गये हैं। इनमें से 8 प्रकरणों में जांच के पश्चात सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं तथा सुनवाई दिनांक 11.03.2016 नियत है। शेष 2 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(वित्त मंत्री)

(2) राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 सपठित राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त दस्तावेजों में वर्णित सम्पत्ति के मूल्यांकन एवं नियमानुसार दायित्व निर्धारण के लिए कार्यवाही कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर के न्यायालय में लम्बित है। निर्णय उपरान्तु नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

सूरतगढ़ के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

129. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के 19 विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आर.टी.ई. मानदण्डान्तर्गत पदस्थापित शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद तथा रिक्त पदों का प्रतिशत विद्यालयवार परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

माध्यामिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के विभिन्न विषयों के सीधी भर्ती अभ्यांश रिक्ति पदों को भरने हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर अर्थना राजस्थान आयोग को भिजवाई जा सकेगी।

व्याख्याता पद हेतु सीधी भर्ती अभ्यांश के 13098 पदों द्वितीय श्रेणी अध्यापक (विशेष शिक्षा) के विभिन्न विषयों के लिए 228 पदों हेतु अर्थन राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाये जाने पर आयोग द्वारा क्रमश: 16.10.2015 एवं 07.01.2016 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 15000 पदों की भर्ती के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा रीट परीक्षा, 2015 की विज्ञप्ति जारी कर, दिनांक 7.2.2016 को परीक्षा आयोजित करवाई जा चुकी है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर तथा विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में राजीव गांधी सबला योजना का संचालन

130. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला का क्रियान्वयन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? योजना की पात्रता एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत जोधपुर जिले में कितने केन्द्रों का संचालन, कहां-कहां किया जा रहा है व योजना के प्रारम्भ से जनवरी, 2016 तक कितनी बालिकाओं को लाभांवित किया जा चुका है? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की कितनी बालिकाओं को इस योजनान्तर्गत लाभांवित किया जा चुका है? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के आदेश दिनांक 27.09.2010 के क्रम में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) सबला की पोषणीय सेवाओं के अन्तार्गत राज्य की 11-18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार जिसमें 600 किलो कैलोरी व 18-20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होगी, उपलब्ध कराने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा योजना के तहत राज्य में पायलट आधार पर 10 जिलों भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर एवं श्रीगंगानगर को प्रथम चरण में चयनित किया गया है। योजना का प्रारम्भ दिनांक 24.01.2011 से किया गया है। योजना की पात्रता एवं शर्तो का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत जोधपुर जिले में सभी बाल विकास परियोजना

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

अन्तर्गत संचालित 2213 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 238 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित कुल 2451 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालन किया जा रहा है, जिसकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

योजना के प्रारम्भ से जनवरी, 2016 तक संचयी रूप से 345198 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में इस योजनान्तर्गत की गई लाभान्वित बालिकाओं की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के नियम

134. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गैर राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित/पदोन्नति करने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियमों के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों से कितने अधिकारियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त प्रस्तावों की वर्षवार व विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त प्राप्त प्रस्तावों में से गत 5 वर्षों में किस-किस विभाग से किन-किन अधिकारियों का चयन हुआ? चयनित अधिकारियों के चयन में अपनायी गई प्रक्रिया के नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत वर्ष 2016 से 2020 तक वर्षवार कितने पदों पर चयनित/पदोन्नति करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 4(1)(c) में राज्य सिविल सेवाओं के अतिरिक्त अन्य राज्य सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों में से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित करने का प्रावधान है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रावधान व नियम के अनुसरण में गत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की वर्षवार सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) गत 5 वर्षों में प्राप्त प्रस्तावों में से विभागवार चयनित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) नियम 1997 की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है एवं चयन प्रक्रिया की प्रति परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(4) उपरोक्त प्रावधान व नियमों के अन्तर्गत वर्ष 2016 से 2020

(कार्मिक मंत्री)

तक सेवानिवृत्ति के कारण उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों पर वर्षवार चयन के लिये नियमानुसार चयन प्रक्रिया की जायेगी। रिक्त पदों की वर्षवार सूची परिशिष्ट 'र' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-135

(स्थगित)

प्रदेश में परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देने की योजना

136. **श्री भंवरलाल** (सरदारशहर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की नई नियुक्ति पर परिवीक्षाकाल कितनी अवधि का होता है? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों/ नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में नव-नियुक्त होने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों को दो वर्ष तक पूर्ण वेतन एवं भत्ते नहीं दिये जाकर फिक्स वेतन दिया जाता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रति एवं विभिन्न संवर्गवार कर्मचारी/अधिकारी को देय फिक्स वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों/अधिकारियों को देय फिक्स वेतन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर दिया है? यदि हां तो कब? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश के अतिरिक्त अन्य किन-किन प्रदेशों में नवनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को परिवीक्षाकाल के दौरान कब से एवं कितना-कितना फिक्स वेतन दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रदेश में फिक्स मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को पूर्ण वेतन/भत्ते देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विविध सेवा नियमों में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति पर

(कार्मिक मंत्री)

दो वर्ष का परिवीक्षाकाल निर्धारित है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में पद विशेष हेतु एक वर्ष का परिवीक्षाकाल निर्धारित किया हुआ है। तत्सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रति (परिशिष्ट 'क'- पृ. 1-7/सी) संलग्न है।

(2) दिनांक 20.01.2006 या इसके पश्चात् सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 में अधिसूचना सं. प-1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 (परिशिष्ट 'ख'- पृ. 8-12/सी) द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार दो वर्ष तक स्थिर पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रोबेशनर ट्रेनी को देय पारिश्रमिक का विवरण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 (परिशिष्ट 'ग'- पृ. 13/सी) के अनुसार है। लेकिन राज्य सरकार के संस्थाई पदों पर दो वर्ष की प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(3) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा डीबी सिविल रिट पीटिशन सं. 2963/2007 गोपाल कुमावत बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2015 के द्वारा वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 को निरस्त किया गया है। निर्णय की प्रति (परिशिष्ट 'घ'- पृ. 14-36/सी) संलग्न है।

(4) अन्य राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना संकंलित नहीं की जाती है।

(5) राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 25565/2015 राजस्थान सरकार बनाम गोपाल कुमावत दायर की गई है जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अधिकृत निजी अस्पतालों में राज्य कर्मचारियों को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की योजना

137. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा राज्यकर्मियों को चिकित्सा पुनर्भरण करने के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूरणमल सैनी)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 से पूर्व नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए निजी अस्पतालों को भी अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में बहिरंग रोगियों के पुनर्भरण के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में बहिरंग रोगियों को अस्पताल स्थित दवा की दुकान से दवा लेने पर भी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता है? यदि हां, तो जिन अधिकृत निजी अस्पतालों के आस-पास अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र हेतु सरकारी दवा की दुकान स्थित नहीं है, उनके लिए क्या व्यवस्था है?

(5) क्या सरकार अधिकृत निजी अस्पतालों में स्थित दवा की दुकान से बहिरंग रोगियों द्वारा दवा लेने पर अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त राज्यकर्मियों को चिकित्सा पुनर्भरण राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अनुसार अनुज्ञेय है। दिनांक 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए मेडिक्लेम पालिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुनर्भरण की सुविधा देय है।

(2) जी हां। अधिकृत निजी अस्पतालों की अद्यतन सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में बहिरंग उपचार हेतु पुनर्भरण राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 7 (परिशिष्ट-ब) के अनुसार देय है।

(4) अधिकृत निजी अस्पतालों में बहिरंग रोगियों को अस्पताल स्थित दवा की दुकान से दवा लेने पर भी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता है।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 16 (परिशिष्ट-स) के प्रावधानानुसार औषधियों का क्रय कानफेड/उपभोक्ता संघ अथवा प्राधिकृत दुकान से किया जाना अनुज्ञेय है। यद्यपि आपात स्थिति में या सरकारी दुकान की अनुपलब्धता/बन्द होने की दशा में नियमानुसार नियत सीमा तक निजी दुकान से औषधियां क्रय की जा सकती हैं।

(वित मंत्री)

(5) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों की जांच

138. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई प्रकरणों में जांच कर कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो जांच के उपरान्त कितने प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान नियमों में अधिकारियों के सेवानिवृत होने या मृत्यु होने की स्थिति में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का प्रावधान है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों की सम्पत्तियों से राजकोष में हुई हानि की भरपाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर सम्भाग में जिला चूरू के अधिकारियों (राजपत्रित अधिकारियों) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत 10 वर्षों में निम्नानुसार प्रकरण दर्ज किए गए -

अपराध	प्राथमिक जांच	परिवाद
38	26	47

जिन अधिकारियों के विरुद्ध अपराध/प्राथमिक जांच/परिवाद दर्ज किए गए हैं उनका नाम व आरोपों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'क', 'ख' व 'ग' में अंकित है।

(गृह मंत्री)

(2) आलौच्य अवधि में दर्ज परिवाद/प्राथमिक जांच/अपराध में सत्यापन/जांच/अन्वेषण के उपरांत निम्नानुसार कार्यवाही की गई -

(क) परिवादों पर बाद सत्यापन की गई कार्यवाही -

अपराध दर्ज	1
प्राथमिक जांच	5
विभागाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु भिजवाई गई	7
नस्तीबद्ध	23
सत्यापनाधीन	11

(ख) प्राथमिक जांचों पर बाद जांच की गई कार्यवाही -

अपराध दर्ज	8
विभागीय कार्यवाही	1
नस्तीबद्ध	13
जांचाधीन	4

(ग) अपराधों पर बाद जांच की गई कार्यवाही -

न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया	11
न्यायालय में एफ.आर. प्रस्तुत की गई	9
अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होना शेष	3
अनुसंधानाधीन	15

विवरण संलग्न परिशिष्ट-क, ख एवं ग में है।

(3) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 की प्रति परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(4) आपराधिक विधि एवं विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी तथा वित्त सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत इस तरह के प्रकरणों से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों से सरकार को हुई हानि का पुर्नभरण कराया जाने के प्रावधान है। यह एक न्यायिक/अर्द्धन्यायिक एवं सतत् प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय में महिला थाने की स्थापना

139. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के थानों में विगत दो वर्षो में कितने आपराधिक मुकदमें दर्ज किए गए तथा उनमें से कितनों में एफ. आर. लगाई गई तथा कितने मुकदमों में क्या कार्यवाही की गई? थानेवार व मुकदमेवार की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला थाना संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में विगत दो वर्षो में कुल 2490 अपराधिक प्रकरण दर्ज हुये उनमें से 1008 प्रकरणों में एफ. आर. न्यायालय में पेश की गई 1446 प्रकरणों में मुल्जिमों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई व शेष 36 प्रकरणों का अनुसंधान जारी है। जिनका थानेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय मे महिला थाना संचालित नहीं है। प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर ही महिला थाना सृजित किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्तमान में महिला थाना खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिले में दुर्घटना में मृतकों को मुख्यमंत्री कोष से सहायता

140. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला कलक्टर टोंक को गत दो वर्षों में दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर किन-किन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा अब कितने प्रार्थना-पत्रों पर सहायता राशि प्रदान करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला कलक्टर, टोंक को दो वर्षों में दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर कुल 433 व्यक्तियों के आश्रितों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 365 मृतकों के आश्रितों को पात्रता के आधार पर नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। (परिशिष्ट-क)

40 प्रार्थना पत्रों पर सहायता देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट-ख)

28 प्रार्थना पत्रों में नियमानुसार सहायता देय नहीं है। (परिशिष्ट-ग)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में भ्रष्टाचार एवं गबन के दर्ज प्रकरण

141. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में वर्ष 2011 से 31 जनवरी, 2016 तक किस-किस विभाग के भ्रष्टाचार एवं गबन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए?

(2) उक्त दर्ज किए गए प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालयों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया और कितने प्रकरणों में अनुसंधान लम्बित है?

(3) क्या जिन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, उन सभी प्रकरणों में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो ऐसे कितने प्रकरण सरकार की अभियोजन स्वीकृति के अभाव में न्यायालयों में लम्बित हैं व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान में वर्ष 2011 से अब तक (फरवरी, 2016) कोटा जिले में विभिन्न विभागों में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुल 72 प्रकरण दर्ज किए हैं। विभाग का नाम संलग्न परिशिष्ट "क" के कालम 4 में अंकित है।

(2) कुल दर्ज 72 प्रकरणों में से 41 प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण कर चालान एवं 3 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। 28 प्रकरणों में अनुसंधान विभिन्न प्रक्रियाओं में लम्बित है।

(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री)

(3) जिन 41 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है उनमें से 38 प्रकरणों में सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं 3 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में कोई प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के अभाव में न्यायालय में लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिला मुख्यालय पर सिपाहियों हेतु नये आवासों का निर्माण

142. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान पुलिस/आरएसी/होमगार्ड में तैनात सिपाहियों को वर्तमान में कौन-कौन से भत्ते मिलते हैं? क्या सरकार उक्त भत्तों को बढ़ाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राज्स्थान पुलिस/आरएसी/होमगार्ड में तैनात सिपाहियों को एक वर्ष में कौन-कौन से व कितने अवकाश मिलते हैं?

(3) क्या सरकार नागौर जिला मुख्यालय पर पुलिस/आरएसी/होमगार्ड में तैनात सिपाहियों के लिए नये आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस/आरएसी में तैनात सिपाहियों को वर्तमान में देय भत्तों की सूची परिशिष्ट-अ में संलग्न है। होमगार्ड में नियमित सिपाहियों को मैस भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता एवं साइकिल भत्ता देय है। औचित्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इन भत्तों में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है।

(2) राजस्थान पुलिस एवं आर.ए.सी. में तैनात सिपाहियों को निम्नानुसार अवकाश देय है :-

1. एक कलेण्डर वर्ष में 25 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 2 दिवस ऐच्छिक अवकाश, 30 दिवस उपार्जित अवकाश, 20 दिवस अर्द्धवेतन अवकाश देय है।

(गृह मंत्री)

2. राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य जो भ्रतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्ति पर हो अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित देश की सीमाओं पर तैनात हो, को एक कलेण्डर वर्ष में 42 दिवस उपार्जित अवकाश देय है।

3. परिवीक्षा अवधि में एक कान्स्टेबल को एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस आकस्मिक अवकाश देय है, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षाणधीन प्रशिक्षु कान्स्टेबल को 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सामान्य साप्ताहिक अवकाश का उपभोग नहीं कर सकने के कारण एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिवस सीमा तक विशेष क्षतिपूरक (Compensation) आकस्मिक अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त पुरुष/महिला कानिस्टेबल को क्रमशः पितृत्व एवं प्रसूति अवकाश अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति देय है।

4. होमगार्ड में नियमित सिपाहियों को एक वर्ष में 30 दिवस उपार्जित अवकाश, 20 दिवस अर्द्ध वेतन अवकाश, 15 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 2 दिवस ऐच्छिक एवं नियमानुसार पितृत्व/मातृत्व अवकाश देय है।

(3) पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकेगा।

होम गार्ड में तैनात नियमित सिपाहियों के लिए आवास निर्माण करने के सम्बन्ध में वर्तमान में पृथक से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के न्यायालयों में आशुलिपिकों की भर्ती के नियम

143. श्री भजन लाल जाटव (वैर) व **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी आशुलिपिक व निजी सहायक के पदों को सीधी भर्ती से भरने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्र लिपिक/निजी सहायक (हिन्दी) पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा के पूर्णांक एवं न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने होना आवश्यक हैं?

(श्री भजन लाल जाटव)

(3) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में उक्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांचने के नियम व प्रक्रिया क्या हैं? नियम व प्रक्रिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक से निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु क्या टंकण गति की परीक्षा लिया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्च न्यायालय में निजी सहायक व कनिष्ठ निजी सहायक के पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु द राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ सर्विस रूल्स, 2002 (एज अमेन्डेड टाइम टू टाइम, जून, 2015) है। जिसकी प्रति प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक व निजी सहायक के पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 तथा संशोधन नियम 2015 है। जिसकी प्रति प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (संशोधन नियम 2015) हेतु अनुसूची-I के भाग-II में पूर्णांक के सम्बन्ध में प्रावधान विद्यमान है। न्यूनतम उत्तीर्णांक का उल्लेख इस पद हेतु नहीं है।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांचने के सम्बन्ध में प्रक्रिया उक्त नियमों में पृथक से उल्लेख नहीं है, तथापित उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1938 दिनांक 04.03.2013 द्वारा समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश को कम्प्यूटर पर गति एवं दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया की प्रति स्वयं के विवेकानुसार प्रयोग में लेने अथवा नहीं लेने बाबत प्रेषित की गई। जिसकी प्रति प्रदर्श-3 पर संलग्न है।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक से निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम iv में प्रावधान है "No Stenographer shall be promoted as Personnel Assistant unless he passes a speed test as provided in these rules, held by appointing authority."

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खिवाडा-सिरियारी (पाली) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

144. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में खिवाडा व सिरयारी में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालयों के भवन दान-दाताओं द्वारा बनाकर सरकार को सुपुर्द किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार खिवाडा और सिरयारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम खिवाडा पंचायत समिति, रानी एवं ग्राम सिरयारी पंचायत समिति, खारची जिला पाली के अन्तर्गत आते हैं।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति रानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत है इसलिए उक्त पंचायत समिति के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति खारची के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रदेश की रसायनशालाओं में निर्मित आयुर्वेदिक औषधियां

145. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितनी रसायनशालाएं राजकीय स्तर पर संचालित हैं व उनमें कौन-कौन सी दवाओं का निर्माण होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(2) गत दो वर्षों में उक्त रसायनशालाओं में किन-किन औषधियों को कितनी-कितनी मात्रा में निर्मित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आयुर्वेद चिकित्सा हेतु उक्त औषधियां पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो रोगियों की चिकित्सा हेतु औषधियों को क्रय करने की क्या प्रक्रिया है व गत दो वर्षों में क्रय की गई औषधियों की सूची मय रसायनशाला के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में राजकीय स्तर पर वर्तमान में पांच रसायनशालाएं संचालित हैं जिनमें निर्मित की जाने वाली दवाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षों में उक्त रसायनशालाओं में औषधि निर्माण की मात्रा की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला, केलवाडा (बारां) नवीन स्थापित की गई है वहां निर्माण कार्य हेतु आवश्यक मशीनादि की क्रय प्रक्रिया जारी है। मशीन क्रय एवं स्थापना के पश्चात औषध निर्माण सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत औषधियां क्रय की जाती हैं। गत दो वर्षों में क्रय की गई औषधियों की सूची रसायनशालावार परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फार्मासिस्टों की नियुक्ति में अनियमितता

146. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट भर्ती 2011 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो अब तक नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों की सूची मय मैरिट क्रमांक, मैरिट लिस्ट लम्बित प्रकरण इत्यादि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियुक्त अभ्यर्थियों से मैरिट में ऊपर होने के उपरान्त भी कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दर्शन सिंह)

(3) क्या यह सही है कि ऐसे ही कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश की पालना में सरकार को रिप्रजेन्टेशन प्रस्तुत किये थे, जिन पर काफी समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु कम से कम 3 माह का कार्यानुभव अनिवार्य है, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्र पर अनुमोदित रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के निर्देशन में अर्जित किया जाता है? यदि हां, तो उस अनुज्ञापत्र पर अनुमोदित रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का स्वयं का कार्यानुभव वैध है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो किस नियम के तहत व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट भर्ती 2011 की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों की सूची मय मैरिट क्रमांक मैरिट लिस्ट लम्बित प्रकरण इत्यादि सहित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) फार्मासिस्ट भर्ती 2011 में विभाग द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से फार्मासिस्ट के 1478 पदों हेतु आनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की गई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा दिनांक 21.07.2012 को नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र में त्रुटि होने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 311/2014 एवं 5127/2014 दायर की गई है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2014 एवं 09.05.2014 को फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2011 का परिणाम संशोधन किये जाने का निर्णय पारित किया जिसकी पालना में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती 2011 के परिणाम को संशोधित कर निदेशालय को भेजा गया जिसकी पालना में दिनांक 09.02.2015 को संशोधित वरीयता सूची जारी की गई।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संशोधित परिणाम के अनुसार तैयार की संशोधित वरीयता सूची में 132 नये अभ्यर्थी स्थान बनाने में सफल रहे जिन्हें नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है इसके विपरीत संशोधित वरीयता सूची में 132 अभ्यर्थी जो पूर्व में चयनित एवं कार्यरत हैं, स्थान बनाने में असफल रहे जो माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.03.14 एवं 09.05.14 की पालना में वर्तमान में भी कार्यरत हैं लेकिन विभाग द्वारा इन्हें अभी तक स्थाई नही किया गया है क्योंकि यदि इन 132 अभ्यर्थियों को यथावत रखा जाता है तो संशोधित परिणाम के अनुसार इनसे उच्च वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी भी नियुक्ति की मांग करेंगे।

इस निर्णय के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय खण्डपीठ में अपील दायर की हुई है जो विचाराधीन है।

फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा-2011 के परिणाम के अनुसार जारी संशोधित चयन सूची में महिलाओं को 30 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिये जाने के कारण अधिक चयनित हुई महिला अभ्यर्थियों के स्थान पर पुरुष अभ्यर्थियों को चयनित किये जाने के सम्बन्ध में एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6656/2015 श्री सत्येन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 9870/2015 श्री अमित कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की गई है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 03.11.2015 को पारित किया गया है जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील दायर नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में विभाग को रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुये हैं। जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2011 के परिणाम के अनुसार जारी संशोधित चयन सूची में महिलाओं को 30 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिये जाने के कारण अधिक चयनित हुई महिला अभ्यर्थियों के स्थान पर पुरुष अभ्यर्थियों को चयनित किये जाने के सम्बन्ध में एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 6656/2015 श्री सत्येन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा एसबी सिविल रिट पिटीशन 9870/2015 श्री अमित कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की गई है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 03.11.2015 पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में विभाग को प्राप्त रिप्रजेन्टेशन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) जी हां। प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी हां। फार्मेसी अधिनियम 1948 व एज्यूकेशन रेगूलेशन 1991 के तहत डिप्लोमा इन फार्मेसी उत्तीर्ण अभ्यार्थी को रजिस्ट्रेशन हेतु कम से कम 3 माह व कम से कम 500 घण्टे का कार्यानुभव अनिवार्य है।

राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए जारी विज्ञप्ति में वर्णित नियमों/शर्तों के अनुसार ही आवेदन करने वाले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कार्यानुभव की वैघता का निर्धारण किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में वेतन स्थिरीकरण में अनियमितता की जांच

147. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में वर्ष 2013 में भर्ती हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को 1 वर्ष में ही फिक्सेशन का लाभ दे दिया गया, जबकि प्रोबेशन अवधि 2 वर्ष की है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा फिक्सेशन का लाभ लेने वाले उक्त व्यक्तियों से कोई वसूली की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि गलत तरीके से फिक्सेशन होने के बाद भी नियम विरुद्ध तरीके से उक्त यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति जारी कर दी गयी? यदि हां, तो क्या सरकार कार्य में लापरवाही बरतकर गलत तरीके से फिक्सेशन करने एवं अनुचित अनुमति प्रदान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार को विगत पांच वर्ष में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? शिकायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2014 की पालना में दिनांक 23 सितम्बर, 2014 से पहले नियुक्त प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर को स्थायी किया गया। उक्त कार्यवाही वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 सितम्बर, 2014 एवं यू.ओ. नोट दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के अधीन की गई है।

अत: वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं यू.ओ. नोट के अधीन कार्यवाही किये जाने के कारण कोई वसूली का प्रकरण नहीं बनता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विगत पांच वर्षों में कतिपय शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं जिनका विश्वविद्यालय से परीक्षण करवाया गया एवं विभाग द्वारा भी आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के नक्सली हमले में शहीद जवानों के बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की योजना

148. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में कितने जवान सीमा पर नक्सली हमले व आतंकी हमलों में शहीद हुए? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त शहीद जवानों के परिवारजनों को क्या-क्या सुविधाएं/सहायता उपलब्ध करवाई गई? सरकार उक्त शहीदों के बच्चों को शिक्षा व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में 33 जवान सीमा पर नक्सली हमले व आतंकी हमलों में शहीद हुये हैं। इसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) शहीद हुये जवानों के परिवारजनों को कारगिल पैकेज के तहत सुविधाएं/सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका विवरण परिशिष्ट "ख"

(सैनिक कल्याण मंत्री)

पर संलग्न है। शहीदों के आश्रितों को शिक्षा व अन्य सुविधाएं कारगिल पैकेज के तहत पूर्व से ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ऋषभदेव (उदयपुर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

149. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ऋषभदेव उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य सरकार के वितीय संसाधनों एवं निर्धारित मानदण्डों के आधार पर विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभेदव उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश के राजकीय महिला कालेजों में विषय प्राध्यापकों के रिक्त पद

150. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितने राजकीय महिला कालेज संचालित हैं? उक्त कालेजों में किन-किन विषयों के कितने विषय प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उक्त कालेजों में महिला प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में 44 राजकीय महिला कालेज संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इन राजकीय महिला कालेजों में विषयवार व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 1339 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई है। इनमें से 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। इन

(उच्च शिक्षा मंत्री)

पदों पर चयन की कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी में आवासीय कालोनियों में पट्टे जारी करने की योजना

151. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद, बून्दी क्षेत्र की कितनी आवासीय कालोनियों के पट्टे नगर परिषद द्वारा जारी किये जा रहे हैं? कालोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में उक्त कालोनियो में भूखण्ड/निर्मित आवास जहां हैं, जैसा है, की स्थिति में आवासीय पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या बून्दी शहर में ऐसी कालोनियां भी हैं, जिनमें आधी कालोनी में भू-खण्डों के पट्टे जारी हो गये और आधी में नहीं? यदि हां, तो क्यों व अब सरकार द्वारा शेष भूखण्डों के पट्टे कब तक जारी कर दिये जायेंगे? कालोनीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद बून्दी में कुल 98 आवासीय कालोनियों में पट्टे जारी किये जा रहे हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। नगर परिषद, बून्दी द्वारा अनुमोदित लेआउट प्लान के अनुसार ही कालोनियों में पट्टे जारी किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वौरान प्रचलित नियमों के अनुसार लेआउट पारित किये गये थे। कतिपय खसरों के लेआउट नियमों में नहीं आने के कारण पारित नहीं किये जा सके या ऐसे हिस्से जिनमें पारित लेआउट के विरुद्ध निर्माण किया जा चुका है, पर पट्टे जारी नही किये जा सके हैं। शेष रहे आवेदनों हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर पट्टे जारी किये जा सकते है। लम्बित रहे पट्टों का कालोनीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के केन्द्र सरकार की अमृत योजनान्तर्गत सम्मिलित शहर

152. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में किन-किन शहरों को केन्द्र सरकार की अमृत योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत शामिल किये गये शहरों को कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल कितनी राशि का व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के 29 शहरों को केन्द्र सरकार की अमृत योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है। शहरों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 29 शहरों में से 28 शहरों को जिन-जिन कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई है, का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कोई राशि व्यय नही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की थर्ड पार्टी जांच

153. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आवासन मण्डल को अपने निर्माणों की जांच हेतु थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किस स्तर से एवं क्या? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवासन मण्डल द्वारा गत तीन वर्षों में सभी निर्माणों का थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस कार्य का, किसके माध्यम से एवं कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन में कहां-कहां किस-किस कार्य में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं एवं सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं तो क्यों? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश)

(4) क्या थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शेष रहे कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन के आदेश संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश के पश्चात सभी निर्माणाधीन कार्यो का थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन कराया जा रहा है। कार्यों का विवरण, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्टर एवं शहरों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन में नागौर शहर में अनियमितता पाई गई है। इन अनियमितताओं के दोषी दो परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ एवं दो आवासीय अभियन्ताओं को दिनांक 04.11.2015 से निलम्बित कर दिया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन हेतु सभी निर्माणाधीन 216 कार्यों हेतु थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन की नियुक्त कर उनमें से 189 कार्यों का निरीक्षण कर लिया गया है एवं 3 कार्यों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण एवं शेष कार्यों हेतु थर्ड पार्टी इन्स्पेक्टर की व्यस्तता के कारण थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन अब तक नहीं किया जा सका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में कराये गये विकास कार्य

154. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कितने विकास कार्यों एवं जन समस्याओं के निराकरण के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक प्रस्ताव के अनुरूप सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक प्रस्ताव अनुरूप अब तक की भौतिक, वित्तीय एवं कार्य प्रगति की सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जनआवश्यकताओं और जोधपुर विकास की भविष्य के परिपेक्ष्य में स्वप्रेरणा से कोई प्रोजेक्ट पर कार्य किया है? यदि हां, तो ऐसे प्रोजेक्ट की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में जोधपुर विकास प्राधिकरण को 33 विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। नगर निगम, जोधपुर को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्राप्त 33 प्रस्तावों के अनुरूप अब तक की भौतिक, वित्तीय एवं कार्य प्रगति विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयसमन्द झील की नहरों का मरम्मत कार्य

155. **श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों व जलाशयों के सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो सलूम्बर खण्ड के अधीन कितने तालाबों के मरम्मत की स्वीकृति जारी कर कार्य करवा दिया गया है व शेष तालाबों के सुदृढ़ीकरण की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जयसमन्द झील से निकलने वाली नहरों की मरम्मत निर्माण होने के बाद कभी नही हुई है, जिससे पानी का दुरुपयोग होने के साथ लोगों की फसल को भी नुकसान हो रहा है? क्या सरकार अन्य तालाबों की नहरों की मरम्मत की तरह जयसमन्द की नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सलूम्बर खण्ड के अधीन विगत तीन वर्षों में तालाबों एवं नहरों की मरम्मत के करवाये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

दो नदी, घोडाखोज एवं सोम कादर बांध की नहरों का जीर्णोद्धार कार्य

(जल संसाधन मंत्री)

स्वीकृत है, जिनमें से दो नदी एवं सोम कादर बांध की नहरों के कार्य प्रगतिरत हैं।

सागवाडा की पाल, सोम पिकअप वियर एवं मालपुर बांध के जीर्णोद्धार कार्य संसाधन उपलब्धतानुसार स्वीकृति उपरान्त करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) जी नहीं। जयसमन्द बांध एवं इससे निकलने वाली नहरों का आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 1999 से 2002 के दौरान राशि रुपये 16.54 करोड़ व्यय कर करवाया गया है। तत्पश्चात अति-आवश्यक मरम्मत कार्य रखरखाव एवं महानरेगा मद में करवाये गये हैं।

जयसमन्द बांध की नहरों की मरम्मत हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई है, जिसे संसाधन उपलब्धतानुसार स्वीकृत कर कार्य करवाया जाना विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद के सिंचाई विभाग में रिक्त पद

156. श्री गोतमलाल (धरियावद) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने रिक्त हैं? कार्यालय व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में सिंचाई (जल संसाधन) विभाग के विभिन्न कार्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार रिक्त पद भरे जाने विचाराधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग में रिक्त पद

157. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भंवरसिंह)

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग में सभी श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के बाद लम्बे समय से पदों को नहीं भरा जा रहा है?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि विभाग में कर्मचारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के पद रिक्त होने से नहरों का रख-रखाव व देखभाल नहीं होने के कारण नहरें जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि पद रिक्त होने से नहरी क्षेत्र में पानी चोरी की जा रही है, जिससे अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों के कुल 300 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 167 पद भरे हुए हैं तथा 133 पद रिक्त हैं।

विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल 1420 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 911 पद भरे हुए हैं एवं 509 पद रिक्त हैं। विभाग में वर्तमान में कुल 1495 कार्यप्रभारी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों को नई भर्तियों से उपलब्ध हो रहे कार्मिकों एवं स्थानान्तरण के माध्यम से आवश्यकतानुसार भरा जाता है।

(3) रिक्त पद नई भर्ती से उपलब्ध हो रहे अभ्यार्थियों एवं स्थानान्तरण से उपलब्धता एवं कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर भरे जाते हैं।

(4) जी नहीं। अधिकारी/कर्मचारियों की कमी होने पर आवश्यक पदों को प्राथमिकता अनुसार स्थानान्तरण द्वारा भरा जाकर नहरों के रख-रखाव व देखभाल का कार्य कराया जाता है। रिक्त पदों के कारण नहरें जीर्ण-शीर्ण नहीं हो रही हैं।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(5) जी नहीं, यह सही नहीं है कि विभागीय पद रिक्त होने से नहरी क्षेत्र में पानी की चोरी की जा रही है। उपलब्ध स्टाफ एवं प्रशासन के सहयोग से पानी की चोरी रोकने की कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम छोर के काश्तकारों को उपलब्ध पानी में से सिंचाई हेतु निर्धारित मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी मंदिर का विकास करने की योजना

158. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विश्व धरोहर का संरक्षण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रदेश में कितने दुर्ग-किले, विश्व धरोहर के हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही हे कि सरकार हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी मंदिर को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान के निम्न स्मारक विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित हैं:-

1. जन्तर-मन्तर, जयपुर
2. आमेर किला, जयपुर
3. गागरोन किला, झालावाड़
4. रणथम्भौर किला, रणथम्भौर
5. चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़
6. कुम्भलगढ़ का किला, कुम्भलगढ़
7. जैसलमेर का किला, जैसलमेर

इनमें से क्रम संख्या 1 से 3 तक राज्य सरकार के अधीन हैं तथा इनका संरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। क्रम संख्या 4 से 7 तक केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन हैं तथा इनका संरक्षण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

(2) जी हां। सरकार हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी मन्दिर को

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

विकसित करने का विचार रखती है। देवस्थान विभाग द्वारा गोगामेड़ी मन्दिर के विकास के लिए राशि रुपये 18.95 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्तमान में प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है।

राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा लोक पूज्य देवता गोगाजी के पेनोरमा का कार्य पूर्ण कर संचालित किया जा रहा है तथा इसे दर्शकों के अवलोकनार्थ खोल दिया गया है।

प्रदेश के संग्रहालयों के रख-रखाव पर व्यय राशि

159. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कौन-कौन से संग्रहालय कहां-कहां और कब-कब से संचालित है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी 2009 से जनवरी 2016 तक किस-किस संग्रहालय से कितनी आय प्राप्त हुई? संग्रहालयवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक प्रत्येक संग्रहालय के रख-रखाव एवं अन्य सुविधाओं हेतु कितना-कितना बजट आबंटित किया गया एवं उक्त बजट का किस-किस मद में उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्व के 18 संग्रहालय एवं 2 कला दीर्घा संचालित हैं, जिनका स्थापना वर्ष एवं जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	संग्रहालय का नाम	वर्ष	जिले का नाम
1	राजकीय संग्रहालय, पाली	1991	पाली
2	राजकीय संग्रहालय, जैसलमेर	1984	जैसलमेर
3	राजकीय संग्रहालय, सीकर	2206	सीकर
4	राजकीय संग्रहालय, माउण्ट आबू	1962	सिरोही
5	राजकीय संग्रहालय, भरतपुर	1944	भरतपुर
6	राजकीय संग्रहालय, अलवर	1940	अलवर

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

क्र. सं.	संग्रहालय का नाम	वर्ष	जिले का नाम
7	राजकीय संग्रहालय, आहाड (उदयपुर)	1960	उदयपुर
8	राजकीय संग्रहालय, डूंगरपुर	1960	डूंगरपुर
9	राजकीय संग्रहालय, कोटा	1946	कोटा
10	राजकीय संग्रहालय, चित्तौड़गढ़	1968	चित्तौड़गढ़
11	राजकीय संग्रहालय, जोधपुर	1936	जोधपुर
12	राजकीय संग्रहालय, झालावाड़	1915	झालावाड़
13	राजकीय संग्रहालय, उदयपुर	1887	उदयपुर
14	राजकीय संग्रहालय, मण्डोर (जोधपुर)	1968	जोधपुर
15	राजकीय संग्रहालय, बीकानेर	1954	बीकानेर
16	राजकीय संग्रहालय, अजमेर	1908	अजमेर
17	राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर	1887	जयपुर
18	श्री केसरी सिंह बारहठ की हवेली, राजकीय संग्रहालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा	2012	भीलवाड़ा
19	कला दीर्घा, विराटनगर	1987	जयपुर
20	कला दीर्घा, चन्द्रावती	2012	सिरोही

(2) उक्त संग्रहालयों से जनवरी, 2009 से जनवरी, 2016 तक प्राप्त आय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में विभागाधीन संग्रहालयों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य हेतु आबंटित बजट एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाएं

160. श्री शैतानसिंह (पोकरण) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं और सरकार द्वारा वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कई योजनाएं/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शैतानसिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यटन क्षेत्र का भविष्य में और अधिक फैलाव के लिये कई नई-नई योजनाएं और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज रखें।

(3) पर्यटन हेतु नये स्थानों/स्थलों/परिसरों को पर्यटन स्थलों के रूप में सम्मिलित करने के मानदण्ड क्या हैं और उन्हें पर्यटन स्थल परिभाषित करने या घोषित करने अथवा मान्यता देने हेतु किन-किन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यटन क्षेत्र का भविष्य में और अधिक फैलाव के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विभाग में नये स्थानों/स्थलों/परिसरों को पर्यटन स्थलों में सम्मिलित करने के कोई मानदण्ड एवं उन्हें पर्यटन स्थल परिभाषित करने या घोषित करने का कोई प्रावधान नही है। पर्यटन स्थल, पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटन स्थल बन जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले की ऐतिहासिक धरोहरों का रख-रखाव

161. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कई ऐतिहासिक मंदिर, कुण्ड, कुऐं एवं बावड़ियां स्थित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ऐतिहासिक सम्पदाओं का मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से एवं सरकार द्वारा इनके रख-रखाव के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश ऐतिहासिक मंदिर, कुण्ड, कुऐं एवं बावड़ियां अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं? क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक

(श्री हमीरसिंह भायल)

स्थलों को अपने संरक्षण में लेकर अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा इनके रख-रखाब के लिए क्या प्रावधान किये जा रहे हैं? क्या सरकार इनकी मरम्मत के लिए विशेष प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राजस्थान ऐतिहासिक धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा सिवाना दुर्ग की तलहटी में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा स्थापित करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले में कई ऐतिहासिक मन्दिर, कुण्ड, कुएं एवं बावड़ियां स्थित हैं। विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के निम्न स्मारक संरक्षित घोषित हैं :-

1. सिवान दुर्ग, सिवाना
2. किराड़ू मन्दिर, हातमा
3. जैन मन्दिर, जूना
4. सूर्य मन्दिर, देवका
5. माता का मन्दिर, बीसूकला

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध बजट से संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाये जाते हैं।

विगत पांच वर्षों के दौरान बाड़मेर स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए स्वीकृत प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये लाखों में)

वितीय वर्ष	मन्दिर समूह, किराड़ू (बाड़मेर)	सिवाना किला, बाड़मेर
2010-11	19.67	-
2011-12	16.37	-
2012-13	33.17	-
2013-14	15.32	-
2014-15	14.20	15.49
2015-16	-	15.90

(पर्यटन राज्य मंत्री)

स्वीकृत प्रावधान का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(3) जी नहीं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पुरास्मारकों को सरकार द्वारा पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मापदण्डों के आधार पर समय-समय पर संरक्षित घोषित किये जाते हैं।

(4) बाड़मेर स्थित संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान किये जाते है। वर्तमान में इनकी मरम्मत के लिए विशेष प्रावधान का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर द्वारा सिवाना दुर्ग की तलहटी में दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई परियोजना चिन्हित नहीं की गई है।

नोबल इंटरनेशनल विद्यालय (उदयपुर) द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करने पर कार्यवाही

162. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसींद) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में रानी रोड पर नोबल इंटरनेशनल विद्यालय संचालित है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय कब से संचालित है एवं इस विद्यालय को कब-कब, किस-किस स्तर की कक्षाओं के शिक्षण के लिए मान्यता/स्वीकृति प्रदान की गई है? मान्यता/स्वीकृति की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रत्येक स्तर की शिक्षा के लिए गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक व वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तों (नियम 5(1)) का पालन किया गया है? यदि हां, तो तद्नुसार एक से चौदह तक प्रत्येक में निर्धारित आवश्यक भौतिक व वित्तीय पूर्तियों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विद्यालय को जिस परिसर एवं भवन में संचालित किया जा रहा है, वह मूलतः आवासीय उद्देश्य से निर्मित है और विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित भौतिक मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर रहा है? यदि नहीं, तो प्रत्येक कक्षा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल गुर्जर)

(4) क्या यह भी सही है कि आवासीय उद्देश्यों से इत्तर विद्यालय संचालित करने का वाणिज्यिक उपयोग करने की भी स्वीकृति नहीं ली गई है?

(5) क्या यह भी सही है कि जिस भवन व भूमि का विवरण समय-समय पर मान्यता हेतु प्रस्तुत किया गया है, उसमें नगर विकास न्यास के स्वामित्व की सुविधाओं हेतु सुरक्षित भूमि को भी सम्मिलित करके दर्शाया गया है?

(6) क्या सभी कक्षाओं व गतिविधियों के लिए वांछित पीने के पानी, खेलकूद व टायलेट आदि की सुविधाएं एवं प्रयोग हेतु पर्याप्त प्रावधान हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर के आदेश क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/उदय/सीट-23/मान्यता/2004-05/1297 दिनांक 31.07.2004 द्वारा दी गई एवं माध्यमिक स्तर की मान्यता उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-5) राजस्थान जयपुर के पत्रांक: प.9(2) शिक्षा-5/अ/33/2006 जयपुर दिनांक 15.07.2006 के द्वारा दी गई। मान्यता सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने सम्बन्धी न्यूनतम भौतिक एवं वित्तीय मानदण्ड एवं शर्तों (नियम 5(1)) का पूर्णत: पालन किया गया है। बिन्दु संख्या 1 से 14 तक की पुष्टि के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि विद्यालय भवन पूर्व में मूलत: आवासीय था जिसे बाद में सागर पैलेस नामक होटल में तब्दील किया गया। होटल बन्द कर एकलिंगजी एजूकेशन सोसायटी द्वारा नोबल इन्टरनेशनल स्कूल संचालित किया जा रहा है। यह सही नहीं है कि विद्यालय विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित भौतिक मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर रहा है। विद्यालय द्वारा आवश्यक निर्धारित वित्तीय, भौतिक, शैक्षिक, सह-शैक्षिक मानदण्डों की पूर्ति किये जाने से शिक्षा (ग्रुप-5) के आदेश दिनांक 15.07.2006 द्वारा माध्यमिक स्तर की मान्यता दी गई थी।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(4) जी हां। यह सही है कि वर्तमान में संचालित विद्यालय भवन भूमि का व्यवसायिक उपयोग प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं कराया गया है।

(5) जी नहीं। विद्यालय द्वारा मान्यता के समय प्रस्तुत आवेदन के साथ भवन सम्बन्धी लगाये गये दस्तावेज की प्रतियां (नक्शा एवं लीज डीड) परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(6) जी हां। विद्यालय में सभी कक्षाओं व गतिविधियों के लिए वांछित पीने का पानी, खेलकूद एवं छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय की सुविधाऐं उपलब्ध हैं। विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिये गये बालकों की पुनर्भरण राशि का भुगतान

163. **श्री कैलाश वर्मा** (बगरू) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आरटीई के तहत सत्र 2012-13 में नि:शुल्क प्रवेश दिये गये बालकों की पुनर्भरण राशि अब तक जयपुर के किन-किन निजी विद्यालयों की किन कारणों से बकाया है, कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सेन्ट माईकल सैकण्डरी स्कूल, मार्टिन हाउस, सुभाष चौक जयपुर को आरटीई के अन्तर्गत सत्र 2012-13 की पुनर्भरण राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे तथा स्कूल द्वारा इस सम्बन्ध में भुगतान हेतु कब-कब आवेदन प्राप्त हुए और उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय स्तर से स्कूल की उक्त सत्र की पत्रावली गायब होने के कारण भुगतान नहीं हो सका था? यदि हां, तो विभाग द्वारा बकाया भुगतान का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को कब भिजवाया गया, यदि नहीं, तो क्यों व अब सरकार पुनर्भरण हेतु बकाया का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा जिन निजी विद्यालयों को वर्ष 2012-13 के बकाया का भुगतान अब तक भी नहीं किया गया है, उनके द्वारा उक्त सत्र में नि:शुल्क प्रवेशित बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सत्र 2012-13 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत नि:शुल्क प्रवेशित बालकों के फीस पुनर्भरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा भुगतान प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक भौतिक सत्यापन में सही पाये गये जिला जयपुर के निजी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का फीस पुनर्भरण किया जाना बकाया नहीं है।

सत्र 2012-13 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत जिला जयपुर में संचालित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेशित बालकों के फीस पुनर्भरण के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) जयपुर से प्राप्त समस्त प्रस्तावों/दावों का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर द्वारा फीस पुनर्भरण करवाया जा चुका है।

इस प्रकार सत्र 2012-13 के फीस पुनर्भरण का कोई भी प्रकरण बकाया नहीं है।

(2) सेन्ट माईकल सैकण्डरी स्कूल, मार्टिन हाउस, सुभाष चौक जयपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर कार्यालय को सत्र 2012-13 का दावा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर कार्यालय द्वारा सेन्ट माईकल सैकण्डरी स्कूल, मार्टिन हाउस, सुभाष चौक जयपुर का सत्र 2012-13 का भौतिक सत्यापन करवाया गया।

(3) प्रश्नोत्तर के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(4) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 के अनुसार "किसी भी बालक को न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा और न ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।''

जयपुर सम्भाग के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति में की गई अनियमितता की जांच

164. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर द्वारा वर्ष 2015 में द्वितीय वेतन श्रृंखला में वरिष्ठ शारीरिक

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

शिक्षकों की वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों की वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध की गई पदोन्नति में जिन शिक्षकों की पदोन्नति की गई है, उनमें वे शिक्षक भी सम्मिलित किये गये हैं, जो अन्य जिलों से स्थानांतरित होकर जयपुर सम्भाग के जिलों में आए हैं, यदि हां, तो क्या इनकी वरिष्ठता का आधार नियुक्ति तिथि माना गया है अथवा स्थानांतरण होने पर कार्यग्रहण तिथि? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पदोन्नति में हुई अनियमितता व पदोन्नति से वंचित शिक्षकों की परिवेदनाएं भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त परिवेदनाओं पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी. सिविल रीट पीटिशन संख्या 8318/2015 में क्या निर्देश दिये गये हैं? क्या दिये गये निर्देशों की पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति में की गई अनियमितता की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर द्वारा वर्ष 2015 में द्वितीय वेतन श्रृंखला में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों की वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के विरुद्ध जारी पदोन्नति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, दौसा द्वारा स्वयं की प्रार्थना पर जिले में स्थानान्तरित शारीरिक शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के प्रस्ताव नियुक्ति तिथि को आधार मानते हुए सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को भिजवाये जाने के कारण मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में उन्हें नियुक्ति तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया गया है। वरिष्ठता सूची निर्धारण हेतु जारी नियमों की प्रति परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग को प्राप्त परिवेदनाओं की जांच करवाई गई। जांच

(शिक्षा राज्य मंत्री)

प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में शिक्षा विभाग के विरुद्ध कोई याचिका संख्या एस.बी. सिविल 8318/2015 दर्ज नहीं है।

(5) जी हां। प्रश्नोत्तर के भाग-3 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराये गये कार्य

165. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत गत 3 वर्षों में नागौर जिले में किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत स्कूलों में कमरे बनाये जाने के लिए संस्था प्रधानों को द्वितीय किश्त की राशि गत 4 वर्षों से उपलब्ध नहीं करवाई गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) "सर्व शिक्षा अभियान" के तहत पिछले तीन वर्षों में (वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक) नागौर जिले में करवाये गये निर्माण कार्य, व्यय राशि तथा प्रस्तावित व्यय राशि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले 4 वर्षों में कमरे बनाये जाने के लिए जिन संस्था प्रधानों द्वारा प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। उन संस्था प्रधानों को द्वितीय किश्त की राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जिन विद्यालयों को द्वितीय किश्त की राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उसका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

साथ ही उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान में पिछले 4 वर्षों में कमरे बनाये जाने के लिए जिन संस्था प्रधानों द्वारा प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उन संस्था प्रधानों को द्वितीय किश्त की राशि जारी की गई है।

(3) द्वितीय किश्त जारी करने में किसी कर्मचारी को दोषी नहीं होने के फलस्वरूप कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

166. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त केन्द्रों पर कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं क्या सरकार उक्त केन्द्रों के लिए भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी विहीन ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कुल 271 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त केन्द्रों पर 263 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं एवं 8 पद रिक्त हैं। कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को समय-समय

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में गठित चयन समिति द्वारा चयन कर भरा जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन, किराये के भवन, सरकारी स्कूल, सामुदायिक भवन, पंचायती राज एवं अन्य राजकीय भवन में संचालित हैं। 25 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। किराये के भवनों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(4) वंचित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत कराने के लिए उप निदेशक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण उपरान्त नियमानुसार भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में संचालित आंगनबाडी व मां बाड़ी केन्द्र

167. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी व मां बाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो वर्तमान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में उक्त कितने केन्द्र किस-किस पंचायत समितियों में व ग्राम पंचायतों में चल रहे हैं? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त केन्द्रों में कितने-कितने बालक व बालिकाएं प्रवेश लेकर लाभान्वित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर बालक-बालिकाओं को पोषाहार के अलावा क्या-क्या सामग्री दी जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा मां बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है। समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग द्वारा बांसवाड़ा

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

जिले में 2060 तथा प्रतापगढ़ जिले में 1217 कुल 3277 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में 278 तथा प्रतापगढ़ जिले में 204 कुल 482 मां बाड़ी केन्द्रों का संचालन स्वच्छ परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। मां बाडी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलगन है।

(2) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में वर्तमान में बालक-बालिकाएं पंजीकृत/प्रवेश होकर लाभान्वित हो रहे हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट 'अ' में ही समाहित है।

प्रत्येक मां बाड़ी केन्द्र पर 30 बच्चों का नामांकन किया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट 'ब' में ही समाहित है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बालक-बालिकाओं के उपयोग के लिए पोषाहार के अलावा मेडिसिन किट, प्री-स्कूल किट इत्यादि सामग्री उपलब्ध करायी जाती है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

मां बाड़ी केन्द्रों पर बालकों को पोषाहार के अलावा पोषाक, जूते, मोजे, टाई, बेल्ट, पाठ्य पुस्तकें, कापी पैंसिल, रबर, शोपनर इत्यादि सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)